



ग्रन्थ-परीक्षा

तृतीय भाग ।

अर्थात्

सोमसेन-त्रिर्णाचार, धर्मपरीक्षा (श्वेताम्बरी), अकलंव
प्रतिष्ठापाठ और पूज्यपाद-उपासकाचारके
परीक्षा-लेखोंका संग्रह ।

—•••—

लेखक—

श्रीयुत पंडित जुगलकिशोर झुस्तार

सरसावा जि० सहारनपुर

[ग्रन्थ-परीक्षा प्रथम द्वितीय भाग, उपासनातरच, जिनपूजाधिकार-भीमांसा,
विवाहसमुद्देश्य, विवाह-सोत्र-अकाश, स्वामीसमन्तभद्र (इतिहास),
धीर-मुष्पांजलि, जैनवाच्योंका शासनभेद, आदि अनेक ग्रन्थोंके
रचयिता, और जैनद्वितीय आदि पत्रोंके
भूतपूर्व सम्पादक]

प्रकाशक—

जैन-ग्रन्थ-रत्नाकर कार्यालय,

हीराबाग, पो० गिरगांव-बम्बई ।

प्रथमावृत्ति }
५०० प्रति }

माघी, सं०, १९८५ विक्रम
सितम्बर, सन् १९३८

सूच्य १४)

प्रकाशक-
छगनमल बाकलीवाल
मालिक—जैन-ग्रन्थ-रत्नाकर कार्यालय
हीराबाग, पो० गिरगांव—वन्वई ।



मुद्रक
श्री दुर्गाप्रसाद
दुर्गा प्रेस मजमेर
पेज संख्या १ से २४४ तक
और दोष अंश
सं. ना. कुळकर्णी कर्नाटक प्रेस
३१८ ए ठाकुरद्वार वन्वई ।

भूमिका ।

—०:—

वर्षोंका जल जिस छद्म रूपमें बरसता है, उस रूपमें नहीं रहता; आकाशसे नीचे उतरते उतरते और बलाघातोंमें पहुँचते पहुँचते वह विह्वल हो जाता है और इसके बाद तो उसमें इतनी विकृतियों उत्पन्न हो जाती हैं कि उनके बारे उसके वास्तविक स्वरूपका हृदयंगम कर सकना भी दुष्कर हो जाता है। फिर भी जो वस्तुतत्त्वके मर्मज्ञ हैं, पदाथोंका विश्लेषण करनेमें कुशल या परीक्षाप्रधानी हैं, उन्हें उन सब विकृतियोंसे पृथक् वास्तविक जलका पता लगानेमें शेर नहीं लगती है। परमहितैषी और परम धीतराम भगवान् महावीरकी धाणीको एक कविने अलक्ष्मिणी उपमा दी है, जो बहुत ही उपयुक्त माह्यम होती है। पिछले ढाई हजार वर्षोंका उपलम्ब इतिहास हमें बतलाता है कि भगवान्का विभक्त्याणकारी समीचीन धर्म जिस रूपमें उपदिष्ट हुआ था, उसी रूपमें नहीं रहा, धीरे धीरे वह विकृत होता गया, ज्ञात और अज्ञातरूपसे उसे विकृत करनेके बराबर प्रयत्न किये जाते रहे और अब तक किये जाते हैं। सम्प्रदाय, संघ, गण, गन्ध, धाम्नाय, पन्थ आदि सब प्रायः इन्हीं विकृतियोंके परिणाम हैं। भगवानका धर्म सबसे पहले सिगम्बर और श्वेताम्बर दो सम्प्रदायोंमें विभक्त हुआ, और उसके बाद मूल, आपनीय, शक्ति, काष्ठा, माधुर, आदि नावा संघों और उनके गणों तथा गच्छोंमें विह्वल होता रहा है। यह अवसंग है कि एक धर्मके इतने भेद प्रभेद होते जायें और उसकी मूल अङ्गतिपर विकृतियोंका प्रभाव नहीं पड़े। यद्यपि सर्वसाधारण जन इन सम्प्रदायों और पन्थोंके विकारसे विह्वल हुए धर्मका वास्तविक छद्म स्वरूप अवधारण नहीं कर सकते हैं; परन्तु समय समयपर ऐसे विचारशील विवेकी महात्माओंका जन्म अवश्य होता रहता है जो इन सब विकारोंका अपनी रासायनिक और विश्लेषक बुद्धिसे पृथक्करण करके वास्तविक धर्मको स्वयं देख लेते हैं और दूसरोंको सिखा जाते हैं।

जो लोग यह समझते हैं कि वर्तमान जैनधर्म ठीक वही जैनधर्म है जिसका उपदेश भगवान् महावीरकी विभक्त्याणीद्वारा हुआ था, उसमें जरा भी परिवर्तन, परिवर्द्धन या सम्मेलन नहीं हुआ है—अक्षरशः ज्योंका त्यों चला आ रहा है, उन्हें धर्मात्मा या श्रद्धालु भले ही मान लिया जान; परन्तु विचारशील नहीं कहा जा सकता। यह संभव है कि उन्होंने शालोंका अध्ययन किया हो, वे शास्त्री या पण्डित कहलाते हों; परन्तु शाल पढ़ने या परीक्षाएँ देनेसे ही यह नहीं कहा जा सकता है कि वे इस विषयमें कुछ गहरे श्रेष्ठ सके हैं। जो लोग यह जानते हैं कि मनुष्य रागद्वेषसे मुक्त है, अपूर्ण है और उनपर वैश्व-कालका कल्पनातीत प्रभाव पड़ता है, वे इस बातपर कभी विश्वास नहीं करेंगे

कि चाहे हजार वर्षके इतने कल्पे समयमें, इतने संघों और गण-गच्छोंकी खींचावानीमें पब कर भी उनके द्वारा मगवान्के धर्ममें जरा भी रूपान्तर नहीं हुआ है।

हमारे समाजके विद्वान् तो अभी तक यह माननेको भी तैयार नहीं थे कि जैन-चार्योंमें भी परस्पर कुछ मतभेद हो सकते हैं। यदि कहीं कोई ऐसे भेद नजर आते थे, तो वे उन्हें अपेक्षाओंकी सहायतासे या उपचार आदि कह कर टाल देते थे; परन्तु अब 'ग्रन्थपरीक्षा'के लेखक पण्डित ज़ुगलकिशोरजी मुख्तारने अपनी सुचिन्तित और सुपरीक्षित 'जैन-चार्योंका शासनभेद' * नामकी लेखमाळामें इस बातको अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया है कि जैन-चार्योंमें भी काफी मतभेद थे, जो यह विश्वास करनेके लिए पर्याप्त है कि मगवानका धर्म झुल्ले जब तक ज्योंका त्यों नहीं चला आया है और उसके अस्सी रूपके सम्बन्धमें मतभेद हो सकता है।

संसारके प्रायः सभी धर्मोंमें रूपान्तर हुए हैं और घटाघर होते रहते हैं। उदाहरणके लिए पहले हिन्दू धर्मको ही ले लीजिए। बड़े बड़े विद्वान् इस बातको स्वीकार करते हैं कि जैनधर्म और बौद्धधर्मके जवर्द्धत प्रमाणोंमें पक्कर उसकी 'वैदिकी हिंसा' छुटप्राम्य हो गई है और वैदिक समयमें जिस गौके अछड़ेके मांससे ब्राह्मणोंका अतिविचल्लार किया जाता था, (महोत्सव वा महोत्सव वा श्रोत्रियाय प्रकल्पयेत्) वही आज हिन्दु-धर्मकी पूजनीया माता है और वर्तमान हिन्दू धर्ममें पीहल्ला महापातक गिना जाता है। हिन्दू अब अपने प्राचीन धर्मग्रन्थोंमें बतलाई हुई नियोगकी प्रमाणी व्यभिचार और अजुल्लेम-प्रतिजुल्लेम विवाहोंको अनाचार समझते हैं। जिस बौद्धधर्मने संसारसे जीव-हिंसाको उडा देनेके लिए प्रबल आन्दोलन किया था, उसीके अजुवायी तिज्वत और जीमके निवासी आज सर्वमछी बने हुए हैं—बड़े ऊँहूदर, कौड़े बभकौड़े तक उनके लिए अस्वाय नहीं हैं। महात्मा बुद्ध नीच ऊँचके भेदभावसे युक्त वर्णव्यवस्थाके परम विरोधी थे; परन्तु आज उनके नेपाळदेशवासी अजुवायी हिन्दुओंके ही सपान चादिभेदके रोगसे प्रसित हैं। महात्मा कबीर जीवच भर इस अश्वालवाणीको सुनाते रहे कि—

जात पाँत पूछे नहीं कोई,
हरिको भजै सो हरिकार होई।

परन्तु आज उनके अखों अजुवायी चातिपौतिके कीचकमें अपने अन्य पकौचि-योंके ही समान फँसे हुए हैं। इस ऊँच-नीचके भेदभावकी बीमारीसे तो झुद्ध यूरोपसे आया हुआ ईसाई धर्म भी नहीं बच सका है। पण्डकोंने झना होया कि बद्रास प्रान्तमें ब्राह्मण ईसाईयोंके गिरल्लार कुदा और झर ईसाईयोंके गिरल्लार कुदा हैं और वे एक दूसरेको छुपाकी दृष्टिसे देखते हैं। ऐसी बधायें बदि हमारे जैनधर्ममें देखकालके प्रमा-

* यह लेखमाळा अब मुख्तारसाहबके द्वारा संशोधित और परिबर्द्धित होकर जैन-
1-1904 २-कार्माल्य कम्बईद्वारा मुख्तारकाकार प्रकाशित हो गई है।

घसे और अपने पत्नीसी धर्मोंके प्रभावसे कुछ विद्वतियाँ हुए गई हों, तो इसपर किसीको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इन विद्वतियोंमें कुछ विद्वतियाँ इतनी स्पष्ट हैं कि उन्हें साधारण बुद्धिके लोग भी समझ सकते हैं। यथा—

१—जैनधर्मसम्मत वर्णधर्मस्वाके अनुसार जिसका कि आदिपुराणमें प्रतिपादन किया गया है, प्रत्येक वर्णके पुत्र अपनेसे बादके सभी वर्णोंकी कन्याओंके साथ विवाह कर सकते हैं; बल्कि धर्मसंग्रहभावकाचारके अनुसार तो पहलेके तीन वर्णोंमें परस्पर अजुलमेम और प्रतिजोग्न दोनों ही कर्मोंसे विवाह हो सकता है और पुराणधर्मोंके उदाहरणोंसे इसकी पुष्टि भी होती है*, परन्तु वर्तमान जैनधर्म तो एक वर्णके जो सैकड़ों जातियाँ बन गई हैं और जैनधर्मका पाठन कर रही हैं, उनमें भी परस्पर विवाह करना माय बतलता है और इसके लिए उसके बड़े बड़े विग्न्य पण्डित धार्मिकोंसे खीच तानकर प्रमाण तक देनेकी हृष्टता करते हैं। क्या यह विद्वति नहीं है!

२—मगधजिनसेनके आदिपुराणकी 'वर्णकामक्रिया' के अनुसार प्रत्येक जैनको जैनधर्मकी दीक्षा दी जा सकती है और फिर उसका नया वर्ण स्थापित किया जा सकता है, तथा उस नये वर्णमें उसका विवाहसम्बन्ध किया जा सकता है। उसको उसके प्राचीन धर्मसे नहीं तक छुटा कर ढाकनेकी विधि है कि उसका प्राचीन गोत्र भी बदल कर उसे बड़े बड़े पोत्रसे अभिहित करना चाहिए। परन्तु वर्तमान जैनधर्मके ठेकेदारोंने मोली भाली अन्याको छुधारकोंके विरुद्ध मक्दानेके लिए इसी बातको एक इन्धियार बना रक्खा है कि देखिए, ये मुसलमानों और ईसाइयोंको भी जैनी बनाकर उनके साथ रोटी-बंदी व्यवहार जारी कर देना चाहते हैं। भाग्ये मुसलमान और ईसाई मनुष्य ही नहीं हैं। क्या यह विद्वति नहीं है? क्या मगधान् महावीरका विध्वंस इतना ही संकीर्ण था? अन्विसारकी १९५ वीं गाथाकी टीकासे स्पष्ट साक्ष्य होता है कि म्हेच्छ देवसे आगे हुए म्हेच्छ पुत्र भी मुनिरक्षा के सकते थे और इस तरह क्षुण्णियातिके अधिकारी बनते थे।

* इस विषयको अच्छी तरह समझनेके लिए पंडित कुमलकिशोर कुस्तारकी लिखी हुई 'विवाहसंग्रहप्रकाश' नामकी पुस्तक और मेरा लिखा हुआ 'धर्म और जातिधर्म' नामका विध्वन्ध देखिए। यह विध्वन्ध खीघ्र ही प्रकाशित होवेगा है।

† म्हेच्छमूर्खिसम्बुध्याणां सकलसंयममहर्ण कथं संयतीति नासंकितम्ब। द्विविचयकले चक्रवर्तिना सह आर्यखण्डमागतानां म्हेच्छराजानां चक्रवर्त्यादिभिः सह आत-वेवाहिकसम्बन्धानां संयमप्रतिपत्तेरविरोधात्। अथवा तत्कन्यकानां चक्रवर्त्यादिपत्नीतानां गर्भकृपणस्य मातृपक्षापेक्षया म्हेच्छम्यपवेद्यमात्रा संयमसंभवात् तथाजातीयकानां दीक्षाईत्वे प्रतिषेधामावात् ॥ १९५ ॥ पृष्ठ २४१।

३—सारत्रयके प्रसिद्ध टीकाकार श्री जयतेनसुरिके कथनानुसार सत्-शत्रु भी मुनि-दीक्षा ले सकते हैं * । परन्तु वर्तमान जैनधर्म तो शत्रुको इसके लिए सर्वथा अयोग्य समझता है । शत्रु तो खर बहुत नीची दृष्टिसे देखे जाते हैं; परन्तु उन दक्षिणी जैनियोंके भी मुनिदीक्षा लेने पर कोलाहल मचाया जाता है जिनके वहाँ विधवाविवाह होता है । खर जैनधर्मपर इस प्रकारकी विकृतियाँ क्या लाभजनस्वरूप नहीं हैं !

जैसा कि प्रारम्भमें कहा जा चुका है, इन विकृतियोंको पहिचान करके असली धर्मको प्रकाशमें खनेवाली विद्युतियाँ समय समय पर होती रहती हैं । सारत्रयके कर्ता आचार्य कुन्दकुन्द ऐसी ही विद्युतियोंने एक थे । वर्तमान दिगम्बर संप्रदायके आधि-कांक्ष लोग अपनेको कुन्दकुन्दकी आम्नायका बतलाते हैं । मालूम नहीं, लोगोका कुन्द-कुन्दआम्नाय और कुन्दकुन्दान्वयके सम्बन्धमें क्या खबाह है; परन्तु मैं तो इसे जैनधर्ममें उस समय तक को विकृतियाँ हो गई थीं उन सबको हटाकर उसके वास्तविक स्वरूपको आविष्कृत करके सब साधारणके समक्ष उपस्थित करनेवाले एक महान् आचार्यके अनु-नायियोंका सम्प्रदाय समझता हूँ । मगवान् कुन्दकुन्दके पहले और पीछे अनेक बड़े बड़े आचार्य हो गये हैं, उनकी आम्नाय वा अन्वय न कहलाकर कुन्दकुन्दकी ही आम्नाय या अन्वय कहलानेका अन्वया कोई बलवत्कारण दृष्टिगोचर नहीं होता है । मेरा अनुमान है कि मगवान् कुन्दकुन्दके समय तक जैनधर्म लगभग उतना ही विकृत हो गया था, जितना वर्तमान तेरहपन्थके उदय होनेके पहले भट्टारकोंके शासन-समयमें हो गया था और उन विकृतियोंसे मुक्त करनेवाले तथा जैनधर्मके परम वीतराग शान्त मार्गको फिरसे प्रवर्तित करनेवाले भगवान् कोण्डकुण्ड ही थे । परन्तु समयका प्रभाव देखिए कि वह संशोधित शान्तमार्ग भी विरकाळ तक झुझ न रहा, आगे चलकर वही भट्टारकोंका धर्म बन गया । क्यों तो तिल-तुप मात्र परिग्रह रखनेका भी निषेध और क्यों हाथी घोड़े और पाऊकियोंके वाठबाद । घोर परिवर्तन हो गया ।

सब कुन्दकुन्दान्वयी शुक्य मार्ग धीरे धीरे इतना विकृत हो गया—विकृतिकी पराकाष्ठापर पहुँच गया, तब कुछ विवेकी और विद्वेषक विद्वानोंका ध्यान फिर इस ओर गया और वेसा कि मैंने अपने 'बनवासियों और चैत्यवासियोंके सम्प्रदाय या तेरह-पन्थ और वीसपन्थ' + सीपिक विस्तृत लेखमें बतलाया है, विद्वानकी सत्रहवीं शताब्दिमें स्वर्गिय पं० बनारसीदासजीने फिर एक संशोधित और परिष्कृत मार्गकी नींव डाली, जो पहले 'वाणारसीय' वा 'बनारसी-पन्थ' कहलाया और आगे चल कर तेरहपन्थके

* ...एषंशुण्यविशिष्टप्रदयो जिनदीक्षामहणे योग्यो भवति । यथायोग्यं सच्छूद्राश्रयि
—अवचनसारतात्पर्यवृत्ति, पृष्ठ ३०५ ।

+ देखो, जैनहितपी भाग १४, अंक ४ ।

नामसे प्रसिद्ध हुआ † । इस पन्थने और इसके अनुयायी पं० टोकरमण्डी, पं० जयचन्द्रजी, पं० दौळतरामजी, पं० सदासुखजी, पं० पन्नालालजी दूनीवाले आदि विद्वानोंने जो साहित्य निर्माण किया और जिस ब्रह्ममार्गका प्रतिपादन किया, उसने विगम्बरसम्प्रदायमें एक बड़ी भारी क्रान्ति कर डाली और उस क्रान्तिका प्रभाव इतना वेगवहाली हुआ कि उससे जैनधर्मके शिथिलचारी मद्दन्तों या भङ्गरकोंके स्थायी समझे जानेवाले सिंहासन देखते देखते धरासायी हो गये और कई सौ वर्षोंसे जो धर्मके एकच्छत्रवारी सम्राट् बन रहे थे, वे अप्रतिघाके गहरे गहरेमें फँक दिये गये ।

भङ्गरकोंका उक्त विकृत मार्ग कितना पुराना है, इसका अनुमान पण्डितप्रवर आशाधरद्वारा उद्धृत इस वचनसे होता है—

पण्डितैर्ब्रह्मचारिभैः घटैरुत्तपोधनैः ।

शासनं जिनचन्द्रस्य निर्मलं मलिनीकृतम् ॥

अर्थात् ब्रह्मचरित्र पण्डितों और षड् साधुओं या भङ्गरकोंने जिन भगवान्का निर्मल शासन मज्जान कर डाला । पं० आशाधरजी विक्रमकी तेरहवीं शताब्दिके अन्तमें मौजूद थे और उन्होंने इस श्लोकको किसी अन्य ग्रन्थसे उद्धृत किया है । अर्थात् इससे भी बहुत पहले भगवान् महावीरके शासनमें अनेक विकृतियाँ पैड कई थीं ।

तेरहपन्थके पूर्वोक्त मिश्रवने जैनधर्मकी विकृतियोंको हटाने और उसके शुद्ध स्वरूपको प्रकट करनेमें जो प्रशंसनीय उपयोग किया है, वह निरस्मरणीय रहेगा । यदि इसका उद्यम न हुआ होता, तो आज विगम्बर जैनसमाजकी क्या दुर्दशा होती, उसकी कल्पना भी नहीं हो सकती है । बागल प्रान्तमें दौरा करनेवाले धम्बई जैन प्रान्तिक समाके एक उपदेशकने कोई १०-१२ वर्ष हुए मुझसे कहा था कि कुछ समय पहले वहाँके भानक शालस्वाभ्याय आदि तो क्या करेंगे, उन्हें जिन भगवान्की मूर्तिका अभिषेक और प्रस्थापन करनेका भी अधिकार नहीं था । भङ्गरकोंके विषय पण्डितजी ही जब कभी आते थे, वह पुण्यकार्य करते थे और अपनी दक्षिणा लेकर चले जाते थे । कहते थे, तुम बाल-बच्चोंवाले भ्रमज्ञचारी लोग

† सुप्रसिद्ध श्वेताम्बर साधु श्रीमेषविजयजी महोपाध्यायने अपना 'शुक्तिप्रबोध' नामका प्राकृत ग्रन्थ स्वोपह संस्कृतटीकासहित इस 'वाणारसीय' मतके सम्बन्धने लिए ही विक्रमकी अठारहवीं शताब्दिके प्रारंभमें बनाया था—“घोचळं सुयणहिसत्थं वाणारसियस्स मयमेयं ।”—मुझकोके हितार्थ वाणारसी मतका भेद कहता हूँ । इस ग्रन्थमें इस मतकी उत्पत्तिका समय विक्रमसंवत् १६८० प्रकट किया है । यथा—

स्तिरिक्कमनरनाहानापरिं सोळहसप्यहिं वासेहिं ।

अस्ति उत्तरोहिं जायं वाणारसियस्स मयमेयं ॥ १८ ॥

मगवान्की प्रतिमाका स्पर्श कैसे कर सकते हो ! और यह तो अभी कुछ ही वर्षोंकी बात है जब मछारकोंके कर्मचारी भाषकोंसे मारमारकर अपना टैक्स बसूल करते थे तथा जो भाषक उनका वार्षिक टैक्स नहीं देता था, वह बँधवा दिया जाता था ! इस आज भले ही इस बातको महसूस न कर सकें; परन्तु एक समय था, जब समूचा दिगम्बर जैन समाज इन शिक्षाचारी साथ ही अत्याचारी पोपोंकी पीड़ित प्रजा था और इन पोपोंके सिंहासनको उलट देनेवाला यही शक्तिशाली तेरहपन्थ था । यह इसीकी कृपाका फल है, जो आम इस इतनी स्वाधीनताके साथ धर्मधर्मा करते हुए नजर आ रहे हैं ।

तेरहपन्थने मछारकों या महन्तोंकी पूजा-प्रतिष्ठा और सत्ताको तो नष्टप्राय कर दिया; परन्तु उनका साहित्य अब भी जीवित है और उसमें वास्तविक धर्मको विकृत कर देनेवाले तत्त्व मौजूद हैं । यद्यपि तेरहपन्थी विद्वानोंने अपने भाषाग्रन्थोंके द्वारा और ग्राम ग्राम नगर नगरमें स्थापित की हुई शालसभाओंके द्वारा लोगोंको इतना सजग और सावधान अवश्य कर दिया है कि अब वे शिक्षाचारी बातोंको सहसा माननेके लिए तैयार नहीं होते हैं और वे यह भी जानते हैं कि भेषी पाखण्डियोंने वास्तविक धर्मको बहुतसी मिथ्यात्वपोषक बातेंसे भर दिया है; फिर भी संस्कृत ग्रन्थोंके और अपने पूर्व-कालीन बड़े बड़े मुनि तथा आचार्योंके नामसे वे अब भी उगाये आते हैं । बेचारे सरल प्रकृतिके लोग इस बातकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि भूत लोग आचार्य भद्रबाहु, कृन्धकृन्ध, उमास्वाति, भगवन्दिनसेन आदि बड़े बड़े पूज्य मुनिराजोंके नामसे भी ग्रन्थ बनाकर प्रचलित कर सकते हैं ! उन्हें नहीं माख्म है कि संस्कृतमें जिस तरह सत्य और महान् सिद्धान्त लिखे जा सकते हैं, उसी तरह असत्य और पापकथायें भी रची जा सकती है ।

अतएव इस ओरसे सर्वथा निश्चिन्त न होना चाहिए । लोगोंको इस संस्कृतभक्ति और नामभक्तिके सावधान रखनेके लिए और उनमें परीक्षाप्रभावताकी भावनाको दृढ़ बनाये रखनेके लिए अब भी आवश्यकता है कि तेरहपन्थके उस मिथानको जारी रक्खा जाय जिसने मगवान् महावीरके धर्मको विघ्नदृष्ट बनाये रखनेके लिए अब तक निर्भीम परिश्रम किया है । हमें सुदृढ़ पण्डित सुगल किशोरजी सुखारका विर कृतज्ञ होना चाहिए कि उन्होंने अपनी 'ग्रन्थ-परीक्षा' नामक लेखमाला और दूसरे समर्थ लेखों-द्वारा इस मिथानको बराबर जारी रक्खा है और उनके अनवरत परिश्रमने मछारकोंकी गतिथिके समाज उनके साहित्यके सिंहासनको भी उलट देनेमें कोई कसर बाकी नहीं रखी है ।

अगम १९ वर्षके बाद 'ग्रन्थपरीक्षा' का यह तृतीय भाग प्रकाशित हो रहा है जिसका परिषद करनेके लिए मैं वे पक्षियाँ लिख रहा हूँ । पिछले दो भागोंकी

किये जाय यह भाग बहुत बसा है, और यही सोचकर यह इतने विस्तृत रूपमें लिखा गया है कि अब इस विषयपर और कुछ लिखनेकी आवश्यकता न रहे। महारकी साहित्यके प्रायः सभी अंग प्रलंग इसमें अच्छी तरह उजागर दिखाने दिये हैं और जैनधर्मको विकृत करनेके लिए महारकोंके जो जो अथर्व और विन्ध प्रवृत्त किये हैं, वे प्रायः सभी इसके द्वारा स्पष्ट हो गये हैं।

मुखारसाहबने इन केसोंको, विशेषकरके सोमसेन त्रिपर्णाचारकी परीक्षाको, कितने परिश्रमसे लिखा है और यह उनकी कितनी बड़ी उपत्याका फल है, यह बुद्धिमान् पाठक इसके कुछ ही पृष्ठ पढ़कर जान लेंगे। मैं नहीं जानता हूँ कि पिछले कई सौ वर्षोंमें किसी भी जैन विद्वानने कोई इस प्रकारका समालोचक ग्रन्थ इतने परिश्रमसे लिखा होगा और यह बात तो बिना किसी द्विकिचाइटके कही जा सकती है कि इस प्रकारके परीक्षाकेस जैनसाहित्यमें सबसे पहले हैं और इस बातकी सूचना देते हैं कि जैनसमाजमें ऐतद्ग्रन्थद्वारा स्थापित परीक्षाप्रधानताके भाव नष्ट नहीं हो गये हैं। वे अब और भी तेजीके साथ बढ़ेंगे और उनके द्वारा मञ्जिनीकृत जैनशासन फिर अपनी प्राचीन निर्मलताको प्राप्त करनेमें समर्थ होगा।

विद्वानबोधक आदि ग्रन्थोंमें भी महारकोंके साहित्यकी परीक्षा की गई है और उसका खण्डन किया गया है, परन्तु उनके लेखकोंके पास जौन करनेकी केवल एक ही कसौटी थी कि असुख विधान वीतराग मार्गके अनुकूल नहीं है, अथवा वह असुख बने आचार्यके मतसे विरुद्ध है और इससे उनका खण्डन बहुत धोरदार न होता था; क्योंकि अज्ञान फिर भी कह सकता था कि यह भी तो एक आचार्यका कहा हुआ है, अथवा यह विषय कितनी ऐसे पूर्वाचार्यके अनुसार लिखा गया होगा जिसे हम नहीं जानते हैं; परन्तु ग्रन्थ-परीक्षाके केसक महोदयने एक दूसरी अलम्बपूर्व कसौटी प्राप्त की है जिसकी पहलके केसकोंको कल्पना भी नहीं थी और वह यह कि उन्होंने हिन्दुओंके स्थितिमन्थों और दूसरे कर्मकाण्डीय ग्रन्थोंके केसकोंके सामने उपस्थित करके बतला दिया है कि एक ग्रन्थोंमेंसे कुछ कुछ कर और उन्हें तोड़-मरोड़कर सोमसेन आदिने वे अपने अपने 'भाव-मतीके कृपण' तैयार किये हैं। जौन करनेका यह ढग निष्कलक गया है और इसने जैन-धर्मका दुस्नात्मक पद्धतिसे अध्ययन करनेवालोंके लिए एक नया मार्ग खोल दिया है।

ये परीक्षाकेस इतनी सावधानीसे और इतने अकाम्य प्रमाणोंके आधारसे लिखे गये हैं कि अभी तक उन केसोंकी ओरसे जो कि त्रिपर्णाचारवि महारकी साहित्यके परम पुरस्कर्ता और प्रचारक हैं, इनकी एक पंक्ति भी खण्डन नहीं किया गया है और न अब इसकी आशा ही है। ग्रन्थपरीक्षाके पिछले दो मार्गोंको प्रकाशित हुए समय एक युग (१२ वर्ष) बीत गया। उस समय एक दो पण्डितमन्थोंने इस तरह धोषणायें की थी कि हम उनका खण्डन कियेंगे; परन्तु वे अब तक लिख ही रहे हैं। वह तो अर्धमथ है कि केसोंको

सम्बन्ध लिखा या सकता और फिर भी पाण्डितोंका बलब्र बल सुपथाय बैठा रहता; परन्तु बात यह है कि इनपर कुछ लिखा ही नहीं जा सकता। बोधी बहुत पोल होती, तो वह वैंकी भी जा सकती; परन्तु वहाँ पोल ही पोल है, वहाँ क्या किया जाय ? गरब यह कि वह केवलमात्र प्रतिवादिषोंके लिए लोहेके बने हैं, यह सब तरहसे सम्प्राप्त और सुकिसुक लिखी गई है।

मुझे विश्वास है कि जैनसमाज इस केवलमात्रका पूरा पूरा आदर करेगा और इसे पढ़ कर जैनधर्ममें सुखे हुए सिध्दा विद्वांसों, विधिविचारों और अज्ञेय प्रवृत्तियोंको पहिचाननेकी शक्ति प्राप्त करके वास्तविक धर्मपर आक्रमण होगा।

मेरी समझमें इस केवलमात्रको पढ़कर पाठकोंका ध्यान नीचे लिखी हुई बातोंकी ओर आकर्षित होना चाहिए—

१—किसी ग्रन्थपर किसी जैनआचार्य या विद्वान्का नाम देखकर ही वह निश्चय न कर लेना चाहिए कि वह जैनग्रन्थ ही है और उसमें जो कुछ लिखा है वह सभी भगवानकी वाणी है।

२—महारकोंने जैनधर्मको बहुत ही धूमित किया है। वे स्वयं ही अष्ट नहीं हुए थे, जैनधर्मको भी उन्होंने अष्ट करनेका प्रयत्न किया था। यह भाव्य असंभव है कि जो स्वयं अष्ट हो, वह अपनी अष्टताको छात्रोंके सिद्ध करनेका कोई स्पष्ट या अस्पष्ट प्रयत्न न करे।

३—महारकोंके पास विपुल धनसम्पत्ति थी। उसके लोभसे उनके ब्राह्मण उनके विषय बन जाते थे और समय पाकर वे ही महारक बनकर जैनधर्मके शासक पदको प्राप्त कर लेते थे। इसका फल यह होता था कि वे अपने पूर्वके ब्राह्मणत्वके संस्कार ह्रात और अज्ञात रूपसे जैनधर्ममें प्रविष्ट करनेका प्रयत्न करते थे। उनके साहित्यमें इसी कारण अज्ञेय संस्कारोंका इतना प्राबल्य है कि उसमें वास्तविक जैनधर्म बिल्कुल छुप गया है।

४—मुझा गया है कि महारक जोग ब्राह्मणोंको नीकर रखकर उनके द्वारा अपने वायसे ग्रन्थरचना कराते थे। ऐसी वृत्तमें यदि उनके साहित्यमें जैनधर्मकी कड़ई किया हुआ ब्राह्मण साहित्य ही दिखलाई दे, तो कुछ आश्चर्य न होना चाहिए।

५—इस बातका विषय करना कठिन है कि महारकोंके साहित्यका कनसे प्रारंभ हुआ है; इसपरि अथ हमें इस प्रश्नसे बचकर छाँटकी भी फूँक फूँकर पीना चाहिए। हमें अपनी एक ऐसी विवेककी कसौटी बना लेनी चाहिए जिसपर इस प्रत्येक ग्रन्थको कस सकें। जिस तरह हमें किंसी बने आचार्यके नामसे मुख्यधर्म न पढ़ना चाहिए, उसी तरह आचीनताके कारण भी किसी ग्रन्थपर विश्वास न कर लेना चाहिए।

६—उत्सुकताके विद्यार्थियों, पण्डितों तथा छात्रियोंका ध्यान इन लेखमालाओंके द्वारा सुखमात्मक पद्धतिकी ओर आकर्षित होना चाहिए और उन्हें प्रत्येक विषयका अध्ययन एवं परिश्रमसे करनेकी आशुत ठाकनी चाहिए। ये परीक्षा लेख बतलाते हैं कि परिश्रम करना किसे कहते हैं।

७—अभी कहना है कि और अनेक विद्वान्, इस मार्गपर काम करें। महारकोंके रचे हुए कथाग्रन्थ और चरितग्रन्थ बहुत अधिक हैं। उनका भी चरीकीसे अध्ययन किया जाना चाहिए और जिन प्राचीन ग्रन्थोंके आभासे वे लिखे गये हैं, उनके साथ उनका मिलान किया जाना चाहिए। महारकोंने ऐसी भी बीसों कथायें स्वयं गयी हैं जिनका कोई मूळ नहीं है।

अन्तमें सुहृद्दर पण्डित जुगल किशोरजीको उनके इस परिश्रमके लिए अनेकशः धन्यवाद देकर मैं अपने इस वक्तव्यको समाप्त करता हूँ। सोमसेन-त्रिवर्णाचारकी यह परीक्षा उन्होंने मेरे ही आग्रह और मेरी ही प्रेरणासे लिखी है, इस लिए मैं अपनेकी सौभाग्यशाही समझता हूँ। क्योंकि इससे जैनसमाजका जो सिन्ध्याभाव हटेगा, उसका एक छोटासा निमित्त मैं भी हूँ। इति।

सुहृद्दर (ठाका) }
मासिकम् २, स० १९८५ }

निवेदक—
नाथूराम प्रेमी ।

विषय-सूची



विषय	पृष्ठ
१ भूमिका	१ से ९
२ सौमसेन-त्रिवर्णाचारकी परीक्षा	१ से २३६
प्राथमिक निवेदन	१
ग्रंथका संग्रहत्व	९
अज्ञेय ग्रंथोंसे संग्रह	२९
प्रतिज्ञादि-विरोध—भववन्निसेनप्रणीत आदिपुराणके विरुद्ध कथन ४९	
ज्ञानार्णव ग्रंथके विरुद्ध कथन	८७

दूसरे विरुद्ध कथन—(देव, पितर और ऋषियोंका घेरा, २ दन्तघावन करनेवाला पापी, ३ सेठ मलनेकी विलक्षण फलघोषणा, ४ रविवारके दिन ज्ञानादिकक्ष निषेध, ५ घरपर ठंडे जलसे ज्ञान न करनेकी धागा, ६-८ छात्रत्वका अद्भुत योग, ९ मरकाउभयमें वाद्य, १० ममकी विचित्र परिभाषा, ११ अघौतका अद्भुत लक्षण, १२ पत्तिके विलक्षण धर्म, १३ आसनकी अनोखी फलफलपना, १४ जुठन न छोड़नेका भयकर परिणाम, १५ देवताओंकी रोक याम, १६ एक ब्रह्ममें भोजन-भजनादिपर आपत्ति, १७ छुपारी खानेकी सजा, १८ जनेऊकी अजीब फरामात, १९ तिलक और वर्मके वैद्युत, २० सूतकी विदग्धना, २१ पिप्पलादि पूजन, २२ वधव्ययोग और अर्क-विवाह, २३ संकीर्णहृदयवाह्य, २४ ऋतुकालमें भोग न करनेवालोंकी शक्ति, २५ अक्षी-कृता और अविद्याकार, २६ त्याग या तलाक, २७ स्त्री-पुनर्विवाह, २८ तर्पण धाद और पिण्डदान ।)

उपसंहार	२३४
३ धर्मपरीक्षा (श्वेताम्बरी)की परीक्षा	२३७
४ अकलंक-प्रतिष्ठापाठकी औचित्य	२५४
५ पूज्यपाद-उपासकाचारकी औचित्य	२६०

ग्रन्थ परीक्षा ।

(तृतीय भाग)

सोमसेन-त्रिवर्णाचार की परीक्षा ।



छ वर्ष हुए मैंने 'जैन हितैषी' में 'ग्रन्थ परीक्षा' नाम की एक लेखमाला निकालनी प्रारम्भ की थी, जो कई वर्ष तक जारी रही और जिसमें (१) उमास्वामि धावकाचार (२) कुन्दकुन्द धावकाचार (३) जिनसेन त्रिवर्णाचार, (४) मद्र-बाहु संहिता और (५) धर्म परीक्षा (श्वेताम्बर) नामक ग्रंथों पर विस्तृत आलोचनात्मक निबन्ध लिखे गये* और उनके द्वारा, गहरी खोज तथा जाँच के बाद, इन ग्रंथों की असलियत को खोज कर सर्वे साधारण के सामने रखा गया और यह सिद्ध किया गया कि ये सब

* अकालंक-प्रतिष्ठा पाठ, नेमिचन्द्र संहिता (प्रतिष्ठा विलक) और पूज्यपाद-उपासकाचार नाम के ग्रन्थों पर भी छोटे छोटे लेख लिखे गये, जिनका उद्देश्य प्रायः ग्रन्थ कर्ता और ग्रन्थ के निर्माण-समयादि-विषयक नासमझी को दूर करना था और उनके द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि ये ग्रन्थ क्रमशः तत्त्वार्थ राजवार्तिक के कर्ता भद्रकालकेशव, योगमटलार के प्रणेता भीनेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती और सर्वाधिसिद्धि के रचयिता श्री पूज्यपादाचार्य के बनये हुए नहीं हैं ।

ग्रंथ जाली तथा बनावटी हैं और इनका अवतार कुछ छुद्र पुरुषों अथवा तस्कर लेखकों द्वारा आधुनिक महारानी युग में हुआ है। इस लेखगाला ने समाज की जो नया सन्देश सुनाया, जिस भूल तथा यफलत का अनुभव कराया, अन्धश्रद्धा की जिस नींद से उसे जगाया और उसमें जिस विचारस्वातंत्र्य तथा तुलनात्मक पद्धति से ग्रंथों के अध्ययन को उत्तेजित किया, उसे यहाँ बतसाने की जरूरत नहीं है, उसका अच्छा अनुभव उक्त लेखों के पढ़ने से ही सम्बंध रखता है। हों इतना जरूर बतसाना होगा कि इस प्रकार की लेखगाला उस वक्त जैन समाज के शिष्ये एक बिलकुल ही नई चीज थी, इसने उसके विचार वातावरण में अच्छी शक्ति उत्पन्न की, सहृदय विद्वानों ने इसे खुशी से अपनाया, इसके अनेक लेख दूसरे पत्रों में उद्धृत किये गये; अनुगोदन किये गये, मराठी में अनुवादित हुए और अलग पुस्तकाकार भी छपाये गये *। स्नाह्यादधारिणि पं० गोपालदासजी वैश्या ने, जिनसेन त्रिवर्णाचार की परीक्षा के बाद से, त्रिवर्णाचारों को अपने विद्यालय के प्रथमक्रम से निकाल दिया और दूसरे विचारशील विद्वान् भी उस वक्त से धरावर अपने कार्य तथा व्यवहार के द्वारा उन लेखों की उपयोगितादि को, स्वीकार करते अथवा उनका अभिनंदन करते आ रहे हैं। और यह सब उक्त लेखगाला की सफलता का अच्छा परिचायक है। उस वक्त—जिनसेन त्रिवर्णाचार की परीक्षा लिखते समय मैंने यह प्रगट किया था कि 'सोमसेन-त्रिवर्णाचार की परीक्षा भी एक स्वतंत्र लेख द्वारा की जायगी'। परंतु खेद है कि अनावकाश के कारण इच्छा रहते भी, मुझे आज तक उसकी परीक्षा

* बम्बई के जैत ग्रन्थरत्नाकर कार्यालय ने 'ग्रन्थ परीक्षा' प्रथम भाग और द्वितीय भाग नाम से, पहले चार ग्रन्थों के लेखों को दो भागों में छाप कर प्रकाशित किया है और उनका लागत मूल्य क्रमशः छह आने तथा चार आने रक्का है।

लिखने का कोई अवसर नहीं मिल सका । मैं उस वक्त से बराबर ही दूसरे जरूरी कामों से घिरा रहा हूँ । आज भी गरे पास, यद्यपि, इसके लिये कार्की समय नहीं है—दूसरे अधिक जरूरी कामों का ढेर का ढेर सामने पड़ा हुआ है और उसकी चिंता हृदय को व्यथित कर रही है—परंतु कुछ असें से कई मित्रों का यह लगातार आग्रह चल रहा है कि इस त्रिवर्णाचार की शीघ्र परीक्षा काँजाय । वे आज कल इसकी परीक्षा को खास तौर से आवश्यक महसूस कर रहे हैं और इसलिये आज इसी का यत्किंचित् प्रयत्न किया जाता है ।

इस त्रिवर्णाचारका दूसरा नाम 'धर्म रसिक' ग्रंथ भी है और यह तेरह अध्यायों में विभाजित है । इसके कर्ता सोमसेन, यद्यपि, अनेक पथों में अपने को 'मुनि', 'गुणी' और 'मुनीन्द्र' तक लिखते हैं परन्तु वे वास्तव में उन आधुनिक महारकों में से थे जिन्हें शिष्यावारी और परिग्रहवारी साधु अथवा ग्रन्थशासक कहते हैं । और इसलिये उनके विषय में बिना किसी संदेह के यह भी कहा जा सकता कि वे पूर्णरूप से श्रावक की ७ वीं प्रतिमा के भी धारक थे । उन्होंने अपने को पुष्कर गण्ड के महारक गुणभद्रसूरिका पंडशिष्य लिखा है और साथ ही महेंद्रकीर्ति गुरु का त्रिस रूप से उल्लेख किया है उससे यह जान पड़ता है कि वे इनके विद्या गुरु थे । महारक सोमसेनजी कल हुए हैं और उन्होंने किस सन् सम्बत् में इस ग्रंथ की रचना की है, इसका अनुसन्धान करने के लिये कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है । स्वयं महारकजी ग्रंथ के अंत में लिखते हैं—

* यथा:—

...श्रीमहारक सोमसेन मुनिभिः ॥ २-११५ ॥

...श्रीमहारक सोमसेन यथिना ॥ ४-२१७ ॥

...पुण्याच्छिष्टैः सोमसेनैर्मुनीन्द्रैः ॥ ६-११८ ॥

अध्वं तत्त्वरसतुंचन्द्रकलिते श्रीविक्रमादित्यजे
मासे कार्तिकनामनीह धवले पक्षे शरत्संमये ।
चारभास्वति सिद्धनामनि तथा योगेसुपूर्णातिथौ ।
नक्षत्रेऽश्विनिनाम्नि धर्मरसिको ग्रन्थश्च पूर्णोक्तः ॥२१७॥

अर्थात्-यह धर्म रसिक ग्रंथ विक्रम सं० १६६५ में कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा को रविवार के दिन सिद्ध योग और अश्विनी नक्षत्र में बनाकर पूर्ण किया गया है ।

इस ग्रंथ के पहले अध्याय में एक प्रतिज्ञा-वाक्य निम्न प्रकार से दिया हुआ है—

यत्प्रोक्तं जिनसेनयोग्यगणिभिः सामन्तभद्रैस्तथा ।

सिद्धान्तेगुणमद्रनाममुनिभिर्महाकलंकैः परैः

श्रीसूरिविद्विजनामधेय विष्णुधैराशाचरैर्बागवतै—

स्तदृष्ट्या रचयामि धर्मरसिकंशास्त्रंविद्यार्त्तकम् ॥२॥

अर्थात्—जिनसेनगणी, समंतभद्राचार्य, गुणमद्रमुनि, महाकलंक, विष्णुधैराशाचर और पं० आशाचर ने अपने २ ग्रंथों में जो कुछ कहा है उसे देखकर मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य नाम के तीन वर्गों का आचार बतलाने वाला यह 'धर्मरसिक' नामका शास्त्र रचता हूँ ।

ग्रंथ के शुरू में इस प्रतिज्ञा वाक्य को देखते ही यह मालूम होने लगता है कि इस ग्रंथ में जो कुछ भी कथन किया गया है वह सब उक्त विद्वानों के ही बचनानुसार—उनके ही ग्रंथों को देखकर—किया गया है । परन्तु ग्रंथके कुछ पत्र पलटने पर उसमें एक जगह हानार्थक ग्रंथ के अनुसार, जो कि शुभचंद्राचार्य का बनाया हुआ है, ध्यान का कथन करने की और दूसरी जगह-भट्टारक एकसंधि कृत संहिता (जिनसंहिता) के अनुसार होमकुण्डों का ब्राह्मण कथन करने की प्रतिज्ञाएँ भी पाई जाती हैं । यथा—

“ अथानं तावद्वहं वदामि विदुषां हानार्थये यन्मतम् ॥१—२८ ॥ ”

“ ऋक्षयं होमकुण्डानां वक्ष्ये शास्त्रानुसारतः ।

महारकैकसचेभ्य इष्ट्वा निर्मलसंछिताम् ॥ ४—१०४ ॥

इसके सिवाय कहीं २ पर खास तौर से ऋक्षसूत्रि, अथवा जिनसेनाचार्य के महापुराण के अनुसार कथन करने की जो पृथक् रूप से प्रतिज्ञा या सूचना की गई है उसे पहली प्रतिज्ञा के ही अंतर्गत अथवा वही का विशेष रूप समझना चाहिये, ऐसी एक सूचना तथा प्रतिज्ञा भी भे दी जाती है—

श्रीऋक्षसूत्रिद्विजवंशरत्नं श्रीजैनभार्गवप्रविबुद्धतत्वः

वाचंतु तस्यैवधितोऽप्यश्यास्त्रं कृतं विशयाभ्युनिसोमसेनैः ॥३—११० ॥

जिनसेनमुनिं नत्वा वैवाहविधिसुत्सवम् ।

वक्ष्येपुराणमार्गेण श्रौतिकाचारसिद्धये ॥ ११—२ ॥

इन सब प्रतिज्ञा वाक्यों और सूचनाओं से ग्रंथ कर्ता ने अपने पाठकों को दो बातों का निश्वास दिखाया है—

(१) एक तो यह कि, यह त्रिवर्णाचार कोई संग्रह ग्रंथ नहीं है बल्कि अनेक जैनग्रंथों को देखकर उनके आधार पर इसकी स्वतंत्र रचना की गई है ।*

(२) दूसरे यह कि इस ग्रंथ में जो कुछ लिखा गया है वह उक्त जिनसेनादि छहों विद्वानों के अनुसार तथा जैनागम के अनुकूल

* ग्रंथ के नाम से भी यह कोई संग्रह ग्रंथ मालूम नहीं होता और न इसकी संघियों में ही इसे संग्रह ग्रंथ प्रकट किया गया है । अंक संघि नमूने के तौर पर इस प्रकार है—

इति श्री चर्मरसिक शास्त्रे त्रिवर्णाचार निरूपके महारक श्री सोमसेन विरचिते स्वानवस्त्राचमन क्षण्ड्या तर्पण वर्धनो नाम तृतीयोऽध्यायः ।

लिखा गया है और जहाँ कहीं दूसरे (शुभचन्द्रादि) विद्वानों के ग्रंथानुसार कुछ कहा गया है वहाँ पर उन विद्वानों अथवा उनके ग्रंथों का नाम दे दिया गया है ।

परन्तु वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है । ग्रंथ को परीक्षादृष्टि से अवलोकन करने पर मालूम होता है कि यह ग्रंथ एक अच्छा खासा संग्रह ग्रंथ है, इसमें दूसरे विद्वानों के ढेर के ढेर वाक्यों को उधो का लो उठा कर या उनमें कहीं कहीं कुछ साधारणसा अथवा निरर्थकता परिधर्तन करके रक्खा गया है, वे वाक्य ग्रंथ के प्रतिपाद्य विषय को पुष्ट करने के लिये 'उक्तं च' आदि रूप से नहीं दिये गये, बल्कि वैसे ही ग्रंथ का अंग बना कर अपनाये गये हैं और उनको देते हुए उनके लेखक विद्वानों का या उन ग्रंथों का नाम तक भी नहीं दिया है, जिनसे उठाकर उन्हें रक्खा है । शायद पाठक यह समझे कि ये दूसरे विद्वान् वेही होंगे, जिनका उक्त प्रतिज्ञा-वाक्यों में उल्लेख किया गया है । परन्तु ऐसा नहीं है—उनके अतिरिक्त और भी बीसियों विद्वानों के शब्दों से ग्रंथ का कलंकर बढ़ाया गया है और वे विद्वान् जैन ही नहीं किन्तु अजैन भी हैं । अजैनों के बहुत से साहित्य पर हाथ साफ किया गया है और उसे दुर्भाग्य से जैन साहित्य प्रकट किया गया है, यह बड़े ही खेद का विषय है । इस व्यर्थ की उठा धरी के कारण ग्रंथ की तरतीब भी ठीक नहीं बैठसकी—बह कितने ही स्थानों पर स्वच्छित अथवा कुछ बेढंगेपन को लिये हुए हो गई है और साथ में पुनरुक्तियाँ भी हुई हैं । इसके सिवाय, कहीं २ पर उन विद्वानों के विरुद्ध भी कथन किया गया है जिनके वाक्यानुसार कथन करने की प्रतिज्ञा अथवा सूचना की गई है और बहुतसा कथन जैन सिद्धांत के विरुद्ध अथवा त्रैनादर्श से गिरा हुआ भी इसमें पाया जाता है । इस तरह पर यह ग्रंथ एक बड़ा ही विचित्र ग्रंथ जान पड़ता है और 'कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, मानमती ने कुलवा जोड़ा' वाली

कहावत को भी कितने ही ग्रंथों में चरितार्थ करता है । यद्यपि यह ग्रंथ उक्त जिनसेन त्रिवर्णाचारि की तरह का जाली ग्रंथ नहीं है— इसकी रचना प्राचीन बड़े आचार्यों के नाम से नहीं हुई—फिर भी यह अर्धजाली चरित्र है और इसे एक मान्य जैन ग्रंथ के तौर पर स्वीकार करने में बहुत बड़ा संशय होता है । नीचे इन्हीं सब बातों का दिग्दर्शन कराया जाता है, जिससे पाठकों को इस ग्रंथ के विषय में अपनी ठीक सम्मति स्थिर करने का अवसर मिल सके ।

सब से पहले मैं अपने पाठकों को यह बतला देना चाहता हूँ कि उक्त प्रतिष्ठा पत्र नं० ६ में जिन विद्वानों के नाम दिये गये हैं उनमें 'महाकलंक' से अभिप्राय राजवार्तिक के कर्ता महाकलंक देव से नहीं है बल्कि अकलंक-प्रतिष्ठापाठ (प्रतिष्ठातिखण्ड) आदि के कर्ता दूसरे महाकलंक से है जिन्होंने अपने को 'महाकलंकदेव' भी लिखा है और जो विक्रम वीं प्रायः १६ वीं शताब्दी के विद्वान थे । और 'गुणमद्र' मुनि संभवतः वेही महारक गुणमद्र ज्ञान पवते हैं, जो ग्रंथ कर्ता के पद गुरु थे । गुणमद्र महारक के बनाये हुए 'पूनाकल्प' नामक एक ग्रंथ का उल्लेख भी 'दिगम्बर जैन ग्रंथकर्ता और उनके ग्रंथ' नामक सूची में पाया जाता है । होसकता है कि इस ग्रंथ के आधार

* इस त्रिवर्णाचार में जिनसेन आदि दूसरे विद्वानों के वाक्यों का जिस प्रकार से उल्लेख पाया जाता है, उस प्रकार से राजवार्तिक के कर्ता महाकलंक देव के बनाये हुए किसी भी ग्रंथ का प्रायः कोई उल्लेख नहीं मिलता । हाँ, अकलंक प्रतिष्ठापाठ के कितने ही कथनों के साथ त्रिवर्णाचार के कथनों का मिल तथा संदृश्य ज़रूर है और कुछ पद्यविक दोनों ग्रंथों में समान रूप से भी पाये जाते हैं । ऐसे ही उक्त पद्य में 'महाकलंकैः' पद का वाच्य क्या है; यह बहुत कुछ स्पष्ट होजाता है ।

पर भी प्रकृत त्रिवर्णाचार में कुछ कथन किये गये हैं और इसके भी वाक्यों को बिना नाम धाम के उठा कर रक्खा गया हो। परन्तु मुझे गुणभद्र मुनि के किसी भी ग्रंथ के साथ इस ग्रंथ के साहित्य को जोड़ने का अवसर नहीं मिला सका और इसलिये मैं उनके ग्रंथ विषय का यहाँ कोई उल्लेख नहीं कर सकूँगा। बाकी चार विद्वानों में से जिनसेनाचार्य तो 'आदिपुराण' के कर्ता, स्वामी समन्तभद्र 'रत्नकारण्डक' श्रावकाचार के प्रयोक्ता, पं० आशाधर 'सागर धर्माश्रुत' आदि के रचयिता और विबुध ब्रह्मसूत्रि 'ब्रह्मसूत्रि-त्रिवर्णाचार' अथवा 'जिनसंहितासारोद्धार' के विधाता हुए हैं जिसका दूसरा नाम 'प्रतिष्ठातिष्ठक' भी है। आशाधर की तरह ब्रह्मसूत्रि भी गृहस्थ विद्वान थे और उनका समय विक्रम की प्रायः १५वीं शताब्दी पाया जाता है। ये जैन धर्मानुयायी ब्राह्मण थे। सोमसेन ने भी 'श्रीब्रह्मसूत्रिद्विजवंशरत्न', 'ब्रह्मसूत्रिसुविमेषण', 'श्रीब्रह्मसूत्रिवरविप्रकवीश्वरेण' आदि पदों के द्वारा उन्हें ब्राह्मण वंश का प्रकट किया है। इनके पिता का नाम 'विजयेन्द्र' और माता का 'श्री' था। इनके एक पूर्वज गोविन्द भद्र, जो वेदान्तानुयायी ब्राह्मण थे, स्वामी समन्तभद्र के 'देवागम' स्तोत्र को छुनकर जैनधर्म में दीक्षित हो गये थे। उसी वक्त से इनके वंश में जैनधर्म की बराबर मान्यता चली आई है, और उसमें कितने ही विद्वान हुए हैं।

ब्रह्मसूत्रि-त्रिवर्णाचार को देखने से ऐसा मालूम होता है कि ब्रह्मसूत्रि के पूर्वज जैनधर्म में दीक्षित होने के समय हिन्दूधर्म के कितने ही संस्कारों को अपने साथ लाये थे, जिनको उन्होंने स्थिर ही नहीं रक्खा बल्कि उन्हें जैन का लिबास पहिचाने और त्रिवर्णाचार जैसे ग्रंथों द्वारा उनका जैनसमाज में प्रचार करने का भी आयोगन किया है। संभव है देश-काल की परिस्थिति ने भी उन्हें वैसा करने के लिये

† देखो उक्त 'जिनसंहितासारोद्धार' की प्रशस्ति।

मजबूर किया हो—उस वक्त प्राक्षर्य लोग जैन द्विजों अथवा जैनधर्म में दीक्षितों को 'वर्याजः प्राती' और संस्कारविहीनों को 'शुद्र' तक कहते थे; आश्चर्य नहीं जो यह बात नव दीक्षितों को—खास कर विद्वानों को—असह्य हो उठी हो और उसके प्रतीकार के लिये ही उन्होंने अथवा उनसे पूर्व दीक्षितों ने उपर्युक्त आयोजन किया है। परंतु कुछ भी हो, इसमें संदेह नहीं कि उस वक्त दक्षिण भारत में इस प्रकार के साहित्य की—संहिता शास्त्रों, प्रतिष्ठा पाठों और त्रिवर्णाचारों की—बहुत कुछ सृष्टि हुई है। एक संधि म० जिन संहिता, इन्द्रनन्दि संहिता, नेमिचंद्र * संहिता, भद्रबाहु संहिता, आशाधर प्रतिष्ठापाठ, अकलांक प्रतिष्ठा पाठ और जिनसेन त्रिवर्णाचार आदि बहुत से ग्रंथ उसी वक्त के बने हुए हैं। इस प्रकार के सभी उपलब्ध ग्रंथों की सृष्टि विक्रम की प्रायः दूसरी सहस्राब्दी-में पाई जाती है—विक्रम की पहली सहस्राब्दी (दसवीं शताब्दी तक) का बना हुआ वैसा एक भी ग्रंथ अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ—और इससे यह जाना जाता है कि ये ग्रंथ उस जमाने की किसी खास हलचल के परिणाम हैं और इनके कितने ही नूतन विषयों का, जिन्हें खास तौर से लक्ष्य में रखकर ऐसे ग्रंथों की सृष्टि की गई है, जिनियों के प्राचीन साहित्य के साथ प्रायः कोई सम्बन्ध विशेष नहीं है। अस्तु,

ग्रन्थका संग्रहत्व।

(१) इस त्रिवर्णाचार में सब से अधिक संग्रह यदि किसी ग्रंथ का किया गया है तो वह ब्रह्मसूत्र का वक्त त्रिवर्णाचार ही है। सोमसेन ने अपने त्रिवर्णाचार की श्लोक संख्या, ग्रंथके अंत में, २७०० दी है और यह संख्या ३२ अक्षरों की श्लोक गणना के अनुसार

* नेमिचंद्र संहिताके रचायिता 'नेमिचंद्र' भी एक सुदृश्य विद्वान थे और वे ब्रह्मसूत्र के भानजे थे। देखो 'नेमिचंद्र संहिता' की प्रशस्ति अथवा जैन द्वितीय के १२ वें भाग का अंक नं० ४-५५.

जान पढ़ती है। परन्तु वैसे, ग्रंथ की पद्य संख्या २०४६ है और वाक्यों का उसमें मंत्र भाग है जो ५५० या ६०० श्लोकों के करीब होगा। कुछ अपवादों को छोड़ कर, यह सारा मंत्र भाग ब्रह्मसूरी-त्रिवर्णाचार से उठाकर—ज्यों का त्यों अथवा कहीं कहीं कुछ बदलकर—रक्खा गया है। रही पद्यों की बात, उनका अहाँ तक मुक्तावला किया गया उससे मालूम हुआ कि इस ग्रन्थ में १६६ पद्य तो ऐसे हैं जो प्रायः ज्यों के त्यों और १७७ पद्य ऐसे हैं जो कुछ परिवर्तन के साथ ब्रह्मसूरी त्रिवर्णाचार से उठा कर रक्खे गये हैं। इस तरह पर ग्रंथ का कोई एकतिहाई भाग ब्रह्मसूरी त्रिवर्णाचार से लिया गया है और उसे बाहिर में अपनी रचना प्रकट किया गया है। इस ग्रन्थ संग्रह के कुछ नमूने इस प्रकार हैं :—

(क) ज्यों के त्यों उठाकर रक्खे हुए पद्य ।

सुखं चांक्षन्ति सर्वेऽपि जीवा दुःखं न जानुष्वित् ।

तस्मात्सुखैपियो जीवाः संस्कारायाभिसम्मताः ॥ २-७ ॥

एवं दशाहपर्यन्तमेतत्कर्म विधीयते ।

रिडं तिलोदकं चापि कर्त्ता दद्यात्तदन्वहम् ॥ १३-१७६ ॥

इन पद्यों में से पहला पद्य ब्रह्मसूरी-त्रिवर्णाचार का ५वाँ और दूसरा पद्य उसके अन्तिम पर्व का १३६ वाँ पद्य है। दूसरे पद्य के आगे पीछे के और भी पचासों पद्य ब्रह्मसूरी-त्रिवर्णाचार से ज्यों के त्यों उठाकर रक्खे गये हैं। दोनों ग्रन्थों के अन्तिम भाग (अघ्याय तथा पर्व) सूतक प्रेतक अथवा जननाशौच और मृताशौच नामके प्रायः एक ही विषय को लिये हुए भी हैं।

(ख) परिवर्तन करके रक्खे हुए पद्य ।

कालादिसन्धितः पुंसामन्तःशुचिः प्रजायते ।

शुभ्यापेस्याद् संस्कारो बाह्यद्विभवेद्यते ॥ २-८ ॥

चतुर्थे दिवसे ज्ञायात्प्रातर्गोसर्गतःपुरा ।

पूर्वाह्णेघटिकापट्टकं गोसर्गं इति भाषितः ॥ १३-२२ ॥

शुद्धामर्तुश्चतुर्थेऽग्निभोजने रन्धनेऽपिवा ।

द्वेषपूजा गुरुपास्तिहोमसेवासु पंचमे ॥ १३-२३ ॥

ये पथ ब्रह्मसूरि-त्रिवर्णाचार के निन पथों को परिवर्तित करके बनाये गये हैं वे क्रमशः इस प्रकार हैं—

अन्तःशुद्धिस्तु जीवानां भवेत्काष्ठाविलम्बितः ।

एयामुख्यापिसंस्कारे धाह्यशुद्धिरपेक्षते ॥ ७ ॥

एजस्वत्ताचतुर्थेऽग्नि ज्ञायाद्गोसर्गतः परं ।

पूर्वाह्णे घटिकापट्टकं गोसर्गं इति भाषितः ॥ ८-१३ ॥

तस्मिन्नहनि धोग्या स्यादुदक्या गृहकर्मणि ।

द्वेषपूजा गुरुपास्तिहोमसेवासु पंचमे ॥ ८-१४ ॥

इन पथों का परिवर्तित पथों के साथ मुक्ताबद्धा करने से यह सहज ही में मालूम हो जाता है कि-पहले पथ में जो परिवर्तन किया गया है उससे कोई अर्थ-भेद नहीं होता, बल्कि साहित्य की दृष्टि से वह कुछ घटिया जरूर हो गया है। मालूम नहीं पिये इस पथ को बदलने का क्यों परिश्रम किया गया, जब कि इससे पहला 'सुरवं-घांछुन्ति' नाम का पथ ज्यों का त्यों उठाकर रक्खा गया था। इसे भी उभी तरह पर उठाकर रख सकते थे। शेष दोनों पथों के उत्तरार्ध ज्यों के त्यों हैं, सिर्फ पूर्वार्ध बदले गये हैं और उनकी यह तबदीली बहुत कुछ भरी जान पड़ती है। दूसरे पथ की तबदीली ने तो कुछ बिरोध भी उपस्थित कर दिया है-ब्रह्मसूरि ने चौथे दिन रत्नखाना के स्नान का समय पूर्वाह्न की छहघड़ी के बाद कुछ दिन चढ़े रक्खा था; परन्तु ब्रह्मसूरि के अनुसार कथन की प्रतिष्ठा करने वाले सोमसेनजी ने, अपनी इस तबदीली के द्वारा गोसर्ग की उक्त छह घड़ी से पहले रात्रि में ही उसका विधान

कर दिया है। इससे इन पर्वों के परिवर्तन की निरर्थकता स्पष्ट है और साथ ही सोमसेनजी की योग्यता का भी कुछ परिचय मिल जाता है।

(१) परिवर्तित और अपरिवर्तित मन्त्र ।

इस ग्रन्थ के तीसरे अध्याय में, एक स्थान पर, दशदिक्पालों को प्रसन्न करने के मन्त्र देते हुए, लिखा है:—

ततोऽपि मुकुलितकरकुङ्कुमलः सन् " ॐ नमो हन्ते भगवते
 श्री शान्तिनाथाय शान्तिकराय सर्वविघ्नप्रशान्नाय सर्व—
 योगापमृत्युविनाशनाय सर्व परकृत क्षुद्रोपद्रवविनाशनाय
 मम सर्वशान्तिर्भवतु " इत्युच्चार्य—

इसके बाद- 'पूर्वस्यां दिशि इन्द्रः प्रसीदतु, आग्नेयां
 दिशि अग्निः प्रसीदतु, दक्षिणस्यां दिशि यमः प्रसीदतु'
 इत्यादि रूप से वे प्रसन्नता सम्पादन कराने वाले दसों मन्त्र दिये हैं।
 ये सब मन्त्र वेही हैं जो ब्रह्मसूत्र-त्रिवर्णाचार में भी दिये हुए हैं,
 सिर्फ 'उत्तरस्यां दिशि कुचेरः प्रसीदतु' नामक मन्त्र में कुचेरः
 की जगह यहाँ 'यच्छः' पद का परिवर्तन पाया जाता है। परन्तु इन
 मन्त्रों से पहले 'ततोऽपि मुकुलितकरकुङ्कुमलः सन्' और
 'इत्युच्चार्य' के मध्य का जो मंत्र पाठ है वह ब्रह्मसूत्र त्रिवर्णाचार में
 निम्न प्रकार से दिया हुआ है:—

ॐ नमो हन्ते श्रीशान्तिनाथाय शान्तिकराय सर्व शान्तिर्भवतु स्वाहा । *

* इस मंत्र में जिन विशेषण पदों को बढ़ाकर इसे ऊपर का रूप
 दिया गया है उसे सोमसेनजी के उस विशेष कथन का एक नमूना
 समझना चाहिये जिसकी सूचना उन्होंने अध्याय के अन्त में निम्न
 पद्य द्वारा की है—

श्री ब्रह्मसूत्रि द्विमवंश रत्नं श्री जैनमार्ग प्रतिबुद्धतत्त्वा ।

याचन्तु तस्यैव विशोभ्य शान्तं हस्तं विशेषान्मुनिसोमसेनैः ॥

इस प्रदर्शन से यह स्पष्ट जाना जाता है कि सोमसेनजी इन किया मंत्रों को ऐसे आर्ष मंत्र नहीं समझते थे जिनके अक्षर जँचेतुछे अथवा गिने चुने होते हैं और जिनमें अक्षरों की कमी, बेशी आदि के कारण कितनी ही बिडम्बना होजाया करती है अथवा पाँ कहिये कि यथेष्ट फल संवदित नहीं होसकता । वे शायद इन मंत्रों को इतना साधारण समझते थे कि अपने जैसों को भी उनके परिवर्तन का अधिकारी मानते थे । यही वजह है जो उन्होंने उक्त दोनों मंत्रों में और इसी तरह और भी बहुत से मंत्रों में अपनी इच्छानुसार तबदीली अथवा न्यूनाधिकता की है, जिस सबको यहाँ बतलाने की आवश्यकता नहीं है । मंत्रों का भी इस ग्रंथ में कुछ ठिकाना नहीं—अनेक देवताओं के पूजा मंत्रों को छोड़कर, नहाने, धोने, कुल्चा दौतन करने, खाने, पीने, बस्त्र पहनने, चलने फिरने, उठने बैठने और हगने मूतने आदि बात बात के मंत्र पाये जाते हैं—मंत्रों का एक खेळसा नखर आता है—और उनकी रचना का ढंग भी प्रायः बहुत कुछ सीधा सादा तथा आसान है । ॐ, ह्रीं, अई स्वाहा आदि दो चार अक्षर इधर उधर जोड़ कर और कहीं कहीं कुछ विशेषण पद भी साथ में लगाकर संस्कृत में वह बात कहदीर्गई है जिस विषय का कोई मंत्र है । ऐसे कुछ मंत्रों का सारांश यदि हिन्दी में दे दिया जाय तो पाठकों को उन मंत्रों की जाति तथा प्रकृति आदि के समझने में बहुत कुछ सहायता मिलेगी । अतः नीचे ऐसे ही कुछ मंत्रों का हिन्दी में दिग्दर्शन कराया जाता है—

१ ॐ ह्रीं, हे यहाँ के क्षेत्रपाल ! क्षमा करो, मुझे मनुष्य जाओ, इस स्थान से चले जाओ, मैं यहाँ मल मूत्र का त्याग करता हूँ, स्वाहा ।

२ ॐ, इन्द्रों के मुकुटों की रत्नप्रभा से प्रक्षालित पाद पद्म अई-न्तमगवान को नमस्कार, मैं शुद्ध जल से पैर धोता हूँ, स्वाहा ।

३ ॐ ह्रीं ह्रीं . . . मैं हाथ धोता हूँ, स्वाहा ।

४ ऊँ ह्रीं ह्रीं मूर्त्वीं, मैं मुँह धोता हूँ, स्वाहा ।

५ ऊँ परम पवित्राय, मैं दन्तधावन (दौंतेन कुह्ला) करता हूँ, स्वाहा ।

६ ऊँ ह्रीं श्रीं ह्रीं ऐं अहं असिष्वाठसा, मैं स्नान करता हूँ, स्वाहा ।

७ ऊँ ह्रीं, संसार सागर से निकले हुए अर्हन्त भगवान को नमस्कार, मैं पानी से निकलता हूँ, स्वाहा ।

८ ऊँ ह्रीं ह्रीं मूर्त्वीं अहं हं सः परम पावनाय, मैं वस्त्र पवित्र करता हूँ, स्वाहा ।

९ ऊँ, हे श्वेतवर्ण वाली, सर्व उपद्रवों को हरने वाली, सर्व महाजनो का मनोरंजन करने वाली, घोती बुपष्टा धारण करने वाली हं मं वं मं सं तं मैं घोती बुपष्टा धारण करता हूँ स्वाहा ।

१० ऊँ मूर्त्वीः स्वः असिष्वाठसा, मैं प्राणायाम करता हूँ, स्वाहा ।

११ ऊँ ह्रीं ...मैं सिरके ऊपर पानी के छींटे देता हूँ, स्वाहा ।

१२ ऊँ ह्रीं ...मैं जुल्लू में पानी लेता हूँ, स्वाहा ।

१३ ऊँ ह्रीं ,मैं जुल्लू का अमृत (जल) पीता हूँ, स्वाहा ।

१४ ऊँ ह्रीं अहं, मैं किवाड़ खोलता हूँ, स्वाहा ।

१५ ऊँ ह्रीं अहं मैं द्वारपालको(भीतर जाने की)सूचना देता हूँ, स्वाहा ।

१६ ऊँ ह्रीं, अहं ,मैं मंदिर में प्रवेश करता हूँ, स्वाहा ।

१७ ऊँ ह्रीं, मैं मुख वस्त्र को उधाड़ता हूँ, स्वाहा ।

१८ ऊँ ह्रीं, अहं, मैं यागभूमि में प्रवेश करता हूँ, स्वाहा ।

१९ ऊँ ह्रीं, मैं बाजा बजाता हूँ, स्वाहा ।

२० ऊँ ह्रीं...मैं पृथ्वी को पानी से धोकर शुद्ध करता हूँ, स्वाहा ।

२१ ऊँ ह्रीं अहं ह्रीं ठ ठ, मैं दर्भासन बिछाता हूँ, स्वाहा ।

२२ ऊँ ह्रीं अहं निस्सही हूँ फंद् मैं दर्भासन पर बैठता हूँ, स्वाहा ।

२३ ऊँ ह्रीं ह्रीं हूँ ह्रीं हूः, श्री अर्हन्त भगवान को नमस्कार, मैं शुद्ध जल से धरतन धोता हूँ, स्वाहा ।

- २४ ॐ ह्रीं अहं... में पूजा के द्रव्य को धोता हूँ स्वाहा ।
 २५ ॐ ह्रीं अहं.... में हाथ जोड़ता हूँ. स्वाहा ।
 २६ ॐ ह्रीं स्वस्वये. में कलश ठठता हूँ, स्वाहा ।
 २७ ॐ ॐ ॐ ॐ रं रं रं रं, में दर्म ठालकर भाग जलाता हूँ स्वाहा ।
 २८ ॐ ह्रीं, में पवित्र नक्षत्रसे द्रव्य शुद्धि करता हूँ, स्वाहा ।
 २९ ॐ ह्रीं, में कुश प्रक्षय करता हूँ, स्वाहा ।
 ३० ॐ ह्रीं, में पवित्र गंधोदक को सिर पर लगाता हूँ, स्वाहा ।
 ३१ ॐ ह्रीं..., में बालक को पालने में झुलाता हूँ, स्वाहा ।
 ३२ ॐ ह्रीं अहं असिभाउसा, में बालक को बिठलाता हूँ. स्वाहा ।
 ३३ ॐ ह्रीं श्रीं अहं, में बालक के कान नाक बाँधता हूँ, असि
 भा उ सा स्वाहा ।

३४ ॐ मुक्ति शक्ति के देने वाले अर्हन्त भगवान को नमस्कार में
 बालक को मोगन कराता हूँ ...स्वाहा ।

३५ ॐ, में बालक को पैर धरना सिखलाता हूँ, स्वाहा ।

प्रायः ये सभी मंत्र ब्रह्मसूत्र-त्रिवर्णाचार में भी पाये जाते हैं
 और वही से उठाकर यहाँ रखे गये मालूम होते हैं । परंतु किसी २
 मंत्र में कुछ अक्षरों की कमी बेशी अथवा तत्रदीची बरकर पाई जाती
 है और इससे उस विचार को और भी ज्यादा पुष्टि-मिलती है जो ऊपर
 बाहिर किया गया है । साथ ही, यह मालूम होता है कि ये मंत्र जैन-
 समान के लिये कुछ अधिक प्राचीन तथा रूढ़ नहीं हैं और न उसकी
 व्यापक प्रकृति या-प्रकृति के अनुकूल ही जान पड़ते हैं । कितने ही
 मंत्रों की सृष्टि-उनकी नवीन कल्पना—भट्टारकी युग में हुई है और
 यह बात आगे चलकर स्पष्ट की जायगी ।

(२) पं० आशाधर के ग्रंथों से भी कितने ही पद्य, इस त्रिवर्णा-
 चार, में, बिना नाम धाम के संग्रह किये गये हैं । छठे अध्याय में २२

और दसवें अध्याय में १३ पद्य सागर धर्माश्रित से लिये गये हैं । इनमें से छठे अध्याय के दो पद्यों को छोड़कर, जिनमें कुछ परिवर्तन किया गया है, शेष ३२ पद्य ऐसे हैं जो इन अध्यायों में ज्यों के त्यों उठाकर रखे गये हैं । अनगारधर्माश्रित से भी कुछ पद्य लिये गये हैं और आशाधर-प्रतिष्ठापाठ से भी कितने ही पद्यों का संग्रह किया गया है । छठे अध्याय के ११ पद्यों का आशाधर-प्रतिष्ठा पाठ के साथ जो मुक्त-बला किया गया तो उन्हें ज्यों का त्यों पाया गया । इन पद्यों के कुछ नमूने इस प्रकार हैं:—

योभ्य कालासनस्थानमुद्राऽऽवर्तशिरोनतिः ।

विनयेन यथाज्ञातः कृतिकर्मात्मन् भजेत् ॥१-६३ ॥

किमिच्छकेन दानेन जगदाशा प्रपूर्यथः ।

चक्रिभिः क्रियते सोऽर्ह्यज्ञो करुणदुर्मो मतः ॥ ६-७६ ॥

जाती पुष्पसहस्राणि अप्सा ह्यदश सद्यः ।

विधिनादत्त होमस्य विद्या सिद्धयति वर्धिनः ॥ ६-४ ॥

इनमें से पहला पद्य अनगारधर्माश्रित के ८वें अध्याय का ७८ वाँ, दूसरा पद्य सागरधर्माश्रित के दूसरे अध्याय का २८ वाँ और तीसरा पद्य आशाधर-प्रतिष्ठापाठ (प्रतिष्ठासतोद्धार) के प्रथमाध्याय का १३ वाँ पद्य है । प्रतिष्ठापाठ के अगले नं० १४ से २४ तक के पद्य भी यहीं एक स्थान पर ज्यों के त्यों उठाकर रखे गये हैं ।

अभिषेकं करणे कालेऽ काले योने विपर्यये ।

सन्धावरौ सुखे दुःखे सर्वदा समता मम ॥ १-६४ ॥

यह अनगारधर्माश्रित के आठवें अध्याय का २७ वाँ पद्य है । इसका चौथा चरण यहाँ बदला हुआ है—'साम्यमेवाभ्युपैम्यहम्' को जगह 'सर्वदा समता मम' ऐसा बनाया गया है । मालूम नहीं इस परिवर्तन की क्या बरूरत पैदा हुई और इसने कौनसी विशेषता

वत्पत्न की ! वस्तुतः निमित्तकाक्षिक सामायिक के अनुष्ठान में 'सर्वदा' शब्द का प्रयोग कुछ जटिलता बरकर है ।

मधमांसमधुन्युज्ज्मेत्तर्पचक्षीरफलानि च ।

अष्टैतान् शृद्धिषां मूलगुणान् स्थूलवघाद्विदुः ॥ १-१६४ ॥

यह पद्य सागर-धर्माश्रुत के दूसरे अध्याय के पद्य नं० २ और नं० ३ बनाया गया है । इसका पूर्वार्ध पद्य नं० २ का उत्तरार्ध और उत्तरार्ध पद्य नं० ३ का पूर्वार्ध है । साथ ही 'स्थूलवघादिषा' की जगह यहाँ 'स्थूलवघाद्विदुः' ऐसा परिवर्तन भी किया गया है । सागर-धर्माश्रुत के उक्त पद्य नं० २ का पूर्वार्ध है 'तन्नादौ अद्दघञ्जैनीमाज्ञां हिंसामपासितुं' और पद्य नं० ३ का उत्तरार्ध है 'फलस्थाने स्मरेद् द्यूतं मधुस्थान इहैव च । ये दोनों पद्य १० वें अध्याय में ज्यों के त्यों उद्धृत भी किये गये हैं और यहाँ पर अष्टमूक गुणों का विशेष रूप से कथन भी किया गया है, फिर नहीं मालूम यहाँ पर यह अष्टमूक गुणों का कथन दोबारा क्यों किया गया है और इससे क्या लाभ निकाला गया । प्रकरण तो यहाँ स्वल्प अल्प आयवा भोजन का था—कोल्हापुर की छपी हुई प्रति में 'अथ तथाज्या-क्षम्' ऐसा उक्त पद्य से पहले लिखा भी है—और उसके लिये इन आठ बातों का कथन उन्हें अष्टमूक गुण की संख्या न देते हुए भी किया जा सकता था और करना चाहिये था—खासकर ऐसी शास्त्र में जब कि इनके स्वाग का मूलगुण रूप से आगे कथन करना ही था । इसके सिवाय दूसरे 'रागजीवघघापाय' * नामक पद्य में जो परिवर्तन किया गया है वह बहुत ही साधारण है । उसमें 'रात्रिभक्तं' की जगह 'रात्रौशुक्तिं' बनाया गया है और यह विलकुल ही निरर्थक परिवर्तन जान पड़ता है ।

* यह सागर-धर्माश्रुत के दूसरे अध्याय का १४ वीं पद्य है और सोमसेन-त्रिघर्णाचार के छठे अध्याय में नं० २०१ पर दर्ज है ।

(३) इस ग्रंथ के दसवें अध्याय में रत्नकरण्ड-श्रावकाचार के 'विषयाशावशातीतो' आदि साठ पद्य तो ज्यों के त्यों और पाँच पद्य कुछ परिवर्तन के साथ संग्रह किये गये हैं। परिवर्तित पद्यों में से पहला पद्य इस प्रकार है।

अष्टांगैः पालितं शुद्धं सम्यक्त्वं शिष्यायकम् ।

न हि मंत्रोऽक्षरान्यूनो निहन्ति विषयेदनाम् ॥ २८ ॥

यह पद्य रत्नकरण्ड श्रावकाचार के २१ वें पद्य रूपान्तर है। इसका उत्तरार्ध तो वही है जो उक्त २१ वें पद्य का है, परन्तु पूर्वार्ध को बिलकुल ही बदल डाला है और यह तबदीली साहित्य की दृष्टि से बड़ी ही मदी मालूम होती है। रत्नकरण्ड श्रावकाचार के २१ वें पद्यका पूर्वार्ध है—

नाङ्गहीनमखं छेत्तुं दर्शनं जन्मसन्ततिम् ।

पाठरत्नन देखें, इस पूर्वार्ध का उक्त पद्य के उत्तरार्ध से कितना गहरा सम्बन्ध है। यहाँ सम्यग्दर्शन की अंगहीनता जन्मसन्तति को नाश करने में असमर्थ है और वहाँ उदाहरण में मंत्र की अक्षरान्यूनता विषयेदना को दूर करने में अशक्त है—दोनों में कितना साम्य, कितना सादृश्य और कितनी एकता है, इसे बतलाने की जरूरत नहीं। परन्तु खेद है कि महारकबी ने इसे नहीं समझा और इसलिये उन्होंने रत्न के एक टुकड़े को अलग करके उसकी जगह काच जोड़ा है जो बिलकुल ही बेमेल तथा बेदोस मालूम होता है। दूसरे चार पद्यों की भी श्रावः ऐसी ही हासत है—उनमें जो परिवर्तन किया गया है वह व्यर्थ जाल पड़ता है। एक पद्य में तो 'महाकुलाः' की जगह उत्तमकुलाः बनाया गया है, दूसरे में 'ज्ञेयं पास्त्रयिष्ठमोहनं' को 'ज्ञेयापास्त्रयिष्ठमूहला' का रूप दिया गया है, तीसरे में 'स्मयमाहुर्गोतस्मयाः' की जगह 'श्रीयते तन्मदाष्टकम्' यह चौथा चरण कायम किया गया है और चौथे पद्य में 'दिव्यशरीरं च लभ्यन्ते'

के स्थान पर 'विद्यन्ते कामद्रा नित्यम्' यह नवीन पद जोड़ा गया है और इससे मूलका प्रतिपाद्य विषय भी कुछ कम होगया है ।

(४) श्रीनिसेनाचार्यप्रणीत आदिपुराण से भी कितने ही पद्य उठाकर इस ग्रंथ में रक्खे गये हैं, जिनमें से दो पद्य मूले के तौर पर इस प्रकार हैं—

व्रतचर्यामहं वक्ष्ये क्रियामस्रोपविभ्रतः ।

कद्यूक्तः शिरोर्द्धिगमनूचामवतोचितम् ॥ १-१७ ॥

घञ्जामरथमाप्त्याविभ्रद्वयं गुर्वनुकृष्या ।

शस्त्रोपजीविष्वर्द्धिद्वारयेच्छस्त्रमभ्यधः ॥ १-२० ॥

इनमें से पहला पद्य तो आदिपुराण के ३८ वें पर्व का १०२ वाँ पद्य है—इसके आगे के और भी कई पद्य ऐसे हैं जो ज्यों के त्यों उठाकर रक्खे गये हैं और दूसरा उसी पर्व के पद्य नं० १२५ के उत्तरार्ध और नं० १२६ के पूर्वार्ध को मिलाकर बनाया गया है । पद्य नं० १२५ का पूर्वार्ध और नं० १२६ का उत्तरार्ध क्रमशः इस प्रकार हैं—

कृतस्त्रिजार्चनस्यास्य व्रतावतरणोचितम् ॥ १०, १२५ ॥

सुवृत्तिपरिरक्षार्थं शोभार्थं चास्य तदुग्रहः ॥ ४०, १२६ ॥

मालूम नहीं दोनों पद्यों के इन अंशों को क्यों छोड़ा गया और उसमें क्या काम सोचा गया । इस व्यर्थ की छोड़ छोड़ तथा काट काट का ही यह परिणाम है जो यहाँ व्रतावतरण क्रिया के कथन में उस सार्ध-काशिक व्रत का कथन छूट गया है जो आदिपुराण के 'मद्यर्थास परित्यागः' नामक १२३ वें पद्य में दिया हुआ है * । और इसलिये

* 'व्रतावतरणं चेदं' से पहले आदिपुराण का वह १२३ वाँ पद्य इस प्रकार है—

मद्यर्थासपरित्यागः पंचोदुग्धवर्जितम् ।

हिंसाविविदितिक्रियास्य व्रतं स्यात्सार्धकालि ॥ १२३ ॥

सक्त ८० वें पद्य से पहले आदिपुराण का जो १२४ वाँ पद्य उद्धृत किया गया है वह एक प्रकार से वेदंगा तथा असंगत ज्ञान पद्यता है । वह पद्य इस प्रकार है—

व्रतावतरणं वेदं शुरुसाक्षितार्चनम् ।

वत्सरात् द्वादशावूर्ध्वमथवा पौष्टशात्परम् ॥६-७६ ॥

इसमें 'इदं' शब्द का प्रयोग बहुत खटकता है और वह पूर्वकथन को 'व्रतावतरणं' किया का कथन बतलाता है परन्तु ग्रन्थ में वह 'व्रतचर्या' का कथन है और 'व्रतचर्यामहं वक्ष्ये' इस ऊपर उद्धृत किये हुए पद्य से प्रारम्भ होता है । अतः महारकनी की इस काट छूट और ठोई षष्ठी के कारण दो क्रियाओं के कथन में कितना गोलमाल होगया है, इसका अनुभव विद्वान् पाठक स्वयं कर सकते हैं और साथ ही यह जान सकते हैं कि महारकनी काट छूट करने में कितने निपुण थे ।

(५) श्रीशुभचन्द्राचार्य-प्रणीत 'ज्ञानार्णव' ग्रन्थ से भी इस त्रिवर्णाचार में कुछ पद्यों का संग्रह किया गया है । पहले अध्याय के पाँच पद्यों को नौचने से मालूम हुआ कि उनमें से तीन पद्य तो श्यों के श्यों और दो कुछ परिवर्तन के साथ उठा कर रक्ते गये हैं । ऐसे पद्यों में से एक एक पद्य नमूने के तौर पर इस प्रकार हैः—

अतुर्वर्णमयं संज्ञं चतुर्वर्गफलप्रदम् ।

चतुरारं जपेद्योगी अतुर्वर्णस्य फलं भवेत् ॥ ७५ ॥

विधां चतुर्वर्णसंभूतात्मन्य्यां पुण्यशालिनीम् ।

जपन्प्राशुकमस्येति फलं ध्यानी शतत्रयम् ॥ ७६ ॥

ये दोनों पद्य ज्ञानार्णव के ३८ वें प्रकरण के पद्य हैं और वहाँ क्रमशः नं० ५१ तथा ५० पर दर्ज हैं—यहाँ इन्हें आगे पीछे उद्धृत किया गया है । इनमें से दूसरा पद्य तो श्यों का त्यों उठा कर रक्खा

गया है और पहले पद के उत्तरार्ध में कुछ परिवर्तन किये गये हैं—
 'चतुःशतं' की जगह 'चतुराश्रं', 'जपन्' की जगह 'जपेत्'
 और 'खभेत्' की जगह 'भवेत्' बनाया गया है। इन परिवर्तनों में से पिछले दो परिवर्तन निरर्थक हैं—उनकी कोई जरूरत ही
 न थी—और पहला परिवर्तन ज्ञानार्थक के मतसे विरुद्ध पड़ता है जिसके
 अनुसार कपन करने की प्रतिज्ञा की गई है X । ज्ञानार्थक के अनुसार
 'चतुरश्री मंत्र का चारसौ संख्या प्रमाण जप करने वाला योगी एक
 उपवास के फलको पाता है' परन्तु यहाँ, जप्य की संख्या का कोई
 नियम न देते हुए, चार रात्रि तक जप करने का विधान किया गया
 है और तब कहीं एक उपवास * का फल होना लिखा है। इससे

X यह प्रतिज्ञा-वाक्य इस प्रकार है—

ध्यानं तावदहं वदामि विदुषां ज्ञानार्थके यन्मतम् ।

* पं० पद्मासालजी सोनी ने अपने अनुवाद में, "चार रात्रि पर्यंत
 जप करें तो उन्हें मोक्षकी प्राप्ति होती है" ऐसा लिखा है और
 इससे यह जाना जाता है कि आपने उक्त ७५ वें पद्य में प्रयुक्त हुए
 'चतुर्थ' शब्दका अर्थ उपवास न समझकर 'मोक्ष' समझा है !
 परन्तु यह आपकी बड़ी भूल है—मोक्ष इतना सस्ता है भी नहीं। इस
 परिभाषिक शब्दका अर्थ यहाँ 'मोक्ष' (चतुर्थवर्ग) न होकर 'चतुर्थ'
 नाम का उपवास है, जिसमें भोजन की चतुर्थ देखा तक निराहार
 रहना होता है। ७६ वें पद्य में 'प्राशुक्तं' पद के द्वारा जिस पूर्व-
 कथित फल का उल्लेख किया गया है उसे ज्ञानार्थक के पूर्ववर्ती पद्य
 नं० ४६ में 'चतुर्थतपसः फलं' लिखा है। इससे 'चतुर्थस्य फलं'
 और 'चतुर्थतपसः फलं' दोनों एकार्थवाचक पद हैं और वे पूरे
 एक उपवास-फल के घोटक हैं। पं० पद्मासालजी बाकशीवाक ने भी
 ज्ञानार्थक के अपने अनुवाद में, सिसे उन्होंने पं० जयचन्द्रजी की

दोनों में परस्पर कितना अन्तर है और उससे प्रतिज्ञा में कहाँतक विरोध आता है इसे पाठक स्वयं समझ सकते हैं । इस अध्याय में और भी कितने ही कथन ऐसे हैं जो ज्ञानार्थव के अनुकूल नहीं हैं । उनमें से कुछ का परिचय आगे चलकर प्रकाशान दिया जायगा ।

(६) एकसंधि भट्टारक की ' जिनसंहिता ' से भी कितने ही पद्यादिकों का संग्रह किया गया है और उन्हें प्रायः ज्यों का त्यों अथवा कुछ परिवर्तन के साथ उठाकर अनेक स्थानों पर रक्खा गया है । चौथे अध्याय में ऐसे जिन पद्यों का संग्रह किया गया है उनमें से दो पद्य मूलों के तौर पर इस प्रकार हैं—

तीर्थेच्छुद्गणभृच्छेषकेवल्यन्तमहोत्सवे ।

प्राप्य ये पूजनाङ्गत्वं पवित्रत्वमुपागताः ॥ ११५ ॥

ते त्रयोपि प्रयेतप्याः कुण्डेष्वेषु महानयम् ।

गार्हपत्याहवनीयवक्षिणाग्निप्रसिद्धया ॥ ११६ ॥

भाषा-टीका का 'अनुकरण मात्र' लिखा है, 'चतुर्थ' का अर्थ अनेक स्थानों पर 'उपवास' दिया है । और प्रायश्चित्त ग्रंथों से तो यह बात और भी स्पष्ट है कि 'चतुर्थ' का अर्थ 'उपवास' है; जैसाकि 'प्रायश्चित्त चूलिका' की श्रीनन्दिगुरुकृत टीका के निम्न वाक्यों से प्रकट है—

'त्रिचतुर्थानि त्रीणि चतुर्थानि त्रय उपवासा इत्यर्थः ।'

'चतुर्थ उपवासाः' । इससे सोनीजी की भूल स्पष्ट है और उसे इसलिये स्पष्ट किया गया है जिससे मेरे एक लिखने में किसी को भ्रम न हो सके । अन्यथा, उनके अनुवादकी भूलें दिखलाना यहाँ स्पष्ट नहीं है, भूलों से तो सारा अनुवाद भरा पड़ा है—कोई भी ऐसा पृष्ठ नहीं जिसमें अनुवाद की श्रद्धापूर्वक भूलें न हों—उन्हें कहाँतक दिखलाया जा सकता है । हाँ, मेरे लेखके विषय से जिन भूलोंका खास अथवा श्रद्धा-सम्बन्ध होगा उन्हें अथावसर स्पष्ट किया जायगा ।

ये दोनों पद्य एकसंधि-जिनसंहिता के ७ वें परिच्छेद में क्रमशः नं० १६, १७ पर दर्ज हैं और वहाँ से उठाकर रखे गये मालूम होते हैं। साथ में आगे पीछे के और भी कई पद्य लिये गये हैं। इनमें से पहला पद्य वहाँ ज्यों का त्यों और दूसरे में 'महानघम्' की जगह 'महाङ्गयः' तथा 'प्रसिद्धया' की जगह 'प्रसिद्धयः' ऐसा पाठ भेद पाया जाता है और ये दोनों ही पाठ ठीक ज्ञान पढ़ते हैं। अन्यथा, इनके स्थान पर जो पाठ यहाँ पाये जाते हैं उन्हें पद्य के शेष भाग के साथ प्रायः असम्बद्ध कहना होगा। मालूम होता है ये दोनों पद्य संहिता में थोड़े से परिवर्तन के साथ आदिपुराण से लिये गये हैं। आदिपुराण के ७०वें पर्व में ये नं० ८३, ८४ पर दिये हुए हैं, सिर्फ पहले पद्य का चौथा अक्षर वहाँ 'पूजाङ्गत्वं समासाद्य' है और दूसरे पद्य का पूर्वार्ध है—'कुरुङ्गअये प्रथेतव्यास्त्रय एते महङ्गयः'। इनका जो परिवर्तन संहिता में किया गया है वह कोई अर्थविशेष नहीं रखता—उसे अर्थ का परिवर्तन कहना चाहिये।

यहाँ पर इतना और भी बताना देना उचित मालूम होता है कि यह संहिता विक्रम की प्रायः १३ वीं शताब्दी की बनी हुई है और आदिपुराण विक्रम की ६ वीं १० वीं शताब्दी की रचना है।

(७)-बसुनन्दि-प्रतिष्ठापाठ से भी बहुत से पद्य लिये गये हैं। छठे अध्याय के १६ पद्यों की जाँच में ११ पद्य ज्यों के त्यों और ८ पद्य कुछ बदले हुए पाये गये। इनमें से तीन पद्य नमूने के तौर पर इस प्रकार हैं—

सप्तश्रीरपि संयुक्तं विम्बं दृष्टिविबर्जितम् ।

न शोभते यत्तस्तस्मात्कुर्वान् दृष्टिप्रकाशनम् ॥ ३३ ॥

अर्थनाशं विरोधं च तिर्यग्दोषं मेयं तथा ।

अद्यस्तात्पुत्रतांश्च भार्यामरणमूर्ध्वदक् ॥ ३४ ॥

शोकमुद्दिगसन्तापं सदा कुर्यान्नक्षयम् ।

शान्ता सौभाग्यपुत्रार्थशान्तिवृद्धिप्रदानदण् ॥ ३५ ॥

ये तीनों पद्य वसुनन्दि-प्रतिष्ठापाठ (प्रतिष्ठासारसंग्रह) के चौथे परिच्छेद के पद्य हैं और उसमें क्रमशः नं० ७२, ७५, ७६, पर दर्ज हैं । इनमें पहला पद्य ज्यों का त्यों और शेष दोनों पद्य कुछ परिवर्तन के साथ उठा कर रखे गये हैं । दूसरे पद्य में ' हृष्टिर्भयं ' की जगह ' हृष्टेर्भयं ' ; ' तथा ' की जगह ' तदा ' और ' ऊर्ध्वगा ' की जगह ' ऊर्ध्वहृक् ' बनाया गया है । और तीसरे पद्य में ' स्तब्धा ' की जगह ' सदा ' और ' प्रदा भवेत् ' की जगह ' प्रदानहृक् ' का परिवर्तन किया गया है । ये सब परिवर्तन निरर्थक जान पड़ते हैं, ' तथा ' की जगह ' तदा ' का परिवर्तन भद्दा है और ' स्तब्धा ' की जगह ' सदा ' के परिवर्तन ने तो अर्थ का अनर्थ ही कर दिया है । यही वजह है जो पन्नालालजी सोनी ने, अपने धनुवाद में, स्तब्धा दृष्टि के फल को भी ऊर्ध्वदृष्टि के फल के साथ जोड़ दिया है—अर्थात् शोक, उद्वेग, सन्ताप और धनक्षय को भी ऊर्ध्वदृष्टि का फल बतवा दिया है * ।

यहाँ इतना और भी जान लेना चाहिये कि पहले पद्यमें जिस दृष्टि-प्रकाशन की प्रेरणा की गई है, निम्नलिखित की वह दृष्टि कैसी होनी चाहिये उसे बतलाने के लिये प्रतिष्ठापाठ में उसके अनन्तर भी निम्नलिखित दो पद्य और दिये हुए हैं—

नाल्पन्तोन्मीक्षिता स्तब्धा न विस्फारितमीक्षिता ।

तिर्यगूर्ध्वमधोदृष्टिं वर्जयित्वा प्रयत्नतः ॥ ७३ ॥

* यथा—“(प्रतिमा की) दृष्टि यदि ऊपरको हो तो ली का मरख होता है और वह शोक, उद्वेग, सन्ताप और धनका क्षय करती है ।”

नासाप्रनिहिता शान्ता प्रसन्ना निर्विकारिका ।

वीतरागस्य मन्वस्था कर्तव्या चोत्तमा तथा ॥ ७४ ॥

मालूम नहीं इन दोनों पथों को सोमसेनजी ने क्यों छोड़ा और क्यों इन्हें दूसरे पथों के साथ उद्धृत नहीं किया, जिनका उद्धृत किया जाना ऐसी हाजत में बहुत जरूरी था और जिनके अस्तित्व के बिना अगला कथन कुछ अबूरा तथा कैहूर सा मालूम होता है । सच है अच्छी तरह से सोचे समझे बिना योंही पथों की उठाईधरी करने का ऐसा ही नतीजा होता है ।

(८) ग्रन्थ के दसवें अध्याय में वसुनन्दिश्रावकाचार से कुछ और गोमटसार से आठ गाथाएँ प्रायः ज्यों की त्यों उठाकर रक्खी गई हैं, जिनमें से एक एक गाथा नमूने के तौर पर इस प्रकार है—

पुष्पञ्च षषविहायं पि मेहुणं सञ्चदा विवञ्चतो ।

इत्थिकहगदियिषची सत्तमं वंमचारी खो ॥ १२७ ॥

चत्तारि वि खेत्ताइं आउगवंचेय होइ सम्भत्तं ।

अखुब्बयमहब्बयाइं य हवह देयाउगं मोहुं ॥ ४१ ॥

इनमें से पहली गाथा वसुनन्दिश्रावकाचार की २६७ नम्बर की और दूसरी गोमटसार की ६४२ नम्बर की गाथा है । ये गाथाएँ भी कितनी पूर्वकथित अर्थ का समर्थन करने के लिये 'अत्तं च' रूप में नहीं दी गई बल्कि वैसे ही अपनाकर ग्रंथ का अंग बनाई गई हैं । प्राकृत की और भी कितनी ही गाथाएँ इस ग्रन्थ में पाई जाती हैं; वे संन मी 'मूलाचार' आदि दूसरे ग्रन्थों से उठाकर रक्खी गई हैं ।

(९) सूपाल कवि-प्रणीत 'जिनचतुर्विंशतिका' स्तोत्र के भी कई पथ ग्रन्थ में संगृहीत हैं । पहले अध्याय में 'सुतोत्थितेन' और 'श्रीखीलापतनं' चौथे में 'किसलपितसमस्यं' और 'देव

त्वद्दधि' तथा छठे में 'स्वामिन्नद्य' और 'हृष्टं धामरसायनस्य' नाम के पद्यों के ल्यों उद्धृत पाये जाते हैं। और ये सब पद्य उक्त स्तोत्र में क्रमशः नं० १६, १, १३, १६, ३ और २५ पर दर्ज हैं।

(१०) सोमदेवसूरि-प्रणीत 'यशस्तिन्नक' के भी कुछ पद्योंका संग्रह पाया जाता है, जिनमें से दो पद्य नमूने के तौरपर इस प्रकार हैं—

मूढत्रयं मवाभ्राष्टौ तथानायतनाभि पद् ।

अष्टौ शंकादयो दोषाः सम्यक्त्वे पंचविंशतिः ॥१०-२६॥

अद्धा मक्तिस्तुष्टिर्विद्वानमलुघ्रसा क्षमा सत्वम् ।

यत्रैते सप्तगुणास्तं दातारं प्रशंसन्ति ॥१०-११॥

इनमें से पहला 'यशस्तिन्नक' के छठे आन्धास का और दूसरा आठवें आन्धास का पद्य है। पहले में 'शंकादयश्चेति हृद्दोषाः' की जगह 'शंकादयो दोषाः सम्यक्त्वे' का परिवर्तन किया गया है और दूसरे में 'शक्तिः' की जगह 'सत्वम्' बनाया गया है। ये दोनों ही परिवर्तन साहित्य की दृष्टि से कुछ भी महत्व नहीं रखते और न अर्थकी दृष्टि से कोई खास भेद उत्पन्न करते हैं और इसलिये इन्हें व्यर्थ के परिवर्तन समझना चाहिये।

(११) इसीतरह पर और भी कितने ही जैनग्रंथों के पद्य इस त्रिवर्णाक्षर में फुटकर रूप से इधर उधर संगृहीत पाये जाते हैं, जिनमें से दो चार ग्रंथों के पद्योंका एक नमूना यहाँ और दिये देता हूँ—

त्रिचर्गसंसाधनमन्तरेण पशोरिवायुर्विकलं तरस्य ।

तथापि धर्मं प्रवरं वदन्ति न तं विना यद्भवतोऽर्थकामौ ॥७-४॥

यह सोमप्रमाचार्यकी 'सूक्तमुक्तावली' का जिसे 'सिन्दूरप्रकर' भी कहते हैं, तीसरा पद्य है।

सूक्ताः स्यूक्तास्तथा जीवाः सन्त्युदुम्भरमध्यगाः ।

- तन्निमित्तं किनोद्दिष्टं पञ्चोदुम्भरवर्जणम् ॥ १०-१०४ ॥

यह 'पूज्यपाद-उपासकाचार' का पद्य है और उसमें इसका संख्यासंख्या ११ है ।

वधादसत्याध्वीर्याश्च कामाद् ग्रंथाधिवर्तनम् ।

पंचकाण्डवर्त रात्रिमुक्तिः षष्ठमण्डवर्तम् ॥ १०-८५ ॥

यह चामुण्डराय-विरचित 'चारित्रसार' ग्रंथ के अष्टवर्त-प्रकरण का अन्तिम पद्य है ।

अन्धोमुखेऽत्रसाने च यो द्वे द्वे घटिके त्यजेत् ।

निशाभोजनदोषघ्नोऽश्नात्यसौ पुण्यभोजनम् ॥ १०-८६ ॥

यह हेमचन्द्राचार्य के 'योगशास्त्र' का पद्य है और उसके तीसरे प्रकाश में नं० ६३ पर पाया जाता है । इसमें 'त्यजेत्' की जगह 'त्यजेत्' और 'पुण्यभोजनम्' की जगह यहाँ 'पुण्यभोजनम्' बनाया गया है । पद्यका यह परिवर्तन कुछ अशुद्ध मालूम नहीं होता । इससे 'सुबह शागकी दो दो घड़ी छोड़कर दिनमें भोजन करनेवाला मनुष्य पुण्यका भाजन (पात्र) होता है' की जगह यह आशय हो गया कि 'जो सुबह शागकी दो दो घड़ी छोड़ता है वह पुण्य भोजन * करता है, और यह आशय आपका कथनका ढंग कुछ समीचीन प्रतीत नहीं होता ।

आस्तामेतद्यदिह जननीं वल्लभां मन्यमाना

निन्द्यां चेष्टां विदधति जना निरुपाः पीतमद्याः ।

तज्जाविश्यं पथि निपतिता यत्किरत्सारमेवात्

घट्टे सूत्रं मधुरमधुरं भाषमाद्याः पिवन्ति ॥ ६-१६७ ॥

यह गणपान के दोषको दिखाने वाला पद्य पद्मनन्दि-आचार्य-विरचित 'पद्मनन्दिपंचविंशति' का २२ वाँ पद्य है ।

* पं० पद्मालाक्ष्मी सोनी ने भी, अपने अनुवाद में, यही लिखा है कि "वह पुरुष पुण्यभोजन करता है ।"

स्वयमेधात्मनाऽऽत्मानं हिनस्त्यात्मा कषायवान् ।

पूर्वं प्राप्यन्तराणां तु पश्चात्स्याद्वा न वा वधः ॥ १०-७४ ॥

यह पद्य 'राजवार्तिक' के ७ वें अध्याय में 'उक्तं च' रूप से दिया हुआ है और इसलिये किसी प्राचीन ग्रंथ का पद्य जान पड़ता है। हाँ, राजवार्तिक में 'कषायवान्' की जगह 'प्रमादवान्' पाठ पाया जाता है, इतना ही दोनों में अन्तर है।

यह तो हुई जैनग्रंथों से संग्रह की बात, और इसमें उन जैन-विद्वानों के वाक्यसंग्रह का ही दिग्दर्शन नहीं हुआ जिनके ग्रंथों को देखकर उनके अनुसार कथन करने की—न कि उनके शब्दों को उठा कर ग्रंथ का अंग बनाने की—प्रतिज्ञाएँ अथवा सूचनाएँ की गई थीं बल्कि उन जैन विद्वानों के वाक्यसंग्रह का भी दिग्दर्शन होगया जिनके वाक्यानुसार कथन करने की बात तो दूर रही, ग्रंथ में उनका कहीं नाथो-छेख तक भी नहीं है। न० ६ के बाद के सभी उल्लेख ऐसे ही विद्वानों के वाक्य-संग्रह को लिये हुए हैं।

यहाँ पर इतना और भी बतला देना उचित मालूम होता है कि इस संपूर्ण जैनसंग्रह में ब्रह्मसूत्रि-त्रिवर्णाचार जैसे दो एक समकक्ष ग्रंथों को छोड़कर शेष ग्रंथों से जो कुछ संग्रह किया गया है वह उस क्रियाकांड तथा विचारसंग्रह के साथ प्रायः कोई खास गेल अथवा सम्बंधविशेष नहीं रखता जिसके प्रचार अथवा प्रसार को लक्ष्य में रखकर ही इस त्रिवर्णाचार का अवतार हुआ है और जो बहुत कुछ दूषित, श्रुतिपूर्ण तथा आपत्ति के योग्य है। उसे बहूधा त्रिवर्णाचार के मूल अभिप्रेतों या प्रवानतः प्रति-पाद्य विषयों के प्रचारादि का साधनमात्र समझना चाहिये अथवा यों कहना चाहिये कि वह छोटे, बाली तथा अल्प मूल्य सिक्कों को चलाने के लिये उनमें छद्रे, धैर जाखी तथा बहुमूल्य सिक्कों का संमिश्रण है और कहीं कहीं मुलम्मे का काम भी देता है, और इसलिये एक प्रकार का घोखा है।

इस धोखे से सावधान करने के लिये ही यह परीक्षा की जा रही है और यथार्थ वस्तुस्थिति को पाठकों के सामने रखने का यत्न किया जाता है। अस्तु।

अब उस संग्रह की भी जानगी लीजिये जो अजैन विद्वानों के ग्रंथों से किया गया है और जिसके विषय की न कहीं कोई प्रतिज्ञा और न संसम्बंधी विद्वानों के नामादिक की कहीं कोई सूचना ही ग्रंथ में पाई जाती है। प्रसृत इसके, जैनसाहित्य के साथ मिलाकर अथवा जैनाचार्यों के वाक्यानुसार व्रतलाभर, उसे भी जैनसाहित्य प्रकट किया गया है।

अजैन ग्रंथों से संग्रह।

(१२) अजैन विद्वानों के ग्रंथों से जो विशाल संग्रह महारकजी ने इस ग्रंथ में किया है—उनके सैकड़ों पद-वाक्यों को ज्यों का त्यों अथवा कुछ परिवर्तन के साथ उठाकर रखा है—उस सबका पूरा परिचय यदि यहाँ दिया जाय तो लेख बहुत बढ़ जाय, और मुझे उनमें से कितने ही पद-वाक्यों को छागे चलकर, विरुद्ध वाक्यों के अन्वय पर, दिखलाना है—वहाँ पर उनका परिचय पाठकों को मिलेगा ही। अतः यहाँ पर हमने के तीर पर, कुछ थोड़े से ही पदों का परिचय दिया जाता है:—

सन्तुष्टो मार्याया भर्ता भर्ता मार्या तथैव च ।

यस्मिन्नेव फुले विलं कल्पार्यं तन्न वै ह्युवम् ॥ ८-४६ ॥

यह पद्य, जिसमें मार्या से भर्ता के और भर्ता से मार्या के मित्य सन्तुष्ट रहने पर कुछ में सुनिश्चित रूप से कल्याण का विधान किया गया है, 'मनु' का वचन है, और 'मनुस्मृति' के तीसरे अध्याय में नं० ६० पर दर्ज है। वहाँ से ज्यों का त्यों उठाकर रखा गया मालूम होता है।

मांनं भीमं तथाऽग्नेयं वायव्यं विन्ध्यमेव च ।

वाक्यं मानसं चैव सप्तस्नानान्यनुक्रमात् ॥ ३-४२ ॥

इस श्लोक में ज्ञान के सात भेद बतलाये गये हैं—मंत्र ज्ञान, भूमि (भुक्तिका) ज्ञान, अग्नि (मत्स्य) ज्ञान, वायुज्ञान, दिव्यज्ञान, अक्षज्ञान तथा मानसज्ञान—और यह ' योगि याज्ञवल्क्य ' का बचन है । बिह्वलात्मननारायण कृत 'आन्धिकसूत्रावलि' में तथा श्रीवेङ्कटनाथ-रचित 'स्मृतिरत्नाकर' में भी इसे योगियाज्ञवल्क्य का बचन बतलाया है और 'शब्द कल्पद्रुम' कोश में भी 'ज्ञान' शब्द के नीचे यह उन्हीं के नाम से उद्धृत पाया जाता है ।

सिंहकर्कटयोर्मध्ये सर्षा नद्यो रजस्वलाः ।

तासां तटे न कुर्वीत वर्जयित्वा समुद्रगाः ॥ ७५ ॥

उपाकर्मणि चोत्सर्गे प्रातः स्नाने तथैव च ।

चन्द्रसूर्यग्रहे चैव रजो द्योयो न विद्यते ॥ ७६ ॥

धनुस्सहस्राण्यष्टौ नु गतिर्यासां न विद्यते ।

न ता नद्यः समाख्याता गतास्ताः परिकीर्तिताः ॥ ८० ॥

—तृतीय अध्याय ।

ये तीनों पद्य बरा २ से परिवर्तन के साथ 'कात्यायन स्मृति' से लिये गये मालूम होते हैं और उक्त स्मृति के दसवें खण्ड में ऋगः नं० ५, ७ तथा ६ पर दर्ज हैं । 'आन्धिक सूत्रावलि' में भी इन्हें 'कात्यायन' ऋषि के बचन लिखा है । पहले पद्य में 'मासद्वयं आचषादि' की जगह 'सिंहकर्कटयोर्मध्ये' और 'तासुस्नानं' की जगह 'तासां तटे' बनाया गया है, दूसरे में 'प्रेतस्नाने' की जगह 'प्रातःस्नाने' का परिवर्तन किया गया है और तीसरे में 'सदीशब्दबद्धाः' की जगह 'नद्यः समाख्याताः' ऐसा पाठ भेद किया गया है । इन चारों परिवर्तनों में पहला और अन्त का दोनों परिवर्तन तो प्रायः कोई अर्थभेद नहीं रखते परन्तु शेष दूसरे और तीसरे परिवर्तन ने बड़ा भारी अर्थभेद-उपस्थित कर दिया है । कात्यायन

सृष्टिकार ने, श्रावण भादों में सब नदियों को रजस्वला बतलाते हुए, यह प्रतिपादन किया था कि 'उनमें (समुद्रगामिनी नदियों को छोड़कर) स्नान न करना चाहिये।' महारकनी ने इसकी जगह, अपने परिवर्तन द्वारा, यह विधान किया है कि 'उनके तट पर न करना चाहिये।' परंतु क्या न करना चाहिये, यह उक्त पथ से कुछ आहिर नहीं होता। हाँ, इससे पूर्व पथ नं० ७७ में आपने तीर्थ तट पर प्राणायाम, आचमन, संध्या, श्राद्ध और पिण्डदान करने का विधान किया है और इसलिये उक्त पथ के साथ संगति मिलाने से यह अर्थ हो जाता है कि ये प्राणायाम आदि की क्रियाएँ रजस्वला नदियों के तट पर नहीं करनी चाहिये—मझे ही उनमें स्नान कर लिया जाय। परन्तु ऐसा विधान कुछ समीचीन अथवा सहेतुक मालूम नहीं होता और इसलिये इसे महारकनी के परिवर्तन की ही खूबी समझना चाहिये। तीसरे परिवर्तन की हाश्वत भी ऐसी ही है। सृष्टिकार ने जहाँ 'मेतस्नान' के अक्षर पर नदी का रजस्वला दोष न मानने की बात बही है वहाँ आपने 'प्रातः स्नान' के लिये रजस्वला दोष न मानने का विधान कर दिया है। स्नान प्रधानतः प्रातःकाल ही किया जाता है, उसीकी आपने छुट्टी देदी है, और इसलिये यह कहना कि आपके इस परिवर्तन ने स्नान के विषय में नदियों के रजस्वला दोष को ही प्रायः उठा दिया है कुछ भी अनुचित न होगा।

कृत्वा यद्योपवीतं च पूष्टतः कण्ठसम्भितम् ।

विरमूनेतु शृही कुर्याद्दामकर्णे व्रतान्वितः ॥ २-२७ ॥

यह 'अंगिरा' ऋषि की बचन है। 'आन्धिकसूत्रावलि' में भी इसे अंगिरा का बचन लिखा है। इसमें 'स्नानाहितः' की जगह 'व्रतान्वितः' का परिवर्तन किया गया है और यह निरर्थक जान पड़ता है। यहाँ 'व्रतान्वितः' पद यद्यपि 'शृही' पद का विशेषण

में ऐसे 'आन्विक कारिका' का वचन लिखा है और इसका उच्चारण 'उपवीतिं सदा धार्य मैथुने तूपवीतिवत्' दिया है। मकारकवी ने इस उच्चारण को 'धारयेद्भ्रमसूत्रं तु मैथुने मस्ताके तथा' के रूप में बदल दिया है। परन्तु इस सप्रसू और परिवर्तन के अन्तर पर उन्हें इस बात का भ्रान नहीं रहा कि अब हम दो विद्वानों के परस्पर मतभेद को छिये हुए बचनों को अपत्ता रहे हैं तो हमें अपने ग्रन्थविरोध को दूर करने के लिये कोई ऐसा शब्द प्रयोग साथ में लेकर करना चाहिये जिससे ये दोनों विविधिधन विषय रूप से समझे जायें। और यह सब ही में 'तथा' की जगह 'ऽथवा' शब्द रख देने से ही हो सकता था। मकारकवी के ऐसा नहीं किया, और इससे उनकी सप्रसू तथा परिवर्तन सम्बंधी योग्यता और भी अच्छा परिचय मिल जाता है।

अर्चयित्स्वफलाभाया प्रथमा सृष्टिका मता ।

द्वितीया तु तृतीया तु तदर्थोर्चा प्रचीर्णिता ॥ २-४० ॥

शौचे एकः सप्त कार्यः शौचसूत्रो मृही स्मृतः ।

शौचाचारविहीनस्य समस्ता निष्कृताः क्रियाः ॥ २-४४ ॥

अत्यन्तमन्त्रिः कायो नवचिद्भ्रमसन्वितः ।

अवस्यथ दिशारथां प्रातः स्नानं विशोचनम् ॥ २-६८ ॥

ये 'दक्षस्मृति' के शक्य हैं। त्रिसरा पक्ष दक्षस्मृति के दूसरे अध्याय से ज्यों का त्यों उठा कर रक्खा गया है—शब्दकल्प-द्रुम कोश में भी वैसे 'दक्ष' अपि का बचन लिखा है। दूसरा पक्ष वस्तु स्मृति के पाँचवें अध्याय का पक्ष है और उसमें न० २ पर दर्ज है—स्मृतिरत्नाकर में भी यह 'दक्ष' के नाम से उद्धृत पाया जाता है—उसमें शिर्ष 'द्विजः' की जगह 'मृही' का परिवर्तन किया गया है। पहला पक्ष भी पाँचवें अध्यायका ही पक्ष है और उसमें

है और इस छोक में गृहस्थ को लिये मलमूत्र के त्याग समय यज्ञोपवीत को बाएँ कान पर रखकर पीठ की तरफ लम्बायमान करने का विधान किया गया है परन्तु पं० पञ्चलाचजी सोनी ने ऐसा नहीं समझा और इसलिये उन्होंने इस पथ के विषय को विभिन्न व्यक्तियों (व्रती-अव्रती) में बाँटकर इसका निम्न प्रकार से अनुवाद किया है—

“ गृहस्थजन अपने यज्ञोपवीत (जनेऊ) को गर्दन के सहारे से पीठ पीछे सटकाकर टट्टी पेशाब करे और व्रती श्रावक बाएँ कान में लगाकर टट्टी पेशाब करे ।”

इससे मालूम होता है कि सोनीजी ने यज्ञोपवीत दीक्षा से दीक्षित व्यक्ति को ' अव्रती ' भी समझा है । परन्तु भगवज्जिनसेनाचार्य ने तो, ' व्रताधिष्ठं दधत्सूत्रं ' आदि वाक्यों के द्वारा यज्ञोपवीत को व्रतचिह्न मतलाया है तब सर्वथा ' अव्रती ' के विषय में जनेऊ की कल्पना कैसी ? परन्तु इसे भी छोड़िये, सोनीजी इतना भी नहीं समझ सके कि जब इस पथ के द्वारा यह विधान किया जा रहा है कि व्रती श्रावक तो जनेऊ को बाएँ कान पर रखकर और अव्रती उसे योंही पीठ पीछे सटका कर टट्टी पेशाब करे तो फिर अगले पथ में यह विधान किसके लिये किया गया है कि जनेऊ को पेशाब के समय तो दाहिने कान पर और टट्टी के समय बाएँ कान पर टाँगना चाहिये । यही वजह है जो आप इन दोनों पथों के पारस्परिक विरोध का कोई स्पष्टीकरण भी अपने अनुवाद में नहीं करसके । अस्तु; वह अगला पथ इस प्रकार है—

सूत्रे तु दाक्षिणे कर्षे पुरीषे वामकर्षके ।

धारयेद्ब्रह्मसूत्रं तु मैथुने मस्तके तथा ॥ २८ ॥

इस पथ का पूर्वार्ध, जो पहले पथ के साथ कुछ विरोध उत्पन्न करता है, वास्तव में एक दूसरे विद्वान का वचन है । अन्धिक सूत्राधि

नं० ७ पर दर्ज है। इस पद्य में " प्रसृतिमात्रा तु " की जगह ' त्रिसुवफलमात्रा ', ' च ' की जगह ' तु ' और ' तदर्धा परिकीर्णिता ' की जगह ' तदर्धा प्रकीर्णिता ' ये परिवर्तन किये गये हैं, जो साधारण हैं और कोई खास महत्व नहीं रखते। यह पद्य अपने दक्षसृति वाले रूप में ही आचारादर्श और शुद्धि-निवेक नामके ग्रन्थों में ' दक्ष ' के नाम से उल्लिखित मिलता है।

अन्तर्गृहे देवगृहे वल्मीके मूपकस्थले ।

कृतशौचाविशेषे च न ग्राह्याः पञ्चमृत्तिकाः ॥ २-४५ ॥

यह श्लोक जिसमें शौच के लिये पाँच जगह की मिट्टी को त्याज्य ठहराया है * ' शातातप ' ऋषि के निम्न श्लोक को बदल कर बनाया गया मालूम होता है—

अन्तर्जलाद्देवगृहाद्वल्मीकान्मूपकगृहात् ।

कृतशौचस्पृशाश्चैव न ग्राह्याः पञ्चमृत्तिकाः ॥

यह श्लोक ' आन्धिक सूत्रावलि ' में भी ' शातातप ' के नाम से उद्धृत पाया जाता है।

अलामे दन्तकाष्ठानां निषिद्धायां तिथावपि ।

- अग्रां द्वादशगण्डुपैर्मुञ्चशुद्धिः प्रजायते ॥ २-७३ ॥

यह ' न्यास ' ऋषिका वचन है। सृतिरत्नाकर और निर्णय-सिन्धु में भी इसे ' न्यास ' का वचन लिखा है। हाँ, इसके पूर्वार्ध में ' प्रतिषिद्धदिनेष्वपि ' की जगह ' निषिद्धायां तिथावपि ' और उत्तरार्ध में ' भविष्यति ' की जगह ' प्रजायते ' ऐसा पाठ भेद यहाँ पर उल्लेख पाया जाता है जो बहुत कुछ साधारण है और कोई खास अर्थनेद नहीं रखता।

ग्रंथ के दूसरे अध्याय में, मल-मूत्र के लिये निषिद्ध स्थानों का वर्णन करते हुए, एक श्लोक निम्न प्रकार से दिया गया है—

हस्तकृष्टे जले चित्यां बह्मीके गिरिमस्तके ।

देवाक्षये नदीतीरे वर्मपुष्पेषु शास्त्रे ॥ २२ ॥

यह 'बौधायन' नाम के एक प्राचीन हिन्दू लेखक का वचन है। स्मृतिरत्नाकर में भी यह 'बौधायन' के नाम से ही उद्धृत मिलता है। इसमें 'फालकृष्टे' की जगह यहाँ 'हस्तकृष्टे' और 'वर्मपुष्टे तु' की जगह 'वर्मपुष्पेषु' बनाया गया है, और ये दोनों ही परिवर्तन कोई खास महत्त्व नहीं रखते—बल्कि निरर्थक जान पड़ते हैं।

प्रभाते मैथुने चैव प्रक्षात्रे दन्तधावने ।

ज्ञाने च भोजने धान्यां सप्तमौनं विधीयते ॥ २-३१ ॥

यह पद्य, जिसमें सात अक्षरों पर मौन धारण करने की व्यवस्था की गई है—यह विधान किया गया है कि १ प्रातःकाल, २ मैथुन, ३ मूत्र, ४ दन्तधावन, ५ स्नान, ६ भोजन, और ७ व्रत के अक्षर पर मौन धारण करना चाहिये—'हारीत' ऋषि के उस वचन पर से कुछ परिवर्तन करके बनाया गया है, जिसका पूर्वार्ध 'प्रभाते' की जगह 'उच्चारै' पाठभेद के साथ बिलकुल वही है जो इस पद्य का है और उत्तरार्ध है 'आद्धे (स्नाने) भोजनकाले च षट्सु मौनं समाचरेत्' और जो 'आन्धिकसूत्रावलि' में भी 'हारीत' के नाम से उद्धृत पाया जाता है। इस पद्य में 'उच्चारै' की जगह 'प्रभाते'

* इस श्लोक के बाद 'मल्लसूत्रसमीपे' नाम का एक पद्य और भी पंचमृत्तिका के निवेद्य का है और उसका अन्तिम चरण भी 'न प्राक्षाः पंचमृत्तिकाः' है। वह किसी दूसरे विद्वान की रचना जान पड़ता है।

† 'आद्धे' की जगह 'स्नाने' ऐसा पाठभेद भी पाया जाता है। देखो 'शब्द कल्पद्रुम'।

का जो खास परिवर्तन किया गया है वह बड़ा ही विचित्र तथा विलक्षण जान पड़ता है और उससे महायोग के अंतर पर मौन का विधान न रहकर प्रातःकाल के समय मौन का विधान हो जाता है; जिसकी संगति कहीं से भी ठीक नहीं बैठती। मालूम होता है सीनीजी को भी इस पंथकी विलक्षणता कुछ खटकी है और इसीलिये उन्होंने, पंथकी अस-लियत को न पहचानते हुए, यों ही अपने मनगढ़न्त 'प्रभाते' का अर्थ "सामायिक करते समय" और 'प्रसावे' का अर्थ "टट्टी पेशाब करते समय" दे दिया है, और इस तरह से अनुवाद की मूर्ती द्वारा भट्टारकजी के पंथ की त्रुटि को दूर करने का कुछ प्रयत्न किया है। परन्तु आपके ये दोनों ही अर्थ ठीक नहीं हैं—'प्रभात' का अर्थ 'प्रातःकाल' है न कि 'सामायिक' और 'प्रसाव' का अर्थ 'मूत्र' है न कि 'मल-मूत्र' (टट्टी पेशाब) दोनों। और इसलिये अनुवाद की इस नापापोती द्वारा मूल की त्रुटि दूर नहीं हो सकती और न विद्वानों की नबरो से वह छिप ही सकती है। हाँ, इतना जरूर स्पष्ट हो जाता है कि अनुवादकजी में सत्य अर्थ को प्रकाशित करने की कितनी निष्ठा, तत्परता और क्षमता है।

खदिरमूत्र करंजमूत्र कदम्बमूत्र वटस्तथा ।

तिक्षिणी वैष्णुवृक्षश्च निम्ब आम्रस्तथैव च ॥ २-६३ ॥

अपामार्गश्च विल्वश्च हार्क आमलकस्तथा ।

पते प्रशस्ताः कथिता वन्तघावनकर्मणि ॥ २-६४ ॥

ये दोनों पंथ, जिनमें दौतन के लिये उत्तम काष्ठ का विधान किया गया है 'नरसिंहपुराण' के वचन हैं। आचारादर्श नामक ग्रंथ में भी इन्हें 'नरसिंहपुराण' के ही वाक्य लिखा है। इनमें से पहले पद्य में 'आम्रनिम्बी' की जगह 'निम्ब आम्रः' का तथा 'वैष्णुवृक्षश्च' की जगह 'वैष्णुवृक्षश्च' का पाठभेद पाया जाता है, और दूसरे पंथ

में 'अर्कब्रह्मोद्यम्बरः' की जगह 'अर्क आमलकः' ऐसा परिवर्तन किया गया जान पड़ता है। दोनों पाठभेद साधारण हैं, और परिवर्तित पद को द्वारा उद्यम्बर काष्ठ की जगह अर्कशे के दौतन का विधान किया गया है।

कुण्डः काशा यवा दूर्वा उशीराश्च कुकुन्दरः ।

गोधूमा मीढयो मुञ्जा दश वर्माः प्रकीर्तिताः ॥ ३-८१ ॥

यह 'गोमिख' अपि का वचन है। स्तुतिरत्नाकर में भी इसें 'गोमिख' का वचन लिखा है। इसमें 'गोधूमाश्चाथ कुन्दराः' की जगह 'उशीराश्च कुकुन्दराः' और 'उशीराः' की जगह 'गोधूमाः' का परिवर्तन किया गया है, जो व्यर्थ जान पड़ता है; क्योंकि इस परिवर्तन से कोई अर्थभेद उत्पन्न नहीं होता—सिर्फ दो पदों का स्थान बदल जाता है।

एकपङ्क्त्युपाधिष्ठानां धर्मिणां सहयोगने ।

यद्येकोऽपि स्वजेत्यात्रं शेषैरसं न भुज्यते ॥ ३-२९० ॥

यह पद्य, जिसमें सहयोगन के अक्षर पर एक पंक्ति में बैठे हुए किसी एक व्यक्ति को भी पात्र छोड़ देने पर शेष व्यक्तियों के बिने योगन-त्याग का विधान किया गया है, अत्र से परिवर्तन के साथ 'परस्पर' अपि का वचन है और वह परिवर्तन 'विप्राणां' की जगह 'धर्मिणां' और 'शेषैरसं न भोजयेत्' की जगह 'शेषै-रसं न भुज्यते' का किया गया है, जो बहुत कुछ साधारण है।

१ 'पद्याः—१ 'सूत्रं प्रस्तावः'—इति अमरकोशः ।

२ 'प्रस्तावः सूत्रं'—इति शब्दकल्पद्रुमा ।

३ 'उपधारपस्त्रकेत्यादि' उच्चारः पुरीषः प्रस्तावार्थं सूत्रं ।

—इति त्रिषाकक्षापटीकायां प्रमाचमः ।

आग्निहोत्रावधि और स्थूलिरत्नाकर नामके ग्रंथों में भी यह पद 'परा-शर' ऋषि के नाम से ही उद्धृत पाया जाता है।

स्वरूपे प्राक्शिरः कुर्याच्छाशुरे दक्षिणामुखः ।

प्रत्यङ्मुखः प्रवासे च न कदाचिदुवङ् मुखः ॥ ८-२४ ॥

यह पद, जिसमें इस बात का विधान किया गया है कि अपने घर पर तो पूर्व की तरफ सिर करके, सासके घर पर दक्षिण की ओर मुँह करके और प्रवास में पश्चिम की ओर मुँह करके सोना चाहिये तथा उच्चर की तरफ मुँह करके कभी भी न सोना चाहिये—थाड़े से परिवर्तनों के साथ—'शर्गा' ऋषि का वचन है। आग्निहोत्रावधि में इसे गर्ग ऋषि के नाम से जिस तरह पर उद्धृत किया है उससे मालूम होता है कि यहाँ पर इसमें 'शेते भ्वाशुर्ये' की जगह 'कुर्याच्छाशुरे' का, 'प्राक्शिराः' की जगह 'प्राक्शिरः' का, 'तु' की जगह 'च' का और पिछले तीनों चरणों में प्रयुक्त हुए प्रत्येक 'शिराः' पद की जगह 'मुखः' पद का परिवर्तन किया गया है। और यह सब परिवर्तन कुछ भी महत्व नहीं रखता—'शेते' की जगह 'कुर्यात्' का परिवर्तन मदा है और 'शिराः' पदों की जगह 'मुखः' पदों के परिवर्तन ने तो अर्थ का अनर्थ ही कर दिया है। किसी दिशा की ओर सिर करके सोना और बात है और उसकी तरफ मुँह करके सोना दूसरी बात है—एक दूसरे के विपरीत है। मालूम होता है अग्ररक्षणी को इसकी कुछ खबर नहीं पड़ी परन्तु सोनीजी ने खबर ज़रूर लेनी है। उन्होंने अपने अनुवाद में मुख की जगह सिर बनाकर उनकी दृष्टि को दूर किया है और इस तरह पर सर्वसाधारण को अपनी सत्यार्थ-प्रकाशकता का परिचय दिया है।

रात्रोपेक्ष समुपपत्ते मृते रजसि सूतके ।

'सर्वमेव दिनं प्राज्ञं यावन्नोपेति वै रधिः ॥ १३-६ ॥

यह पद्य, ' नोद्वेति वै ' की जगह ' नोद्वयते ' पाठभेद के साथ, ' कश्यप ' श्रुति का वचन है। याज्ञवल्क्यस्मृति की 'मिताक्षरा' टीका में भी, 'यथाह कश्यपः' वाक्य के साथ, इसे 'कश्यप' श्रुति का वचन सूचित किया है।

पूर्वमायुः परीक्षित पश्चात्सप्तशतमेव च ।

आयुर्हमिजनालां च सप्तशतैः किं प्रयोजनम् ॥ ११-८॥

यह 'सामुद्रिक' शास्त्र का वचन है। शब्दरूपानुसृत क्रम में इसे किसी ऐसे सामुद्रिक शास्त्र से उद्धृत किया है जिसमें श्रीकृष्ण तथा महेश का संवाद है और उसमें इसका तीसरा चरण 'आयुर्हीनं नराणां चेत्' इस रूप में दिया हुआ है।

महानद्यन्तरं यत्र गिरिवी व्यसथायकः ।

वाचो यत्र विमिथन्ते दशैशान्तरमुच्यते ॥ १३-६६ ॥

यह 'देशान्तर' का लक्षण प्रतिपादन करने वाला पद्य 'बृद्धमनु' का वचन है, ऐसा शुद्धिविवेक नामक ग्रंथ से मालूम होता है, जिसमें 'बृद्धमनुरप्याह' इस वाक्य के साथ यह उद्धृत किया गया है। यहाँ पर इसके चरणों में कुछ क्रम-भेद किया गया है—पहले चरण को तीसरे नम्बर पर और तीसरे को पहले नम्बर पर रक्खा गया है—बाकी पाठ सब ज्यों का त्यों है।

पितरौ चेन्मृतौ स्यातां दूरस्रोऽपि हि पुत्रकः ।

श्रुत्वा तद्विनमरन्व पुत्राणां दशरात्रकम् ॥ १३-७१ ॥

यह पद्य, जिसमें माता पिता की मृत्यु के समाचार सुनने पर दश देशान्तर में रहने वाले पुत्र को समाचार सुनने के दिन से दस दिन का सूतक बतलाया गया है, 'पैठीनसि' श्रुति का वचन है। याज्ञवल्क्यस्मृति की 'मिताक्षरा' टीका में भी, जो एक प्राचीन ग्रंथ है और अदालतों में गान्य किया जाता है, 'इति पैठीनसि स्मरणात्'

वाक्य के द्वारा इसे 'पैठीनसि' ऋषि का वचन सूचित किया है। यहाँ इसका चौथा चरण बदला हुआ है—'दशाहं सूतकी भवेत्' की जगह 'पुत्राणां दशरात्रकम्' बनाया गया है। और यह तबदीली बिलकुल भरी जान पड़ती है—'पुत्रकः' आदि पदों के साथ इन परिवर्तित पदों का अर्थसम्बंध भी कुछ ठीक नहीं बैठता, खासकर 'पुत्राणां' पद का प्रयोग तो यहाँ बहुत ही खटकता है—सोनीजी ने उसका अर्थ भी नहीं किया—और वह, महारकजी की योग्यता को और भी अधिकता के साथ व्यक्त कर रहा है।

ज्वरामिभूता या गारी रजसा खेत्परिष्कुना ।

कथं तस्या भवेच्छौचं शुद्धिः स्वात्केन कर्मणा ॥ २६ ॥

चतुर्थेऽहनि समाप्ते स्पृशेद्वा तु तां स्त्रियम् ।

ज्ञात्या चैव पुनस्तां चै स्पृशेत् ज्ञात्वा पुनः पुनः ॥ २७ ॥

दशह्यदशकृत्वो वा द्वाचमेच पुनः पुनः ।

अन्त्ये च वाससां स्वागं ज्ञात्वा शुद्धा भवेन्तु सा ॥ २८ ॥

—१३ वां अन्याय ।

इन पदों में ज्वर से पीड़ित रजस्वला स्त्री की शुद्धि का प्रकार बतलाया गया है और वह यों है कि 'चौथे दिन कोई दूसरी स्त्री आग करके उस रजस्वला को छूने, दोबारा स्नान करके फिर छूवे और इस तरह पर दस या बारह बार स्नान करके प्रत्येक स्नान के बाद उसे छूवे; साथ ही बारबार आचमन भी करती रहे। अन्त में सत्र करणों का (जिन्हें रजस्वला ओढ़े पहने अथवा बिछाए हुए हो) स्वाग कर दिया जाय तो वह रजस्वला शुद्ध होजाती है'। ये तीनों पद्य अरसे परिवर्तन के साथ 'उशाना' नामक हिन्दू ऋषि के वचन हैं, जिनकी 'स्मृति' भी 'अश्विनसधर्मशास्त्र' के नाम से प्रसिद्ध है। याज्ञवल्क्य-स्मृति की मिताक्षरा टीका, शुद्धिविवेक और स्मृतिरत्नाकर आदि ग्रन्थों

में भी इन्हें 'उत्सर्ग' के पद्य लिखा है। गितावृत्त आदि ग्रंथों में इन पद्यों का जो रूप दिया है उससे मालूम जाता है कि पहले पद्य में सिर्फ 'च' की जगह 'चेत्' बनाया गया है, दूसरे का उत्तरार्ध 'सा सचक्षाद्यगाद्यापः स्वात्वा स्वात्वा पुनः स्पृशेत्' नामक उत्तरार्ध की जगह कथन किया गया है और तीसरे में 'त्यागस्ततः' की जगह 'त्याग स्वात्वा' का परिवर्तन हुआ है। इन तीनों परिवर्तनों में से पहला परिवर्तन निरर्थक है और उसके द्वारा पद्य का प्रनिपात विषय कुछ कम हो जाता है—जा ही स्वर से पीड़ित हो वह यदि रजस्वला होजाय तो उसी की शुद्धि का विधान रखा है किन्तु जो पहले से रजस्वला हो और पीड़े बिसे स्वर आजाय उसकी शुद्धि की कोई व्यवस्था नहीं रहती। 'च' शब्द का प्रयोग इस दाय को दूर कर देता है और वह दोनों में से किसी भी अवस्था की रजस्वला के लिये एक ही शुद्धि का विधान मनवाना है। अतः 'च' की जगह 'चेत्' का परिवर्तन यहाँ ठीक नहीं हुआ। दूसरा परिवर्तन एक विशेष परिवर्तन है और उसके द्वारा सचक्ष अवगाहन की बात को छोड़कर उस दूसरी स्त्री के साक्षात् ज्ञान की बात को ही अपनाया गया है। रहा तीसरा परिवर्तन, यह बड़ा ही निरव्यय भाग पड़ना है, उत्सर्ग 'स्वात्वा' पद का सम्बन्ध अंतिम 'सा' पद के साथ ठीक नहीं बैठता और 'त्याग' पद तो उत्सर्ग और भी ज्यादा ऊटकता है। हो सकता है, कि यह परिवर्तन कुछ असावधान लेखकों की ही कर्तव्य हो; उनके द्वारा 'त्यागस्ततः' का 'त्याग स्वात्वा' लिखा जाना कुछ भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि दोनों में अक्षरों की बहुत कुछ समानता है, परंतु सोचीबी से

* शब्द इत्थं चिन्ते पं० पञ्जाबाहरी सोमी एक पद्य के अनुवाद में लिखते हैं—“कोई स्वर से पीड़ित स्त्री (पति) रजस्वला होजाय तो उसकी शुद्धि कैसे हो? कैसे किया करने से वह शुद्ध हो सकेगी है?”

‘त्यागं स्नाता’ पाठको ही शुद्ध समझा है—शुद्धिपत्र में भी उसका संशोधन नहीं दिया—और अनुवाद में ‘स्नाता’ पद का सम्बंध उस दूसरी स्त्री के साथ जोड़ दिया है जो ज्ञान करके रजस्वला को छूये । यह सब देखकर बड़ा ही खेद होता है ! आप लिखते हैं—“अन्त में वह स्पर्श करने वाली स्त्री अपने कपड़े भी उतार दे और उस रजस्वला के कपड़े भी उतार दे और ज्ञान करले ।” समझ में नहीं आता, जब उस दूसरी स्त्री को अन्त में भी अपने कपड़े उतारने तथा ज्ञान करने की जरूरत बाकी रह जाती है और इस तरह पर यह उस अंतिम ज्ञान से पहले अशुद्ध होती है तो उस अशुद्धा के द्वारा रजस्वला की शुद्धि कैसे हो सकती है ! सोनीजी ने इसका कुछ भी विचार नहीं किया और वैसे ही खींचतान कर ‘स्नाता’ पद का सम्बंध उस दूसरी स्त्री के साथ जोड़ दिया है जिसके साथ पद्य में उसका कोई सम्बंध ठीक नहीं बैठता । और इसलिये यह परिवर्तन यदि महारानी का ही किया हुआ है तो इससे उनकी योग्यता की और भी अच्छी कल्पना खुल जाती है ।

यहाँ तक के इस सम्पूर्ण प्रदर्शन से यह विलकुल स्पष्ट हो जाता है कि यह ग्रंथ, जैसा कि सेखारम्भ में जाहिर किया गया था, वास्तव में एक बहुत बड़ा संग्रह ग्रंथ है और इसमें जैन अजैन दोनों ही प्रकार के विद्वानों के वाक्यों का भारी संग्रह किया गया है—ग्रंथ की २७०० श्लोकसंख्या में से शायद सौ डेढ़सौ श्लोक ही मुशकिल से ऐसे निबलें जिन्हें ग्रंथकार की स्वतन्त्र रचना कहा जा सके, बाकी सब श्लोक ऐसे ही हैं जो दूसरे जैन-अजैन ग्रंथों से ज्यों के त्यों अथवा कुछ परिवर्तन के साथ उठा कर रक्खे गये हैं—अधिकांश पद्य तो इसमें अजैन ग्रंथों तथा उन जैन ग्रंथों पर से ही उठा कर रक्खे गये हैं जो प्रायः अजैन ग्रंथों के आधार पर या उनकी छाया को लेकर बने हुए हैं । साथ ही, यह भी स्पष्ट हो जाता है कि ग्रंथकार ने अपने प्रतिज्ञा-वाक्यों तथा

सूचनाओं के द्वारा जो यह विश्वास दिलाया था कि 'उसने इस ग्रंथ में जो कुछ लिखा है वह उक्त जिनसेनादि छहों विद्वानों के ग्रंथानुसार लिखा है और जहाँ कहीं दूसरे विद्वानों के ग्रंथानुसार कुछ कथन किया है वहाँ पर उन विद्वानों का अथवा उनके ग्रंथों का नाम दे दिया है' वह एक प्रकार का धोखा है। ग्रंथकार महाराज (भट्टारकजी) अपनी प्रतिज्ञाओं तथा सूचनाओं का पूरी तौर से निर्वाह नहीं कर सके और न वैसा करना उन्हें इष्ट था, ऐसा जान पड़ता है—उन्होंने दो बार अपवादों को छोड़ कर कहीं भी दूसरे विद्वानों का या उनके ग्रंथों का नाम नहीं दिया और न ग्रंथ का सारा कथन ही उन जैन विद्वानों के वाक्यानुसार किया है जिनके ग्रंथों को देख कर कथन करने की प्रसिद्धाएँ की गई थीं; बल्कि बहुमतसा कथन अजैन ग्रंथों के आधार पर, उनके वाक्यों तक को उद्धृत करके, किया है जिनके अनुसार कथन करने की कोई प्रतिज्ञा नहीं की गई थी। और इसलिये यह कहना कि 'भट्टारकजी ने जान बूझ कर अपनी प्रतिज्ञाओं का विरोध किया है और उसके द्वारा पबलिक को धोखा दिया है' कुछ भी अनुचित न होगा। इस प्रकार के विरोध तथा धोखे का कुछ और भी स्पष्टीकरण 'प्रतिज्ञादि-विरोध' नाम के एक अलग शीर्षक के नीचे किया जावेगा।

यहाँ पर मैं सिर्फ इतना और बतला देना चाहता हूँ कि भट्टारकजी ने दूसरे विद्वानों के ग्रंथों से जो यह बिना नाम धाम का भारी संग्रह करके उसे अपने ग्रंथों में निबद्ध किया है—'उक्त च' * आदि रूप से भी नहीं रक्खा—और इस तरह पर दूसरे विद्वानों की कृतियों को अपनी कृति अथवा रचना प्रकट करने का साहस किया है वह

* ग्रंथ में दस पाँच पद्यों को जो 'उक्त च' आदि रूप से दे रखा है उनका यहाँ पर ग्रहण नहीं है।

एक बड़ा ही निन्द्य तथा नीच कर्म है। ऐसा अव्यय आचरण करने वालों को श्रीसोमदेवसूरि ने 'काव्यचोर' और 'पातकी' लिखा है। यथा:—

छत्वा कृतीः पूर्वकृताः पुस्तनात्मत्यादरं ताः पुनरीक्षमाखः ।

तथैव जल्पेदथ योऽन्यथा वा स काव्यचोरोऽस्तु स पातकी च ॥

—यशस्विलक ।

श्री अजिनसेनाचार्य ने तो दूसरे काव्यों के सुन्दर शब्दार्थों की छाया तक हरने वाले कवि को 'चोर' (पश्यतोहर) बतलाया है। यथा:—

अन्धकाव्यसुशुष्यार्थछायां नो रक्षयेत्कविः ।

स्वकाव्ये सोऽपथा लोके पश्यतोहरतामदेत् ॥६५॥

—अलङ्कारचिन्तामणि ।

ऐसी हालत में महारक सोमनेनजी हम कलंक से निस्ती तरह भी मुक्त नहीं हो सकते। वे अपने ग्रंथ की इस स्थिति में, उक्त अचार्यों के निर्देशानुसार, अथर्व ही 'काव्यचोर' और 'पातकी' कहलाये जाने के योग्य हैं और उनकी गणना तत्कार लेखकों में की जानी चाहिये। उन्हें इस कलंक से बचने के लिये कम्से कम उन पद-वाक्यों के साथ में जो उ्यों के लिये उठाकर रक्खे गये हैं उन विद्वानों अथवा उनके ग्रंथों का नाम जरूर देदेना चाहिये या जिनके वे बचन थे; जैसा कि 'आचारादर्श' और 'मिताहरा' आदि ग्रंथों के कर्त्ताओं ने किया है। ऐसा करने से ग्रंथ का महत्त्व कम नहीं होता किन्तु उसकी उपयोगिता और प्रामाणिकता बढ़ जाती है। परन्तु महारकजी ने ऐसा नहीं किया और उसके दां खास कारण जान पड़ते हैं—एक तो यह कि, वे हिन्दू धर्म की बहून्सी धानों को प्राचीन जैनाचार्यों अथवा जैनविद्वानों के नाम से जैनसमाज में प्रचारित करना चाहते

थे और यह बात अनेक विद्वानों के वाक्यों के साथ उनका अथवा उनके ग्रन्थों का नाम दे देने से नहीं बन सकती थी, जैसी उन उसे गान्य न करते। दूसरे यह कि, वे मुक्त में अल्प परिधम से ही काव्य-कीर्ति भी कमाना चाहते थे—दूसरे कवियों की कृतियों को अपनी कृति प्रकट करके, सदा ही में एक अच्छे कवि का पद तथा सम्मान प्राप्त करने की उनकी इच्छा थी—और यह इच्छा पूरी नहीं हो सकती थी यदि सभी उद्धृत पद-वाक्यों के साथ में दूसरे विद्वानों के नाम दे दिये जाते। तब तो आपकी निजकी कृति प्रायः कुछ भी न रहती अथवा जो कहिये कि गहत्वशून्य और तेजोहीनसी दिखलाई पड़ती। अतः मुख्यतया इन दोनों चित्तवृत्तियों से अभिभूत होकर ही आप ऐसा हीनाचरख करने में प्रवृत्त हुए हैं, जो एक सत्कवि के लिये कभी शोभा नहीं देता, बल्कि ठण्डा लज्जा तथा शर्म का स्थानक होता है। शायद इस लज्जा तथा शर्म को उतारने या उसका कुछ परिगर्जन करने के लिये ही महारकबी ने ग्रन्थ के अन्त में, उसकी समाप्ति के बाद, एक पद्य निम्न प्रकार से दिया है—

श्लोका येऽथपुरातना त्रिलिखिता अन्मासिरुपर्यत—
 ह्यदीपा इव सन्सु फाल्ग्वरचनामुद्गीपवन्ने परम् ।
 वानाशास्त्रमनाम्नरं यदि नर्ष प्रायोऽफरिष्यं त्वदम्
 ज्ञाशा भाऽस्य महस्लावेति सुधियाः कंचित्प्रयोगपदाः ॥

इस पद्य से जहाँ यह सूचना मिलती है कि ग्रन्थ में कुछ पुरातन पद्य भी लिखे गये हैं वहाँ अथवा का उन पुरातन पद्यों के सहारे से अपनी काव्यरचना को उद्योतित करने अथवा काव्यकीर्ति कमाने का यह भाव भी बहुत कुछ व्यक्त हो जाता है जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है। महारकबी पद्य के पूर्वार्ध में लिखते हैं—'हृदये इस ग्रन्थ में, अथवा अनुसार, निज पुरातन श्लोकों को लिखा है, वे दीपक की तरह

सम्पुर्णों के सामने हगारी काव्यरचना को उद्दीपित (प्रकाशित) करते हैं' । परन्तु उन्होंने, अपने ग्रंथ में, जत्र स्वकीय और परकीय पद्यों का प्रायः कोई भेद नहीं रक्खा तब ग्रंथ के कौन से पद्यों को 'द्विपक' और कौनसों को उनके द्वारा 'उद्दीपित' समझा जाय, यह कुछ समझ में नहीं आता । साधारण पाठक तो उन दस पाँच पद्यों को छोड़कर जिन्हें 'उक्ततंच', 'मतान्तरं' तथा 'अन्यमतम्' आदि नामों से उल्लेखित किया गया है और जिनका उक्त संग्रह में कोई खास शिक भी नहीं किया गया अथवा इत्यादा से इत्यादा कुछ परिचित पद्यों को भी उनमें शामिल करके, शेष सब पद्यों को महारकजी की ही रचना समझने हैं और उन्हीं के नाम से उनका उल्लेख भी करते हुए देखे जाते हैं । क्या यही महारकजी की काव्यरचना का सच्चा उद्दीपन है ? अथवा पाठकों में ऐसी यत्नत समझ उत्पन्न करके काव्यकीर्ति का लाम उठाना ही इसका एक उद्देश्य है ? मैं तो समझता हूँ पिछली बात ही ठीक है और इसीसे उन पद्यों के साथ में उनके लेखकों अथवा ग्रंथों का नाम नहीं दिया गया और न दूसरी ही ऐसी कोई सूचना साथ में की गई जिससे वे पद्यते ही पुरातन पद्य समझ लिये जाते । पद्य के उत्तरार्ध में महारकजी, अपनी कुछ चिन्तासी व्यक्त करते हुए, लिखते हैं—'यदि मैं नाना शास्त्रों के मतान्तर की नवीनप्राय रचना करता तो इस ग्रंथ का तेज पड़ता—अथवा यह मान्य होता—इसकी मुझे कहीं आशय थी ।' और फिर इसके धनन्तर ही प्रकट करते हैं—'इसीलिये कुछ सुधीजन 'प्रयोगवद्' होते हैं—प्राचीन प्रयोगों का उल्लेख करदेना ही उचित समझते हैं* ।'

* पं० पद्मालालजी सोनी ने इस पद्य के उत्तरार्ध का अनुवाद पद्या ही बिलक्षण किया है और वह इस प्रकार है—

" यद्यपि मैंने अनेक शास्त्र और मतों से सार लेकर इस नवीन शास्त्र की रचना की है, उनके सामने इसका प्रकाश पड़ेगा यह आशा

और इस तरह पर आपने अपने को प्रयोगवाद (प्रयोगवादी) अथवा प्रयोगवाद की नीतिका अनुसरण करने वाला भी सूचित किया है । हो सकता है गद्दारकजी की उक्त चिन्ता कुछ ठीक हो—वे अपनी स्थिति और कमजोरी आदि को आप जानते थे—परन्तु जब उनको अपनी रचना से तेज अथवा प्रभाव पढ़ने की कोई आशा नहीं थी तब तो उन्हें दूसरे विद्वानों के वाक्यों के साथ में उनका नाम दे देने की और भी ज़्यादा बख़्तरत थी । ऐसी हालत में भी उनका नाम न देना उक्त दोनों कारणों के सिवाय और किसी बातको सूचित नहीं करता । रही 'प्रयोगवाद' की नीतिका अनुसरण करने की बात, प्रयोगवाद की यह नीति कदापि नहीं होती कि वह दूसरे की रचना को अपनी रचना प्रकट करे । यदि ऐसा हो तो 'काव्यचोर' और 'प्रयोगवाद' में फिर कुछ भी अन्तर नहीं रह सकता । वह तो इस बात की बड़ी सावधानी रखता है और इसी में आनन्द मानता है कि दूसरे विद्वान का जो वाक्य प्रयोग उद्धृत किया जाय उसके विषय में किसी तरह पर यह काहिर कर दिया जाय कि वह अमुक विद्वान का वाक्य है अथवा उसका अपना वाक्य नहीं है । उसकी रचना-प्रणाली ही अलग होती है और वह

नहीं, तो भी कितने ही बुद्धिमान नवीन नवीन प्रयोगों को पसंद करते हैं, अतः उनका चित्त इससे अवश्य अनुरंजित होगा ।'

अनुवादकजी और तो क्या, लङ्कालकार की 'अकारिष्यं' क्रिया का अर्थ भी ठीक नहीं समझ सके । तब 'इति सुधियः केचित् प्रयोगवादाः' का अर्थ समझना तो उनके लिये दूर की बात थी । आपने पुरातन पद्याद्वय के समर्थन में नवीन नवीन प्रयोगों को पसंद करने की बात तो खूब कही !! और 'उनका चित्त इससे अवश्य अनुरंजित होगा' इस अन्तिम धान्यावतार ने तो आपके चक्षुष ही ढा दिया !!

दूरियों के प्रयोगों को बदल कर रखने की ज़रूरत नहीं मगकना और न अपने को उमका अधिकागी ही गामना है । गोमंगनजी की स्थिति ग्रंथ पर से ऐसी गालूग नहीं होनी वे इम विषय में प्रायः कुछ भी सावधान नजर नहीं आते उन्होंने रीत-हों पुगतन पधों को बिना उग्यरत ही बदल डाला है और जिन पधों को उ्यों का ल्यों उठाकर रक्खा है उनके विषय में प्रायः कोई सूचना ऐसी नहीं कि जिससे वे दूमेरे विद्वानों के वाक्य सगके जाय । साथ ही, ग्रंथ की रचना—प्रयागही भी ऐसी गालूग नहीं हांती जिसे प्रायः 'प्रयोगेवद' की नीतिका अनुसरण करने वाली कहा जा सके । ऐसी हालत में इस पध द्वारा जिन बातों की सूचना की गई है वे वाक्यचारी के उक्त कलंक को दूर करने के लिये किसी तरह भी समर्थ नहीं हो सकतीं । उन्हें प्रायः हींग मात्र समकना चाहिये अथवा यों कहना चाहिये कि वे पांडु से कुछ शर्म सी उतारने अथवा अपने दुष्कर्म पर एक प्रकार का पर्दा डालने के लिये ही लिखी गई हैं । अन्यथा, विद्वानों के समस्त उगका कुछ भी मूल्य नहीं है ।

'ग्रन्थ में एक जगह कलौ तु पुनरुद्गाहं वर्जयेदितिगालवः'
 ऐसा लिखा है । यह वाक्य बेशक प्रयोगेवद की नीतिका अनुसरण करने वाला है—इसमें 'गालव' ऋषि के वाक्य का उनके नाम के साथ उल्लेख है । यदि सारा ग्रन्थ अथवा ग्रन्थ का अधिकांश भाग इस तरह से भी लिखा जाता तो वह प्रयोगेवद की नीति का एक अच्छा अनुसरण कहलाता । और तब किसी को उपयुक्त आपत्ति का अवसर ही न रहता । परन्तु ग्रन्थ में, दो चार उदाहरणों को छोड़कर, इस प्रकार की रचना का प्रायः सर्वत्र अभाव है ।

प्रतिज्ञादि-विरोध ।

यह त्रिवर्णाचार अनेक प्रकार के विरुद्ध तथा अनिष्ट कथनों से भरा हुआ है । ग्रंथके संग्रहत्व आदि का दिग्दर्शन कराने के बाद, अब मैं उन्हीं को लेता हूँ और उनमें भी सब से पहले उन कथनों का दिग्दर्शन कराना चाहता हूँ जो प्रतिज्ञा आदि के विरोध को लिये हुए हैं । इस सब दिग्दर्शन से ग्रंथ की रचना, तरतीब, उपयोगिता और प्रमाणता आदि विषयों की और भी कितनी ही बातें पाठकों के अनुभव में आजाएँगी और उन्हें यह अच्छी तरह से मालूम पड़ जायगा कि इस ग्रंथ में कितना थोड़ा है, कितना जास है और वह एक मान्य जैन ग्रन्थ के तौर पर स्वीकार किये जाने के लिये कितना अयोग्य है अथवा कितना अधिक आपत्ति के योग्य है:—

(१) महारक सोमसेनजी ने, ग्रन्थके शुरु में, ' यत्प्रोक्तं जिनसेनयोग्यगणिभिः ' नामक पद्य के द्वारा जिन विद्वानों के ग्रन्थों को देख कर—उनके बचनानुसार—ग्रन्थ रचना की प्रतिज्ञा की है उनमें ' जिनसेनाचार्य ' का नाम सब से प्रथम है और उन्हें आपने ' योग्यगणी ' भी, सूचित किया है । इन जिनसेनाचार्य का बनाया हुआ एक ' पुराण ' ग्रन्थ सर्वत्र प्रसिद्ध है जिसे ' आदि-पुराण ' अथवा ' महापुराण ' भी कहते हैं और उसकी गणना बहुमान्य आर्ष ग्रन्थों में की जाती है । इस पुराण से पहले का दूसरा कोई भी पुराण ग्रन्थ ऐसा उपलब्ध नहीं है जिसमें गर्माधानादिक क्रियाओं का संक्षेप अथवा विस्तार के साथ कोई खास वर्णन दिया हो । यह पुराण इन क्रियाओं के लिये खास तौर से प्रसिद्ध है । महारकजी ने ग्रन्थ के आठवें अध्याय में इन क्रियाओं का वर्णन आरम्भ करते हुए, एक प्रतिज्ञा-वाक्य निम्न प्रकार से दिया है—

गर्माधानादयो भव्यास्त्रिंशन्नुक्रिया मताः ।

वक्ष्येऽधुना पुराणे तु याः प्राक्ता गणिभिः पुरा ॥३॥

इस वाक्य के द्वारा यह प्रतिज्ञा की गई है कि ' प्राचीन आचार्य महोदय (जिनसेन) ने पुराण (आदिपुराण) में जिन गर्माधानादिक ३३ क्रियाओं का कथन किया है उन्हीं का मैं अब कथन करता हूँ ।' यहाँ बहुवचनान्त ' गणिभिः ' पदका प्रयोग वहाँ है जो पहले प्रतिज्ञा-वाक्य में जिनसेनाचार्य के लिये उनके सम्मानार्थ किया गया है और उसके साथ में 'पुराणे ' * पद का एकवचनान्त प्रयोग उनके उक्त पुराण ग्रन्थ को सूचित करता है । और इस तरह पर इस विशेष प्रतिज्ञा-वाक्य के द्वारा यह घोषणा की गई है कि इस ग्रन्थ में गर्माधानादिक क्रियाओं का कथन जिनसेनाचार्य के आदिपुराणानुसार किया जाता है । साथ ही, कुछ पद्य भी आदिपुराण से इस पद्य के अनन्तर उद्धृत किये गये हैं, ' द्युष्टि ' नामक क्रिया को आदिपुराण के ही दोनों पद्यों (' ततोऽस्य हापने ' आदि) में दिया है और ' ब्रतचर्या ' तथा ' ब्रतावतरण ' नामक क्रियाओं के भी कितने ही पद्य (' ब्रतचर्यामहं वक्ष्ये ' आदि) आदिपुराण से ज्यों के त्यों उठाकर रखे गये हैं । परंतु यह सब कुछ होते हुए भी इन क्रियाओं का अधिकांश कथन आदिपुराण अपवाद मगधजिनसेनाचार्य के वचनों के विरुद्ध किया गया है, जिसका कुछ खुलासा इस प्रकार है:—

* पं० पद्मालासजी सोनी ने 'पुराणे' पद का जो बहुवचनान्त अर्थ " शास्त्रों में " ऐसा किया है वह ठीक नहीं है । इसी तरह ' गणिभिः ' पद के बहुवचनान्त प्रयोग का आशय भी आप ठीक नहीं समझ सकें और आपने उसका अर्थ " महर्षियों ने " दे दिया है ।

(क) भगवजिनसेन ने गर्भाधानादिक क्रियाओं की संख्या ५३ ही है और साथ ही निम्न पद्य द्वारा यह प्रतिपादन किया है कि गर्भाधान से लेकर निर्वाण तक की ये ५३ क्रियाएँ परमाणम में 'गर्भान्वय क्रिया' मानी गई हैं—

अथपंचाशदेता हि मता गर्भान्वयक्रियाः ।

गर्भाधानदिनिर्वाणपर्यन्तः परमाणमे ॥

परन्तु जिनसेन के बचनानुसार कथन करने की प्रतिज्ञा से वैसे हुए भट्टारकजी उक्त क्रियाओं की संख्या ३३ बतलाते हैं और उन्होंने उन ३३ के जो नाम दिये हैं वे सब ही वे ही नहीं हैं जो आदिपुराण की ५३ क्रियाओं में पाये जाते हैं । यथा:—

आधानं प्रीतिः सुप्रीतिर्धृतिर्मांदः प्रियोद्भवः ।

नामकर्म यद्विर्गमं निपद्या प्राशनं तथा ॥ ४ ॥

व्युष्टिश्च केशघापश्च त्रिपिसंस्थानसंग्रहः ।

उपनीतिर्व्रतचर्या व्रताचतरणं तथा ॥ ५ ॥

विवाहो वर्षात्नामश्च कुलचर्या गृहीश्रिता ।

प्रशान्तिश्च गृहत्यागो दीक्षार्थं जिनरूपता ॥ ६ ॥

सूतकस्य च संस्कारो निर्वाणं पिएडदानकम् ।

आर्द्धं च सूतकद्वैतं प्रायश्चित्तं तथैव च ॥ ७ ॥

तीर्थयात्रेति कश्चिता ह्याग्निश्रुतसंख्यया क्रियाः ।

अपार्ह्णशुभ्य धर्मस्य देवनाम्नया विशेषतः ॥ ८ ॥

इनमें से पहले तीन पद्य तो आदिपुराण के पद्य हैं और उनमें गर्भाधान को आदि लेकर २४ क्रियाओं के नाम दिये हैं, बाकी के दो पद्य भट्टारकजी की प्रायः अपनी रचना जान पड़ते हैं और उनमें ९ क्रियाओं के नाम लेकर तेरीस क्रियाओं की पूर्ति की गई है । और यहाँ से प्रकृत विषय के विरोध अथवा कुछ का आरम्भ हुआ है । ५३

६ क्रियाओं में, 'निर्वाण' क्रिया को छोड़कर, मृतक संस्कार, पिण्डदान, श्राद्ध, दोनों प्रकार के सूतक (जननाशौच, मृताशौच), प्रायश्चित्त, तीर्थयात्रा और वर्णदेशना नाम की ८ क्रियाएँ ऐसी हैं जो आदिपुराण में नहीं हैं। आदिपुराण में उक्त २४ क्रियाओं के बाद 'गौनाध्ययनत्व' आदि २६ क्रियाएँ और दी हैं और उनमें अन्तिम क्रिया 'निर्धृति' अर्थात् निर्वाण बतलाई है। और इसीसे ये क्रियाएँ 'गर्भाधानादि निर्वाणान्त' कहलाती हैं। भगवान्जिनसेन ने इन गर्भाधान से लेकर निर्वाण तक की ५३ क्रियाओं को 'सम्यक् क्रिया' बतलाया है और उनसे मिल इस संग्रह की दूसरी क्रियाओं को अथवा 'गर्भाधानादि श्मशानान्त' नाम से प्रसिद्ध होने वाली दूसरे लोगों * की क्रियाओं को सिध्या क्रिया ठहराया है। यथा:—

* हिन्दुओं की क्रियाएँ 'गर्भाधानादिश्मशानान्त' नाम से प्रसिद्ध हैं, यह बात 'याज्ञवल्क्यस्मृति' के निम्न वाक्य से स्पष्ट है—

ब्रह्मक्षत्रियविद्वेष्या वर्णास्त्वाद्याख्यायो द्विजाः ।

निषेकाद्याः श्मशानान्तास्तेषां वै मंत्रतः क्रियाः ॥ १० ॥

महारक्षसी ने अपनी ३३ क्रियाएँ जिस क्रम से यहीं (उक्त पद्यों में) दी हैं उसी क्रम से उनका आगे कथन नहीं किया, 'सूतक संस्कार' नाम की क्रिया को उन्होंने सब के अन्त में रक्खा है और इसलिये उनकी इन क्रियाओं को भी 'गर्भाधानादिश्मशानान्त' कहना चाहिये। यह दूसरी बात है कि उन्हें अपनी क्रियाओं की सूची उसी क्रम से देनी नहीं आई, और इसलिये उनके कथन में क्रम-विरोध हो गया, जिसका कि एक दूसरा नमूना 'ब्रतावतरण' क्रिया के बाद 'विवाह' को न देकर 'प्रायश्चित्त' का देना है।

क्रिया गर्भादिका यास्ता निर्वाणान्ता पुरोदिताः ।

आधानादि श्मशानान्ता न ताः सम्यक् क्रियामताः ॥ २५ ॥

—३६ वीं पर्व ।

और इसलिये महारकजी की 'पिण्डदान' तथा 'श्राद्ध' आदि नाम की उक्त क्रियाओं को भगवजिनसेनाचार्य के केवल विरुद्ध ही न समझना चाहिये बल्कि 'मिथ्या क्रियाएँ' भी मानना चाहिये ।

(स्व) अपनी उद्दिष्ट क्रियाओं का कथन करते हुए, महारकजी ने गर्भाधान के बाद प्रीति, सुप्रीति, और घृति नाम की क्रियाओं का बोझ कथन नहीं किया, जिन्हें आदिपुराण में क्रमशः तीसरे, पाँचवें और सातवें महीने करने का विधान गिया है, बल्कि एकदम 'भोद' क्रिया का वर्णन दिया है और उसे तीसरे महीने करना लिखा है । यथा:—

गर्भेस्थिरेऽथ संजाते मासे तृतीयके भ्रुवम् ।

प्रमोदेनैव संस्कार्यः क्रियामुख्यः प्रमोदकः ॥ ५२ ॥

परन्तु आदिपुराण में 'नवमे मास्यतोऽभ्यर्षे भोदोनाम क्रियाविधिः' इस वाक्य के द्वारा 'भोद' क्रिया ९ वें महीने करनी लिखी है । और इसलिये महारकजी का कथन आदिपुराण के विरुद्ध है ।

यहाँ पर इतना और भी बतला देना उचित मालूम होता है कि महारकजी ने 'प्रीति' और 'सुप्रीति' नामकी क्रियाओं को 'प्रियोद्भव' क्रिया के साथ पुत्रजन्म के बाद करना लिखा है* । और साथ ही, सज्जनों में उत्कृष्ट प्रीति करने को 'प्रीति', पुत्र में प्रीति करने को 'सुप्रीति' और देवों में महान् उरसाह फैलाने को 'प्रियोद्भव' क्रिया बतलाया है । यथा:—

* 'घृति' क्रिया के कथन को आप यहाँ भी छोड़ गये हैं और उसका वर्णन ग्रंथ भर में कहीं भी नहीं किया । इसी तरह 'तीर्थयात्रा' आदि और भी कुछ क्रियाओं के कथन को आप विलकुल ही छोड़ गये अथवा भुला गये हैं ।

पुत्रजन्मनि संजाते प्रीतिसुप्रीतिके क्रिये ।
 प्रियोद्भवश्च सोत्साहः कर्तव्यो जातकर्मणि ॥ ६१ ॥
 सज्जनेषु परा प्रीतिः पुत्रे सुभीनिरुच्यते ।
 प्रियोद्भवश्च देवेषूत्साहस्तु क्रियते महान् ॥ ६२ ॥

यह सब कथन भी भगवान्जिनसेनाचार्य के विरुद्ध है—क्रमविरोध को भी लिये हुये है—और इसमें 'प्रीति' आदि तीनों क्रियाओं का जो स्वरूप दिया है वह बड़ा ही विलक्षण जान पड़ता है । आदिपुराण के साथ उसका कुछ भी मेल नहीं खाता; जैसा कि आदिपुराण के निम्न वाक्यों से प्रकट है—

वर्माधानात्परं मासे सुतीये संभवर्तते ।
 प्रीतिर्नाम क्रिया प्रीतैर्याऽनुष्ठेया द्विजन्मभिः ॥ ७७ ॥
 आधानात्पंचमे मासि क्रिया सुप्रीतिरिष्यते ।
 था सुप्रीतैःप्रियोद्भव्या परमोपासकवतैः ॥ ८० ॥
 प्रियोद्भवः प्रसूतायां जातकर्मविधिः स्मृतः ।
 जिनजातकमाच्यथ भवत्यो यो यथाविधि ॥८५॥

—३८ वीं पर्व ।

पिछले श्लोक से यह भी प्रकट है कि आदिपुराण में 'जातकर्मविधि' को ही 'प्रियोद्भव' क्रिया बतलाया है । परन्तु महात्कजी ने 'प्रियोद्भव' को 'जातकर्म' से भिन्न एक दूसरी क्रिया प्रतिपादन किया है । यही धमह है जो उन्होंने अध्याय के अन्त में, प्रतिपादित क्रियाओं की गणना करते हुए, दोनों की गणना अलग-अलग क्रियाओं के रूप में की है । और इसलिये आपका यह विधान भी जिनसेनाचार्य के विरुद्ध है ।

एक बात और भी बतला देने की है और वह यह कि, महात्कजी ने 'जातकर्म विधि' में 'जननाशौच' को भी शामिल किया है और उसका कथन छह पद्यों में दिया है । परन्तु 'जननाशौच' को आपने अलग क्रिया भी बतलाया है, तब दोनों में अन्तर क्या रहा, यह

सोचने की बात है। परंतु अन्तर कुछ रहो या न रहो, इससे प्रथम की बेतरतीबी और उसके बेहंगेपन का हाथ कुछ बरूर मालूम हो जाता है।

(३) 'भोद' क्रिया के बाद, त्रिवर्णाचार में 'पुंसवचन' और 'सीमन्त' नाम की दो क्रियाओं का क्रमशः निर्देश किया गया है और उन्हें यथाक्रम गर्भ से पाँचवें तथा सातवें महीने करने का विधान किया है। यथा:—

सप्तमस्याथ पुष्टयर्थं क्रियां पुंसवनामिधाम् ।

कुर्वन्तु पंचमे मासि पुमांसः क्षेममिच्छवः ॥६३॥

अथ सप्तमके मासे सीमन्तविधिसूच्यते ।

केशमध्ये तु गर्भियाः सीमा सीमन्तमुच्यते ॥७२॥

ये दोनों क्रियाएँ आदिपुराण में नहीं हैं और न भट्टारकनी की उक्त ३३ क्रियाओं की सूची में ही इनका कहीं नामोल्लेख है। फिर नहीं मालूम इन्हें यहाँ पर क्यों दिया गया है। क्या भट्टारकनी को अपनी अतिज्ञा, प्रथम की तरतीब और उसके पूर्वापर सम्बंध आदि का कुछ भी ध्यान नहीं रहा? वैसे ही जहाँ जो जी में आया लिख मारा। और क्या इसी को प्रथमचना कहते हैं? वास्तव में ये दोनों क्रियाएँ हिन्दू धर्म की खास क्रियाएँ (संस्कार) हैं। हिन्दुओं के धर्म ग्रंथों में इनका विस्तार के साथ वर्णन प्राया जाता है। गर्भिया जी के केशों में मोंग पादने को 'सीमन्त' क्रिया कहते हैं, जिसके द्वारा वे गर्भ का खास तौर से संस्कारित होना मानते हैं। और 'पुंसवचन' क्रिया का अभिप्राय उनके यहाँ यह माना जाता है कि इसके कारण गर्भिया के गर्भ से लड़का पैदा होता है, जैसा कि मुहूर्तचिंतामणि की पीयूषधारा टीका के निम्न वाक्य से भी प्रकट है—

“पुमान्-सूयतेऽनेन कर्मयेति व्युत्पत्त्या पुंसवचनकर्मणा पुंसवदेतुना ।”

परंतु जैन सिद्धांत के अनुसार, इस प्रकार के संस्कार से, गर्भ में आई हुई लड़की का लड़का नहीं बन सकता। इसलिये जैन धर्म से इस संस्कार का कुछ सम्बंध नहीं है। मन्वणिवसेन के अचनानुसार इन दोनों

क्रियाओं को भी मिथ्या क्रियाएँ समझना चाहिये। मालूम होता है कुछ विद्वानों ने दूसरों की इन क्रियाओं को किसी तरह पर अपने ग्रंथों में अपनाया है और भट्टारकजी ने उन्हीं में से किसी का यह श्रंघाऽनुकरण किया है। अन्यथा, आपकी तेतीस क्रियाओं से इनका कोई सम्बंध नहीं था।

(घ) त्रिवर्णाचार में, निर्घन के खिये, गर्भाधान, प्रमोद, सीमंत और पुंसवन नाम की चार क्रियाओं को एक साथ ६ वें महीने करने का भी विधान किया गया है। यथा:—

गर्भाधानं प्रमोदश्च सीमन्तः पुंसवं तथा ।

नवमे मासि चैकत्र कुर्यात्सर्वतु निर्घनः ॥८०॥

यह कथन भी भगवज्जिनसेनाचार्य के विरुद्ध है—आदिपुराण में गर्भाधान और प्रमोद नाम की क्रियाओं को एक साथ करने का विधान ही नहीं। यहाँ 'गर्भाधान' क्रिया का, जिसमें भट्टारकजी ने खीसंभोग का खासतौर से तकसीखवार विधान किया है, ६वें महीने किया जाना बड़ा ही बिलक्षण जान पड़ता है और एक प्रकार का पाखण्ड मालूम होता है। उस समय भट्टारकजी के उस 'कामचक्षु' का रचाया जाना जिसका कुछ परिचय आगे चल कर दिया जायगा, निःसन्देह, एक बड़ा ही पाप कार्य है और किसी तरह भी युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता। स्वयं भट्टारकजी के 'मासान्तु पंचमावूर्ध्वं तस्याः संगं विचर्जयेत्' इस वाक्य से भी उसका विरोध आता है, जिसमें लिखा है कि 'पाँचवें महीने के बाद गर्भिणी खी का संग छोड़ देना चाहिये—उससे भोग नहीं करना चाहिये'। और वैसे भी गर्भ रह जाने के आठ नौ महीने बाद 'गर्भाधान' क्रिया का किया जाना महज एक ढोंग रह जाता है, जो सत्पुरुषों द्वारा आदर किये जाने के योग्य नहीं। भट्टारकजी निर्घनों के खिये ऐसे ढोंग का विधान करते हैं, यह आपकी बड़ी ही विचित्र खीला अथवा परोपकार बुद्धि है। आपकी राय में शायद ये गर्भाधान आदि की क्रियाएँ विपुलघन—साध्य हैं और उन्हें घनवान लोग ही कर

सकते हैं। परन्तु आदिपुराण से ऐसा कुछ भी मालूम नहीं होता। वहाँ अनेक क्रियाओं का विधान करते हुए 'यथाविभवं' 'यथा विभक्ष-
मन्नापि' आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है और उससे मालूम होता है कि इन क्रियाओं को सत्र जोग अपनी अपनी शक्ति और सम्पत्ति के अनुसार कर सकते हैं—धनवानों का ही उनके लिये कोई ठेका नहीं है।

(छ) महारवली ने, निम्न पद्य द्वारा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों जातियों के लिये क्रमशः १२ वें, १६ वें, २० वें, और ३२ वें दिन बालक का नाम रखने की व्यवस्था की है—

* एकादशे पौषशे त्रिंशे ब्राह्मिणे दिवसेऽपि वा ।

नामकर्म स्वजातीनां कर्तव्यं पूर्वमागतः ॥ १११ ॥

आपकी यह व्यवस्था भी मगधजिनसेन के विरुद्ध है। आदिपुराण में जन्म दिन से १२ दिन के बाद—१३ वें, १४ वें, आदि किसी भी शुक-
कृष्ण दिवस में—नाम कर्म की सत्रके लिये समान व्यवस्था की गई है और उसमें जाति अथवा वर्णभेद को कोई स्थान नहीं दिया गया। यथाः—

* सोनीजी ने इस पद्य के अनुवाद में कुछ बलती खाई है। इस पद्य में प्रयुक्त हुए 'स्वजातीनां' पद और 'अपि' तथा 'वा' शब्दों का अर्थ ये ठीक नहीं समझ सके। 'स्वजातीनां' पद यहाँ चारों जातियों अर्थात् वर्णों का वाचक है और 'अपि' समुच्चयार्थ में तथा 'वा' शब्द अवधारणार्थ में प्रयुक्त हुआ है—विकल्प अर्थ में नहीं। हिन्दुओं के यहाँ भी, जिनका इस ग्रन्थ में प्रायः अनु-
सरण किया गया है, 'वर्ण'-क्रम से ही नाम कर्म का विधान किया गया है, जैसा कि 'सौरसंग्रह' के निम्ने वाक्य से प्रकट है जो मु० चिन्तामणि की 'पीठघोरा' टीका में दिया हुआ है—

एकादशेऽग्नि विंशतिं क्षत्रियाणां त्रयोदशे ।

वैश्यानां पौडशे नाम मांसाग्नेः शूद्रजन्मनः ॥

द्वादशाहात्परं नाम फर्म जन्मदिनान्मनम् ।

अनुकूले सुमस्यान्व पित्रोरपि सुखाद्यद् ॥ ३८ ॥

(च) त्रिवर्णाचार में, ' नाम ' क्रिया के अनन्तर, बालक के कान नाक धीमे और उठे पालने में बिठलाने के दो गंत्र दिये हैं और इस तरह पर ' कर्णवेधन ' तथा ' आन्दोलारोपण ' नाम की दो भव्य क्रियाओं का विधान किया है, जिनका उक्त ३३ क्रियाओं में वही भी नागोल्लेख नहीं है । आदिपुराण में भी इन क्रियाओं का कोई कथन नहीं है । और इसलिये महारकनी का यह विधान भी मगधजिनसेन के विरुद्ध है और उनही इन क्रियाओं को भी ' निष्ठ्या-क्रियाएँ ' समझना चाहिये । ये क्रियाएँ भी हिन्दू धर्म की खास क्रियाएँ हैं और उनके यहाँ दो अलग संस्कार माने जाते हैं । मालूम नहीं महारकनी इन दोनों क्रियाओं के सिर्फ मंत्र देकर ही क्यों रह गये और इनका पूरा विधान क्यों नहीं दिया ! शायद इसका यह कारण हो कि जिस ग्रन्थ से आप समझ कर रहे हैं उसमें क्रियाओं का गंत्र भाग अलग दिया हो और उस पर से नाम क्रिया के मंत्र को नकल करते हुए उसके अनन्तर दिये हुए इन दोनों गंत्रों की भी आप गकल कर गये हों और आपको इस बात का खयाल ही न रहा हो कि हमने इन क्रियाओं का अपनी तैत्तिरी क्रियाओं में विधान अथवा नामदेखण ही नहीं किया है । परन्तु कुछ गी हो, इससे आपके ग्रन्थ की अव्यवस्था और वेतरतीवी खरूर पाई जाती है ।

यहाँ पर मैं इतना और भी बतला देना चाहता हूँ कि मेरे पास प्रह्लादपुरि-त्रिवर्णाचार की जो हस्तलिखित प्रति पं० सीताराम शास्त्री की शिखी हुई है उसमें आन्दोलारोपण का मंत्र तो नहीं—शायद कूटगया हो—परन्तु कर्णवेधन का गंत्र जरूर दिया हुआ है और वह नामधर्म के मंत्र के अनन्तर ही दिया हुआ है । लेकिन वह मंत्र इस त्रिवर्णाचार के मंत्र से कुछ भिन्न है, जैसा कि दोनों के निम्नरूपों से प्रकट है—

ॐ ह्रीं श्रीं ब्रूः कर्षणासावेधनं करोमि ॐ स्वाहा ।

—ब्रह्मसूरि-त्रिचर्चाधार ।

ॐ ह्रीं श्रीं अहं बालकस्य ब्रूः कर्षणासावेधनं करोमि अलिआउसा स्वाहा

—सोमसेन-त्रिचर्चाधार ।

इससे ब्रह्मसूरि-त्रिचर्चाधार के मंत्रों का आशिक विरोध पाया जाता है और उसमें यहाँ बदलकर रक्खा गया है, ऐसा जान पड़ता है । इसी तरह पर और भी कितने ही मंत्रों का ब्रह्मसूरि-त्रिचर्चाधार के साथ विरोध है और यह ऐसे मंत्रों के महत्त्व अथवा उनकी समीचीनता को और भी कम किये देता है ।

(छु) भट्टारकजी ने 'अन्नप्राशन' के बाद और 'व्युष्टि' क्रिया से पहले 'गमन' नाम की भी एक क्रिया का विधान किया है, जिसके द्वारा बालक को पैर रखना सिखलाया जाता है । यथा:—

अथास्य नवमे मासे गमनं कारयेत्पिता ।

गमनोचितनक्षत्रे सुचारं शुभयोगके ॥१४०॥

यह क्रिया भी आदिपुराण में नहीं है—आदिपुराण की दृष्टि से यह मिथ्या क्रिया है—और इसलिये इसका कथन भी भगवद्भिन्नसेन के विरुद्ध है । साथ ही, पूर्वापर-विरोध को भी किये हुए है; क्योंकि भट्टारकजी की तेतीस क्रियाओं में भी इसका नाम नहीं है । नहीं मालूम भट्टारकजी को बारबार अपने कथन में भी विरुद्ध कथन करने की यह क्या धुन समाई थी । जब आप यह बतला चुके कि गर्भाधानादिक क्रियाएँ तेतीस है और उनके नाम भी दे चुके, तब उसके विरुद्ध बीच-बीच में दूसरी क्रियाओं का भी विधान करत जाना और इसतरह पर सख्या आदि के भी विरोध को उपस्थित करना चला-चिचता, असमाहित्यधारिता अथवा पाण्डपन नहीं तो और क्या है ? इस तरह की प्रवृत्ति निःसन्देह आपकी ग्रन्थरचना-सम्बन्धी अयोग्यता की अच्छी तरह से रूपापित करती है ।

यहाँ पर मैं इतना और भी बतला देना चाहता हूँ कि 'लिपि-संस्थानसंग्रह' (अक्षरान्यास) नामक क्रिया के बाद भी एक क्रिया और बढ़ाई गई है और उसका नाम है 'पुस्तकग्रहण' । यह क्रिया भी आदिपुराण में नहीं है और न तैत्तिरीय क्रियाओं की सूची में ही इसका नाम है । लिपिसंस्थान क्रिया का विधान करने हुए, 'मौञ्जी-बंधनतः पश्चाच्छास्त्रारंभो विधीयते' इस वाक्य के द्वारा, यद्यपि, यह कहा गया था कि शास्त्राध्ययन का आरम्भ मौजीबन्धन (उपनयन क्रिया) के पश्चात् होता है परन्तु यहाँ 'पुस्तकग्रहण' क्रिया को बढ़ा कर उसके द्वारा उपनयन संस्कार से पहले ही शास्त्र के पढ़ने का विधान कर दिया है और इस बात का कुछ भी ध्यान नहीं रक्खा कि पूर्व कथन के साथ इसका विरोध आता है । यथा:—

उपाध्यायेन तं शिष्यं पुस्तकं दीयते मुदा ।

शिष्योऽपि च पठेच्छास्त्रं नान्दीपठनपूर्वकम् ॥२२॥

(ज) भट्टारकजी ने 'लिपि-संस्थान-संग्रह' नामक क्रिया को देते हुए उसका मुहूर्त भी दिया है, जब कि दूसरी क्रियाओं में से गर्भाधान, उपनयन (यज्ञोपवीत) और विवाहसंस्कार जैसी बड़ी क्रियाओं तक का आपने कोई मुहूर्त नहीं दिया । नहीं मालूम इस क्रिया के साथ में मुहूर्त देने की आपकी क्या सूझी और आपका यह कैसा रचना-काम है जिसका कोई एक तरीका, नियम अथवा ढंग नहीं !! अस्तु, इस मुहूर्त के दो पद्य इस प्रकार हैं:—
ऋग्नादिपंचस्थपि ते [मं] सु मूले, इस्तादिके च क्रियते [अितये] ऽश्विनीपु

इस पद्य में जो पाठ भेद त्रिकुटों में दिया गया है वही मूलका शुद्ध पाठ है, सोनीजी की अजुबाद-पुस्तक में यह पद्यत रूप से दिया हुआ है । पद्य का अजुबाद भी कुछ पद्यत हुआ है । कमसे कम 'चित्रा' के बाद 'स्थाती' का और 'पूर्वापाठ' से पहले 'पूर्वाफाल्गुनी' नक्षत्र का नाम और दिया जाना चाहिये था ।

पु [पु] र्वाक्षये च ध्वजप्रये च, विद्यासमारम्भमुकृन्तिसिद्धयै ॥ १६५ ॥
 उदगाते मास्वनि पंचमेऽप्ये, प्राप्तेऽक्षरस्वीकरणं शिष्टनाम् ।
 सरस्वतीं क्षेत्रसुपासकं च, सुबौदनाद्यैरभिपूज्य कुर्यात् ॥ १६६ ॥

इनमें से पहला पद्य 'श्रीपति' का और दूसरा 'वशिष्ठ' अपि का वचन है। मुहूर्त चिन्तामणि की पीयूषधार टीका में भी ये इन्हीं विद्वानों के नाम से उद्धृत पाये जाते हैं। दूसरे पद्य में 'विद्यविनायक' की जगह 'क्षेत्रसुपासक' का परिवर्तन किया गया है और उसके द्वारा 'गणेशजी' के स्थान में 'क्षेत्र-पाल' की गुड़ और चावल वगैरह स पूजा की व्यवस्था की गई है।

क्षेत्रपाल की यह पूजन-व्यवस्था आदिपुराण के विकृत है। इसी-तरह पर दूसरी क्रियाओं के वर्णन में जो यज्ञ, यज्ञी, विक्रपाल और जयात्रिद्वेषताम्रां के पूजन का विधान किया गया है, अथवा 'पूर्वैश्चतुजयेत्' 'पूर्वैश्च होमं पूजां च कृत्वा' आदि वाक्यों के द्वारा इसप्रकार के दूसरे देवताओं की भी पूजा का-बिसरक वर्णन चौप पाँचवें अध्यायों में है—जो इशारा किया गया है वह सब भी आदि पुराण के विकृत है। आदिपुराण में, गार्गाजिनसेन ने, गर्गाभानादिक क्रियाओं के, अथवा पर, इसप्रकार के देवी देवताओं के पूजन की कोई व्यवस्था नहीं की। उन्होंने अग्रतौर पर सब क्रियाओं में 'सिद्धों' का पूजन रक्खा है, जो 'पीठिका' मंत्रों द्वारा किया जाता है +। बहुतसी क्रियाओं में अर्हन्तों का, देवगुरु का और किसी, में आचार्यों आदि का पूजन भी नतवाया है, बिसरक विशेष-हाल-आदिपुराण के ३८ वें और ४७ वें पत्रों को देखने से मासूम हो सकता है।

+ यथा:—

एतैः (पीठिका मंत्रैः) सिद्धार्चनं कुर्यात् आभानादि क्रियाविधौ ।

यहाँ पर मैं त्रिनर्शाचार की एक दूसरी विलक्षण पूजा का भी उल्लेख कर देना उचित समझना हूँ, और वह है 'योनिस्थ देवता' की पूजा। महारकजी ने, गर्माधान क्रिया का विधान करते हुए, इस अर्पूर्व अथवा अश्रुतपूर्व देवता की पूजा का जो मंत्र दिया है वह इस प्रकार है—

ॐ ह्रीं क्लीं ज्लूं योनिस्थदेवते मम सत्पुत्रं जनयस्व
आसिञ्चाउसा स्वाहा ।

इस मंत्र में यह प्रार्थना की गई है कि 'हे योनिस्थान में बैठे हुए देवता ! मेरे सत्पुत्र पैदा करो।' महारकजी लिखते हैं कि 'यह मंत्र पढ़कर गोबर, गोमूत्र, दूध, दही, घी कुश (दर्भ) और जब से योनिका अच्छी तरह से प्रक्षालन करे और फिर उसके ऊपर चंदन, केसर तथा कस्तूरी आदि का लेप कर देवे। यथा—

'इति मंत्रेषु गोमयगोमूत्रक्षीरदधिसर्पिकुशोदकैर्योनिं
सम्प्रक्षाल्य श्रीगंधकुंकुमकस्तूरिकाच्यनुलेपनं कुर्यात् ।'

यही योनिस्थ देवता का सप्रक्षाल पूजन है। और इससे यह गालज होता है कि महारकजी ऐसा मानते थे कि स्त्री के योनि स्थान में किसी देवता का निवास है, जो प्रार्थना करने पर प्रार्थी से अपनी पूजा लेकर उसके लिये पुत्र पैदा कर देता है। परन्तु जैनधर्म की ऐसी शिक्षा नहीं है और न जैनमतानुसार ऐसे किसी देवता का अस्तित्व या व्यक्तित्व ही माना जाता है। ये सब धाममार्गियों अथवा शक्तियों जैसी बातें हैं। महारकजी ने सम्भवतः उन्हें का अनुकरण किया है, उन्हें जैसी शिक्षा को समान में प्रचारित करना चाहा है, और इसलिये 'गर्माधान' क्रिया में आपका यह पूजन-विधान महज प्रतिज्ञा-विरोध को ही लिये हुये नहीं है बल्कि जैनधर्म और जैननीति के भी विरुद्ध है, और आपके इस क्रिया मंत्र को अचमर्य मंत्र संश्लेषण चाहिये।

(३३) इस आठवें अध्याय में, और आगे भी, आदिपुराण वर्णित क्रियाओं के जो भी मंत्र दिये हैं वे प्रायः सभी आदिपुराण के विरुद्ध हैं । आदिपुराण में गर्माधानादिक क्रियाओं के मंत्रों को दो भागों में विभाजित किया है—एक 'सामान्यविषय मंत्र' और दूसरे 'विशेषविषय मंत्र' । 'सामान्यविषय मंत्र' वे हैं जो सब क्रियाओं के लिये सामान्य रूप से निर्दिष्ट हुए हैं और 'विशेषविषय' उन्हें कहते हैं जो खास खास क्रियाओं में अतिरिक्त रूप से नियुक्त हुए हैं । सामान्यविषय मंत्र १ पीठिका, २ जाति, ३ निस्तारक, ४ ऋषि, ५ सुरेन्द्र, ६ परमराज और ७ परमेष्ठि मंत्र—मेद से सात प्रकार के हैं । इन सबों को एक नाम से 'पीठिका-मंत्र' कहते हैं; क्रिया-मंत्र, साधन-मंत्र तथा आहुति-मंत्र भी इनका नाम है और ये 'उत्सर्गिक-मंत्र' भी कहलाते हैं, जैसाकि आदिपुराण के निम्न वाक्यों से प्रकट है ।

एते तु पीठिका मंत्राः सप्त ज्ञेया द्विजोत्तमैः ।

एतैः सिद्धार्चनं कुर्यादाधानादिक्रियाविधौ ॥ ७७ ॥

क्रियामंत्रास्त एतेस्युराधानादिक्रियाविधौ ।

सूत्रे गण्यन्वरोद्धार्ये यान्ति साधनमंत्रताम् ॥ ७८ ॥

संध्यास्त्रक्षिप्रये वैषपूजने नित्यकर्मणि ।

भयन्त्याहुतिमंत्राश्च त एते धिधिसाधिताः ॥ ७९ ॥

साधारणास्त्विमे मंत्राः सर्वत्रैव क्रियाविधौ ।

यथासंभवमुत्तरेषु विशेषविषयांश्च सान् ॥ ८१ ॥

क्रियामंत्रास्त्विह ज्ञेया ये पूर्वमनुवर्णिताः ।

सामान्यविषयाः सप्त पीठिकामंत्ररुद्धयः ॥ २१५ ॥

ते हि साधारणाः सर्वक्रियासु विनियोगिनः ।

तत उत्सर्गिकान्मंत्रान्मंत्रान्मंत्रविधौ विदुः ॥ २१६ ॥

विशेषविषया मंत्राः क्रियासूक्तासु वर्णिताः ।

इतः प्रकृति चाभ्यूहास्ते यथास्त्रायनवर्षः ॥ २१७ ॥

मंत्रानिमान्पथा योग्यं यः क्रियास्तु विनियोजयेत् ।

स लोके सम्मतिं याति युक्ताचारो द्विजोत्तमः ॥ २१८ ॥

—४० वाँ पद्य ।

इन वाक्यों से आदिपुराण—वर्णित मंत्रों का खास तौर से महत्व पाया जाता है और यह गालूग होता है कि वे जैन आभ्यासानुसार खगूतियत के साथ इन क्रियाओं के मंत्र हैं । गणधर-रचित सूत्र (उपासकाध्ययन) अथवा परमागम में उन्हें 'साधनमंत्र' कहा है—क्रियाएँ उनके द्वारा रिद्ध होती हैं ऐसा प्रतिपादन किया है—और इसलिये सब क्रियाओं में उनका अथवा योग्य विनियोग होना चाहिये । एक दूसरी जगह भी इस विनियोग की प्रेरणा करते हुए लिखा है कि 'जैनमत' में इन मंत्रों का सब क्रियाओं में विनियोग माना गया है, अतः श्रावकों को चाहिये कि वे व्यागोह अथवा भ्रम छोड़ कर—निःसंदेह रूप से—इन मंत्रों का सर्वत्र प्रयोग करें । यथाः—

विनियोगस्तु सर्वास्तु क्रियास्वेषां मनो जितिः ।

अभ्यासोऽहोऽवतस्तज्जैः प्रयोज्यास्त उपासकैः ॥ ३८-७५ ॥

परन्तु, यह सब कुछ होते हुए भी, महारकजी ने इन दोनों प्रकार के सना-
तन और यथान्नाथ + मंत्रों में से किसी भी प्रकार के मंत्र का यहाँ ३ प्रयोग

+ आदिपुराण में 'तन्मंत्रास्तु यथाऽनुनायं' आदि पद्य के द्वारा इन मंत्रों को जैन आज्ञाय के मंत्र बतलाया है ।

पाँचवें अध्याय में, नित्यपूजन के मंत्रों का विधान करने, हुए, सिर्फ एक प्रकार के पीठिका मंत्र दिये हैं परन्तु उन्हें भी उनके असली रूप में नहीं दिया—बदलकर रक्षता है—सब मंत्रों के शुरु में हैं जोड़ा गया है और कितनेही मंत्रों में 'नमो' आदि शब्दों के द्वित्व प्रयोग की अपह एकत्व का प्रयोग किया गया है । इसी तरह और भी कुछ न्यूनाधिकता की गई है । आदिपुराण के मंत्र जैसे तुलने मंत्रों में बद्ध हैं ।

नहीं किया, बल्कि दूसरे ही मंत्रों का व्यवहार किया है जो आदिपुराण से बिलकुल ही बिलक्षण अथवा भिन्न टाइप के मंत्र हैं* । इससे अधिक भगवज्जिनसेन का—और उनके बचनानुसार जैनगम का भी—विरोध और क्या हो सकता है ? मैं तो इसे भगवज्जिनसेनकी खासी अवहेलना और साथ ही जनसाधारण की अच्छी प्रतारणा (बंधना) समझता हूँ । अस्तु; भगवज्जिनसेनने ' मंत्रास्त एव धर्म्याः स्युर्ये क्रियास्तु विनियोजिताः ' इस ३२ वें पर्व के वाक्य द्वारा उन्हीं मंत्रों को ' धर्म्यमंत्र ' प्रतिपादन किया है जो उक्तप्रकार से क्रियाओं में नियोजित हुए हैं, और इसलिये महारकबी के मंत्रों को ' अधर्म्य मंत्र ' अथवा ' भूटेमंत्र ' कहना चाहिये । जब उनके द्वारा प्रयुक्त हुए मंत्र वास्तव में उन क्रियाओं के मंत्र ही नहीं, तब उन क्रियाओं से लाभ भी क्या हो सकता है ? बल्कि सूठे मंत्रों का प्रयोग साथ में होने की वजह से कुछ बिगाड़ हो जाय तो आश्चर्य नहीं ।

यहाँ पर मैं इतना और भी बतला देना चाहता हूँ कि, त्रिवर्णाचार में जो क्रिया-मंत्र दिये हैं वे आदिपुराण से पहले के बने हुए

* उदाहरण के तौर पर 'निपद्या' क्रिया के मंत्र को लीजिये। आदिपुराण में 'सत्यजाताय नमः' आदि पीठिका मंत्रों के अतिरिक्त इस क्रिया का जो विशेष मंत्र दिया वह है—' दिव्यसिंहासनभागी भव, विजयसिंहासनभागी भव, परमसिंहासनभागी भव " । और त्रिवर्णाचार में जो मंत्र दिया है वह है—' ऊँ ह्रीं अर्ह असि आ उ सा बालकमुपवेशयामि स्वाहा " । दोनों में कितना अन्तर है इसे पाठक स्वयं समझ सकते हैं। एक उत्तम आशीर्वादात्मक अथवा भावनात्मक है तो दूसरा महज सूचनात्मक है कि मैं बालक को बिठलाता हूँ। प्रायः ऐसी ही हालत दूसरे मंत्रों की समझनी चाहिये ।

किसी गी ग्रन्थ में नहीं पाये जाते, और आदिपुराण से यह स्पष्ट मालूम हो रहा है कि उसमें जो क्रिया—मन्त्र दिये हैं वे ही इन क्रियाओं के असुची, आगम—कथित, सनातन और जैनाम्नाथी गंत्र हैं । ऐसी ह्रासत में त्रिवर्णाचार वाले गंत्रों की बावत यही नतीजा निकलता है कि वे आदिपुराण से बहुत पीछे के बने हुए हैं । उनकी श्रवण उन बड़े गंत्रों की कल्पना महारकी युग में—संभवतः १२ वीं से १५ वीं शताब्दी तक के मध्यवर्ती किसी समय में—हुई है, ऐसा जान पड़ता है ।

(छ) अध्याय के अन्त में, ' पुस्तकग्रहण ' क्रिया के बाद, महारकनी ने एक पद्य निम्नप्रकार से दिया है:-

* गर्माधानसुमोदपुंसवनकाः सीमन्तजन्माभिधा

बाह्यसुपानभोजन च गमनं चौलाक्षराभ्यासनम् ।

सुप्रीतिः प्रियसूक्तवो गुरुमुखाच्छास्त्रस्यसंग्रहादृण

पटाः पंचदश क्रियाः समुद्धिता अस्मिन् जिनेन्द्रागमे ॥१८२॥

इसमें, अध्याय—वर्णित क्रियाओं की उनके नामके साथ गणना करते हुए, कहा गया है कि ' ये पंद्रह क्रियाएँ इस जिनेन्द्रागम में भलेप्रकार से कथन की गई हैं, परन्तु क्रियाओं के जो नाम यहाँ दिये हैं वे चौदह हैं—१ गर्माधान, २ मोद, पुंसवन, ४ सीमन्त, ५ जन्म, ६ अभिधा (नाम), ७ बहिर्यान, ८ भोजन, ९ गमन, १० चौला, ११ अक्षराभ्यास, १२ सुप्रीति, १३ प्रियोक्तव तथा १४ शास्त्रग्रहण—और अध्याय में जिन क्रियाओं का वर्णन किया गया है उनकी संख्या चौदह है । प्रीति, निषया (उपवेशन), व्युष्टि, कर्णविषय और आन्दोकारोपण

* इस पद्य के अनुवाद में सोनीजी ने जो व्यर्थ की खोजातानी की है वह सङ्घट्ट विद्वानों को अनुवाद के देखते ही मालूम पड़जाती है । उस पर यहाँ कुछ टीका टिप्पण्य करने की ज़रूरत नहीं है ।

नामों पाँच क्रियाओं का वहाँ तो वर्णन है, परन्तु यहाँ गणना के अनुसार पर्याय-विलक्षण ही मुला दिया है । इससे आपका महान् ध्वन-विरोध ही नहीं पाया जाता, बल्कि यह भी आपकी ग्रन्थ रचना का विलक्षणता का एक अच्छा नमूना है और इस बात को जाहिर करता है कि आपको अच्छी तरह से ग्रन्थ रचना करना नहीं आता था । इतने पर भी, खेद है कि, आप अपने इस ग्रन्थ को 'जिनेन्द्रागम' बतलाते हैं । जो ग्रन्थ प्रतिज्ञाविरोध, आगमविरोध, आम्नायविरोध, ऋषि-वाक्यविरोध, सिद्धान्तविरोध, पूर्वापरविरोध, युक्तिविरोध और क्रमविरोध आदि दोषों को लिये हुए है, साथ ही चोरी के कलंक से कलंकित है, उसे 'जिनेन्द्रागम' बतलाते हुए आपको अरा भी लगना तथा शर्म नहीं आई । ✕ इससे अधिक घृष्टता और धूर्तता और क्या हो सकती है ? यदि ऐसे हीन ग्रन्थ भी 'जिनेन्द्रागम' कहवाने लगे तब तो जिनेन्द्रागम की अच्छी खासी मिट्टी पकी हो जाय और उसका कुछ भी महत्व न रहे । इसीलिए ऐसे झगवेपथारी ग्रंथों के नाम रूप को दिखला कर उनसे सावधान करने का यह प्रयत्न किया जा रहा है ।

(ट) त्रिषर्वाचार के २ में अर्घ्याय में, 'यज्ञोपवीतसत्कर्म घट्टये नत्वा गुरुकृमात्' इस वाक्य के द्वारा गुरु-परम्परा के अनुसार यज्ञोपवीत (उपनीति) क्रिया के कपन की विशेष प्रतिज्ञा करते हुए, निम्न पद्य दिये हैं:—

गर्भाष्टमेऽप्ये कुर्वीत ब्राह्मणस्योपनायनम् ।

गर्भाष्टमादशे राशो गर्भस्तु द्वादशे विश्वः ॥ ३ ॥

ब्राह्मवर्चसकामस्य कार्यं विश्वस्य पंचमे ।

राशो बलार्थिनः पष्ठे वैश्यस्येदार्थिनोऽष्टमे ॥ ४ ॥

✕हाँ सोनीजी को अनुवाद के समय कुछ किम्वदक करके पैदा हुई है और इस लिये उन्होंने "जिनेन्द्रागम" को "अर्घ्याय" में बदल दिया है ।

* आपोदशाच्च [वा] द्वाविंशच्चतुर्विंशत्तु [च] वत्सरात् ।
 ब्रह्मसूत्रविद्यां काशो ह्युपनयनजः [ल औपनायनिकः] परः॥५॥
 अत ऊर्ध्वं पतन्त्येते सर्वधर्मबहिष्कृताः ।
 प्रतिष्ठाद्विषु कार्येषु न योज्या ब्राह्मणोत्तमैः ॥ ६ ॥

इन पक्षों में से पहले पक्ष में उपनयन के साधारण काल का, दूसरे में विशेष काल का, तीसरे में बाल-की उत्कृष्ट मर्यादा का और चौथे में उत्कृष्ट मर्यादा के भीतर भी यज्ञोपवीत संस्कार न होने के फल का उल्लेख किया गया है, और इस तरह पर चारों पक्षों में यह बत-
 लाया गया है कि—'गर्भ से आठवें वर्ष ब्राह्मण का, ग्यारहवें वर्ष क्षत्रिय का और बारहवें वर्ष वैश्य का यज्ञोपवीत संस्कार होना चाहिये । परंतु जो ब्राह्मण (विद्याध्ययनादि द्वारा) ब्रह्मतेज का इच्छुक हो उसका गर्भ से पाँचवें वर्ष, राज्यवत्स के अर्थात् क्षत्रिय का छठे वर्ष और व्यापारादि द्वारा अपना उत्कर्ष चाहने वाले वैश्य का आठवें वर्ष तक संस्कार किया जाना चाहिये । इस संस्कार की उत्कृष्ट मर्यादा ब्राह्मण के लिये १६ वर्ष तक, क्षत्रिय के लिये २२ वर्ष तक और वैश्य के लिये २४ वर्ष तक की है । इस मर्यादा तक भी जिन लोगों का उपनयन संस्कार न हो पावे, वे अपनी अपनी मर्यादा के बाद पतित हो जाते हैं, किसी भी धर्म कर्म के अधिकारी नहीं रहते—उन्हें सर्व धर्मकार्यों से बहिष्कृत समझना चाहिये—और इसलिये ब्राह्मणों को चाहिये कि वे प्रतिष्ठादि धर्मकार्यों में उनकी योजना न करें' ।

यह सब कथन भी भगवज्जिनसेन के विरुद्ध है । आदिपुराण में धर्म-
 भेद से उपनयनकाल में कोई भेद ही नहीं किया—सब के लिये गर्भ से आठवें वर्ष का एक ही उपनयन का साधारणकाल रक्खा गया है । यथा—

* इस पक्ष में ब्रैकिटों के भीतर जो पाठभेद दिया है वह पक्ष का मूल पाठ है जो अनेक ग्रंथों में उल्लेखित मिलता है और जिसे संभवतः यहाँ बदल कर रक्खा है ।

क्रियोपनीनिर्नामाऽस्य धर्मे गर्भाष्टमे मत्ता ।

यथापनीतिकेशस्य मौञ्जी सत्रतथन्वना ॥ ३८-१०४ ॥

और यह बात जैननीति के भी विरुद्ध है कि जिन लोगों का उक्त मर्यादा के भीतर उपनयन संस्कार न हुआ हो उन्हें सर्व धर्म-कृत्यों से बहिष्कृत और वंचित किया जाय अथवा धर्म-सेवन के उनके सभी अभिकारों को छीन लिया जाय । जैनधर्म का ऐसा न्याय नहीं है और न उसमें उपनयन संस्कार को इतना महत्त्व ही दिया गया है कि उसके बिना किसी भी धर्म कर्म के करने का कोई अधिकारी ही न रहे । उसमें धर्मसेवन के अनेक मार्ग बतलाये गये हैं, जिनमें उपनयन-संस्कार भी एक मार्ग है अथवा एक मार्ग में दाखिल है । जैनी बिना यज्ञोपवीत संस्कार के भी पूजन, दान, स्वाध्याय, तप और संयम जैसे धर्मकृत्यों का आचरण कर सकते हैं, करते हैं और करते आए हैं; श्रावक के बरह व्रतों का भी वे खंडशः अथवा पूर्णरूप से पालन कर सकते हैं और अन्त में सल्लेखना व्रत का भी अनुष्ठान कर सकते हैं । प्रतिष्ठाकार्यों में भी बड़े बड़े प्रतिष्ठाचार्यों द्वारा ऐसे लोगों की नियुक्ति देखी जाती है जिनका उक्त मर्यादा के भीतर यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ होता । यदि उक्त मर्यादा से ऊपर का कोई भी अजैन जैनधर्म की शरय में आए तो जैनधर्म उसका यह कह कर कभी त्याग नहीं कर सकता कि 'मर्यादा के भीतर तुम्हारा यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ इसलिये अब तुम इस धर्म को धारण तथा पालन करने के अधिकारी नहीं रहे' । ऐसा कहना और करना उसकी नीति तथा सिद्धान्त के विरुद्ध है । वह खुशी से उसे अपनाएगा, अपनी दीक्षा देगा और चरुरत समझेगा तो उसके लिये यज्ञोपवीत का भी विधान करेगा । इसी तरह पर एक जैनी, जो उक्त मर्यादा तक अवती अथवा धर्म-कर्म से परास्मुख रहा हो, अपनी भूल को मालूम करके श्रावकादि के व्रत-लेना चाहे तो जैनधर्म उसके लिये भी यथायोग्य व्यवस्था करेगा । उसका

मर्यादा के भीतर यज्ञोपवीत संस्कार से संस्कारित न होना, उसमें कुछ भी बाधक न होगा । और इन सब बातों को पुष्ट करने के लिये जैन शास्त्रों से सैकड़ों कथन, उपकथन और उदाहरण उद्धृत किये जा सकते हैं, जिनकी यहाँ पर कोई जरूरत मालूम नहीं होती । अतः महारकजी का उक्त सिखना जैनधर्म की नीति और प्रकृति के विरुद्ध है । वह हिन्दूधर्म की शिक्षा को लिये हुए है । महारकजी के उक्त पद्य भी हिन्दूधर्म की चीज़ हैं—पहले दोनों पद्य 'मनु' के वचन हैं और वे 'मनुस्मृति' के दूसरे अध्याय में क्रमशः न० ३६, ३७ पर ज्यों के त्यों दर्ज हैं; तीसरा पद्य और चौथे पद्य का पूर्वार्ध दोनों 'याज्ञवल्क्य' ऋषि के वचन हैं और 'याज्ञवल्क्यस्मृति' के पहले अध्याय में क्रमशः न० ३७ तथा ३८ पर दर्ज हैं । रहा चौथे पद्य का उत्तरार्ध, वह महारकजी की प्रायः अपनी रचना जान पड़ता है और याज्ञवल्क्य स्मृति के 'सावित्रीपतिता ब्राह्म्या ब्राह्मस्तोमाहते क्रतोः' इस उत्तरार्ध के स्थान में बनाया गया है ।

यहाँ पर पाठकों की समझ में यह बात सहज ही आजायगी कि कि जब महारकजी ने गुरुपरम्परा के अनुसार कथन करने की प्रतिज्ञा की तब उसके अनन्तर ही आपका 'मनु' और 'याज्ञवल्क्य' के वाक्यों को उद्धृत करना इस बातको साफ सूचित करता है कि आपकी गुरु परम्परा में मनु और याज्ञवल्क्य जैसे हिन्दू ऋषियों का खास स्थान था । आप बजाहिर अपने महारकी वेष में भले ही, जैनी तथा जैनगुरु बने हुए, अजैन-गुरुओं की निन्दा करते हों और उनकी कृतियों तथा विधियों को अशुद्ध न बतलाते हों परन्तु आपका अन्तरंग उनके प्रति कुत्ता हुआ बरूर था, इसमें सन्देह नहीं; और यह आपका मानसिक दीर्घकथ था जो आपकी उन अजैन-गुरुओं या हिन्दू ऋषियों के वाक्यों अथवा विधि-विधानों का प्रकट रूप से अभिनन्दन करने का

साहस नहीं होता था और इसीलिये आपको झुल करना पड़ा । आपने, जैनी होने के कारण, 'गुरुक्रमात्' पद के प्रयोग द्वारा अपने पाठकों को यह विश्वास दिखाया कि आप जैनगुरुओं वी (जिनसेनादि की) कथन-परम्परा के अनुसार यज्ञोपवीत क्रिया का कथन करते हैं परंतु कथन किया आपने 'मनु' और 'याज्ञवल्क्य' जैसे हिन्दू ऋषियों की परम्परा के अनुसार, उनके वचनों तक को उद्धृत करके । यही आपका झुल है, यही धोखा है और इसे आपकी ठग-विद्या का एक खासा नमूना समझना चाहिये ।

इस क्रिया के वर्णन में नान्दीश्राद्ध और पिप्पलपूजनादिक की और भी कितनी ही विरुद्ध बातें ऐसी हैं जो हिन्दुधर्म से ली गई हैं और जिनमें से कुछ का विचार आगे किया जायगा ।

(ठ) 'व्रतचर्या' क्रिया का कथन, यद्यपि, महारकजी ने आदि-पुराण के पद्यों में ही दिया है परन्तु इस कथन के 'यावद्विद्यासमाप्तिः' (७७), तथा 'सूत्रमौपासिकं' (७८) नाम के दो पद्यों को आपने 'व्रतावतरण' क्रिया का कथन करते हुए उसके मध्य में दे दिया है, जहाँ वे असंगत जान पड़ते हैं । और इन पद्यों के अनन्तर के निम्न दो पद्यों को निककुल ही छोड़ दिया है—उनका आशय भी नहीं दिया—

शब्दविद्याऽर्थशास्त्रादि चाध्येयं नाऽस्य ब्रूयते ।

सुसंस्कारप्रबोधाय वैयात्यख्यातयेऽपि च ॥ ३२-११६ ॥

ज्योतिर्ज्ञानमथ छन्दो ज्ञानं ज्ञानं च शाकुनम् ।

संख्याज्ञानमितीर्षं च तेनाध्येयं विशेषतः ॥ १२० ॥

इन पद्यों को छोड़ देने अथवा इनका आशय भी न देने से प्रकृत क्रिया के अभ्यासी के लिये उपासकसूत्र और अष्टात्मशास्त्र के पढ़ने का ही विधान रह जाता है परंतु इन पद्यों द्वारा उसके लिये व्याकरण-शास्त्र, अर्थशास्त्रादिक, ज्योतिःशास्त्र, छन्दःशास्त्र, शाकुनशास्त्र और गणित

शास्त्र के अध्ययन का भी सविशेष रूप से विधान पाया जाता है, * जिसे महारकजी ने शायद अनुपयोगी समझा हो। इसी तरह पर व्रताचरण' क्रिया के कथन में, 'व्रताचरणं चेदं' से पहले के निम्न दो पद्यों को भी आपने छोड़ दिया है, जिनमें से दूसरा पद्य जो 'सार्धकालिक व्रत' का उल्लेख करने वाला है, खासतौर से बरूरी था—

गतोऽस्याधीतविद्यस्य व्रतवृत्त्यवतारणम् ।

विशेषविषयं तच्च स्थितस्यौत्सर्गिके व्रते ॥ १२४ ॥

मधुमांसपरित्यागः पंचोदुम्बरवर्जनम् ।

द्विसाधिविरतिश्चास्य व्रतं स्यात्सार्धकालिकम् ॥ १२३ ॥

इन पद्यों के न होने से 'व्रताचरणं चेदं' नाम का पद्य असम्बद्ध जान पड़ता है—'यावद्विद्या समाप्तिः' आदि पूर्व पद्यों के साथ उसका कोई सम्बन्ध ही ठीक नहीं बैठता। और 'वस्त्राभरण' नाम का उत्तर पद्य भी, आदिपुराण के पद्य नं० १२५ और १२६ के उत्तरार्ध तथा पूर्वार्ध को मिलाकर बनाए जाने से कुछ बेढंगा हो गया है जिसका उल्लेख ग्रंथ के संग्रहण का दिग्दर्शन कराते हुए किया जा चुका है। इसके सिवाय, महारकजी ने व्रताचरण क्रिया का निम्न पद्य भी नहीं दिया और न उसके आशय का ही अपने शब्दों में उल्लेख किया है, जिसके अनुसार 'कामब्रह्मव्रत' का अवतार (स्नान) उस वक्त तक नहीं होता—वह बना रहता है—जब तक कि विवाह नाम की उत्तर क्रिया नहीं हो लेती:—

भोगब्रह्मव्रतादेशमवतीर्णो भवेत्तदा ।

कामब्रह्मव्रतं चास्य तावद्यावत्क्रियोत्तरा ॥ १२७ ॥

* पं० पद्मलालजी सोमी ने भी इस विधान का अपने अनुवाद में उल्लेख किया है परन्तु आप से यह सन्नत गइती हुई जो आपने 'यावद्विद्या समाप्तिः' आदि चारों ही पद्यों को व्रताचरण क्रिया के पद्य बतला दिया है। आपके "इसी (व्रताचरण) क्रिया में यह और भी बतलाया है" शब्द बहुत खटकते हैं।

यही सब इस ग्रंथ की दोनों (व्रतचर्या और व्रतावतरण) क्रियाओं का आदिपुराण के साथ विरोध है। मालूम नहीं जब इन क्रियाओं को प्रायः आदिपुराण के शब्दों में ही रखना था तो फिर यह व्यर्थ की गड़बड़ी क्यों की गई और क्यों दोनों क्रियाओं के कथन में यह असामंजस्य उत्पन्न किया गया !। महारकजी लीला के सिवाय इसे और क्या कहा जा सकता है ? महारकजी ने तो अध्याय के अन्त में जा कर इन क्रियाओं के अस्तित्व तक को मुखा दिया है और 'इत्थं मौंजी-बन्धनं पाखनीयं' आदि पद्य के द्वारा इन क्रियाओं के कथन को भी मौंजीबन्धन का—यज्ञोपवीत क्रिया का—ही कथन बनवा दिया है !। इसके सिवाय, एक बात और भी जान लेने की है और वह यह कि श्रावकाचार अथवा श्रावकीय व्रतों का जो उपदेश 'व्रतचर्या' क्रिया के अवसर पर होना चाहिये था * उसे महारकजी ने 'व्रतावतरण' क्रिया के भी बाद, दसवें अध्याय में दिया है और व्रतचर्या के कथन में वैसा करने की कोई सूचना तक भी नहीं दी। ये सब बातें आपके रचना-विरोध और उसके बेइंगेपन को सूचित करती हैं। आपको कम से कम 'व्रतावतरण' क्रिया को दसवें अध्याय के अन्त में, अथवा ग्यारहवें के शुरू में—विवाह से पहले—देना चाहिये था। इस प्रकार का रचना-सम्बन्धी विरोध अथवा बेइंगेपन और भी बहुत से स्थानों पर पाया जाता है, और वह सब मिलाकर महारकजी की ग्रंथरचना-संबंधी योग्यता को चौपट किये देता है।

* व्रतचर्या के अवसर पर उपोसकाध्ययन के उपदेशों का संक्षेप में संग्रह होता है, यह बात आदिपुराण के निम्न वाक्य से भी प्रकट है:-

अथातोऽस्य प्रवक्ष्यामि व्रतचर्यामनुक्रमात् ।

स्थाद्यत्रोपासकाध्यायः समासेनानुसंहतः ॥ ४०-१६५ ॥

(३) त्रिवर्णाचार के ग्यारहवें अध्याय में, तैत्तिरीय ब्रह्मसूत्रों में से सिर्फ ' विवाह ' नामकी क्रिया का वर्णन है और, उसका प्राप्त करने हुए एक पद निम्न प्रकार से दिया है:—

निवसेनमुनिं यत्वा वैवाहविधिसुखवम् ।

यन्त्रे पुराणमार्गेण लौकिकाचारसिद्धये ॥ २ ॥

इस पद में जिनहेच मुनि को नमस्कार करके पुराण के अनुसार विवाह-विधि के कथन करने की प्रतिज्ञा की गई है और इस तरह पर-पूर्वप्रतिज्ञाओं की सौख्यगी में आवश्यकता न होते हुए भी—इस प्रतिज्ञाद्वारा लक्ष्यरूप से यह घोषणा की गई है अथवा विद्यासंज्ञाया गया है कि इस क्रिया का सब कथन भगवज्जिनसेन के आदि-पुराणानुसार किया जाता है। परन्तु अध्याय के तम पत्र पढते हैं तो चक्रवर्ति विकृत ही बदला हुआ नजर आता है और यह मालूम होने लगता है कि अध्याय में वर्णित अविकारित बातों का आदिपुराण के साथ प्रायः कोई सम्बन्धविशेष नहीं है। बहुतसी बातें हिन्दूधर्म के आचारविचार को लिये हुए हैं—हिन्दुओं की रीतियाँ, विधियाँ अथवा क्रियाएँ हैं—और किननी ही लोक में इधर उधर प्रचलित अनावश्यक रूढ़ियाँ हैं, जिन सब का एक वेदंग संग्रह यहाँ पर किया गया है। इस संग्रह से नकारकरी का अभिप्राय उक्त प्रकार की सभी बातों को जैनियों के लिये शक्यतः कठोर देने अथवा उन्हें जैनों की शक्यता प्राप्त करने का-जन पढ़ता है, और यह कल आपके ' लौकिकाचार-सिद्धये ' पद से भी धरित होती है। आप 'लौकिकाचार' के शब्द ही अन्ध भक्त थे ऐसा जान पड़ता है, बड़ी किर्या को कुछ बनकर, उन तम-क्रियाओं तक को बिना चूँ चरा करने की आपने पर-बर्णनी ही है और एक दूसरी जगह तो, वितका विचार आगे किया

जायगा, आप यहाँ तक लिख गये हैं कि 'एवं कृते न मिथ्यात्वं लौकिकाचारवर्तनात्'—अर्थात्, ऐसा करने से मिथ्यात्व का दोष नहीं लगता; क्योंकि यह तो लौकिकाचार का वर्तना है। आपकी इस अद्भुत तर्कशा और अन्वयमक्ति का ही यह परिणाम है जो आप बिना विवेक के कितने ही विरह आचरणों तथा मिथ्या क्रियाओं को अपने ग्रंथ में स्थान दे गये हैं, और इसी तरह पर कितनी ही देश, काल, इच्छा तथा शक्ति आदि पर निर्भर रहने वाली वैकल्पिक या स्थानिकादि बातों को सबके लिये अवश्य-करणीयता का रूप प्रदान कर गये हैं। परन्तु इन बातों को छोड़िये, यहाँ पर मैं सिर्फ इतना ही बनवाना चाहता हूँ कि आदिपुराण में विवाह-क्रिया का कथन, यद्यपि, सूत्ररूप से बहुत ही संक्षेप में दिया है परन्तु जो कुछ दिया है वह सार कथन है और त्रिवर्णाचार का कथन उससे बहुत कुछ विरोध को लिये हुए है। नीचे इस विरोध का ही कुछ दिग्दर्शन कराया जाता है, जिसमें प्रसंगवश दो चार दूसरी बातें भी पाठकों के सामने आजाएँगी:—

'१-भट्टारकजी, सामुद्रकशास्त्रादि के अनुसार विवाहयोग्य कन्या का वर्णन * करते हुए, लिखते हैं—

इत्थं लक्षणसंयुक्तां षडष्टराशिचार्जिताम् ।

* वर्षाविरहसंस्पर्शां शुभगां कन्यकां वरेत् ॥ ३५ ॥

* इस वर्णन में 'सामुद्रक' के अनुसार कन्याओं अथवा स्त्रियोंके जो लक्षण फल सहित दिये हैं वे फल दृष्टि से बहुत कुछ आपत्ति के योग्य हैं—कितने ही प्रत्यक्षविरह हैं और कितने ही दूसरे सामुद्रक शास्त्रों के साथ विरोध को लिये हुए हैं—उन सब पर विचार करने का यहाँ अवसर नहीं है। इस लिये उनके विचार को छोड़ा जाता है।

इस पथ में, अन्य बातों को छोड़कर, एक बात यह कही गई है कि जो कन्या विवाही जाय वह वर्णविरोध से रहित होनी चाहिये— अर्थात्, असवर्णा न हो किन्तु सवर्णा हो । परन्तु यह नियम आदिपुराण के विरुद्ध है । आदिपुराण में त्रैवर्णिक के लिये सवर्णा और असवर्णा दोनों ही प्रकार की कन्याएँ विवाह के योग्य बतलाई हैं । उसमें साफ लिखा है कि वैश्य अपने वर्ण की और शूद्र वर्ण की कन्या से, क्षत्रिय अपने वर्ण की और वैश्य तथा शूद्र वर्ण की कन्याओं से और ब्राह्मण चारों ही वर्ण की कन्याओं से विवाह कर सकता है । सिर्फ शूद्र के लिये ही यह विधान है कि वह शूद्रा अर्थात् सवर्णा से ही विवाह करे असवर्णा से नहीं । यथा:—

शूद्रा शूद्रेण षोडश्या मान्या स्वां तां च नैगमः ।

षड्वेत्स्वां ते च राजन्यः सर्वा द्विजन्मा क्वचिच्च ताः ॥१६-४७॥

इस पूर्वविधान को ध्यान में रखकर ही आदिपुराण में विवाह-क्रिया के अवसर पर यह वाक्य कहा गया है कि ' वैवाहिके कुले कन्यामुचितां परियेष्टयते '—अर्थात् विवाहयोग्य कुल में से उचित कन्या का परिणयन करे । यहाँ कन्या का ' उचिता ' विशेषण बड़ा ही महत्वपूर्ण, गम्भीर तथा व्यापक है और उन सब ऋटियों को दूर करने वाला है जो त्रिवर्णाचार में प्रयुक्त हुए सुभगा, सुलक्षणा अन्यगोत्रमवा, अनातङ्गा, आयुष्मती, गुणाब्जा, पितृदत्ता और रूपवती आदि विशेषणों में पाई जाती हैं । उदाहरण के लिये ' रूपवती ' विशेषण को ही लीजिये । यदि रूपवती कन्याएँ ही विवाह के योग्य हों तब ' कुरूपा ' सब ही विवाह के अयोग्य ठहरें । उनका तब क्या बनाया जाय ? क्या उनसे जनरन ब्रह्मचर्य का पावन कराया जाय अथवा उन्हें वैसे ही न्यमिचार के लिये छोड़ दिया जाय ? दोनों ही बातें अनिष्ट तथा अन्यायमूलक हैं । परन्तु एक कुरूपा का उसके

अनुरूप कुरूप वर के साथ विवाह हो जाना अनुचित नहीं कहा जा सकता—उस कुरूप के लिये वह कुरूपा 'उचिता' ही है। अतः विवाहयोग्य कन्या 'रूपवती' ही हो ऐसा व्यापक नियम कदापि आदरणीय तथा व्यवहरणीय नहीं हो सकता—वह व्यक्तिविशेष के लिये ही उपयोगी पद सकता है। इसी तरह पर 'पितृदत्ता' आदि दूसरे विशेषणों की त्रुटियों का भी हाल जानना चाहिये।

महारकनी उक्त पद्य के बाद एक दूसरा पद्य निम्न प्रकार से देते हैं:—

रूपवती स्वजातीया स्वतोत्तज्वन्यगोत्रजा ।

भोक्तुं भोजयितुं योग्या कन्या बहुकुटुम्बिनी ॥ ३६ ॥

यहाँ विवाहयोग्य कन्या का एक विशेषण दिया है 'स्वजातीया'—अपनी जाति की—और यह विशेषण 'सवर्णा' का ही पर्यायनाम जान पड़ता है; क्योंकि 'जाति' शब्द 'वर्ण' अर्थ में भी प्रयुक्त होता है—आदिपुराण में भी वह बहुधा 'वर्ण' अर्थ में प्रयुक्त हुआ है—मूल जातियाँ भी वर्ण ही हैं। परन्तु कुछ विद्वानों का कहना है कि यह विशेषण-पद अप्रवाल, खंडेलवाल आदि उपजातियों के लिये प्रयुक्त हुआ है और इसके द्वारा अपनी अपनी उपजाति की कन्या से ही विवाह करने को सीमित किया गया है। अपने इस कथन के समर्थन में उन लोगों के पास एक युक्ति भी है और वह यह कि 'यदि इस पद्यका आशय सवर्णा का ही होता तो उसे यहाँ देने की बरूरत ही न होती; क्योंकि महारकनी पूर्वपद्य में इसी आशय को 'वर्णाविरुद्ध संस्त्यक्ता' पद के द्वारा व्यक्त कर चुके हैं, वे फिर दोबारा उसी बात को क्यों लिखते ? परन्तु इस युक्ति में कुछ भी दम नहीं है। कहा जा सकता है कि एक पद्य में जो बात एक ढंग से कही गई है वही दूसरे पद्य में दूसरे ढंग से बतलाई गई है। इसके सिवाय, महारकनी का सारा ग्रंथ पुनरुक्तियों से भरा हुआ है, वे इतने सावधान नहीं थे जो ऐसी बारी-

क्रियों पर ध्यान देते, उन्होंने इधर उधर से ग्रंथ का संग्रह किया है और इसलिये उसमें बहुतसी पुनरुक्तियाँ हो गई हैं। उदाहरण के लिये इसी अध्याय को लीजिये, इसके तीसरे पद्य में आप विवाहयोग्य कन्या का विशेषण 'अन्यगोत्रभवा' देते हैं और उक्त पद्य नं० ३६ में 'अन्यगोत्रजा' लिखते हैं, दोनों में कौनसा अर्थ-भेद है ? फिर यह पुनरुक्ति क्यों की गई ? इसी तरह पर १६०वें पद्य में 'कुर्व्व विवाहात्तनयस्य नैव कार्यो विवाहो वुहितुः समार्थम्' इस वाक्य के द्वारा जो 'पुत्र विवाह से कुछ महीने बाद तक पुत्री का विवाह न करने की' बात कही गई है वहीं १६२वें पद्य में 'न पुंविवाहोर्ध्वसूनुत्रयेऽपि विवाहकार्यं वुहितुश्च कुर्यात्' इन शब्दों में दोहराई गई है। ऐसी हालत में उक्त हेतु साध्य की सिद्धि करने में असमर्थ है। फिर भी यदि वैसे ही यह मान लिया जाय कि महारक्षी का आशय इस पद्य के प्रयोग से अपनी अपनी उपजाति की कन्या से ही था तो कहना होगा कि आपका यह कथन भी आदिपुराण के विरुद्ध है; क्योंकि आदिपुराण में विद्याधर जाति की कन्याओं से ही नहीं किन्तु म्लेच्छ जाति जैसी विजातीय कन्याओं से भी विवाह करने का विधान है— स्वयं भरतजी महाराज ने, जो आदिपुराण-वार्थित बहुत से विधिविधानों के उपदेष्टा हुए हैं और एक प्रकार से 'कुलकर' माने गये हैं, ऐसी बहुतसी कन्याओं के साथ विवाह किया है; जैसाकि आदिपुराण के निम्न पद्यों से प्रकट है—

इंसुपायैरुपायकः साधयन्म्लेच्छभूसुजा ।

तेभ्यः कन्यादिरक्षानिः प्रसौम्यैग्यान्पुपाहरत् ॥ २१-१४१ ॥

कुलजासमिधम्पत्ता वेद्यस्तापत्रमाः स्मृताः ।

रूपतावरयकाम्नीनां थाः शुभाकरभूमयः ॥ ३७-३४ ॥

स्नेच्छुराजादिभिर्दत्तास्तावन्त्यो नृपवल्गवाः ।

अप्लवः संकथा चोर्णी यकाभिरवतारिताः ॥ ३७-३५ ॥

इन पथों से यह भी प्रकट है कि खजातीय कन्याएँ ही भोगयोग्य नहीं होतीं बल्कि स्नेच्छु जाति तक की विजातीय कन्याएँ भी भोगयोग्य होती हैं; और इसलिये महारकजी का खजातीय कन्याओं को ही 'भोज्यं भोजयितुं योग्या' लिखना ठीक नहीं है—वह आदिपुराण की नीति के विरुद्ध है ।

२-एक स्थान पर महारकजी, कन्या के स्वयंवर-अधिकार का नियंत्रण करते हुए लिखते हैं:—

विवादिवाप्रभावे तु कन्या कुर्यात्स्वयंवरम् ।

इत्येवं केचिदाचार्याः प्राहुर्महति संकटे ॥ ८३ ॥

इस पद्य में कन्या को 'स्वयंवर' का अधिकार सिर्फ उस हालत में दिया गया है जबकि उसका पिता, पितामह, भाई आदि कोई भी बाधक कन्यादान करने वाला मौजूद न हो । और साथ ही यह भी कहा गया है कि स्वयंवर की यह विधि कुछ आचार्यों ने महासंकट के समय बतलाई है । परन्तु कौन से आचार्यों ने बतलाई है ऐसा कुछ लिखा नहीं—भगवज्जिनसेन ने तो बतलाई नहीं । आदिपुराण में स्वयंवर को संपूर्ण विवाहविधियों में 'श्रेष्ठ' (वरिष्ठ) बतलाया है और उसे 'सनातनमार्ग' लिखा है । उसमें राजा अकरूपन की पुत्री 'सुखोचना' सती के जिस स्वयंवर का उल्लेख है वह सुखोचना के पिता आदि की मौजूदगी में ही बड़ी खुशी के साथ सम्पादित हुआ था । साथ ही, भरत चक्रवर्ती ने उसका बड़ा अभिनंदन किया था और उन लोगों को सत्पुरुषों द्वारा पूज्य ठहराया था जो ऐसे सनातन मार्गों का पुनरुद्धार करते हैं । यथा:—

सनातनोऽस्ति मार्गोऽयं श्रुतिस्मृतिषु भाषितः ।
 विवाहविधिभेदेषु वरिष्ठो हि स्वयंवरः ॥ ४४-३२ ॥
 तथा स्वयंवरस्थेमे माम्बुवन्यद्यकम्पनाः ।
 कः प्रवर्तयिताऽन्योऽस्य मार्गस्यैव सनातनः ॥ ४५-४५ ॥
 मार्गाश्चिरंतनान्येऽत्र भोगभूमितिरोहितान् ।
 कुर्वन्ति नूतनान्सन्तः सद्भिः पूज्यास्त एव हि ॥ ४५-४५ ॥

ऐसी हाजत में महारकनी की उक्त व्यवस्था आदिपुराण के विरुद्ध है और इस बात को सूचित करती है कि आपने आदिपुराण की रीति, नीति अथवा मर्यादा का प्रायः कोई खयाल नहीं रखा ।

३-एक दूसरे स्थान पर महारकनी, विवाह के ब्राह्म, दैव, आर्ष, प्राजापत्य, आसुर, गान्धर्व, राजस और पैशाच, ऐसे आठ भेद करके, उनके स्वरूप का वर्णन निम्न प्रकार से देते हैं—

ब्राह्मो वैवस्तया वा [वैवा] षः प्राजापत्यस्तथाऽऽसुरः ।
 गान्धर्वो राजसश्चैव पैशाचश्चाष्टमोऽधमः ॥ ७० ॥
 आच्छाद्य चार्ह [र्च] यित्वा च व्रतशीलवते स्वयम् ।
 आहूय दानं कन्याया ब्राह्मो धर्मः प्रकीर्तितः ॥ ७१ ॥
 यज्ञे तु वितते सम्यक् जिनार्चा [ऋत्विजे] कर्म कुर्वते ।
 असंकृत्य सुतादानं वैशो धर्मः प्रचक्षते ॥ ७२ ॥
 एकं वरुण्युगं [सोमिधुनं] द्वे वा वरादादाय धर्मतः ।
 कन्याप्रदानं विधिवदापौ धर्मः स उच्यते ॥ ७३ ॥
 सद्बोभौ चरतां धर्ममिति तं [वा] चाजुभाष्य तु [च] ।
 कन्याप्रदानमभ्यर्च्य प्राजापत्यो विधिः स्मृतः ॥ ७४ ॥
 ज्ञातिभ्यो द्रविणं दत्त्वा कन्यायै वैव शक्तिः ।
 कन्याऽऽदानं [प्रदानं] यत्क्रियते वा [साच्छान्दादा] सुरोधर्म
 उच्यते ॥ ७५ ॥

स्वेषे [६] चक्षुष्याऽभ्यान्वसंयोगः कन्यायाश्च वरस्य च ।

गान्धर्वः स तु विधेयो मैथुन्यः कामसंगमः ॥ ७६ ॥

हत्वा भित्वा च क्षित्वा च कोशमूर्ती कर्तुर्वा शुभम् ।

प्रसङ्ग कन्याहरणं राक्षसो विधिरुच्यते ॥ ७७ ॥

सुसर्ग मर्त्यां प्रमर्त्यां वा रक्षो यज्ञोपगच्छति ।

स पापिष्ठो विवाहानां पैशाचः काथिताऽऽत्मः [वापुमोऽधमः] ॥७८॥

विवाहभेदों का यह सब वर्णन आदिपुराण सभात नहीं है—उससे नहीं लिया गया—किन्तु हिन्दुओं के प्रसिद्ध ग्रंथ ' मनुस्मृति ' से उठाकर रक्खा गया है । मनुस्मृति के तीसरे अध्याय में ये सब श्लोक, श्रौतिकों में दिये हुए पाठभेद के साथ, क्रमशः न० २१ तथा न० २७ से ३४ तक दर्ज हैं * । और इनमें ' ऋत्विजे ' की जगह ' जि-नार्चा ' तथा ' गोमिथुनं ' की जगह ' वस्त्रयुगं ' जैसे पाठभेद गङ्गाकवी के किये हुए नाम पढ़ते हैं ।

४—इस विवाहक्रिया में गङ्गाकवी ने ' द्वेषपूजन ' का जो विधान किया है वह आदिपुराण से बड़ा ही विचित्रज्ञान पड़ता है । आदिपुराण में इस अक्षर के लिये खास तौर पर सिद्धों का पूजन रक्खा है—जो प्रायः गार्हपत्यादि ऋषिकुल्यों में सप्त पीठिका संज्ञों द्वारा किया जाता है—और किसी पुण्याश्रम में सिद्ध प्रतिमा के सम्मुख धर और कन्दा का पाणिप्रदक्षोत्सव करने की आज्ञा की है । यथाः—

सिद्धार्चनविधिं सम्पन्नित्वं द्विजसत्तमः ।

कृताश्रमयसंपूजाः कुर्युस्तत्साक्षि तां कियाम् ॥ ३५-१२६ ॥

पुण्याश्रमे कश्चित्सिद्धप्रतिमाभिमुखं तयोः ।

दम्पत्योः परया भूत्वा कार्यः पाणिप्रदक्षोत्सवः ॥—१३० ॥

* देखो ' मनुस्मृति ' निर्देवसागर प्रेस बम्बई द्वारा सन् १९०६ की छपी हुई । अन्यत्र भी इसी पद्धति का हवाला दिया गया है ।

परंतु भट्टारकजी ने सिद्धपूजनादि की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की। आपने व्यवस्था की है जखदेवताओं की गंध, अक्षत, पुष्प तथा फलों से पूजा करने की, घर में वेदी बना कर उसमें गृहदेवता की स्थापना करके तथा दीपक जलाने आदि रूप से उसकी पूजा करने की, पंचमंडल और नवग्रह देवताओं को पूजन की, अघोर-मंत्र से होम करने की और नागदेवताओं को बलि देने आदि की; जैसा कि आपने निम्न वाक्यों से प्रकट है—

“फलगन्धाक्षतैः पुष्पैः सम्पूज्य जलदेवताः ।” (६१)

“वेद्यां गृहाधिदेवं संस्थाप्य दीपं प्रज्वालयेत् ।” (६३)

“पुरथाहधाधर्मा पश्चात्पञ्चमण्डल पूजनम् ।

नवानां देवतानां च पूजनं च यथाविधि ॥ १३३ ॥

तथैवाऽघोरमंत्रेण होमश्च समिधाहुनिम् ।

लाजाहुतिं वयूहस्तत्रयेन च वरेण च ” ॥ १३४ ॥

“शुभे मंडपे दक्षिणःकृत्य तं चै प्रदायाद्यु नागस्य साक्षाद्वलिं च ।” (१६४)

इससे साफ़ ज़ाहिर है कि त्रिवर्णाचार का यह पूजन-विधान आदिपुराण-सम्मत नहीं किन्तु भगवज्जनसेन के विरुद्ध है। रही मंत्रों की बात, उनका प्रायः वही हाल है जो पहले लिखा जा चुका है— आदिपुराण को अनुसार उनकी कोई व्यवस्था नहीं की गई। हाँ, पाठकों

+ सोनीजी ने ‘ गृहाधिदेव ’ को “ कुल देवता ” समझा है परन्तु यह उनकी भूल है; क्योंकि भट्टारकजी ने चौथे अध्याय में कुल देवता से गृहदेवता को अलग बतलाया है और उसके विश्वेश्वरी, धरणेन्द्र, श्रीदेवी तथा कुबेर देसे चार भेद किये हैं। यथा—

विश्वेश्वरीधराश्रीश्रीदेवीधनदास्तथा ।

गृहलक्ष्मीकरा श्रेयास्त्रुर्वा वैश्रमदेवताः ॥ २०५ ॥

को यहाँ पर यह जानने की जरूर इच्छा होगी कि वह अघोरमंत्र कौनसा है जिससे मष्टारकजी ने विवाह के अवसर पर होम करने का विधान किया है और जिसे ' कुर्यात् होमं सन्मंत्रपूर्वकम् ' वाक्य के द्वारा ' सन्मंत्र ' तक लिखा है । मष्टारकजी ने इस मंत्र को नहीं दिया परंतु वह जैन का कोई मंत्र न हो कर वैदिक धर्म का एक प्रसिद्ध मंत्र जान पड़ता है जो हिन्दुओं की विवाह-पुस्तकों में निम्न प्रकार से पाया जाता है और जिसे ' नवरत्नविवाह पद्धति ' के छठे संस्करण में अथर्वन् वेद के १४ वें काण्ड के ६ वें अनु० का १८ वाँ मंत्र लिखा है—

“ ॐ अघोरचक्षुरपतिष्येधि शिवा पशुभ्यः सुमनाः सुवर्चा
धीरसुदैवकामास्योना शशो भव द्विपदे शं चतुष्पदे । ”

इस सब विधिविधान से पाठक सहज ही में समझ सकते हैं कि मष्टारकजी हिन्दू धर्म की तरफ कितने झुके हुए थे अथवा उनके संस्कार कितने अधिक हिन्दू धर्म के आचार विचारों को लिये हुए थे और वे किस ढंग से जैनसमाज को भी उसी रास्ते पर अथवा एक तीसरे ही बिलक्षण मार्ग पर चलाना चाहते थे । उन्होंने इस अध्याय में घर का मधुपर्क

* यह मधु (शहद) का एक मिश्रलचर (सरपक) होता है, जिसमें दही और घी भी मिला रहता है । हिन्दुओं के यहाँ दाग-पूजनादि के अवसरों पर इसकी बरी महिमा है । मष्टारकजी ने मधुपर्क के लिये (मधुपर्कार्थ) एक जगह घर को महज़ दही चटाई है परंतु सोनीजी को आपकी यह फीकी दही पसन्द नहीं आई और इसलिये उन्होंने पीछे से उसमें ' शकर ' और मिलादी है और इस तरह पर मधु के स्थान की पूर्ति की है जिसका खाना जैनियों के लिये वर्जित है । यहाँ मधुपर्क के लिये दही का चटाया जाना हिन्दुओं की एक प्रकार की नक़ल को साफ़ ज़ाहिर करता है ।

से पूजन, घर का ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर अपने लिये कन्या-वरण की प्रार्थना करना, वधू के गले में घर की दी हुई ताली बाँधना, सुवर्णदान और देवोत्थापन आदि की बहुत सी बातें हिन्दू धर्म से लेकर अथवा इधर उधर से उठाकर रक्की हैं और उनमें से कितनी ही बातें प्रायः हिन्दूग्रंथों के शब्दों में उल्लेखित हुई हैं, जिसका एक उदाहरण 'देवोत्थापन-विधि' का निम्न पद्य है—

समे च दिवसे कुर्याद्देवतोत्थापनं बुधः ।

षष्ठे च विषमे नेष्टं त्यक्त्वा पंचमसप्तमी ॥ १८० ॥

यह 'नारद' ऋषि का वचन है। मुहूर्त चिन्तामणि की 'पीयूषधारा' टीका में भी इसे 'नारद' का वचन लिखा है। इसी प्रकार में भट्टारकजी ने 'विद्याहासप्रथमे पौषे' नाम का एक पद्य और भी दिया है जो 'ज्योतिर्निबन्ध' ग्रंथ का पद्य है। परंतु उसका इस 'देवोत्थापन' प्रकार से कोई सम्बंध नहीं, उसे इससे पहले 'वधू-गृह-प्रवेश' प्रकार में देना चाहिये था, जहाँ 'वधूप्रवेशनं कार्यं' नाम का एक दूसरा पद्य भी 'ज्योतिर्निबन्ध' ग्रंथ से बिना नाम धाम के उद्धृत किया गया है। मालूम होता है भट्टारकजी को नकल करते हुए इसका कुछ भी ध्यान नहीं रहा ! और न सोनीजी को ही अनुवाद के समय इस गड़बड़ी की कुछ खबर पड़ी है ॥

५—आदिपुराण में लिखा है कि पाणिग्रहण दीक्षा के अवसर पर घर और वधू दोनों को सात दिन का ब्रह्मचर्य लेना चाहिये और पहले तीर्थभूमियों आदि में विहार करके तब अपने घर पर जाना चाहिये। घर पर पहुँच कर कङ्कण खोलना चाहिये और तत्पश्चात् अपने घर पर ही शयन करना चाहिये—अष्टुर के घर पर नहीं। यथाः—

पाणिग्रहणदीक्षायां नियुक्तं तद्वधूवरम् ।

आसत्तां घरेद्ब्रह्मव्रतं देवाग्निसाक्षिकम् ॥ १३२ ॥

क्रान्धा स्वस्योचितां भूमिं तीर्थभूमिर्विद्वत्स्य च ।

स्वगृहं प्रविशेन्नृत्या परया तद्वद्वधूवरम् ॥ १३३ ॥

विमुक्तकङ्कणं पश्चात्स्वगृहे शयनीयकम् ।

अधिशय्य तथाकाशं भोगाङ्कैरुपह्लासितम् ॥ १३४ ॥

—३६वौ पर्व ।

परंतु महारकजी ने उग दोनों के ब्रह्मचर्य की अवधि तीन रात की रक्खी है, गृहप्रवेश से पहले तीर्थयात्रा को जाने की कोई व्यवस्था नहीं की, बल्कि सीधा अपने घर को जाने की बात कही है और यहाँ तक बन्ध लगाया है कि एक वर्ष तक किसी भी अपूर्व तीर्थ अथवा देवता के दर्शन को न जाना चाहिये; कङ्कण को प्रस्थान से पहले अशुरगृह पर ही छोड़ देना सिखा है और वहीं पर चौथे दिन दोनों के शयन करने अथवा एक शय्यासन होने की भी व्यवस्था की है । जैसा कि आपके निम्न वाक्यों से प्रकट है—

“तदनन्तरं कङ्कणमोचनं कृत्वा महाशोभया ग्रामं प्रवक्षिषीकृत्य
पयःपाननिधुवनविकं सुखेन कुर्यात् । स्वग्रामं गच्छेत् * ।

“ विवाहे दम्पती स्यातां विराजं ब्रह्मचारिणौ ।

अलंछता वधूश्चैव सहशय्यासनशनौ ॥ १७२ ॥

* इस वाक्य में ग्राम की प्रवक्षिषा के अनन्तर सुखपूर्वकपुण्यपान तथा स्त्रीसंभोगादिक (निधुवनविक) करने का साफ़ विधान है और उसके बाद स्वग्राम को जाना सिखा है । परंतु सोनीजी ने अनुवाद में इसके विरुद्ध पहले अपने ग्राम को जाना और फिर वहीं संभोगादिक करना बतलाया है, जो अगले पद्यों के कथन से भी विरुद्ध पड़ता है । कहीं आदिपुराण के साथ संगति मिलाने के लिये तो ऐसा नहीं किया गया ? तब तो कङ्कण भी वहीं स्वग्राम को जाकर सुखधाना था ।

धंधा सहैव कुर्वीत निवासं भ्रशुगलये ।

अतुर्यदिनमत्रैव केचिद्द्वेषं वदन्ति हि ॥ १७३ ॥

“ विवादानन्तरं गच्छेत्समायः स्वस्य मन्धिरम् ।

यदि प्रामाण्ये तत्स्यात्तत्र यानेन गम्यते ॥ १७८ ॥

× ज्ञानं सतैलं तिलमिधकर्म, प्रेतानुपानं करकप्रदानम् ।

अपूर्वतीर्थामरदर्शनं च विधर्म्येन्मङ्गलताऽध्वमेकम् ॥१८६॥

इससे स्पष्ट है कि महारकजी का यह सब कथन आदिपुराण के विलकुल विरुद्ध है और उनकी पूरी निरंकुशता को सूचित करता है । साथ ही इस सत्य को और भी उजाड़ देता है कि श्री गिनसेना-चार्य के वचनानुसार कथन करने की आपही सब प्रतिज्ञाएँ ढोंग मात्र हैं । आपने उनके सहारे अथवा छल से लोगों को ठगना चाहा है और इस तरह पर धोखे से उन हिन्दू संस्कारों—क्रियाकार्यों—तथा आचार-विचारों को समाज में फैलाना चाहा है जिनसे अप स्वयं संस्कृत थे अथवा जिनको आप पसंद करते थे और जो जैन आचार-विचारों आदि

× इस पद्य में, विवाह के बाद अपूर्व तीर्थ तथा देवदर्शन के निषेध के साथ एक साल तक तेल मलकर स्नान करने, तिलों के उपयोग वास्त्वा कोई कर्म करने, मृतक के पीछे जाने और करक (कर्म-एडलु आदि) के दान करने का भी निषेध किया है। मालूम नहीं इन सबका क्या हेतु है ? तेल मलकर नहा लेने आदि से कौनसा पाप बढ़ता है ? शरीर में कौनसी विकृति आजाती है ? तीर्थयात्रा अथवा देवदर्शन से कौनसी हानि पहुँचती है ? आत्मा को उससे क्या असाम होता है ? और अपने किसी निकट सम्बन्धी की मृत्यु हो जाने पर उसके शव के पीछे न जाना भी कौनसा शिष्टाचार है ? जैनधर्म की शिक्षाओं से इन सब बातों का कोई सम्बन्ध मालूम नहीं होता । ये सब प्रायः हिन्दू धर्म की शिक्षाएँ जान पड़ती हैं ।

को बहुत कुछ विरुद्ध हैं। इससे अधिक धूर्तता, उत्सृज्यवादिता और ठगवादिता दूसरी और क्या हो सकती है ? इतने पर भी जो लोग, रामप्रदायिक गोहवश, महारकजी को ऊँचे चरित्र का व्यक्ति समझते हैं, संयम के कुछ उपदेशों का इधर उधर से संग्रह कर देने मात्र से उन्हें ' अद्वितीय संयमी ' प्रतिपादन करते हैं, उनके इस त्रिवर्णाचार की दीवार को आदिपुराण के ऊपर-उसके आधारपर-खड़ी हुई बतलाते हैं और 'इसमें कोई भी बात ऐसी नहीं जो किसी आर्य ग्रंथ अथवा जैनागम के विरुद्ध हो' ऐसा कहने तक का दुःसाहस करते हैं, उन लोगों की स्थिति, निःसंदेह, बड़ी ही शोचनीय तथा कष्टाजनक है। मालूम होता है वे भोले हैं या दुराग्रही हैं, उनका अध्ययन स्वरूप तथा अनुभव अज्ञ है, पर-साहित्य को उन्होंने नहीं देखा और न तुलना-तक पद्धति से कभी इस ग्रंथ का अध्ययन ही किया है। अस्तु।

इस ग्रंथ में आदिपुराण के विरुद्ध और भी बित्तनी ही बातें हैं जिन्हें लेख बंद जाने के भय से यहाँ छोड़ा जाता है।

(२) आदिपुराण के विरुद्ध अपना आदिपुराण से विरोध रखने वाले कथनों का दिग्दर्शन कराने के बाद, अब मैं एक दूसरे ग्रंथ को और लेता हूँ जिसके सम्बन्ध में भी महारकजी का प्रतिज्ञाविरोध पाया जाता है और वह ग्रंथ है ' ज्ञानार्णव ', जो श्री शुभचन्द्राचार्य का बनाया हुआ है। इसी ग्रंथ के अनुसार ध्यान का कथन करने की एक प्रतिज्ञा महारकजी ने, ग्रंथ के पहले ही ' सामायिक ' अध्याय में, निम्न प्रकार से दी है:—

ध्यानं तावद्धं वषामि विदुषां ज्ञानार्णवे सम्पत्त-
 मार्त्तं रौद्रसधर्म्यशुक्ल चरमं दुःखादिसौख्यप्रदम् ।
 पिण्डस्थं च पदस्थरूपरहितं रूपस्थनामा परं ।
 तेषां मित्र चतुर्विधं विषयजा भेदाः परे सन्ति वै ॥२२॥

इस प्रतिज्ञानामय-द्वारा यह विश्वास दिखाया गया है कि इस अभ्यास में ध्यान का—उसके आर्त, रौद्र, धर्म्य, शुक्ल भेदों का, उप-भेदों का और पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ तथा रूपातीत नाम के दूसरे भेदों का—जो कुछ कथन किया गया है वह सब 'ज्ञानार्णव' के मतानुसार किया गया है, ज्ञानार्णव से मिला अथवा विरुद्ध इसमें कुछ भी नहीं है। परन्तु बौद्धों से ऐसा मालूम नहीं होता—ग्रंथ में कितनी ही बातें ऐसी देखने में आती हैं जो ज्ञानार्णव-सम्मत नहीं हैं अथवा ज्ञानार्णव से नहीं ली गईं। उदाहरण के तौर पर यहाँ उनके कुछ नमूने नीचे दिये जाते हैं :—

(अ) 'अपायविचय' धर्मध्यान का लक्षण बतलाते हुए भद्र-रक्षणी लिखते हैं—

* येन केन प्रकारेण जैनो धर्मो प्रवर्धते ।

तत्रैव क्रियते पुष्पिमरपायविचयं महत् ॥ ३५ ॥

अर्थात्—'जिस जिस प्रकार से जैन धर्म बढ़े वही करना अपाय-विचय माना गया है।' परन्तु ज्ञानार्णव में तो ऐसा कहीं कुछ माना नहीं गया। उसमें तो साफ़ लिखा है कि 'जिस ध्यान में कर्मों के अपाय (नाश) का उपाय सहित चिन्तन किया जाता है उसे अपाय-विचय कहते हैं। यथा:—

* इस पद्य पर से 'अपायविचय' का जब कुछ ठीक लक्षण निकलता हुआ नहीं देखा तब सोनीजी ने वैसे ही जीवज्जीव कर भाग्य आदि के द्वारा उसे अपनी तरफ़ से समझाने की कुछ चेष्टा की है, जिसका अनुभव विश्व पाठकों को अनुवाद पर से सहज ही में हो जाता है।

अपायविचयं ध्यानं तद्वदन्ति मनीषिणः ।

अपायः कर्मणां यत्र सोपायः स्मर्यते बुधैः ॥३४—१॥

इस लक्षण के सामने महारकनी का उक्त लक्षण कितना विशिष्ट ज्ञान पड़ता है उसे बतखाने की जरूरत नहीं । सहृदय पाठक सहज ही में उसका अनुभव कर सकते हैं । वास्तव में, वह बहुत कुछ सदेव तथा श्रुतिपूर्ण है और ज्ञानार्थी के साथ उसकी संगति ठीक नहीं बैठती ।

(आ) इसी तरह पर पिण्डस्थ और रूपस्थ ध्यान के जो लक्षण महारकनी ने दिये हैं उनकी संगति भी ज्ञानार्थी के साथ ठीक नहीं बैठती । महारकनी लिखते हैं—‘लोक में जो कुछ विद्यमान है उस सबको देह के मध्यगत चिन्तन करना पिण्डस्थ ध्यान कहलाता है’ और ‘जिस ध्यान में शरीर तथा जीव का भेद चिन्तन किया जाता है उसे रूपस्थ ध्यान कहते हैं’ । यथा—

“ धर्तिकिचिद्विद्यते लोके तत्सर्वं देहमप्यगम् ।

इति चिन्तयते यत्तु पिण्डस्थं ध्यानमुच्यते ॥४६॥

“ शरीरजीवयोर्भेदो यत्र रूपस्थमस्तु तत् ॥ ४८ ॥

परन्तु ज्ञानार्थी में ऐसा कुछ भी नहीं सिखा । उसमें पिण्डस्थ ध्यान का जो पंचधारणात्मक स्वरूप दिया है उससे महारकनी का यह लक्षण जाज़िमी नहीं आता । इसी तरह पर समवसरण विभूति सहित देवाधिदेव श्री अर्हन्तपरमेष्ठी के स्वरूप चिन्तन को जो उसमें रूपस्थ ध्यान बतलाया है उससे यह ‘शरीरजीवयोर्भेदः’ नाम का लक्षण कोई गेह नहीं खाता * ।

* शब्द इसीलिये सोनीजी को भावार्थ द्वारा यह सिखना पड़ा हो कि “विभूतियुक्त अर्हन्तदेव के गुणों का चिन्तन करना रूपस्थ ध्यान है ।” परन्तु उक्त लक्षण का यह भावार्थ नहीं हो सकता ।

यहाँ पर मैं इतना और भी बतला देना चाहता हूँ कि महारकनी ने रूपस्य ध्यान के अनन्तर 'रूपातीत' ध्यान का लक्षण एक पद्य में देने के बाद 'प्रातश्चोत्थाय' से लेकर 'षड्वाचश्यकसत्कर्म' तक १७ पद्य दिये हैं, जो ग्रंथ में 'प्रातःकाल सम्बंधी क्रियाएँ' और 'सामायिक' शीर्षकों के साथ नं० ५० से ६६ तक पाये जाते हैं। इन पद्यों में प्रातःकाल सम्बन्धी विचारों का कुछ उल्लेख करके सामायिक करने की प्रेरणा की गई है और सामायिक का स्वरूप आदि भी बतलाया गया है। सामायिक के लक्षण का प्रसिद्ध श्लोक 'समता सर्वभूतेषु' इनमें शामिल है, 'योग्य कालासन' तथा 'जीविते मरणे' नाम के दो पद्य अनगारधर्मावृत्त के भी उद्धृत हैं और 'पापिष्ठेन दुरात्मना' नाम का एक प्रसिद्ध पद्य प्रतिक्रमण पाठ का भी यहाँ शामिल किया गया है। और इन सब पद्यों के बाद 'पदस्य ध्यान' का कुछ विशेष कथन आरम्भ किया गया है। ग्रंथ की इस स्थिति में उक्त १७ पद्य यहाँ पर बहुत कुछ असम्बद्ध तथा बेढंगे मालूम होते हैं—पूर्वापर पद्यों अथवा कथनों के साथ उनका सम्बंध ठीक नहीं बैठता। इनमें से कितने ही पद्यों को इस सामायिक प्रकरण के शुरू में—'ध्यानं तावदहं वदामि' से भी पहले—देना चाहिये था। परंतु महारकनी को इसकी कुछ भी सूझ नहीं पड़ी, और इसलिये उनकी रचना क्रममंगादि दोषों से दूषित हो गई, जो पढ़ते समय बहुत ही खटकती है। और भी कितने ही स्थानों पर ऐसे रचनादोष पाये जाते हैं, जिनमें से कुछ का उल्लेख पहले भी किया जा चुका है।

(६) पदस्य ध्यान के वर्णन में, एक स्थान पर महारकनी, 'ह्रीं' मंत्र के जप का विधान करते हुए, लिखते हैं—

हृदयान्तः पार्श्वं त्रिभोऽबोरेफस्ततगतः सधरेन्द्रः
सुर्यस्वरः सविन्दुः स भवेत्पद्मावतीसङ्घः ॥ ७२ ॥

त्रिभुवनजनमोहकरी विधेयं प्रसवपूर्वमनास्ता ।

एकाक्षरीति संज्ञा अपठः फलदायिनी मिलम् ॥ ७३ ॥

यहाँ 'ह्रीं' पद में ह्रकार को पार्षनाथ महाबाह का, नाचि के रकार को तखगत धरखेत्र का और बिन्दुसहित ईकार को पद्मावती का वाचक बतलाया है—अर्थात्, यह प्रतिपादन किया है कि यह 'ह्रीं' मंत्र धरखेत्र पद्मावती सहित पार्षनाथ जिनैत्र का च्योतक है । साथ ही, इसके पूर्व में 'ॐ' और अंत में 'नमः' पद लगा कर 'ॐ ह्रीं नमः' ऐसा नम करने की व्यवस्था की गई है, और उसे त्रिभुवन के लोगों को मोहित करने वाली 'एकाक्षरी विद्या' बिसा है । परंतु ज्ञानार्थ में इस मंत्र का ऐसा कोई विभाग नहीं है—उसमें कहीं भी नहीं बिसा कि 'ह्रीं' पद धरखेत्रपद्मावतीसहित पार्ष निज का वाचक है अथवा 'ॐ ह्रीं नमः' यह एकाक्षरी विद्या है—और इसविधे महारकनी का यह सब कथन ज्ञानार्थ-सम्मत न होने से उनकी प्रतिष्ठा के विरुद्ध है ।

(ई) इसी तरह पर महारकनी ने एक दूसरे मंत्र का विभाग भी निम्न प्रकार से किया है:—

ॐ नमः सिद्धमित्येत्प्रथमं सर्वसुखप्रदम् ।

अपठा फलदायिनी एवं कथयन्तुभिषम् ॥ ८२ ॥

इसमें ' ॐ नमः सिद्धं ' मंत्र के आप की व्यवस्था की गई है और उसे सर्व सुखों का देने वाला तथा इष्ट फल का दाता बिसा है । यह मंत्र भी ज्ञानार्थ में नहीं है । अतः इसके सम्बन्ध में भी महारकनी का प्रतिज्ञाविरोध पाया जाता है ।

इस पद्य के बाद ग्रंथ में, 'इत्थं मंत्रं स्मरति सुगुणं यो नरः सर्वकालं' (८३) नामक पद्य के द्वारा आम तौर पर मंत्र स्मरण के फल का बड़ेछेद करके, एक पद्य निम्न प्रकार से दिया है:—

अयं मंत्रो महामंत्रः सर्वपापविनाशकः ।

अष्टोत्तरशतं जप्तो घर्षे कार्यायि सर्वशः ॥ ८४ ॥

इस पद्य में जिस मंत्र को सर्वपापविनाशक महामंत्र बतलाया है और जिसके १०८ बार जपने से सर्व प्रकार के कष्टों की सिद्धि होना लिखा है वह मंत्र कौनसा है उसका इस पद्य से अथवा इसके पूर्ववर्ती पद्य से कुछ भी पता नहीं चलता । 'ॐ नमः सिद्धं' नाम का वह मंत्र तो हो नहीं सकता जो ८२ वें पद्य में वर्णित है; क्योंकि उसके सम्बन्ध का ८३ वें पद्य द्वारा विच्छेद हो गया है । यदि उस से अभिप्राय होता तो यह पद्य 'इत्थं मंत्रं' नामक ८३ वें पद्य से पहले दिया जाता । अतः यह पद्य यहाँ पर असम्बद्ध है । सोनीजी कहते हैं इसमें 'अपराजित मंत्र' का उल्लेख है । पैंतीस अक्षरों का अपराजित मंत्र ('शमो अरहंताणं' आदि) बेशक महामंत्र है और वह उन सब गुणों से विशिष्ट भी है जिनका इसमें उल्लेख किया गया है परन्तु उससे यदि अभिप्राय था तो यह पद्य 'अपराजित् मंत्रोऽयं' नामक ८० वें पद्य के ठीक बाद दिया जाना चाहिये था । उसके बाद 'षोडशाक्षरविद्या' तथा 'ॐ नमः सिद्धं' नामक दो मंत्रों का और विधान नीचे में हो चुका है, जिससे इस पद्य में प्रयुक्त हुए 'अयं' (यह) पद का वाच्य अपराजित मंत्र नहीं रहा । और इस लिये अपराजितमंत्र की दृष्टि से यह पद्य यहाँ और भी असम्बद्ध है और वह महारकजी की रचनाचातुरी का मण्डाफोड़ करता है ।

इस पद्य के बाद पाँच पद्य और हैं जो इससे भी ज्यादा असम्बद्ध हैं और वे इस प्रकार हैं:—

हिंसानृतान्यदारेच्छा क्षुरा चातिपरिमहः ।

अस्मिन् पंच पापानि दुःखदायीनि क्षेस्तुती ॥ ८५ ॥

अष्टोत्तरशतं भेदास्तेषां पृथगुदाहृतः ।

हिंसा तत्र कृता पूर्व करोति च करिष्यति ॥ ८६ ॥

मनोवचनकाशेष ते तु त्रिगुणिता नच ।

पुनः स्वयं कृतकारितानुमोदैर्गुणाहतिः ॥ ८७ ॥

सप्तविंशतिस्ते मेदाः कपावैर्गुणेष्वताम् ।

अष्टोत्तरशतं ज्ञेयमसत्यादिषु तादृशम् ॥ ८८ ॥

पृथ्वीपानीयतेजःपवनद्युतरवः स्थावरः पंचकायाः ।

मिथ्यामित्यौ निगोदौ युगलशिक्षित्तुः संह्यसंज्ञित्रसाः स्युः ।

पते प्रोक्ता जिनैर्द्वादश परिगुणिता वाङ्मनः कायमेदै-

स्ते चान्यैः कारिताद्यैस्त्रिभिरपि गुणिताभ्याष्टशुभैकसंख्याः ॥८९॥

इन पाँचों में से पहले पच में हिंसादिक पाँच पापों के नाम देकर सिखा है कि 'ये पाँचों पाप संसार में दुःखदायी हैं' और इसके बाद तीन पाँचों में यह बतलाया है कि इन में से प्रत्येक पाप के १०८ मेद हैं । जैसे हिंसा पहले की, अब करता है, आगे करेगा ऐसे तीन मेद हुए; इनको मन-वचन-काय से गुणने पर ६ मेद; कृत-कारित-अनुमोदना से गुणने पर २७ मेद और फिर चार कपायों से गुणने पर १०८ मेद हिंसा के हो जाते हैं । इसी तरह पर असत्यादिक के मेद जानने । और पाँचवे पच में हिंसादिक का कोई विकल्प उठाए बिना ही दूसरे प्रकार से १०८ मेदों को सूचित किया है—सिखा है 'पृथ्वी, अप, तेज, वायु, वृद्ध, (मनस्पति) ऐसे पाँच स्थावर काय, नित्य निगोद, अनित्य निगोद, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, संज्ञिपंचेन्द्रिय, और असंज्ञिपंचेन्द्रिय ऐसे बारह मेद* जिनेंद्र भगवान ने कहे हैं । इनको मन, वचन, काय तथा कृत, कारित, अनुमोदना, से गुणने पर १०८ मेद हो जाते हैं' ।

*ये बारह मेद भगवान ने किसके कहे हैं—जीवों के, जीवहिंसा के या असत्यादिक के, ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं सिखा । और न यही बतलाया कि ये पिछले मेद यदि जिनेंद्र भगवान के कहे हुए हैं तो पहले मेद किसके कहे हुए हैं अथवा दोनों का ही कथन विकल्प रूपसे भगवान का किया हुआ है ।

यही उक्त पद्यों का परिचय है। इस परिचय पर से सहृदय पाठक सहज ही में इस बातका अनुभव कर सकते हैं कि ये सब पद्य यहाँ पर पदस्य ध्यान के वर्णन में, पूर्वापर सम्बंध अथवा कथनक्रम को देखते हुए, कितने असंबद्ध तथा बेढंगे मालूम होते हैं और इनके यहाँ दिये जाने का उद्देश्य तथा आशय कितना अस्पष्ट है। एकसौ आठ भेदों की यह गणना भी कुछ विलक्षण जान पड़ती है—भूत, भविष्यत् और वर्तमान कालके भेद से भी हिंसादिक में कोई प्रकार-भेद होता है यह बात इस ग्रंथसे ही पहले पहल जानने को मिली। परंतु यह बात चाहे ठीक हा या न हो किन्तु ज्ञानार्थव के विरुद्ध चरुर है; क्योंकि ज्ञानार्थव में हिंसाके भूत, भविष्यत् और वर्तमान ऐसे कोई भेद न करके उनकी जगह पर संरंभ, समारंभ, और भारंभ, नाम के उन भेदों का ही उल्लेख किया है जो दूसरे तत्त्वार्थ ग्रंथों में पाये जाते हैं; जैसा कि उसके निम्न वाक्य से प्रकट है—

हरन्मादिभिकं योगैः कषायैर्व्याहृतं क्रमात् ।

थतमष्टाधिकं ज्ञेयं हिंसा भेदैस्तु पिण्डितम् ॥८-१०॥

यहाँ पर मैं अपने पाठकों को इतना और भी बताना देना चाहता हूँ कि सोनीजी ने अपनी अनुवाद पुस्तक में पद्य नं० ८८ और ८९ के मध्य में 'उक्तं च तत्त्वार्थे' वाक्य के साथ संरंभसमारंभारंभ-योग' नाम के तत्त्वार्थ सूत्र का भी अनुवादसहित इस ढंग से उल्लेख किया है जिससे वह महारकजी के द्वारा ही उद्धृत जान पड़ता है। परंतु मराठी अनुवाद वाणी प्रति में वैसा नहीं है। हो सकता है कि यह सोनीजी की ही अपनी कर्तव्य हो। परंतु यदि ऐसा नहीं है किन्तु महारकजी ने ही इस सूत्र को अपने पूर्व कथन के समर्थन में उद्धृत किया है और वह ग्रंथ की कुछ प्राचीन प्रतियों में इसी प्रकार से उद्धृत पाया जाता है तो कहना होगा कि महारकजी ने इसे देकर अपनी रचना

को और भी वेदंग किया है—क्योंकि इससे पूर्व कल्प का प्रतीतरह पर समर्पण नहीं होता—अथवा यों कहिये कि सर्व साधारण पर यह प्रकट किया है कि उन्होंने संरंभ, सभारम तथा आरंभ का अभिप्राय क्रमशः मूल, वर्तमान तथा अभिव्यक्त काल समझ है । परंतु ऐसा समझना मूल है; क्योंकि पूरुषपाद जैसे आचार्यों ने सर्वाथसिद्धि आदि ग्रंथों में प्रयत्नान्वेष्य को 'संरंभ' साधनसमन्यासीकरण को 'समारंभ' और प्रक्रम या प्रथमप्रवृत्ति को 'आरंभ' बतलाया है ।

(उ) उक्त पौरो पद्यों के अनन्तर ग्रंथ में बशोकरण, आकर्षण संमन, मारण, विदेवण, उघाटन, श्रांतिकरण और पौष्टिक कर्म नाम के आठ कर्मों के सम्बन्ध में जप की विधि बतलाई गई है—अर्थात् यह प्रकट किया गया है कि किस कर्मविषयक मंत्र को किस समय, किस आसन तथा मुद्रा से, कौनसी दिशा की ओर मुख करके, कैसी माला लेकर और मंत्र में कौनसा पहलव लगाकर जपना चाहिये । साथ ही, कुछ कर्मों के सम्बन्ध में जप के समय माला का दाना पकवने के लिये जो जो अँगुली अँगूठे के साथ काम में लाई जाने उसका भी विधान किया है । यह सब प्रकार का विधि-विधान भी हानार्थक से बाहर की चीज है—उससे नहीं लिया गया है । साथ ही, इस विधान में मालाओं का कल्प दो बार किया गया है, जो दो जगहों से उठाकर रखा गया मालूम होता है और उससे कल्प में कितना ही पूर्वापर विरोध आगया है । यथा:—

* स्तंभकर्मणि.....माला सर्वाभिश्रिता ॥ ६४ ॥

* अर्थात्—एक जगह स्तंभ कर्म में स्वयंभवि की माला का और निषेध (मारण) कर्म में जीवापूते की मालाका (जिसे सोनीजीने पुत्र जीव नामक किसी भाषि की—रत्न की—माला समझा है ।) विधान किया है तब दूसरी जगह स्तंभन तथा पुष्टों के सञ्चारण दोनों

निषेधकर्मणि.....पुत्रजीवकृतामासा ॥ १६ ॥
 स्तंभनेऽदुष्टसन्नाये अपेत् प्रस्तरकर्मराम् ॥ १०८ ॥
 × × × ×
 विद्वेषकर्मणि.....पुत्रजीवकृता मासा ॥ १०९ ॥
 विद्वेषेऽरिदृषीजजा ॥ १०८ ॥
 × × × ×
 शान्तिकर्मणि.....मौक्तिकानां मासा ॥ १०९ ॥
 शान्तये.....जपेदुत्पलमाक्षिकाम् ॥ ११० ॥

मालूम होता है भट्टारकजी को इस विरोध की कुछ भी खबर नहीं पड़ी और वे वैसे ही बिना सोचे समझे इधर उधर से पद्यों का संग्रह कर गये हैं। ११० वें पद्य के उत्तरार्ध में आप लिखते हैं—'षट्-कर्मणि तु प्रोक्तानि पञ्चवा अत्र उच्यते'—अर्थात् छह कर्म तो कहे गये अब पञ्चवों का कथन किया जाता है। परन्तु कथन तो आपने इससे पहले वशीकरण आदि आठ कर्मों का किया है फिर यह छहवीं संख्या कैसी ? और पञ्चवों का विधान भी आप प्रसंगिक कर्म के साथ में कर चुके हैं, फिर उनके कथन की यह नई प्रतिष्ठा कैसी ? और उस प्रतिष्ठा का पावन भी क्या किया गया ? पञ्चवों की कोई खास व्यवस्था नहीं बतलाई गई, महज कुछ मंत्र दिये हैं जिनके साथ में पञ्चव भी लगे हुए हैं और वे पञ्चव भी कई स्थानों पर पूर्व कथन के विरुद्ध हैं। मालूम नहीं यह सब कुछ लिखते हुए भट्टारकजी क्या किसी नये

कर्मों के शिष्ये पत्थर के टुकड़ों की माला बतलाई गई है। विद्वेष कर्म में एक जगह जीवापूते की और दूसरी जगह रीठे के बीज की माला लिखी है और शान्तिकर्म में एक जगह मोतियों की तो दूसरी जगह कमलगह्वों की माला की व्यवस्था की गई है। इस तरह पर यह कथन परस्परविरोध को शिष्ये हुए है।

की हासत में थे, उन्नत थे अथवा उन्हें इतनी भी सूझ बूझ नहीं थी जो अपने समयने स्थित एक ही पत्र पर के पूर्वापर विरोधों को भी समझ सकें ! और क्या इसी विरते अथवा बूते पर आप प्रंपरचना करने बैठ गये ? संभव है मट्टारकजी को घर की ऐसी कुछ क्यादा अकल न हो और उन्होंने किराये के साधारण भद्रमियों से रचना का काम लिया हो और उसी की वजह से यह सब गड़बड़ी फैली हो । परन्तु कुछ भी हो, इसमें संदेह नहीं कि इस ग्रन्थ का निर्माण किसी अच्छे हाथ से नहीं हुआ और इसीलिये यह पद पद पर अनेक प्रकार के विरोधों से भरा हुआ है तथा बहुत ही बेइतमीन को लिये हुए है ।

यहाँ पर पाठकों को यह जानकर बड़ा ही आश्चर्य तथा क्रोधग्रस्त होगा कि मट्टारकजी ने 'साप्ताहिक' के इस अन्वय में विद्वेषण तथा मारण मंत्रों तक के जप का विधान किया है और ऐसे दुष्ट अर्थार्थी मंत्रों के जप का स्थान शमशान मूमि-वतसाया है ॥ खेद है जिस साप्ताहिक की वास्तव आपने स्वयं यह प्रतिपादन किया है कि 'उसमें सब जीवों पर समता भाव रक्खा जाता है, समय में शुभ भावना रहती है तथा आर्च-रीढ़ नाम के अशुभ ध्यानों का त्याग होता है' और जिसके विषय में आप यहाँ तक शिक्षा दे आए हैं कि 'उसके अन्वयासी को जीवन-मरण, लाभ-अस्वाम, योग वियोग, बन्धु शत्रु तथा सुख-दुःख में सदा समता भाव रखना चाहिये—रागद्वेष नहीं करना चाहिये' उसी साप्ताहिक के प्रकरण में आप विद्वेष फैलाने तथा किसी को मारने तक के मंत्रों का विधान करते हैं ॥ यह कितना भारी विरोध तथा

प्यथा—**ॐ ह्रां, अर्हं-इ-थो हूं फदं, ॐ ह्रीं सिद्धेन्धो हूं फदं,**
इत्यादि-विद्वेषमंत्रः ।

ॐ ह्रां अर्हं-इ-थो धेधे इति (इत्यादि ?) मारणमंत्रः ।

+पथा-इ-मशावे दुष्टकार्पार्थं शान्त्याद्यर्थाजिनासये ॥११॥

अन्याय है। क्या ऐसे पाप मंत्रों का जपना भी 'सामायिक' हो सकता है? कदापि नहीं। ऐसे मारणादि-विधायक मंत्रों का आराधन प्रायः हिंसा-नन्दी रौद्र ध्यान का विषय है और वह कभी 'सामायिक' नहीं कहला सकता। भगवज्जिनसेन ने भी ऐसे मंत्रों को 'दुर्मन्त्र' बतलाया है जो प्राणियों के मारण में प्रयुक्त होते हैं* भले ही उनके साथ में अर्हन्तादिक का नाम भी क्यों न लगा हो। और इसलिये यहाँ पर ऐसे मंत्रों का विधान करके सामायिक के प्रकरण का बहुत ही बड़ा दुरुपयोग किया गया है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। और इससे महारकजी के विवेक का और भी अच्छा खासा पता चल जाता है अथवा यह मालूम हो जाता है कि उनमें हेयोदेय के विचार अथवा समस्त ब्रह्म का माहा बहुत ही कम था। फिर वे बेचारे अपनी प्रतिज्ञाओं का पालन भी कहाँ तक कर सकते थे, कहाँ तक वैदिक तथा लौकिक न्यायोह को छोड़ सकते थे और उनमें चारित्र्यत्व भी कितना हो सकता था, जिससे वे अपनी अशुभ प्रवृत्तियों पर विनय पाते और मन्थाचार अथवा ब्रह्मकपट न बतते। अस्तु।

यह तो हुआ प्रतिज्ञादि के विरोधों का दिग्दर्शन। अब मैं दूसरे प्रकार के विरुद्ध कथनों की ओर अपने पाठकों का ध्यान आकृष्ट करता हूँ, जो इस विषय में और भी ज्यादा महत्व को लिये हुए हैं और ग्रंथ को सविशेष रूपसे अमान्य, अश्रद्धेय तथा त्याज्य ठहराने के लिये समर्थ हैं।

दूसरे विरुद्ध कथन ।

लेख के इस विभाग में प्रायः उन कथनों का दिग्दर्शन कराया जायगा जो जैनधर्म, जैनसिद्धान्त, जैननीति, जैनआदर्श, जैन आचार-विचार अथवा जैनशिक्षाचार आदि के विरुद्ध हैं और जैनशासन के

* उद्धरण - दुर्मन्त्रास्तेऽत्र विज्ञेया ये युक्ताः प्राणिमारणे

सर्व जिनका प्रायः कोई मेल नहीं । इससे पाठकों पर ग्रंथ की अस-
लियत और भी अच्छी तरह से छुल जायगी और उन्हें मंत्रकर्ता की
मनोदशा का भी कितना ही विशेष अनुभव हो जायगा अथवा यों कहिये
कि महारकनी की श्रद्धा आदि का उन्हें बहुतसा पता चल जायगा:—

देव, पितर और ऋषियों का घेरा ।

(१) 'शौच' नाम के दूसरे अध्याय में, कुरावा करने का विधान
करते हुए, महारकनी ने लिखा है—

* पुरतः सर्वदेवाश्च दक्षिणे व्यन्तराः [पितरः] स्थिताः [तथा] ।

ऋषयः पृष्ठतः सर्वे वामे गण्डपमुत्सृजेत् [माचरेत्] ॥ ६० ॥

* इस पद्य के अनुवाद में सोनीजी ने बड़ा तमाशा किया है ।
आपने 'पुरतः' का अर्थ 'पूर्व की तरफ', 'पृष्ठतः' का अर्थ 'पश्चिम
की ओर' और 'वामे' पद के साथ में मीलूद होते हुए भी 'दक्षिणे'
का अर्थ दाहिनी ओर न करके, 'दक्षिण दिशा की तरफ' प्रकृत किया
है और इस सकृत् प्रकृती के कारण ही पूर्व, दक्षिण तथा पश्चिम
दिशाओं में क्रमशः सर्व देवों, व्यन्तरों तथा सर्व ऋषियों का विचार
बतला दिया है ! परन्तु 'वामे' का अर्थ थाप 'उत्तर दिशा' न कर
सके और इसलिये आपको "इस तीन दिशाओं में कुरावा न फेंके"
के साथ साथ यह भी लिखना पड़ा— "किन्तु अपनी बाईं ओर फेंके" ।
परन्तु बाईं ओर यदि पूर्व दिशा हों, दक्षिण दिशा हो, अथवा पश्चिम
दिशा हो तब क्या घने और कैसे बाईं ओर कुरावा करने का नियम
ज्ञापन रहे ? इसकी आपको कुछ भी खबर नहीं पड़ी ! और न यही
खयाल आया कि जैनायम में कहीं पर ये दिशाएँ इन देवादिकों के
लिये मखसूस अथवा निर्धारित की गई हैं ! जैसे ही बिना सोचे
समझे ओ जी में आया किन्तु मारा ! ! यह भी वहाँ सोचा कि यदि

अर्थात्—सामने सर्व देव, दाहिनी ओर व्यंतर (पितर) और पीठ पिङ्गली सर्व ऋषि खड़े हैं अतः बाँई तरफ़ कुरसा करना चाहिये । और इस तरह पर, यह सूचित किया है कि मनुष्य को तीन तरफ़ से देव, पितर तथा ऋषिगण घेरे रहते हैं, कुरसा कहीं उनके ऊपर न पड़नाय उसीके लिये यह आह्वित्यात की गई है । परंतु उन लोगों का यह घेरा कुरसे के वक्त ही होता है या स्वामाधिक रूप से हरवक्त रहता है, ऐसा कुछ सूचित नहीं किया । यदि कुरसे के वक्त ही होता है तो उसका कोई कारणविशेष होना चाहिये । क्या कुरसे का तमाशा देखने के लिये ही ये सब लोग उसके इरादे की खबर पाकर जमा हो जाते हैं ? यदि ऐसा है तब तो वे लोग आकाश में कुरसा करने वाले के सिर पर खड़े होकर भी तमाशा देख सकते हैं और छींटों से बच सकते हैं । उनके लिये ऐसी व्यवस्था करने की ज़रूरत ही नहीं—वह निरर्थक जान पड़ती है । और यदि उनका घेरा बराबर में हरवक्त बना रहता है तब तो बड़ी मुशकिल का सामना है—इधर तो उन बेचारों को बड़ी ही कबाइद सी करनी पड़ती होगी, क्योंकि मनुष्य जल्दी २ अपने मुख तथा आसन को इधर से उधर बदलता रहता है, उसके साथ में उन्हें भी जल्दी से पैतरा बदल कर बिना इच्छा भी घूमना पड़ता होगा ! ! और उधर मनुष्यों का थूकना तथा नाक साफ़ करना भी तब इधर उधर नहीं बन सकेगा, जिसके लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई । यह मल भी तो कुरसे के जल से कुछ कम अपवित्र नहीं है । खैर, इसकी व्यवस्था भी हो सकेगी और यह मल भी बाँई ओर फेंका जा सकेगा, पर मूत्रोत्सर्ग के समय—जो उत्सर्ग के सामने की ओर

पूर्व की ओर सारे देव रहते हैं तो फिर इस ग्रंथ में ही पूर्व की ओर मुँह करके मज्जत्याग करने को क्यों कहा गया है ? क्या कुरसा मूत्र की धार से भी गया बीता है ?

ही होता है—देवताओं की क्या व्यवस्था बनेगी, यह कुछ समझ में नहीं आता !! परंतु सगंध में कुछ आध्मो या न आध्मो, कोई व्यवस्था बने या न बने, बड़ी मुशकिल का सामना करना पड़े या छोटी मुशकिल का और कुरसे के बक्त पर उन देवादिकों के उपरिपत होने का भी कोई कारण हो या न हो, किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि जैनधर्म के साथ इस सब कथन का कुछ भी सम्बंध नहीं है—उसकी कोई संगति ठीक नहीं बैठती । जैनधर्म में देवों, पितरों तथा ऋषियों का जो स्वरूप दिया है अपना जीवों की गति-स्थिति आदि का जो निरूपण किया है उसे देखते हुए महारकजी का उक्त कथन उसके बिलकुल विकृत जान पड़ता है और उस अतत्त्व श्रद्धान को पुष्ट करता है जिसका नाम मिथ्यात्व है । भास्कर नहीं उन्होंने एक जैनी के रूप में उसे किस तरह अपनाया है । वास्तव में यह सब कथन हिन्दू-धर्म का कथन है । उक्त श्लोक भी हिन्दुओं के 'प्रयोगपरिनात' ग्रंथ का श्लोक है; और वह 'आन्हिक-सूत्रावलि' में भी, त्रैकिटों में दिये हुए पाठभेद के साथ, प्रयोगपरिनात से उद्धृत पाया जाता है । पाठभेद में 'पितरः' की जगह 'व्यन्तराः' पद का जो विशेष परिवर्तन नज़र आता है वह अधिकांश में लेखकों की छाँटा का ही एक नमूना जान पड़ता है । अन्यथा, उसका कुछ भी महत्व नहीं है, और सर्व देवों में व्यन्तर भी शामिल हैं ।

दन्तधावन करने वाला पापी ।

(२) त्रिवर्णाक्षर के दूसरे अध्याय में, दन्तधावन का बर्खन करते हुए, एक पथ निम्न प्रकार से दिया है—

सहस्रांशावज्जुदिते यः कुर्याद्दन्तधावनम् ।

स पापी मरणं याति सर्वजीवव्यातिगः ॥ ७१ ॥

इसमें सिखा है कि 'सूर्योदय से पहले जो मनुष्य दन्तधावन करता है वह पापी है, सर्व जीवों के प्रति निर्दयी है और (जल्दी) मर जाँता'

है । परंतु उसने पाप का कौनसा विशेष कार्य किया ? कैसे सर्व जीवों के प्रति उसका निर्दयत्व प्रमाखित हुआ ? और शरीर में कौनसा विकार उपस्थित हो जाने से वह जल्दी मर जायगा ! इन सब बातों का उक्त पथ से कुछ भी बोध नहीं होता । आगे पीछे के पथ भी इस विषय में मौन हैं और कुछ उत्तर नहीं देते । लोकन्यबहार भी ऐसा नहीं पाया जाता और न प्रत्यक्ष में ही किसी को उस तरह से जल्दी मरता हुआ देखा जाता है । मालूम नहीं मट्टारकजी ने कहाँ से ये निर्मूल आहार जारी की हैं, जिनका जैननीति अथवा जैनागम से कोई समर्थन नहीं होता । प्राचीन जैनशास्त्रों में ऐसी कोई भी बात नहीं देखी जाती जिससे बेचारे प्रातःकाल उठ कर दन्तधावन करने वाले एक साधारण गृहस्थ को पापी ही नहीं किन्तु सर्व जीवों के प्रति निर्दयी तक ठहराया जाय । और न शरीरशास्त्र का ही ऐसा कोई विधान जान पड़ता है जिससे उस वक्त का दन्तधावन करना मरण का साधन हो सके । वाग्मट जैसे शरीरशास्त्र के आचार्यों ने ब्राह्म मुहूर्त में उठ कर शौच के अनंतर प्रातःकाल ही दन्तधावन का साफ तौर से विधान किया है । वह स्वास्थ्य के लिये कोई हानिकार नहीं हो सकता । और इसलिये यह सब कथन मट्टारकजी की प्रायः अपनी कल्पना जान पड़ता है । जैनधर्म की शिक्षा से इसका कोई खास सम्बंध नहीं है । खेद है कि मट्टारकजी को इतनी भी खबर नहीं पड़ी कि क्या प्रातःसंध्या बिना दन्तधावन के ही हो जाती है * जिसको आप स्वयं ही 'सूर्योदयाच्च प्रागेव प्रातःसंध्या समापयेत्' (३-१३५) वाक्य के द्वारा सूर्योदय से पहले ही समाप्त कर देने को सिखते हैं ! यदि खबर पड़ती तो आप व्यर्थ ही ऐसे

* नहीं होती । मट्टारकजी ने सूर्योदय समय के खान को ज़रूरी बतलाते हुए उसे दन्तधावनपूर्वक करना सिखा है । यथा—
संध्याकाले.. कुर्यात्स्नानप्रयं जिह्वावृत्तधावनपूर्वकम् ॥१०७-१११॥

निःसार वाक्य द्वारा अपने कथन में विरोध उपस्थित न करते । अस्तु;
इसी प्रकार में भट्टारकजी ने दो पद्य निम्न प्रकार से भी दिये हैं—

शुभा [का] कतालहिन्तासकेतक्य [का] अ महा [बृहवु] वटः ।

खजूरी नालिकेरश्च ससैते तुष्यराजकाः ॥ ६६ ॥

तुष्यराजसमोपेतो [तं] यः कुर्याद्वन्तधावनम् ।

निर्दयः पापभागी स्याद्वन्तकायिकं त्यजेत् ॥ ६७ ॥

इनमें से पहले पद्य में सात वृत्तों के नाम दिये हैं, जिनकी 'तुष्य-
राज' संज्ञा है और जिनमें बद्ध तथा खजूर भी शामिल हैं । और दूसरे
पद्य में यह बतलाते हुए कि 'तुष्यराज की जो दौतन करता है वह
निर्दयी तथा पाप का भागी होता है,' परिणाम रूप से यह उपदेश भी
दिया है कि '(अतः) अनन्तकायिक को छोड़ देना चाहिये' । इस
तरह पर भट्टारकजी ने इन वृत्तों की दौतन को अनन्तकायिक बतलाया
है और शायद इसीलिये ऐसी दौतन करने वाले को निर्दयी तथा पाप का
भागी ठहराया हो । सोनीजी ने भी अनुवाद में लिख दिया है—“क्योंकि
इनकी दौतन के भीतर अनन्त जीव रहते हैं ।” परंतु जैनसिद्धान्त में
'अनन्तकायिक' अथवा 'साधारण' वनस्पति का जो स्वरूप दिया है—
जो पहिचान बतलाई है—उससे उक्त बद्ध तथा खजूर आदि की दौतन
का अनन्तकायिक होना छाबिमी नहीं आता । और न किसी माननीय
जैनाचार्य ने इन सब वृत्तों की दौतन में अनन्त जीवों का होना ही
बतलाया है । प्राचीन जैनशास्त्रों में तो 'सप्त तुष्यराज' का नाम भी
सुनाई नहीं पड़ता । भट्टारकजी ने उनका यह कथन हिन्दू-धर्म के ग्रंथों
से उठा कर रखा है । उक्त पद्यों में से पहला पद्य और दूसरे पद्य
का पूर्वाध दोनों 'गोमिच्छ' ऋषि के वचन हैं और वे श्रैकितों में दिये
हुए पाठभेद के साथ 'रसुतिरत्नाकर' में भी 'गोमिच्छ' के नाम से उल्ले-
खित मिलते हैं । गोमिच्छ ने दूसरे पद्य का उत्तरार्ध 'नरञ्ज्याण्डाल-

घोनिः स्याद्याचद् गंगां न पश्यति' दिया या जिसको मंझरकजी ने 'निर्दयः पापभागी स्यादनंतकाधिकं त्यजेत्' के रूप में बदल दिया है। और इस तरह पर ऐसी दौतन करने वाले को पापी आदि सिद्ध करने के लिये उन दौतनों में ही अनंत जीवों की कल्पना कर डाली है !! जो मान्य किये जाने के योग्य नहीं। और न उसके आधार पर ऐसी दौतन करने वाले को पापी तथा निर्दयी ही ठहराया जा सकता है। खेद है कि मंझरकजी ने स्वयं ही दो पद्य पहले—६३ वें पद्य में—'वदस्ताथा' पद के द्वारा, वाग्मट आदि की तरह, बंद की दौतन का विधान किया और ६४ वें पद्य में 'एताः प्रशस्ताः कथिता दन्तधावनकर्मणि' वाक्य के द्वारा उसे दन्तधावन कर्म में श्रेष्ठ भी बतलाया परंतु बाद को गोमिन्न के वचन सामने आते ही आप, उनके कथन की दृष्टि और अपनी स्थिति का विचार भूल कर, एक दम बदल गये और आपको इस बात का मान भी न रहा कि जिस बड़की दौतन का हम अभी विधान कर आए हैं उसका अब निषेध करने आरहे हैं !! इससे कथन की विरुद्धता ही नहीं किंतु मंझरकजी की खासी असमीक्षकारिता भी पाई जाती है।

तेल मझने की विस्तृष्ट फलघोषणा।

-(३) दूसरे अध्याय में, तेलमर्दन का विधान करते हुए, मंझरकजी ने उसके फल का जो बखान किया है वह बड़ा ही विस्तृष्ट है। आप लिखते हैं—

सोमे कीर्तिः प्रसरति चरा रोदियोये विरर्ये

देवाचार्ये सरधितनये वर्धते नित्यमायुः।

तैलाम्यङ्गात्तनुजमरणं दृश्यते सूर्यधारे

भौमे सृत्पुर्मवति च नितरां मार्गवे विस्तनाशः ॥ ८४ ॥

अर्थात्—सोमवार के दिन तेल मझने से उत्तम कीर्ति फैलती है,

बुध के दिन तेल मछने से सुवर्ण की वृद्धि होती है—छापी बढ़ती है—गुरुवार तथा शनिवार के दिन मछने से सदा आयु बढ़ती है, रविवार के दिन मछने से पुत्र का भरण होता है, मंगल के दिन की मांशिक से अपना ही भरण हो जाता है और शुक्रवार के दिन की मांशिक सदा धन का धन किया करती है।

तेल की मांशिक का यह फल कितना प्रत्यक्षविरुद्ध है इसे बतलाने की जरूरत नहीं। सद्व्यवहार पाठक अपने नित्य के अनुभव तथा व्यवहार से उसकी सख्त ही में जाँच कर सकते हैं। इस विषय की और भी गहरी जाँच के लिये जैनसिद्धान्तों को बहुत कुछ टटोला गया और कर्म किलोंसोंकी का भी बहुतोरा मफल किया गया परंतु कहीं से भी ऐसा कोई नियम उपलब्ध नहीं हुआ जिससे प्रत्येक दिन के तेल मर्दन का उसके उक्त फल के साथ अविनामावी सम्बन्ध (व्याप्ति) स्थापित हो सके। वैद्यक शास्त्र के प्रधान ग्रंथ भी इस विषय में मौन मालूम होते हैं। बाग्मट आचार्य अपने 'अष्टांगहृदय' में नित्य तेल मर्दन का विधान करते हैं और उसका फल बतलाते हैं—'अरा, अम तथा वात विकार की हानि, दृष्टि की प्रसन्नता, शरीर की पुष्टि, आयु की स्थिरता, सुनिद्रा की प्राप्ति और त्वचा की दृढ़ता।' और यह फल बहुत कुछ समीचीन मान पड़ता है। यथा—

अभ्यंगमाचरोक्षित्वं स अराअमवातहा ।

दृष्टिमसावपुष्टयायुःक्षमसुत्वस्वदाढ्यैरुत् ॥ ८ ॥

हैं, इस छूँट खोज में, शब्दकल्पद्रुम कोश से, हिन्दू शास्त्रों के दो पद्य बरूर मिले हैं जिनका विषय भट्टारकजी के पद्य के साथ बहुत कुछ मिलता जुलता है, और वे इस प्रकार हैं—

१—अकेंचूनं दहति हृदयं कीर्तितामस्य सोमे

मीमे मृत्युर्ममति नियतं चन्द्रजे पुत्रतामः ।

- १- अथैश्वर्यानिर्मवसि च गुरोः प्रतीचे शोकबुद्धि-
 २- स्तृत्वाभ्यंगासनैवमरजं सूर्यजे दीर्घमायुः॥१॥
 ३- सन्तपः कीर्तिरह्यायुर्धनं निघनमेव च ॥
 ४- शरीरम्यं सर्वकामाप्तिरभ्यंगाद्वास्करादिपु॥

इनमें से पहला पद्य 'ज्योतिःसारसंग्रह' का और दूसरा 'गारुड' के ११४ वें अध्याय का पद्य है। दोनों में परस्पर कुछ अन्तर भी है—
 पहले पद्य में बुध के दिन तेल मसने से पुत्र लाभ का होने का बतलाया है तो दूसरे में धनका होना लिखा है और यह धनका होना मङ्गलकर्मों के पद्य के साथ साम्य रखता है; दूसरे में शनिवार के दिन सर्वकामाप्ति (इच्छाओं की पूर्ति) का विधान किया है तो पहले में दीर्घायु होने का लिखा है और यह दीर्घायु होना भी मङ्गलकर्मों के पद्य के साथ साम्य रखता है। इसी तरह बुधवार के दिन तेलमर्दन का फल एक में 'असिभ्यो' तो दूसरे में 'शोकयुक्त' बतलाया है और मङ्गलकर्मों से 'वित्तनाश' लिखते हैं जो शोक का कारण हो सकता है; शनिवार और बुधवार का फल दोनों में समान है परन्तु मङ्गलकर्मों के पद्य में यह कुछ भिन्न है और सीमाधीन तथा मंगल का तेल चमकाने का फल तीनों में ही समान है। अस्तु; इन पद्यों के सामने आने से इतना तो स्पष्ट हो जाती है कि इस तेलमर्दन के फल का कोई एक नियम नहीं पाया जाता—बस ही जिसकी जो जी में आया उसने वह फल; अपनी रचना में कुछ विशेषता अथवा रंग लाने के लिये, एक दूसरे की देखा देखी बड़े डर्राँ ही बहुत संभव है। मङ्गलकर्मों ने हिन्दू ग्रंथों के किसी ऐसे ही पद्य का अन्वय अनुसरण किया हो, अथवा अक्षरतः बिना अक्षरतः उसे कुछ बदल कर लिया व्यो का सों ही उठाकर रख दिया हो। परन्तु कुछ भी हो, इसमें संदेह नहीं कि उनका उक्त पद्य सैद्धांतिक दृष्टि से जैनधर्म के विरुद्ध है और जैनाचार-विचार के साथ कुछ सम्बंध नहीं रखता।

रविवार के दिन स्नानादिक का निर्णय
 (४) महारकजी दूसरे अध्याय में यह भी लिखते हैं कि रविवार
 (इतवार) के दिन दन्तधावन नहीं करना चाहिये; शैल नहीं मंजना
 चाहिये और न स्नान ही करना चाहिये । यथा—

अर्कवारे व्यतीपाते सक्रान्ती जन्मवासरे ।

अथवा इतकाष्ठं तु व्रतादीनां दिनेषु च ॥ ६६ ॥

अष्टम्यां च चतुर्विंशत्यां पंचम्यामर्कवासरे ।

व्रतादीनां दिनेष्वेव न कुर्यात्सकर्मवर्जम् ॥ ६७ ॥

तस्मात्स्नानं प्रकर्तव्यं रविवारे तु अथवेत् ॥ ६७ ॥

तैलमर्दन को बाधत तो खैर आपन लिख दिया कि उससे पुत्र की
 मर्यादा हो जाती है परन्तु दन्तधावन और स्नान की बाधत कुछ भी
 नहीं लिखा कि उन्हें क्यों न करना चाहिये ? क्या उनके करने से
 रवि महाराज (सूर्यदेवता) नाराज हो जाते हैं ? यदि ऐसा है तब तो
 लोगों को बहुत कुछ विपत्ति में पड़ना पड़ेगा; क्योंकि अधिकांश जनता
 रविवार के दिन साविशेष रूप से स्नान करती है—छुट्टी का दिन होने
 से उस दिन बहुतों को अशुची तरह से तैलादिक मलकर स्नान करने
 का अवसर मिलता है । इसके सिवाय, उस दिन भगवान का पूजादिक
 भी न हो सकेगा, जो महारकजी के कथनानुसार दन्तधावनपूर्वक स्नान की
 अपेक्षा रखता है; उन देवपितरों को भी उसदिन व्यास रहना होगा जिनके
 लिखे स्नान के अवसर पर महारकजी की तरफ से जो जल की व्यवस्था की
 है और जिसकी विचार आगे किया जायगा; और जो लोक में कितनी
 ही अशुचिता छा जायगी और बहुत से धर्मकार्यों को हानि पहुँचेगी;
 बलिक्त त्रिवर्णाचार की स्नानविषयक आचरणयंक्तताओं को देखते हुए तो
 यह कहना भी कुछ अत्याक्ति में दाखिल न होगा कि धर्मकार्यों में एक
 प्रकार का प्रचलन उत्पन्न हो जायगा आत्समन्हीं महारकजीने फिर

क्यों सोचकर रविवार के दिन ज्ञान का निषेध किया है । जैन सिद्धान्तों से तो इसका कुछ सम्बंध है नहीं और न कैनियों के आचार-विचार के ही यह अनुकूल पाया जाता है, प्रत्युत उसके विरुद्ध है । शायद भट्टारकजी को हिन्दूधर्म के किसी ग्रंथ से रविवार के दिन ज्ञान के निषेध का भी कोई वाक्य-मिल गया हो और उसी के भरोसे पर आप ने बैसी आज्ञा जारी करदी हो । परन्तु मुझे तो मुहूर्तचिन्तामणि आदि ग्रंथों से यह मालूम हुआ है कि 'रोगनिर्मुक्त ज्ञान' तक के लिये रविवार का दिन प्रशस्त माना गया है । इसीसे श्रीपतिजी लिखते हैं—**“सद्ये चरे सूर्यकुजेज्यवारे.....स्नानं हितं रोगविमुक्तकानाम्”** । हाँ, दन्तधावन का निषेध तो उनके यहाँ व्यासजी के निम्न वाक्य से पाया जाता है जिसमें कुछ तिथियों तथा रविवार के दिन दौंतों से काष्ठ के संयोग करने की बात लिखा है कि वह सातवें कुछ तक को दहन करता है, और जो आन्हिकसूत्रावली में इस प्रकार से उद्धृत है—

प्रतिपददर्शपट्टीषु नवम्यां रविवासरे ।

इस्तादां काष्ठसंयोगो वहत्यासप्तमं कुङ्कम् ॥

परंतु जैनशासन की ऐसी शिक्षाएँ नहीं हैं, और इसलिये भट्टारकजी का उक्त कथन भी जैनमत के विरुद्ध है ।

घर पर ठंडे जल से स्नान न करने की आज्ञा ।

(५)-भट्टारकजी ने एक जास आज्ञा और भी जारी की है और वह यह है कि 'घर पर कमी ठंडे जल से स्नान न करना चाहिये ।' आप लिखते हैं—

अभ्यङ्गे वैष मांगल्ये गृहे वैष तु सर्वदा ।

शीतोदकेन न स्नायात्त चार्यं तिलकं तथा ॥ ३-२५ ॥

अर्थात्—तेल मसा हो या कोई मांगलिक कार्य करना हो उस

घर, और घर पर हमेशा ही ठंडे जल से स्नान न करना चाहिये और न जैसे स्नान किये बिना तिलक ही धारण करना चाहिये ।

यहाँ तैलकी साक्षिण के अवसर पर गर्म जल से स्नान की बात तो किसी तरह पर समझ में आ सकती है परन्तु घर पर सदा ही गर्म जल से स्नान करने की अपवा ठंडे जल से कभी भी स्नान न करने की बात कुछ समझ में नहीं आती । मालूम नहीं उसका क्या कारण है और वह किस आधार पर अवलम्बित है ! क्या ठंडे जल से स्नान नदी-सरोवरदिक तीर्थों पर ही होता है अन्यत्र नहीं ? और घर पर उसके कर लेने से जलदेवता रुष्ट हो जाते हैं ! यदि ऐसा कुछ नहीं तो फिर घर पर ठंडे जल से स्नान करने में कौन बाधक है ! ठंडा जल स्वास्थ्य के लिये बहुत लाभदायक है और गर्म जल प्रायः रोगी तथा अशक्त गृहस्थों के लिये बतलाया गया है । ऐसी हालत में मन्दारकनी की उक्त आज्ञा समीचीन मालूम नहीं होती—वह जैनशासन के विरुद्ध बैचती है । लोकन्यवहार भी प्रायः उसके विरुद्ध है । शौकिक जन, शत्रु आदि के शत्रुकूल, घर पर स्नान के लिये ठंडे तथा गर्म दोनों प्रकार के जलका व्यवहार करने हैं ।

हाँ, हिन्दुओं के धर्मशास्त्रों से एक बात का पता चलता है और वह यह कि उनके यहाँ नदी आदि तीर्थों पर ही स्नान करने का विशेष माहात्म्य है, उसीसे स्नान का फल माना गया है, अन्यत्र के स्नान से महत् शरीर की शुद्धि होती है, स्नान का जो पुण्यफल है वह नहीं मिलता और इसलिये उनके यहाँ तीर्थाभाव में अपवा तीर्थ से बाहर (घर पर) उष्ण जल से स्नान करलेने की भी व्यवस्था की गई है । सम्भव है उसका एकान्त लेकर ही मन्दारकनी को यह आज्ञा जारी करने की सूझी हो, जो मान्य किये जाने के योग्य नहीं । अन्यथा, हिन्दुओं के यहाँ भी दोनों प्रकार के स्नान का विज्ञान पाया जाता है । यथा:—

नित्यं जैमिष्ठिकं स्नानं क्रियाङ्गं भक्तकर्मणाम् । १ ।

तीर्थयात्रा च तु कर्तव्या मुष्णोर्दिकप्ररोधकैः ॥ च्यमः ॥

कुशौर्ध्वमस्तिकं स्नानं शीतान्निः काम्यमेव च ।

नित्यं यादृच्छिकं चैवं यथाशक्तिः समाचरेत् ॥ चान्द्रिका ॥

—इति स्मृतिरज्ञाकरेः ।

महारकजी ने अपने वक्त पद्य से पहले 'आपः स्वभावतः शुद्धाः' ज्ञान का जो पद्य गर्म जल से ज्ञान की प्रशंसा में दिया है वह भी हिन्दू ग्रंथों से उठाकर रक्खा है। स्मृतिरज्ञाकर में, वहसाधारण से पाठभेद* के साप, जायः ज्यों का लो पाया जाता है और उसे आतुरविषयक—रोगी तथा अशक्तों के ज्ञान सम्बन्धी—सूचित किया है, जिसे महारकजी ने शब्द नहीं समझ और वैसे ही अगले पद्य में समूचे गृहज्ञान के लिये सदा का ठंडे जल का निषेध कर दिया ॥

शुद्धत्व का अद्भुत योग ।

(६) दूसरे अध्याय में, ज्ञान का विधान करते हुए, महारकजी लिखते हैं कि ' जो गृहस्थ सात दिन तक जल से ज्ञान नहीं करता वह शुद्धत्व को प्राप्त हो जाता है—शुद्ध बन जाता है' । यथाः—

साप्ताहाभ्यन्मसाऽज्ञायी गृही शुद्धत्वमाप्नुयात् ॥ ६७ ॥

शुद्धत्व के इस अद्भुत योग कायदा नूतन विधान को देखकर बड़ा आश्चर्य होता है और समझ में नहीं आता कि एक मादाय, खन्निय या वैश्य महज सात दिन के ज्ञान न करने से कैसे शुद्ध बन जाता है !

* वह पाठभेद 'शुद्धाः' की जगह 'मेघ्याः' 'बन्धित-पिताः' की जगह 'बन्धिसंयुताः' और 'अतः' की जगह 'तेन' इतना ही है जो कुछ अप्र-भेद नहीं रखता ।

कहाँ से शूद्रत्व उसके भीतर घुस आता है ? क्या शूद्रत्व का कर्म ज्ञान न करना है ? अथवा शूद्र ज्ञान नहीं किया करते ? शूद्रों को बराबर ज्ञान करते हुए देखा जाता है, और उनका कर्म स्नान न करना कहाँ भी नहीं लिखा। स्वयं महारकनी ने सातवें अध्याय में शूद्रों का कर्म शिवियों की सेवा तथा शिल्प कर्म बतलाया है और यहाँ तक लिखा है कि ये चारों वर्ग अपने अपने नियत कर्म के विशेष से कहे गये हैं, जैनधर्म को पालन करने में इन चारों वर्गों के मनुष्य परम समर्थ हैं और उसे पालन करते हुए वे सब परस्पर में भाई भाई के समान हैं। यथा—

विप्रक्षत्रियवैश्यानां शूद्रास्तु सेवका मता ॥ १४० ॥

तंषु नाना विधं शिल्पं कर्म प्रोक्तं विशेषतः ॥ १४१ ॥

विप्रक्षत्रियविदशूद्राः प्रोक्ताः क्रियाधियेषतः ।

जैनधर्म परां शक्यस्ते सर्वे बान्धवोपमाः ॥ १४२ ॥

फिर आपका यह लिखना कि सात दिन तक स्नान न करने से कोई शूद्र हो जाता है, कितना असंगत है और शूद्रों के प्रति कितना तिरस्कार का चोटक तथा अन्यायमय है, इसे पाठक स्वयं समझ सकते हैं। हाँ, यदि कोई दिन असें तक शिल्पादि कर्म करता रहे तो उसे महारकनी अपने लक्षण के अनुसार शूद्र कह सकते थे परन्तु स्नान न करना कोई शूद्र कर्म नहीं है—उसके लिये रोगादिक के अनेक कारण समी के लिये हो सकते हैं—और इसलिये महत्व उसकी बबह से किसी में शूद्रत्व का योग नहीं किया जा सकता। मालूम नहीं कि सात दिन के बाद यदि वह गृहस्थ फिर नहाना शुरू कर देवे तो महारकनी का दृष्टि में उसका वह शूद्रत्व दूर होता है या कि नहीं ? प्रश्न में इसका वास्तविक ज्ञान नहीं है।

(७) तीसरे अध्याय में महारकनी, उस मनुष्य को जीवत शूद्र के लिये शूद्र ठहराते हैं और मरने पर कुचे वी योनि में जाभा बतलाते

हैं जो संध्याकाल प्राप्त होने पर भी संध्या नहीं करता है ॥ यथा:—

सन्ध्याकाले तु सम्प्राप्ते सन्ध्यां नैवमुपासते ।

जीवमानो भवेच्छूद्रः मृतः श्वा वैष जायते ॥ १४१ ॥

यहाँ भी पूर्ववत् शूद्रत्व का अद्भुत योग किया गया है और इस से यह भी ध्वनित होता है कि शूद्र को संध्योपासन का अधिकारी नहीं समझा गया । परन्तु यह हिन्दूधर्म की शिक्षा है जैनधर्म की शिक्षा नहीं । जैनधर्म के अनुसार शूद्र संध्योपासन के अधिकार से वंचित नहीं रक्खा जा सकता । जैनधर्म में उसे नित्य पूजन का अधिकार दिया गया है * वह त्रिसंध्या—सेवा का अधिकारी है और ऊँचे दर्जे का आश्रक हो सकता है । इसीसे सोमदेवसूरि तथा पं० आशाधरजी ने भी आचारादि की शुद्धि को प्राप्त हुए शूद्र को ब्राह्मणादिक की तरह से धर्मक्रियाओं के करने का अधिकारी बनवाया है; जैसाकि उनके निम्न वाक्यों से प्रकट है:—

“ आचाराऽनवद्यत्वं शुद्धिरुपस्कारः शरीरशुद्धिश्च करोति शूद्रा-
नपि देवद्विजातिपरिकर्मसु योग्यान् ।” —जीतिवाक्यामृत ।

“ अथ शूद्रस्याप्याहारादिशुद्धिमतो ब्राह्मणादिवधर्मक्रियाकारित्वं
यथोचितमनुमन्यमानः प्राह—”

शूद्रोऽप्युपस्काराचारवपुःशुभ्यास्तु तादृशः ।

आत्याहीनेऽपि काष्ठादिसम्भौ ह्यतगास्ति धर्ममाक ॥”

—सागारधर्मासृत सटीक ।

इसके सिवाय, महारकजी ऊपर उद्धृत किये हुए पद्य सं० १४२ में जब स्वयं यह मतवा चुके हैं कि शूद्र भी जैन धर्म का पासन करने में 'परम समर्थ' हैं तो फिर वे संध्योपासन कैसे नहीं कर सकते ?

* शूद्रों के इस सब अधिकार को अच्छी तरह से ज्ञानके किये के लक्षक की शिक्षा हुई 'जिनपूजाधिकार-स्त्रीमासा' नामक पुस्तक को देखना चाहिये ।

और कैसे यह कहा जा सकता है कि जो संध्यासमय संध्योपासन नहीं करता वह जीवित शूद्र होता है ! मालूम होता है यह सब कुछ खिलते हुए महारकजी जैनत्व को अथवा जैन धर्म के स्वरूप को बिलकुल ही मूल गये हैं और उन्होंने बहुधा आँख मीच कर हिन्दू धर्म का अनुसरण किया है । हिन्दुओं के यहाँ शूद्रों को संध्योपासन का अधिकार नहीं—वे बेचारे वेदमन्त्रों का उच्चारण तक नहीं कर सकते—इसलिये उनके यहाँ ऐसे वाक्य बन सकते हैं । यह वाक्य भी उन्हीं के वाक्यों पर से बनाया गया अथवा उन्हीं के ग्रंथों पर से उठा कर रखा गया है । इस वाक्य से मिलता जुलता 'भरीचि' ऋषि का एक वाक्य इस प्रकार है:—

संध्या येन न विद्याता संध्या येनानुपासिता ।

जीवमानो भवेच्छूद्रः सृतः श्वा स्वामिजायते ॥

—आन्धिकसूत्रावलि ।

इस पद्य का उत्तरार्ध और महारकजी के पद्य का उत्तरार्ध दोनों एक हैं और यही उत्तरार्ध जैनदृष्टि से आपत्ति के योग्य है । इसमें भरकर कुत्ता होने का जो विधान है वह भी जैन सिद्धान्तों के विरुद्ध है । संध्या के इस प्रवरण में और भी बितने ही पद्य ऐसे हैं जो हिन्दू धर्म के ग्रंथों से ज्यों के त्यों उठा कर अथवा कुछ बदल कर रखे गये हैं; जैसे 'उत्तमा तारकोपेता', 'अन्होरांश्रेष्व यः सन्धिः' और 'राष्ट्रमंगे वृषोभे' आदि पद्य । और इस तरह पर बहुधा हिन्दू धर्म की औधी-सीधी नकल की गई है ।

(८) ग्यारहवें अध्याय में शूद्रत्व का एक और भी विचित्र योग बतलाया है और वह यह कि जो कन्या विवाह संस्कार से पहले पिता के घर पर ही रजस्वला हो जाय उसे 'शूद्रा (वृषली)' बतलाया गया है और उससे जो विवाह करे उसे शूद्रापति (वृषलीपति) की संज्ञा दी गई है । यथा—

पितुर्गृहे तु या कन्या रजः पश्येदसंस्कृता ।

सा कन्या वृषली ज्ञेया तत्पतिर्वृषलीपतिः ॥ १६६ ॥

मालूम नहीं इसमें कन्या का क्या अपराध समझा गया और उसके स्त्री-धर्म की स्वामाविक प्रवृत्ति में शूद्र की वृत्ति का कौनसा संयोग हो गया जिसकी वजह से वह बेचारी 'शूद्रा' करार दी गई !! इस प्रकार की व्यवस्था से जैनधर्म का कोई सम्बन्ध नहीं । यह भी उसके विरुद्ध हिन्दूधर्म की ही शिक्षा है और उक्त श्लोक भी हिन्दूधर्म की चीज है— हिन्दुओं की विष्णुसंहिता * के २४ वें अध्याय में वह नं० ४१ पर दर्ज है, सिर्फ उसका चौथा चरण यहाँ बदला हुआ है और 'पितृवेश्मनि' की जगह 'पितुर्गृहे तु' बनाया गया अथवा पाठान्तर जान पड़ता है । प्रायः इसी आशय के दो पद्य 'उद्गाहृतत्व' में भी पाये जाते हैं, जिन्हें शब्दकल्पद्रुमकोश में निम्नप्रकार से उद्धृत किया है—

“ पितुर्गृहे च या कन्या रजः पश्यत्यसंस्कृता । . .

शूराहृत्या पितुस्तस्याः सा कन्या वृषली स्मृता ॥”

“ यस्तु तां वरयेत्कन्यां ब्राह्मणो ज्ञानवुर्ध्वलः ।

अध्याजेयमपांकेयं तं विद्याद् वृषलीपतिम् ॥”

इसके सिवाय, ब्रह्मवैवर्तपुराण में भी ' यदि शूद्रां ब्रजेद्विप्रो वृषलीपतिरेव सः ' वाक्य के द्वारा शूद्रागामी ब्राह्मण को वृषली-पति ठहराया है । इस तरह पर यह सब हिन्दू धर्म की शिक्षा है, जिसको महारकबी ने जैन धर्म के विरुद्ध अपनाया है । जैन धर्म के अनुसार किसी व्यक्ति में इस तरह पर शूद्रत्व का योग नहीं किया जा सकता । यदि ऐसे भी शूद्रत्व का योग होने लगे तब तो शूद्र स्त्रियों की ही नहीं किन्तु पुरुषों की भी संख्या बहुत बढ़ जाय और लाखों कुटुम्बों को शूद्र-सन्तति में परिगणित करना पड़े ।।

*देखो बंगवासी प्रेस कलकत्ता का सं० १६६४ का छपा हुआ संस्करण ।

नरकालय में घास ।

(१) शायद पाठक यह सोचते हों कि कन्या यदि विवाह से पहले रजस्वला हो जाती है तो उसमें कन्या का कोई अपराध नहीं—वह अपराध तो उस समय से पहले उसका विवाह न करने वालों का है निम्न कोई सजा नहीं दी गई और बेचारी कन्या को नाहक शूद्रा (वृषली) करार दे दिया गया ! परंतु इस चिंता की बखुरत नहीं, भट्टारकजी ने पहले ही उनके लिये कड़े दण्ड की व्यवस्था की है और पीछे कन्या को शूद्रा ठहराया है । आप उक्त पद्य से पूर्ववर्ती पद्य में ही लिखते हैं कि यदि कोई अविवाहिता कन्या रजस्वला हो जाय तो समझ लीजिये कि उसके माता पिता और भाई सब नरकालय में पड़े—अर्थात्, उसके रजस्वला होते ही उन सब के नरकावास की रजिस्ट्री हो जाती है—शायद नरकायु बँध जाती है—और उन्हें नरक में जाना पड़ता है * । यथा:-

असंस्कृता तु या कन्या रजसा चेतपरिष्कृता ।

भ्रातरः पितरस्तस्याः पतिता नरकाक्षये ॥ १६५ ॥

पाठकगण ! देखा, कितना विचक्षण, भयंकर और कठोर ऑर्डर है ! क्या कोई शास्त्री पंडित जैन सिद्धान्तों से—जैनियों की कर्म फिर्माँसों से—इस ऑर्डर अथवा विधान की संगति ठीक बिठला सकता है ! अथवा यह सिद्ध कर सकता है कि ऐसी कन्याओं के माता पिता और भाई अवश्य नरक जाते हैं ! कदापि नहीं । इसके विरुद्ध में असंख्य प्रमाण जैनशास्त्रों से ही उपस्थित किये जा सकते हैं । उदाहरण के लिये, यदि भट्टारकजी की इस व्यवस्था को ठीक माना जाय तो कहना होगा कि ब्राह्मी और सुन्दरी कन्याओं के पिता भगवान् ऋषभदेव, माताएँ यशस्वती (नंदा) तथा सुनंदा और भाई बाहुबलि तथा भरत चक्र-

* यदि उनमें से पहिले कोई स्वर्ग चले गये हों तो क्या उन्हें भी खिच कर पीछे से नरक में आना होगा ? कुछ समझ में नहीं आता ।

वर्ता आदिक सब नरक गये ; क्योंकि ये दोनों कन्याएँ युवावस्था में घर पर अविवाहिता रहीं और तब वे रजस्वला भी हुईं, यह स्वामाधिक है। परंतु ऐसा कोई भी जैना नहीं कह सकता। सब जानते हैं कि भगवान् ऋषभदेव और उनके सब पुत्र निर्वाण को प्राप्त हुए और उक्त दोनों माताएँ भी ऊँची देवगति को प्राप्त हुईं। इसी तरह सुलोचना आदि हजारों ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी सामने रखे जा सकते हैं जिनके विवाह युवावस्था में हुए जब कि वे रजोधर्म से युक्त हो चुकी थीं और उनके कारण उनके माता पिता तथा माइयों को कहीं भी नरक जाना नहीं पड़ा। अतः भटारकली का यह सब कथन जैन धर्म के अत्यंत विरुद्ध है और हिंदूधर्म की उसी शिक्षा से सम्बंध रखता है जो एक अविवाहिता कन्या को पिता के घर पर रजस्वला हो जाने पर शूद्रा ठहराता है। इस प्रकार के विधिवान्धों तथा उपदेशों ने ही समाज में बाल-विवाह का प्रचार किया है और उसके द्वारा समाज तथा धर्म को मारी, निःसीम, अनिर्वर्चनीय तथा कल्पनातीत हानि पहुँचाई है। ऐसे ज़हरीले उपदेश जबतक समाज में कायम रहेंगे, और उनपर अमल होता रहेगा तबतक समाज का कमी उत्थान नहीं हो सकता, वह पनप नहीं सकता और न उसमें धार्मिक जीवन ही आ सकता है। ऐसी छोटी उम्र में कन्या का विवाह महज उसी के लिये घातक नहीं है बल्कि देश, धर्म और समाज तीनों के लिये घातक है। वास्तव में माता पिता का यह कोई खास प्रार्थ अथवा कर्तव्य नहीं है कि वे अपनी संतान का विवाह करें ही करें और वह भी छोटी उम्र में। उनका मुख्य कर्तव्य तथा धर्म है संतान को सुशिक्षित करना, अनेक प्रकार की उत्तम विद्याएँ तथा कलाएँ सिखलाना, छोटे संस्कारों से उसे अलग रखना, उसकी शारीरिक तथा मानसिक शक्तियों को विकसित करके उनमें दृढ़ता लाना, उसे जीवनयुद्ध में स्थिर रहने तथा विजयी

होने के योग्य बनाना अथवा अपनी संसार यात्रा का सुख पूर्वक निर्वाह करने की क्षमता पैदा कराना और साथ ही उसमें सत्य, प्रेम, वैर्य, उदारता, सहनशीलता तथा परोपकारता आदि मनुष्योचित गुणों का संचार कराके उसे देश, धर्म तथा समाज के लिये उपयोगी बनाना । और यह, सब तभी हो सकता है जबकि ब्रह्मचर्याश्रम के काल को गृहस्थाश्रम का काल न बनाया जावे अथवा विवाह जैसे महत्व तथा जिम्मेदारी के कार्य को एक खेल या तमाशे का रूप न दिया जाय, जिसका दियाजाना नावालिगों का विवाह रचाने की हालत में नरूर समझा जायगा । खेद है भट्टारकजी ने इन सब बातों पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया और वैसे ही दूसरों की देखादेखी ऊटपटांग लिख गारा जो किसी तरह भी मान्य किये जाने के योग्य नहीं है ।

नग्न की विचित्र परिभाषा ।

(१०) तीसरे अध्याय में, बिना किसी पूर्वापर सम्बन्ध अथवा अरु-रत के, 'नग्न' की परिभाषा बतलाने को ढाई श्लोक निम्न प्रकार से दिये हैं—

अपवित्रपटो नग्नो नग्नश्चार्धपटः स्मृतः ।

नग्नश्च मलिनोद्वासी नग्नः कौपीनधानपि ॥२१॥

कपायंवाससा नग्नो नग्नश्चानुत्तरीयमान् ।

अन्तःकच्छो वहिःकच्छो मुक्तकच्छस्तपैष च ॥२२॥

साक्षात्तनः स विज्ञेयो दृश नग्नः प्रकीर्तितः ।

इन श्लोकों में भट्टारकजी ने दस प्रकार के मनुष्यों को 'नग्न' बतलाया है—अर्थात्, जो लोग अपवित्र वस्त्र पहने हुए हों, आधा वस्त्र पहने हों, मैले कुचैले वस्त्र पहने हुए हों, लँगोटी लगाए हुए हों, भगवे वस्त्र पहने हुए हों, महज धोती पहने हुए हों, मीतर कच्छ लगाए हुए हों, बाहर कच्छ लगाए हुए हों, कच्छ बिलकुल न लगाए हुए हों, और वस्त्र से बिलकुल रहित हों, उन सब को 'नग्न' ठहराया

है । मालूम नहीं भट्टारकजी ने नग्न की यह परिभाषा कहाँ से की है । प्राचीन जैन शास्त्रों में तो खंजने पर भी इसका कहीं कुछ पता चलता नहीं !! आम तौर पर जैनियों में 'जातरूपधरो नग्नः' की प्रसिद्धि है । महाकलंकदेव ने भी राजवार्तिक में 'जातरूपधारणं नाग्न्यं' ऐसा लिखा है । और यह अवस्था सर्व प्रकार के वस्त्रों से रहित होती है । हमीसे अमरकोश में भी 'नग्नोऽवासा दिगम्बरे' वाक्य के द्वारा बखररहित, दिगम्बर और नग्न तीनों को एकार्थवाचक बतलाया है । इससे भट्टारकजी की उक्त दशमेदात्मक परिभाषा बड़ी ही विचित्र जान पड़ती है । उनके दस भेदों में से अर्धवस्त्रधारी और औपीनवान् आदि को तो किसी तरह पर 'प्रकदेशनग्न' कहा भी जासकता है परन्तु जो शोग बहुत से मैले कुचैले या अपवित्र वस्त्र पहने हुए हों अथवा इससे भी बढ़कर सर से पैर तक पवित्र भगवे वस्त्र धारण किये हुए हों उन्हें किस तरह पर 'नग्न' कहा जाय, यह कुछ समझ में नहीं आता !! ज़रूर, इसमें कुछ रहस्य है । भट्टारक शोग वस्त्र पहनते हैं, बहूषा भगवे (कषाय) वस्त्र धारण करते हैं और अपने को 'दिगम्बर मुनि' कहते हैं । संभव है, उन्हें नग्न दिगम्बर मुनियों की कोटि में खाने के लिये ही यह नग्न की परिभाषा गढ़ी गई हो । अन्यथा, भगवे वस्त्र वालों को तो हिन्दू ग्रन्थों में भी नग्न लिखा हुआ नहीं मिलता । हिन्दुओं के यहाँ पंच प्रकार के नग्न बतलाये गये हैं और वह पंच प्रकार की संख्या भी विभिन्न रूप से पाई जाती है । -यथा:-

“त्रिकच्छः कच्छुशेषश्च मुक्तकच्छस्तथैव च ।

एकधासा अवासाश्च नग्नः पंचविधः स्मृतः ॥

—आन्धिक तत्त्व ।

“ नग्नो मलिनवस्त्रः स्यान्नग्नो नीलपटस्तथा ।

विकट्योऽनुत्तरीयश्च नग्नश्चावस्त्रं पंचच ॥

“ अकच्छः पुच्छकच्छो वाऽद्विकच्छः कटिघट्टिनः ।

कौपीनकथरख्यं नभः पंचविधः स्मृतः ॥

-स्मृतिरक्षाकर ।

जान पड़ता है हिन्दू ग्रंथों के कुछ ऐसे श्लोकों पर सें ही भट्टारकनी ने अपने श्लोकों की रचना की है और उनमें 'कषायवाससा नभः' जैसी कुछ बातें अपने मतलब के लिये और शामिल करली हैं ।

अधौत का अद्भुत लक्षण ।

(११) तीसरे अध्याय में ही भट्टारकनी, 'अधौत' का लक्षण बतलाते हुए, लिखते हैं—

इषद्धौतं स्त्रिया धौतं शूद्रधौतं च चेटकैः ।

बालकैर्धौतमङ्गलैरधौतमिति भाष्येने ॥ ३२ ॥

अर्थात्—जो (वस्त्र) कम धुला हुआ हो, किसी स्त्री का धोया हुआ हो, शूद्रों का धोया हुआ हो, नौकरों का धोया हुआ हो, या अज्ञानी बालकों का धोया हुआ हो उसे 'अधौत'—बिना धुला हुआ—कहते हैं ।

इस लक्षण में कम धुले हुए और अज्ञानी बालकों के धोये हुए वस्त्रों को अधौत कहना तो कुछ समझ में आता है, परन्तु स्त्रियों, शूद्रों और नौकरों के धोये हुए वस्त्रों को भी जो अधौत बतलाया गया है वह किस आधार पर अवलम्बित है, यह कुछ समझ में नहीं आता । क्या ये लोग वस्त्र धोना नहीं जानते अथवा नहीं जान सकते ? बखर जानते हैं और थोड़े से ही अभ्यास से बहुत अच्छा काम धो सकते हैं । शूद्रों में धोबी (रजक) तो अपनी स्त्रिसहित वस्त्र धोने का ही काम करता है और उसके धोये हुए वस्त्रों को सगरी लोग पहनते हैं । इस्लाम सिवाय, साबुन स्त्रियाँ तथा नौकर वस्त्र धोते हैं और उनके धोए हुए वस्त्र लोक में अधौत नहीं समझे जाते । फिर नहीं मालूम भट्टारकनी किस न्याय अथवा सिद्धान्त से ऐसे लोगों के द्वारा धुले हुए वस्त्रों को अधौत बतलाने का साहस करते हैं !! क्या ध्याय विगर्हितः

स्त्रियों तथा नौकरों को मलिनता का पुंज समझते हैं जो उनके स्पर्श से धौत वस्त्र भी अर्धौत हो जाते हैं ? यदि ऐसा है तब तो बड़ी गद्बड़ी मचेगी और घर का कोई भी सामान पवित्र नहीं रह सकेगा—सभी को उनके स्पर्श से अपवित्र होना पड़ेगा । और यदि वैसा नहीं है तो फिर दूसरी कोई भी ऐसी बजह नहीं हो सकती जिससे उनके द्वारा अच्छी तरह से धौत वस्त्र को भी अर्धौत करार दिया जाय । वास्तव में इस प्रकार का विधान स्त्री जाति आदि का स्पष्ट अपमान है, और वह जैननीति अथवा जैनशासन के भी विरुद्ध है । जैनशासन का स्त्रियों तथा शूद्रों के प्रति ऐसा घृणात्मक व्यवहार नहीं है, वह इस विषय में बहुत कुछ उदार है । हाँ, हिन्दू-धर्म की ऐसी शिक्षा बरूर पाई जाती है । उसके 'दक्ष' ऋषि स्त्रियों तथा शूद्रों के धोए हुये वस्त्र को सब कामों में गर्हित बतलाते हैं । यथा—

ईषद्धौतं स्त्रिया धौतं शूद्रधौतं तथैव च ।

प्रतारितं यमदिशि गर्हितं सर्वकर्मसु ॥

—आण्डिक सूत्रावलि

इस श्लोक का पूर्वार्ध और महारकजी के रत्नोक्त का पूर्वार्ध दोनों प्रायः एक हैं, सिर्फ 'तथैव' को महारकजी ने 'चेटकैः' में बदला है और इस परिवर्तन के द्वारा उन नौकरों के धोए हुये वस्त्रों को भी तिरस्कृत किया है जो शूद्रों से भिन्न 'त्रैवर्णिक' ही हो सकते हैं !

इसीतरह हिन्दुओं के 'कर्मलोचन' ग्रंथ में स्त्री तथा घोषी के धोए हुये वस्त्र को 'अर्धौत' करार दिया गया है; जैसा कि 'शुन्दकल्पद्रुम' में उद्धृत उसके निम्न वाक्य से प्रकट है—

ईषद्धौतं स्त्रिया धौतं यद्धौतं रजकेन च ।

अर्धौतं तद्विज्ञानीयः शशा दक्षिणपश्चिमे ॥

ऐसे ही हिन्दू-वाक्यों पर से महारकजी के उक्त वाक्य की सृष्टि हुई जान पड़ती है । परन्तु इस घृणा तथा बहम के व्यापार में महारकजी

हिन्दुओं से एक कदम और भी आगे बढ़े हुए मालूम होते हैं—उन्होंने त्रैवार्षिक सेवकों के धोए हुये वस्त्रों को ही तिरस्कृत नहीं किया, बल्कि पहले दिनके खुद के धोए हुये वस्त्रों को भी तिरस्कृत किया है। आप लिखते हैं 'अधौत (बिना धोया हुआ), कारु-धौत (शिल्पि शूद्रों का धोया हुआ) और पूर्वधुर्धौत (पहले दिन का धोया हुआ) ये तीनों प्रकार के वस्त्र सर्व कार्यों के अयोग्य हैं—किसी भी काम को करते हुये इनका व्यवहार नहीं करना चाहिये।' यथा—

अधौतं कारुधौतं वा पूर्वधुर्धौतमेव च ।

अयमेतदसम्बन्धं सर्वकर्मसु वर्जयेत् ॥ ३१ ॥

पाठकगण ! देखा, इस बहम का भी कहीं कुछ ठिकाना है ! ! मालूम नहीं पहले दिन धोकर अहतियात से रखे हुए कपड़े भी अगले दिन कैसे विगड़ जाते हैं ! क्या हवा लगकर खराब हो जाते हैं या धरे धरे बुरे जाते हैं ? और जब वह पहले दिन का धोया हुआ वस्त्र अगले दिन काम नहीं आ सकता तो फिर प्रातः संध्या भी कैसे हो सकेगी, जिसे मद्दरकजी ने इसी अध्याय में सूर्योदय से पहले समाप्त कर देना लिखा है ? क्या प्रातःकाल उठकर धोये हुए वस्त्र उसी वस्त्र सूख सकेंगे, या गीले वस्त्रों में ही संध्या करनी होगी ! खेद है मद्दरकजी ने इन सब बातों को कुछ भी नहीं सोचा और न यही खयाल किया कि ऐसे नियम से साग्य का कितना दुरुपयोग होगा ! सच है बहम की गति बड़ी ही विचित्र है—उसमें मनुष्य का विवेक बेकार सा होजाता है ! उसी बहम का यह भी एक परिणाम है जो मद्दरकजी ने अधौत के लक्षण में शूद्रधौत आदि को शामिल करते हुये भी यहाँ 'कारुधौत' का एक तीसरा भेद अलग वर्णन किया है। अन्यथा, शूद्रधौत और चेटकधौत से मिला 'कारुधौत' कुछ भी नहीं रहता। अधौत के लक्षण की मौजूदगी में उसका प्रयोग निश्चुल्ल व्यर्थ और खासिस बहम जान पड़ता है। इस प्रकार के बहमों से यह अंग बहुत कुछ भरा पड़ा है।

पति के विखच्चय धर्म ।

(१२) आठवें अध्याय में, गर्मिणी स्त्री के पति-धर्मों का वर्णन करते हुए, भट्टारकजी लिखते हैं—

पुंसो भार्या गर्मिणी यस्य चासौ सूनोऽश्रीलं क्षौरकर्मात्मनश्च ।

गेहारंभं स्तंभसंस्थापनं च वृद्धिस्थानं दूरयात्रां न कुर्यात् ॥८६॥

शयस्य वाहनं तस्य वहनं सिन्धुदर्शनम् ।

पर्वतारोहणं चैव न कुर्याद्गर्मिणीपतिः ॥ ८७ ॥

अर्थात्—जिस पुरुष की स्त्री गर्भवती हो उसे (उस स्त्री से उत्पन्न) पुत्र का चौखकर्म नहीं करना चाहिये, स्वयं हजामत नहीं बनवानी चाहिये, नये मकान की तामीर न करनी चाहिये, कोई खंभा खड़ा न करना चाहिये, न वृद्धिस्थान बनाना चाहिये और न कहीं दूर यात्रा को ही जाना चाहिये । इसके सिवाय, वह मुर्दे को न उठाए, न उसे जलाए, न समुद्र को देखे और न पर्वत पर चढ़े ।

पाठकगण ! देखा कैसे विखच्चय धर्म हैं !! इनमें से दूरयात्रा को न जाने कौसी बात तो कुछ समझ में आ भी सकती है परन्तु गर्भावस्था पर्यंत पति का हजामत न बनवाना, कहीं पर भी किसी नये मकान की रचना अथवा वृद्धिस्थान की स्थापना न करना, समुद्र को न देखना और पर्वत पर न चढ़ना जैसे धर्मों का गर्म से क्या सम्बन्ध है और उनका पालन न करने से गर्म, गर्मिणी अथवा गर्मिणी के पति को क्या हानि पहुँचती है, यह सब कुछ भी समझ में नहीं आता । इन धर्मों के अनुसार गर्मिणी के पति को आठ नौ महीने तक नख-केश बढ़ाकर रहना होगा, किसी कुटुम्बी अथवा निकट सम्बन्धी के सरजाने पर आवरणकता होते हुए भी उसकी अरधी को कन्धा तक न लगाना होगा, वह यदि बम्बई जैसे शहर में समुद्र के किनारे-तट पर-रहता है तो उसे वहाँ का अपना वासस्थान छोड़ कर अन्यत्र जाना होगा अथवा

झीलों पर पट्टी बाँध कर रहना होगा जिससे समुद्र दिखाई न पड़े, वह निकट की ऐसी तीर्थयात्रा भी नहीं कर सकेगा जिसका पर्वत-भूटों से सम्बंध हो, और अगर वह मंसूरी-शिमला जैसे पार्वतीय प्रदेशों का रहने वाला है तो उसे उस वक्त उन पर्वतों से नीचे उतर आना होगा, क्योंकि वहाँ रहते तथा कारोबार करते वह पर्वतारोहण के दोष से बच नहीं सकता। परन्तु ऐसा करना करना, अथवा इस रूप से प्रवर्तना कुछ भी इष्ट तथा युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता। जैनसिद्धान्तों तथा जैनों के आचार-विचार से इन धर्मों की कोई संगति ठीक नहीं बैठती और न ये सब धर्म, जैनदृष्टि से, गर्भियीपति के कर्तव्य का कोई आवश्यक अंग जान पड़ते हैं। इन्हें भी महारकजी ने प्रायः हिन्दू-धर्म से लिया है। हिन्दुओं के यहाँ इस प्रकार के कितने ही श्लोक पाये जाते हैं, जिनमें से दो श्लोक शब्दकल्पद्रुमकोश से नीचे उद्धृत किये जाते हैं—

“छौरं शवाडुगमनं मन्मथान्तर्गमं च युद्धादियास्तुकरचं त्वतिवूरधानं ।
ब्रह्माहमीपनयनं अक्षधेक्ष गाहमायुः ज्जघार्थमिति यर्मिथिकापतीधाम् ॥”
—मुहूर्तदीपिका ।

“दहनं वपनं वैव चौहं वै गिरिरोहणम् ।

वाव आरोहणं वैव धर्मैर्गर्मिथीपतिः ॥”

—रत्नसंग्रहे, वाक्यः ।

इनमें से पहले श्लोक में छौर (हवामत) आदि कर्मों को जो गर्भियी के पति की आयु के क्षय का कारण मतलाना है वह जैनसिद्धांत के विरुद्ध है। और इसलिये हिन्दू-धर्म के ऐसे कृत्यों का अनुकरण करना जैनियों के लिये अत्यन्त नहीं हो सकता जिनका उद्देश्य तथा शिक्षा जैन-तत्त्वज्ञान के विरुद्ध है। उसी उद्देश्य तथा शिक्षा को लेकर उनका अनुष्ठान करना, निःसंदेह, मिथ्यात्व का वर्णक है। खेद है महारकजी ने इन सब बातों पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया और जैसे ही बिना सोचे समझे अथवा शानि-ज्ञान का विचार किये दूसरों की नक़्क़ कर बैठे !!

आसन की अनोखी फलकल्पना ।

(१३) तीसरे अध्याय में, संध्योपासन के समय चारों ही आश्रम वालों के लिये पंचपरमेष्ठी के जप का विधान करते हुए, महारकजी ने कुछ आसनों का जो फल वर्णन किया है उसका एक श्लोक इस प्रकार है:—

वंशासने दरिद्रः स्यात्पाषाणे व्याधिपीडितः ।

धरण्यां दुःखसंभूतिर्दौर्भाग्यं दारुकासने ॥ १०७ ॥

इस श्लोक में यह बतलाया गया है कि '(जप के समय) बाँस के आसन पर बैठने से मनुष्य दरिद्री, पाषाण के आसन पर बैठने से व्याधि से पीडित, पृथ्वी पर ही आसन लगाने से दुःखों का उत्पन्न-कर्ता और काष्ठ के आसन पर बैठने से दुर्भाग्य से युक्त होता है ।'

आसन की यह फलकल्पना बड़ी ही अनोखी जान पड़ती है । मालूम नहीं, महारकजी ने इसका कहाँ से अवतार किया है !! प्राचीन ऋषिप्रणीत किसी भी जैनागम में तो ऐसी फल-व्यवस्था देखने में आती नहीं !! प्रस्युत इसके, 'ज्ञानार्णव' में योगिराज श्रीशुभचंद्राचार्य ने यह स्पष्ट विधान किया है कि 'समाधि (उत्तम ध्यान) की सिद्धि के लिये काष्ठ के पट्ट पर, शिलापट्ट पर, भूमि पर अथवा रेत के स्थल पर सुदृढ आसन लगाना चाहिये ।' यथा:—

दारुपट्टे शिलापट्टे भूमौ वा सिंक्रतास्थले ।

समाधिसिद्धये धीरो विदध्यात्सुस्थिरासनम् ॥ २८-६ ॥

पाठकाण्ड । देखा, जिन काष्ठ, पाषाण तथा भूमि के आसनों को योगीश्वर महोदय ने समाधि जैसे महान कार्य के लिये अत्यंत-उपयोगी— उसकी सिद्धि में खास तौर से सहायक—बतलाया है उन्हें ही महारकजी क्रमशः दौर्भाग्य, व्याधि और दुःख के कारण ठहराते हैं ! यह कितना विपर्यास अथवा आगम के विरुद्ध कथन है । उन्हें ऐसा प्रतिपादन करते हुए इतना भी स्मरण न हुआ कि इन आसनों पर बैठकर असंख्य योगीजन सद्गति अथवा कल्याण-परम्परा-की प्राप्ति हुए हैं । अस्तु; हिन्दूधर्म में भी इन आसनों

को बुरा अथवा इस प्रकार के दुष्परिणामों का कारण नहीं मतलबाना है बल्कि 'उत्सर्ग' तथा 'प्रशस्त' आसन लिखा है। और इसलिये आसन की उक्त फल-कल्पना अधिकार में महारकनी की प्रायः अपनी ही कल्पना जान पड़ती है, जो निराधार तथा निःसार होने से कदापि मान्य किये जाने के योग्य नहीं। और भी कुछ आसनों का फल महारकनी की निजी कल्पना द्वारा प्रस्तुत हुआ जान पड़ता है, जिसके विचार को यहाँ छोड़ा जाता है।

जूठन न छोड़ने का मयंकर परिणाम।

(१४) बहुत से लोग, जिनमें ज्ञानी और महाचारी भी शामिल हैं, यह समझे हुए हैं कि जूठन नहीं छोड़ना चाहिये—कुत्ते को भी अपना बूटा मोचन नहीं देना चाहिये—और इसलिये वे कभी जूठन नहीं छोड़ते। उन्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि महारकनी ने ऐसे लोगों के लिये जो खा पीकर चरतन खावी जोड़ देते हैं—उनमें कुछ बूटा मोचन तथा पानी रहने नहीं देते—यह व्यवस्था दी है कि 'वे जन्म जन्म में मूख प्यास से पीड़ित होंगे; जैसा कि उनके निम्न व्यवस्था-पथ से प्रकट है—

मुक्त्वा पीत्वा सु तत्पार्श्वं रिक्तं सज्जति यो नरः ।

स मरुः क्षुत्पिपासतौ मधेक्षन्मनि जन्मनि ॥६-२२३॥

मालूम नहीं महारकनी ने जूठन न छोड़ने का यह मयंकर परिणाम कहाँ से निकाला है। अथवा किस आधार पर उसके लिये ऐसी दयह-व्यवस्था की घोषणा की है !! जैन सिद्धान्तों से उनकी इस व्यवस्था का कोई समर्थन नहीं होता—कोई भी ऐसा व्यापक नियम नहीं पाया जाता जो ऐसे निरपराधियों को जन्म जन्म में मूख प्यास की वेदना से पीड़ित रहने के लिये समर्थ हो सके। हाँ, हिन्दू धर्म की ऐसी कुछ कल्पना बरकर है और वक्त पथ भी प्रायः हिन्दू धर्म की ही सम्पत्ति जान पड़ता है। यह साधारण से पाठ—मेद के साथ उन्नके स्पृशितलाकर में उद्धृत मित्रता है। वहीं इस पथ का पूर्वार्ध 'मुक्त्वा पीत्वा च यो मर्त्यः मूर्ख

पात्रं परित्यजेत्' ऐसा दिया है और उत्तरार्ध ज्यों का त्यों पाया जाता है—सिर्फ 'जरः' के स्थान पर 'भूयः' पद का उसमें भेद है। और इस स्रव पाठ—भेद से कोई वास्तविक अर्थ—भेद उत्पन्न नहीं होता। मालूम होता है महारकबी ने हिन्दुओं के प्रायः उक्त पद्य पर से ही अपना यह पद्य बनाया है अथवा किसी दूसरे ही हिंदू ग्रंथ पर से उसे ज्यों ज्यों उठाकर रक्खा है। और इसतरह पर दूसरों द्वारा कल्पित हुई एक व्यवस्था का अन्धाऽनुसरण किया है। भोजनप्रकरण का और भी बहुतसा कथन अथवा क्रियाकांड इस अध्याय में हिन्दू ग्रंथों से उठाकर रक्खा गया है और उसमें कितनी ही बातें निरर्थक तथा खाली बहम को लिये हुए हैं।

देवताओं की रोकथाम ।

(१५) हिन्दुओं का विश्वास है कि इधर उधर' विचरते हुये राक्षसादिक देवता भोजन के सत्व अथवा अन्नबल को हर लेते हैं—खा जाते हैं—और इसलिये उनके इस उपद्रव की रोकथाम के वास्ते उन्होंने मंडल बनाकर भोजन करने की व्यवस्था की है*। वे समझते हैं कि इस तरह गोब, त्रिकोण अथवा चतुष्कोणादि मंडलों के भीतर भोजन रख कर खाने से उन देवताओं की प्रहृण-शक्ति रुक जाती है और उससे भोजन की पूर्णशक्ति बनी रहती है। महारकबी ने उनकी इस व्यवस्था को भी जन्हीं के विश्वास अथवा उदरय के साथ अपनाया है। इसी से आप छठे अध्याय में लिखते हैं—

चतुरस्रं त्रिकोणं च वर्तुलं चार्धचन्द्रकम् ।

कर्तव्यानुपूर्वैश्च मंडलं ब्राह्मणादिषु ॥ १६४ ॥

* गोमयं मंडलं कृत्वा भोक्तव्यमिति निश्चितम् ।

पिशाचा दातुं धानाद्या अक्षाद्याः स्युरमंडले ॥

—स्मृतिरत्नाकर ।

यातुप्रानाः पिशाचाश्च त्वसुरा राक्षसास्तथा ।

मरुति ते [वै] बलमन्नस्य मण्डलेन विवर्जितम् ॥ १६५ ॥

अर्थात्—ब्राह्मणादिक को क्रमशः चतुष्कोण, त्रिकोण, गोस और अर्धचन्द्राकार मंडल बनाने चाहिये । मंडल के बिना भोजन की शक्ति को यातुधान, पिशाच, असुर और राक्षस देवता नष्ट कर डालते हैं ।

ये दोनों श्लोक भी हिन्दू-धर्म से बिये गये हैं । पहले श्लोक को आन्धिकसूत्रावलि में 'ब्रह्मपुराण' का वाक्य लिखा है और दूसरे को 'सृष्टिरत्नाकर' में 'आज्ञेय' ऋषि का बचन सूचित किया है और उसका दूसरा चरण 'ह्यसुराश्चाथ राक्षसाः' दिया है, जो बहुत ही साधारण पाठभेद को लिये हुए है × ।

इस तरह मट्टारकजी ने हिन्दू-धर्म की एक व्यवस्था को उन्हीं के शब्दों में अपनाया है और उसे जैनव्यवस्था प्रकट किया है, यह बड़े ही खेद का विषय है ! जैनसिद्धान्तों से उनकी इस व्यवस्था का भी कोई समर्थन नहीं होता । प्रत्युत इसके, जैनदृष्टि से, इस प्रकार के कथन देवताओं का अवर्णवाद करने वाले हैं—उन पर झूठा दोषारोपण करते हैं । जैनमतानुसार व्यन्तरादिक देवों का भोजन भी मानसिक है, वे इस तरह पर दूसरों के भोजन को श्रुतकर खाते नहीं फिरते और न उनकी शक्ति ही ऐसे निःसत्त्व कार्पणिक मंडलों के द्वारा रोकी जा सकती है । अतः ऐसे मिथ्यात्ववर्धक कथन दूर से ही त्याग किये जाने के योग्य हैं ।

× दूसरे श्लोक का एक रूपान्तर भी 'मार्कण्डेयपुराण' में पाया जाता है और वह इस प्रकार है—

यातुप्रानाः पिशाचाश्च क्रूराश्चैव तु राक्षसाः

हरुति रसमन्नं च मंडलेन विवर्जितम् ॥

—आन्धिकसूत्रावलि ।

एक वस्त्र में भोजन-भजनादिक पर आपत्ति ।

(१६) एक स्थान पर महात्कजी लिखते हैं कि 'एक वस्त्र पहन कर भोजन, देवपूजन, पितृकर्म, दान, होम, और जप आदिक (स्नान, स्नाय्यापादिकं*) कार्य नहीं करने चाहिये । खंड वस्त्र पहन कर तथा वक्रार्ध पहन कर भी ये सब काम न करने चाहियें । यथा—

एकवस्त्रो न भुंजीत न कुर्याद्देवपूज [तार्थ] नम् ॥ ३-३३ ॥

न कुर्यात्पितृकर्मो [कार्या] णि दानं होमं जप्यादिकम् [पं तथा]

एकवस्त्रावृतश्चैव वक्रार्धप्रावृतस्तथा ॥ ३७ ॥

परन्तु क्यों नहीं करने चाहियें ? करने से क्या हानि होती है अथवा कौनसा अनिष्ट संघटित होता है ? ऐसा कुछ भी नहीं सिखा ! क्या एक वस्त्र में भोजन करने से वह भोजन पचता नहीं ? पूजन या भजन करने से वीतराग भगवान भी रुष्ट हो जाते हैं अथवा मन्त्रिरस उत्पन्न नहीं हो सकता ? आश्वर्यादिक का दान करने से पात्र की वृत्ति नहीं होती या उसकी झुझा आदि को शांति नहीं मिल सकती ? स्नाय्याप करने से ज्ञान की संप्राप्ति नहीं होती ? और परमाला का ध्यान करने से कुशल परिणामों का उद्भव तथा आलानुभव का लाभ नहीं हो सकता ? यदि ऐसा कुछ नहीं है तो फिर एक वस्त्र में इन भोजनभजनादिक पर आपत्ति कैसी ? यह कुछ समझ में नहीं आता !! जैवमत में उल्लूक श्रावक का रूप एक वस्त्रवारी माना गया है—इसीसे 'चेसखण्डधरः' 'वस्त्रैकधरः', 'एकशाटकधरः', 'कौपीनमात्रतंत्रः' आदि नामों या पदों से उल्लेख उल्लेख किया जाता है—और वह अपने उस एक वस्त्र

*आदिक शब्द का यह आशय ग्रंथ के अगले 'स्नानं दानं जपं होमं' नाम के पद्य पर से ग्रहण किया गया है जो 'अक्षर'रूप से दिया है और संभवतः किसी हिन्दू-ग्रंथ का ही पद्य मालूम होता है ।

में ही भोजन के अतिरिक्त देवपूजन, स्नाय्याय, दान और जप ध्यानादिक सम्पूर्ण धार्मिक कृत्यों का अनुष्ठान करता है । यदि एक क्षत्र में इन सब कृत्यों का किया जाना निषिद्ध हो तो श्रावक का उत्कृष्ट सिंग ही नहीं बन सकता, अथवा यों कहना होगा कि उसका जीवन धार्मिक नहीं हो सकता । इससे जैनशासन के साथ इस सब कथन का कोई संबंध नहीं बैठता—वह जैनियों की सैद्धान्तिक दृष्टि से निरा सारहीन प्रतीत होता है । वास्तव में यह कथन भी हिन्दू-धर्म से लिया गया है । इसके प्रतिपादक वे दोनों वाक्य भी जो ३६ वें पद्य का उत्तरार्ध और ३७ वें पद्य का पूर्वार्ध बनाते हैं हिन्दू-धर्म की चीज हैं—हिन्दुओं के 'चंद्रिका' ग्रंथ का एक श्लोक है—और स्थितिरत्नाकर में भी, त्रैकिटों में दिये हुए साधारण से पाठमंद के साथ, उद्धृत पाये जाते हैं ।

सुपारी खाने की सजा ।

(१७) भोजनाध्याय * में, साम्बूखविधि का वर्णन करते हुए, महारक्षी लिखते हैं—

अनिधाय मुक्ते पर्वे पूगे खादति यो नरः ।

सप्तजन्मदरिद्रः स्यावन्ते नैव स्मरेन्नितम् ॥ २३३ ॥

* छठे अध्याय का नाम 'भोजन' अध्याय है परन्तु इसके शुरू के १४६ श्लोकों में जिनमंदिरे के निर्माण तथा पूजनादि-सम्बन्धी कितना ही कथन पंसा दिया हुआ है जो अध्याय के नामके साथ संगत मालूम नहीं होता—और भी कुछ अध्यायों में ऐसी गड़बड़ी पाई जाती है—और इससे यह स्पष्ट है कि अध्यायों के विषय-विभाग में भी विचार से ठीक काम नहीं किया गया ।

अर्थात्—जो मनुष्य मुख में पान न रखकर—बिना पान के ही—
सुपारी खाता है वह सात जन्म तक दरिद्री होता है और अन्त में—
मरते समय—उसे जिनेन्द्र भगवान का स्मरण नहीं होता ।

पाठकगण ! देखा, कैसी विचित्र व्यवस्था और कैसा अद्भुत न्याय है ! कहीं तो अपराध और कहीं इतनी सख्त सजा !! इस धार्मिक दण्डविधान ने तो बड़े बड़े अन्यायी राजाओं के भी कान काट लिये !!! क्या जैनियों की कर्म फिलॉसॉफी और जैनधर्म से इसका कुछ सम्बन्ध हो सकता है ? कदापि नहीं । सुपारी के साथ दरिद्र की इस विलक्षण व्याप्ति को मालूम करने के लिये जैनधर्म के बहुत से सिद्धान्त-ग्रन्थों को टटोला गया परंतु कहीं से भी ऐसा कोई नियम उपलब्ध नहीं हुआ जिससे यह लाजिमी आता हो कि सुपारी पान की संगति में रहकर तो दरिद्र नहीं करेगी परंतु अलग सेवन किये जाने पर वह सात जन्म तक दरिद्र को खींच लाने अथवा जन्म कतने में अनिवार्य रूप से प्रवृत्त होगी, और अन्त को भगवान का स्मरण नहीं होने देगी सो जुदा रहा । कितने ही जैनी, जिन्हें पान में साधारण वनस्पति का दोष मालूम होता है, पान नहीं खाते किन्तु सुपारी खाते हैं; अनेक पण्डितों और पंडितों के गुह्य माननीय पं० गोपालदासजी बरैया को भी पान से अलग सुपारी खाते हुये देखा गया परंतु उनकी वाक्य यह नहीं सुना गया कि उन्हें मरते समय भगवान का स्मरण नहीं हुआ । इससे इस कथन का वह अंश जो प्रत्यक्ष से सम्बन्ध रखता है प्रत्यक्ष के विरुद्ध भी है । और यदि उसी जन्म में भी दरिद्र का विधान इस पथ के द्वारा इष्ट है तो वह भी प्रत्यक्ष के विरुद्ध है; क्योंकि बहुत से सेठमाहूकार भी बिना पान के सुपारी खाते हैं और उनके पास दरिद्र नहीं पटकता ।

मालूम होता है यह कथन भी हिन्दू धर्म के किसी ग्रंथ से लिया

गया है। हिंदुओं के 'स्पृशित्वाकर' ग्रंथ में यह श्लोक विसतकुल श्रौं का श्रौं पाया जाता है, सिर्फ अन्तिम चरण का भेद है। अन्तिमचरण वहाँ 'नरकेषु निमज्जति' (नरकों में पड़ता है) दिया है। बहुत सम्भव है महारकनी ने इसी अन्तिमचरण को बदल कर उसके स्थान में 'अन्ते नैव स्मरेत्त्रिनम्' बनाया हो। यदि ऐसा है तब तो इस परिवर्तन से इतना बकर हुआ है कि कुछ सवा कम हो गई है। नहीं तो बेचारे को, सात जन्म तक दरिद्री रहने के सिवाय, नरकों में और जाना पड़ता !! परंतु इस पथ का एक दूसरा रूप भी है जो शुद्ध चिंतामणि की 'पीयूषधारा' टीका में पाया जाता है। उसमें और सब बातें तो श्रौं की श्रौं हैं, सिर्फ 'अनिघाय मुक्ते' की जगह 'अशा-स्त्रविधिना' (शास्त्रविधि का उल्लंघन करके) पद का प्रयोग किया गया है और अन्तिम चरण का रूप 'अन्ते विष्णुं न संस्मरेत्' (अंत में उसे विष्णु भगवान् का स्मरण नहीं होता) ऐसा दिया है। इस अन्तिमचरण पर से महारकनी के उक्त चरण का रचा जाता और भी क्यादा स्वाभाविक तथा संगठित है। हो सकता है महारकनी के सामने हिन्दू-ग्रंथों के ये दोनों ही पथ रहे हों और उन्होंने उन्हीं पर से अपने पथ का रूप गढ़ा हो। परंतु कुछ भी हो, इसमें संदेह नहीं कि जैनसिद्धान्तों के विपक्ष होने से उनका यह सब कथन जैनियों के द्वारा मान्य किये जाने के योग्य नहीं है।

जनेऊ की अजीब करामात ।

(१८) ' यज्ञोपवीत ' नामक अध्याय में, महारकनी ने जनेऊ की करामात का जो वर्णन दिया है उससे मालूम होता है कि ' यदि किसी को अपनी आयु बढ़ाने की-अधिक जीने की-इच्छा हो तो उसे ' हो या तीन जनेऊ अपने गले में डाल देने चाहिये—आयु बढ़ जायगी

(अकाल मृत्यु तो तब शायद पास भी न फटकेगी !), पुत्रप्राप्ति की इच्छा हो तो पाँच जनेऊ ढाख लेने चाहियें—पुत्र की प्राप्ति हो जायगी— और धर्म काम की इच्छा हो तोमी पाँच ही जनेऊ कण्ठ में धारण करने चाहियें, तभी धर्म का काम हो सकेगा अथवा उसका होना अनिवार्य होगा । एक जनेऊ पहन कर यदि कोई धर्म कार्य—जप, तप, होम, दान, पूजा, स्वाध्याय, स्तुति पाठादिक—किया जायगा तो वह सब निष्फल होगा, एक जनेऊ में किसी भी धर्म कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती ।' यथा:—

आयुःकामः सदा कुर्यात् त्रिभियञ्चोपवीतकम् ।

पंचभिः पुत्रकामः स्याद् धर्मकामस्तथैव च ॥ १७ ॥

यञ्चोपवीतेनैकेन जपहोमादिकं कृतम् ।

तत्सर्वं विलयं याति धर्मकार्यं न सिद्ध्यति ॥ १८ ॥

पाठकजन ! देखा, जनेऊ की कैसी अजीब करामात का उल्लेख किया गया है और उसकी संख्यावृद्धि के द्वारा आयु की वृद्धि आदि का कैसा सुगम तथा सस्ता उपाय बतलाया गया है ! ! * मुझे इस

* और भी कुछ स्थानों पर ऐसे ही विलक्षण उपायों का—करामाती जुसकों का—विधान किया गया है; जैसे (१) पूर्व की ओर मुँह करके भोजन करने से आयु के बढ़ने का, पश्चिम की तरफ मुँह करके खाने से धन की प्राप्ति होने का और (२) काँसी के धरतन में भोजन करने से आयुर्वैज्ञानिक की धुन्धि का विधान ! इसी तरह (३) दीपक का मुख पूर्व की ओर कर देने से आयु के बढ़ने का, उत्तर की ओर कर देने से धन की बढपारी का, पश्चिम की ओर कर देने से दुःखों की बत्पत्ति का तथा दक्षिण की ओर कर देने से हानि के पहुँचने का; और सूर्यास्त से सूर्योदय पर्यन्त घर में दीपक के जलते रहने

तपाय-की विसङ्गता अथवा निःसारता आदि के विषय में कुछ विशेष, कहने की शक्करत नहीं है, सहृदय पाठक सहन ही में अपने अनुभव से उसे जान सकते हैं अथवा उसकी जाँच कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ इतना ही बतला देना चाहता हूँ कि महारकजी ने जो यह प्रति-पादन किया है कि 'एक जनेऊ पहन कर कोई भी धर्मकार्य सिद्ध नहीं हो सकता—उसका करना ही निष्फल होता है'

से दरिद्र के भाग जाने अथवा पास न फटकने का विधान ! यथा:—

(१) आयुष्यं प्राङ्मुखो मुंके... . श्रीकामः पश्चिमे [धियं प्रत्यङ्मुखो] मुंके ॥ ६-१६३ ॥

(२) एक एव तु यो मुंके धिमले [गृहस्थः] कांस्यमाजने ।

चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुः प्रहा यशोवहाम् ॥ ६-१६७ ॥

(३) आयुष्ये [वंः] प्राङ्मुखो वीपो घनायोदङ्मुखोमतः

[घनदः स्याद्युदङ्मुखः] ।

प्रत्यङ्मुखोऽपिदुःखाय [दुःखदोऽसौ] हानये [निदो] दक्षिणामुखः ॥

रवेरस्तं समारभ्य यावत्सूर्योदयो भवेत् ।

यस्य तिष्ठेद्गृहे वीपस्तस्य नास्ति दरिद्रता ॥

—अध्याय, ७ वीं ।

और ये सब कथन हिन्दू धर्म के ग्रन्थों से लिये गये हैं—हिन्दुओं के (१) मनु (२) व्यास तथा (३) मरीचि नामक ऋषियों के क्रमशः वचन हैं, जो प्रायः ज्यों के त्यों अथवा कहीं कहीं साधारण से परिवर्तन के साथ उठा कर रक्खे गये हैं। आन्दिफसूत्रावलि में भी ये धाक्य, श्रैकितों में दिये हुए पाठभेद के साथ इन्हीं ऋषियों के नाम से उल्लेखित मिलते हैं। जैनधर्म की शिक्षा अथवा उसके तत्त्व-ज्ञान से इन कथनों का कोई खास सम्बन्ध नहीं है।

वह जैनसिद्धान्त तथा जैननीति के विरुद्ध विरुद्ध है और किसी भी माननीय प्राचीन जैनाचार्य के वाक्य से उसका समर्थन नहीं होता। एक बनेऊ पहन कर तो क्या, यदि कोई बिना बनेऊ पहने भी सच्चे हृदय से भगवान की पूजा—भक्ति में लीन हो जाय, मन लगाकर स्वाध्याय करे, किसी के प्राण बचा कर उसे अभयदान देवे, सदुपदेश देकर दूसरों को सन्मार्ग में लगाए अथवा सस्त्रयम का अभ्यास करे तो यह नहीं हो सकता कि उसे सत्फल की प्राप्ति न हो। ऐसा न मानना जैनियों की कर्मक्रियासौफ्री अथवा जैनधर्म से ही इनकार करना है। जैनधर्मानुसार मन-वचन-काय की शुभ प्रवृत्ति पुण्य का और अशुभ प्रवृत्ति पाप का कारण होती है—ब्रह्म अपने उस फल के लिये यज्ञोपवीत के धागों की साथ में कुछ अपेक्षा नहीं रखती किन्तु परिणामों से खास सम्बन्ध रखती है। सैकड़ों यज्ञोपवीत (बनेऊ) धारी महापातकी देखे जाते हैं और बिना यज्ञोपवीत के भी हजारों व्यक्ति उत्तर भारतदिक् में धर्मकृत्यों का अच्छा अनुष्ठान करते हुए पाये जाते हैं—छियों तो बिना यज्ञोपवीत के ही बहुत कुछ धर्मसाधन करती हैं। अतः धर्म का यज्ञोपवीत के साथ अथवा उसकी पंचसंख्या के साथ कोई अविनाभावी सम्बन्ध नहीं है। और इस लिये भट्टारकजी का उक्त कथन मान्य किये जाने के योग्य नहीं।

तिलक और दर्भ के बंधुए ।

(१६) चौथे अध्याय में, ' तिलक ' का विस्तृत विधान और उसकी अपूर्व गहिमा का गान करते हुए, भट्टारकजी लिखते हैं:—

अपो होमस्तथा दानं स्वाध्यायः पितृत्तर्पणम् ।

जिनपूजा श्रुताख्यानं न कुर्यात्तिलकं विना ॥ ८५ ॥

अर्थात्—तिलक के बिना जप, होम, दान, स्वाध्याय, पितृत्तर्पण जिनपूजा और शास्त्र का व्याख्यान नहीं करना चाहिये ।

परन्तु क्यों नहीं करना चाहिये ? करने से क्या खराबी पैदा हो जाती है अथवा कौनसा उपद्रव खड़ा हो जाता है ? ऐसा कुछ भी नहीं लिखा । क्या तिष्ठक छाप लगाए बिना इनको करने से ये कार्य अधूरे रह जाते हैं ? इनका उद्देश्य सिद्ध नहीं होता ? अथवा इनका करना ही निष्फल होता है ? कुछ समझ में नहीं आता !! हाँ, इतना स्पष्ट है कि भट्टारकजी ने जप-तप, दान, स्वाध्याय, पूजा-भक्ति और शास्त्रो-पदेश तक को तिष्ठक के साथ बँधे हुए समझा है, तिष्ठक के अनुचर माना है और उनकी दृष्टि में इनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं—इनका स्वतंत्रता पूर्वक अनुष्ठान नहीं हो सकता अथवा वैसा करना हितकर नहीं हो सकता । और यह सब जैन शासन के विरुद्ध है । एक बरत में तथा एक जनेऊ पहन कर इन कार्यों के किये जाने का विरोध जैसे युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता उसी तरह पर तिष्ठक के बिना भी इन कार्यों का किया जाना, जैन सिद्धांतों की दृष्टि से कोई खास आपत्ति के योग्य नहीं जँचता । इस विषय में ऊपर (नं० १६ तथा १८ में) जो तर्कणा की गई है उसे यथायोग्य यहाँ भी समझ लेना चाहिये ।

इसी तरह पर तीसरे अध्याय में दर्भ * का माहात्म्य गाया गया है और उसके बिना भी पूजन, होम तथा जप आदिक के करने का निवेध किया है और लिखा है कि पूजन, जप तथा होम के बवसर पर दर्भ में ब्रह्मगाँठ लगानी होती है । साथ ही, यह भी बतलाया है कि नित्य कर्म करते हुए हमेशा दो दर्भों को दक्षिण हाथ में धारण करना चाहिये

* कुश, कौस, वृष और सूँज वपैरह घास, जिसमें गेहूँ, जौ तथा घान्घ की नासियाँ भी शामिल हैं और जिसका इन भेदों का प्रति-पादक श्लोक " अजैन ग्रन्थों से संग्रह " नामक प्रकरण में उद्धृत किया जा चुका है ।

और ज्ञान, दान, जप, यज्ञ तथा स्वाध्याय करते हुए 'दोनों' हाथों में या तो दर्भ के नाख रखने चाहियें और या पवित्रक (दर्भ के बने छुल्ले) पहनने चाहियें । यथा—

द्वौ दर्भौ षष्ठिये हस्ते सर्वथा नित्यकर्मणि ॥ ६२ ॥

ज्ञाने दाने जपे यज्ञे स्वाध्याये नित्यकर्मणि ।

'सपवित्री सदमौ वा करौ कुर्वीत नान्यथा ॥ ६५ ॥

दर्भं विना न कुर्वीत चा चमं जिनपूजनम् ।

जिनयज्ञे जपे हांसे ब्रह्मग्रन्थिर्विधीयते ॥ ६७ ॥

इससे बाहिर है कि भट्टारकजी ने जिनपूजनादिक को तिलक के ही नहीं किन्तु दर्भ के भी बँधुग माना है । आपकी यह मान्यता भी, तिलक सम्बंधी उक्त मान्यता की तरह, जैन शासन के विरुद्ध है । जैनों का आचार विचार भी आम तौर पर इसके अनुकूल नहीं पाया जाता अथवा यों कहिये कि ' दर्भ हाथ में लेकर ही पूजनादिक धर्मकृत्य किये जायँ अन्यथा न किये जायँ ' ऐसी जैनाज्ञाय नहीं है । लाखों जैनी बिना दर्भ के ही पूजनादिक धर्मकृत्य करते आए हैं और करते हैं । नित्य की ' देवपूजा ' तथा यशोनन्दि आचार्य कृत 'पंचपरमेष्ठि पूजापाठ' आदिक ग्रंथों में भी दर्भ की इस आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है । हाँ, हिन्दुओं के यहाँ दर्मादिक के माहात्म्य का ऐसा वर्णन सरूर है—वे तिलक और दर्भ के बिना ज्ञान, पूजन तथा सभ्योपासनादि धर्मकृत्यों का करना ही निष्फल समझने हैं; जैसा कि उनके पद्यपुराण (उत्तर खण्ड) के निम्न वाक्य से प्रकट है—

ज्ञानं संख्यां पंच यज्ञान् पैत्रं दोगादिकर्म यः ।

विना तिलकदर्भाभ्यां कुर्यात्तद्विफलं भवेत् ॥

—शब्दकल्पद्रुम ।

इसी तरह उनके ब्रह्माण्डपुराण में तिखक को वैष्णव का रूप प्रस्तुत किया है और इसके बिना दान, जप, होम तथा स्वाध्यायादिक का करना निरर्थक ठहराया है । यथा—

कर्मादीं तिखकं कुर्याद्भूपं तद्वैष्णवं परं ॥

शो प्रदानं जपो होमः स्वाध्यायः पितृतर्पणम् ।

भस्मीभवति तत्सर्वं सूक्ष्मपुराणं विना कृतम् ॥

—शुक्लकल्पब्रूम ।

हिन्दूग्रंथों के ऐसे वाक्यों पर से ही महारक्षकों ने अपने कथन की सृष्टि की है जो जैनियों के लिये उपादेय नहीं है ।

यहाँ पर मैं अपने पाठकों को इतना और भी बतला देना चाहता हूँ कि महारक्षकों ने तिखक करने का जो विधान किया है वह उसी * चंदन से किया है जो भगवान के चरणों को लगाया जावे—अर्थात्, भगवान के चरणों पर लेप किया हुए चंदन को उतार कर उससे तिखक करने की व्यवस्था की है । साथ ही, यह भी लिखा है कि ' अँगूठे से किया हुआ तिखक पुष्टि को देता है, मध्यमा अँगुली से किया हुआ यश को फैलाता है, अनामिका (कनिष्ठा के पास की अँगुली) से किया गया तिखक धन का देने वाला है और वही प्रदेशिनी (अँगूठे के पास की अँगुली) से किये जाने पर मुक्ति का दाता है ।।
× यह सब व्यवस्था भी कैसी विज्ञान है, इसे पाठक स्वयं समझ

* यथा—

“ त्रिनांघ्रिचन्दनैः स्वस्य शरीरं लेपमाचरेत् । ॥६१॥ ”

“ ललाटे तिखकं कार्यं तेनैव चन्दनेन च ॥ ६३ ॥ ”

× यथा—

अँगुष्ठः पुष्टिदः प्रोक्तो यशसं मध्यमा [मध्यमायुष्करा] भवेत् ।

अनामिका श्रियं [उर्ध्वं] शिवात् [नित्यं] मुक्तिं वचात्

[मुक्तिं च] प्रदेशिनी ॥ ६८ ॥

सकते हैं। इसमें और सब बातें तो हैं ही परन्तु 'मुक्ति' इसके द्वारा अच्छी सस्ती बनादी गई है ! मुक्ति के इच्छुओं को चाहिये कि वे इसे अच्छी तरह से नोट कर लें ! !

सूतक की विडम्बना ।

(२०) जन्म-मरण के समय अशुचिता का कुछ सम्बन्ध होने से लोक में जननाशौच तथा मरणाशौच (सूतक पातक) की कल्पना की गई है, और इन दोनों को शास्त्रीय भाषा में एक नाम से 'सूतक' कहते हैं। जियों का रजस्वलाशौच भी इसी के अन्तर्गत है। इस सूतक के मूल में लोकव्यवहार की शुद्धि का जो तत्व अपना जो अंदरय जिस हद तक संनिहित था, भ्रष्टरकबी के इस ग्रंथ में उसकी बहुत कुछ गिट्टी पलीद पाई जाती है। यह कितने ही अंशों में लक्ष्य-अष्ट होकर अपनी सीमा से निकल गया है—कहीं ऊपर चढा दिया गया तो कहीं नीचे गिरा दिया गया—उसकी कोई एक स्थिर तथा निर्दोष नीति नहीं, और इससे सूतक को एक अम्बड़ी जैसी विडम्बना का रूप प्राप्त हो गया है। इसी विडम्बना का कुछ दिग्दर्शन कराने के लिये पाठकों के सामने उसके दो चार नमूने रखे जाते हैं:—

(क) वर्णक्रम से सूतक (जननाशौच) की मर्यादां का विधान करते हुए, आठवें अध्याय में, ब्राह्मणों के लिये १०, क्षत्रियों के लिये १२, और वैश्यों के लिये १४ दिनोंकी मर्यादा बतलाई गई है। परन्तु तेरहवें अध्याय में क्षत्रियों तथा शूद्रों को छोड़कर, जिनके लिये क्रमशः १२ तथा १५ दिन की मर्यादा दी है, आर्यों के लिये

यह पद्य, ऋकितों में दिये हुए पाठ मंत्र के साथ, हिन्दुओं के ब्रह्मपुराण में पाया जाता है (श० क०) और सम्भवतः वहीं से लिया गया जान पड़ता है।

१० दिनकी मर्यादा का उल्लेख किया है और इस तरह पर ब्राह्मण वैश्य दोनों ही के लिये १० दिनकी मर्यादा बतलाई गई है। इसके सिवाय, एक श्लोक में बर्षों की मर्यादा-विषयक पारस्परिक अपेक्षा (निस्त्रुत, Ratio) का नियम भी दिया है और उसमें बतलाया है कि जहाँ ब्राह्मणों के लिये तीन दिन का सूतक, वहाँ वैश्यों के लिये चार दिन का, क्षत्रियों के लिये पाँच दिन का और शूद्रों के लिये आठ दिन का समझना चाहिये। यथा:—

। प्रसूतेर्दशमे चाग्नि द्वादशे वा चतुर्विंशे ।

। सूतकाशीचशुद्धिः स्याद्विप्राचीनां यथाक्रमम् ॥ ८—१०५ ॥

प्रसूतौ चैव निर्दोषं दशाहं सूतकं भवेत् ।

क्षत्रस्य द्वादशाहं सच्छूद्रस्य पञ्चमात्रकम् ॥ १३-४६ ॥

* त्रिदिनं यत्र विप्राणां वैश्यानां स्याच्चतुर्विनम् ।

क्षत्रियाणां पंचदिनं शूद्राणां च विनाष्टकम् ॥-४७ ॥

इन तीनों श्लोकों का कथन, एक विषय से सम्बन्ध रखते हुए भी, परस्पर में कितना विरुद्ध है इसे बतलाने की जरूरत नहीं; और यह तो स्पष्ट ही है कि तीसरे श्लोक में दिये हुए अपेक्षा-नियम का पहले दो श्लोकों में कोई पाबन नहीं किया गया। उसके अनुसार

* इस श्लोक का अर्थ देने के बाद छोलीजी ने जो भावार्थ दिया है वह उनका निजी कल्पित जाल पड़ता है—मूल से बसका कुछ सम्बन्ध नहीं है। मूल के अनुसार इस श्लोक का सम्बन्ध आगे पीछे दोनों ओर के कथनों से है। आगे भी ६२ वें श्लोक में अमनाशौच की मर्यादा का उल्लेख किया गया है। उस पर भी इस श्लोक की व्यवस्था लगाने से वही बिडम्बना बढ़ी हो जाती है। इसी तरह ४६ वें श्लोक के अनुवाद में जो उन्होंने लिखा है कि 'राजा के लिये सूतक नहीं' वह भी मूल से बाहर की चीज़ है।

ब्राह्मणों के लिये यदि दस दिन का सूतक या तो वैश्यों के लिये प्रायः १३ दिन का, क्षत्रियों के लिये १६ दिन का और शूद्रों के लिये २६ दिन का सूतक-विधान होना चाहिये था। परन्तु वैसा नहीं किया गया। इससे सूतक-विषयक भयादा की अच्छी खासी विडम्बना पाई जाती है, और वह पूर्वाचार्यों के कथन के भी विरुद्ध है, क्योंकि प्रायश्चित्तसमुच्चय और छेदशाखादि गन्धों में क्षत्रियों के लिये ५ दिन की, ब्राह्मणों के लिये १० दिन की, वैश्यों के लिये १२ दिन की और शूद्रों के लिये १५ दिन की सूतक-व्यवस्था की गई है और उसमें जन्म तथा मरण के सूतक का कोई अलग भेद न होने से वह, आतौर पर, दोनों के ही लिये समान जान पड़ती है। यथा:—

क्षत्रब्राह्मणविद्वशूद्रा दिनैः शुद्धयन्ति पंचभिः ।

दशद्वादशभिः पद्माद्यथासंख्यप्रयोगतः ॥ १४३ ॥

—प्रायश्चित्तसं०, चूल्हिका ।

पण दत्त वारस शियमा पणपरसेहि तत्थ दिवसेहि ।

वासिपवभणवहा सुहाह कमेण सुज्जंति ॥ ८७ ॥

—छेदशाख ।

(ख) आठवें अध्याय में महारकजी लिखते हैं कि 'पुत्र पैदा होने पर पिता को चाहिये कि वह पूजा की सामग्री तथा मंगल कलश को लेकर गाने बाने के साथ श्रीनिगममंदिर में जावे और वहाँ, षण्चे की नाक कटने तक प्रति दिन पूजा के लिये ब्राह्मणों की योजना करे तथा दान से संपूर्ण भट्ट-सिद्धकादिकों को तृप्त करे। और फिर तेरहवें अध्याय में यह व्यवस्था करते हैं कि 'नाक कटने तक और सबको तो सूतक लगता है परन्तु पिता और भाई को नहीं लगता। इसीसे वे दान देते हैं और उस दान को लेने वाले अपवित्र नहीं होते हैं। यदि उन्हें भी उसी वक्त से सूतकी मान लिया जाय तो दान ही नहीं बन सकता।' यथा:—

“ पुत्रे जाते पिता तस्य कुर्यादाचमनं मुदा ।
 प्राणायामं विधायोद्यैराचमं पुनराचरेत् ॥ ६३ ॥
 पूजावस्तूनि श्वादाय मंगलं कलशं तथा ।
 महावाद्यस्य निर्घोषं ब्रजेद्धर्मजिनाक्षये ॥ ६४ ॥
 ततः प्रारभ्य सद्विप्रान् जिनाक्षये नियोजयेत् ।
 प्रतिदिनं स पूजार्थं यावन्नाशं प्रच्छेदयेत् ॥ ६५ ॥
 दानेन तर्पयेत् सर्वान् महान् भिक्षुजनान् पिता । ”
 “ जननेऽप्येवमेवाऽद्यं माभ्रादीनां तु सूतकम् ॥
 तदामाऽद्यं पितुर्जातुर्नामिकर्तनतः पुरा ॥ ६२ ॥
 पिता वधास्तदा स्वयंताम्बुलवसनाधिकम् ।
 अशुचिनस्तु नैव स्युर्जनास्तत्र परिग्रहे ॥ ६३ ॥
 तदात्म एव दानस्यानुत्पत्तिर्मवेद्यदि । ”

पाठक जन ! देखा, सूतक की यह कैसी विडम्बना है ! ! घर में मल, दुर्गन्धि तथा रुधिर का प्रवाह बह जाय और उसके प्रभाव से कई कई पीढी तक के कुटुम्बी जन भी अपवित्र हो जाँय—उन्हें सूतक का पाप लग जाय—परन्तु पिता और माई जैसे निकट सम्बन्धी दोनों उस पाप से अछूते ही रहें ! ! ! वे खुशी से पूजन की सामग्री लेकर मंदिर जा सकें और पूजनादिक धर्मकृत्यों का अनुष्ठान कर सकें परन्तु दूसरे कुटुम्बी जन नहीं ! ! और दो एक दिन के बाद जब यथारुचि माल काट दी जाय तो वह पाप फिर उन्हें भी आ पित्तचे—ये भी अपवित्र हो जायँ—और तब से पूजन दानादि जैरो किसी भी अच्छे काम को करने के वे योग्य न रहें ! ! ! इससे अधिक और क्या विडम्बना हो सकती है ! ! ! मालूम नहीं भट्टारकजी ने जैन धर्म के कौन से गूढ़ तत्व के आधार पर यह सब व्यवस्था की है ! ! जैन सिद्धान्तों से तो ऐसी हास्यास्पद बातों का कोई समर्थन नहीं होता । इस व्यवस्था के

अनुसार पिता मर्ह के लिये सूतक क्री बहू कोई मर्यादा भी कायम नहीं रहती जो ऊपर बतलाई गई है । युक्ति-वाद भी महारकजी का बड़ा ही विचक्षण जान पड़ता है ! समझ में नहीं आता एक सूतकी मनुष्य दान क्यों नहीं कर सकता ? उसमें क्या दोष है ? और उसके द्वारा दान लिये हुए द्रव्य तथा सूखे अन्नादिक से भी उनका लेने वाला कोई कैसे अपवित्र हो जाता है ? यदि अपवित्र हो ही जाता है तो फिर इस कल्पना मात्र से उसका उद्धार अपवा रक्षा कैसे हो सकती है कि दातार दो दिन के लिये सूतकी नहीं रहा ? तब तो सूतक के बाद ही दानादिक किया जाना चाहिये । और यदि बरूरत के वक्त ऐसी कल्पनाएँ करनेना भी जायब (विवेक) है तो फिर एक श्रावक के लिये, जिसे नित्य पूजन-दान तथा स्वाध्यायादिक का नियम है, यही कल्पना क्यों न करनी जाय कि उसे अपनी उन नित्यावश्यक क्रियाओं के करने में कोई सूतक नहीं लगता ? इस कल्पना का उस कल्पना के साथ मेल भी है जो ब्रतियों, दीक्षितों तथा ब्रह्मचारियों आदि को पिता के मरण के सिवाय और किसी का सूतक न लगने की बात की गई है * । अतः महारकजी का धक्त हेतुवाद कुछ भी युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता । वास्तव में उनका यह सब कथन प्रायः ब्राह्मणिक मन्तव्यों को लिये हुए है और वहीं कहीं हिन्दू धर्म से भी एक कदम आगे बढ़ा हुआ जान पड़ता है + । जैन धर्म से उसका कोई खास

* यथा:—

व्रतिनां दीक्षितानां च याश्चिक्रब्रह्मचारियाम् ।

शैवाशौचं मधेत्तेषां पितृश्च मरणं विना ॥ १२२ ॥

+ हिन्दू धर्म में नाल कटने के बाद जन्म लेने पौचने छुटे दिन भी पिता को दान देने तथा पूजन करने का अधिकारी बतलाया है और साथ ही यह प्रतिपादन किया है कि ब्राह्मणों को उस दान के लेने में कोई दोष नहीं । यथा:—

सम्बन्ध नहीं है और न बैनियों में, आमतौर पर, नास का काटना दो एक दिन के लिये रोका ही जाता है, यद्यपि वह उसी दिन, जितना रोका होता है, काटदी जाती है और उसको काट देने के बाद ही दानादिक मुख्य कार्य किया जाता है ।

(ग) तेरहवें अध्याय में गृह्यसूत्रों का एक व्यवस्था यह भी करते हैं कि यदि कोई पुत्र दूर देशान्तर में स्थित हो और उसे अपने पिता या माता के घर रह पत्र समाचार मिले तो उस समाचार को सुनने के दिन से ही उसे दस दिन का सूत्रक (पाठक) समेप्य—चाहे वह समाचार उसने कई वर्ष बाद ही क्यों न सुना हो * । यथा:—

पितरं चेतृणो स्यात्तं दूरस्थोपि हि पुत्रकः ।

श्रुत्या तद्दिनमारभ्य पुत्राणां दशरात्रकं [दशाहंरत्नकी भवेत्] ॥७१॥

यह भी सूत्रक की कुछ कम विवक्षना नहीं है । उस पुत्र ने पिता का दाह-जर्म किया नहीं, शव को स्पर्शा नहीं, शव के पीछे रगशान भूमि कां यह गया नहीं और न पिता के मृत शरीर की दूषित धातु ही उस तक पहुँच सके है परन्तु फिर भी—इसने अपने को बाद तथा हजारों मील की दूरी पर बैठा हुआ भी—यह अपवित्र हो जाता है और दान पूजादिक धर्मकृत्यों के योग्य नहीं रहता । यह कितनी हास्यास्पद व्यवस्था है इसे पाठक खप सोच सकते हैं !!! क्या यह

“ अज्ञातकर्मणि दाने च नात्मच्छेदमात्पूर्णे विरुचिकारः एव पंचम-
पञ्चदशमदिने जन्मदादिपूजनेषु दाने चाधिकारः तत्र विप्राणां प्रति-
श्रद्धेयि दोषो न । ”
—आशौचनिर्णय ।

* इसी तरह पत्नी अपने पति पत्नी को भी एक वृत्तरे का सूत्र-
समाचार सुनने पर दस दिन का सूत्रक बतलाया है । यथा:—

मातापित्रोर्नैवाशौचं दशाहं कियते सुतैः ।

अनेकंऽप्येहि दग्नात्सोस्तथैव स्यात्परस्परम् ॥ ७४ ॥

भी जैन धर्म की व्यवस्था है ? छेदपिण्डादि शास्त्रों में तो जलाऽनल-
प्रवेशादिद्वारा मरे हुएों की तरह परदेश में मरे हुएों का भी सूतक
नहीं माना है । यथा:—

वानत्तथसूरत्तथजलत्तथादिपिण्डादिफलेहि ।

अस्यस्यपरदेशेसु य मुदास्य खलु सूतगं खलिय ॥ ३५३ ॥

—छेदपिण्ड ।

कोइयसूरत्तविही जलाहपरदेशेसवालसत्तथासे ।

मरिदे खये थ सोही वदसद्विदे चेथ सांगारे ॥ २६ ॥

—छेद शास्त्र ।

इससे उक्त व्यवस्था को जैनधर्म की व्यवस्था बतलाना और भी
आपत्ति के योग्य हो जाता है । महारकजी ने इस व्यवस्था को हिन्दू धर्म
से लिया है, और वह उसके 'मरीचि' ऋषि की व्यवस्था है * ।
उक्त श्लोक भी मरीचि ऋषि का वाक्य है और उसका अन्तिम चरण
है 'दशाहं सूतकी भवेत्' । महारकजी ने इस चरण को बदल
कर अंशभी बगह 'पुत्राणां दशरात्रकं' बनाया है और उनका यह
परिवर्तन बहुत कुछ बेढंगा जान पड़ना है, जैसा कि पहिले ('अनैन-
ग्रन्थो से संग्रह' प्रकरण में) बतलाया जा चुका है ।

: ('घ') इसी तरहवें अध्याय में महारकजी एक और भी अनोखी
व्यवस्था करते हैं । अर्थात्, लिखते हैं कि ' यदि कोई अपना कुटुम्बी

* मनु आदि ऋषियों की व्यवस्था इससे भिन्न है और उसको
आत्मके के लिये 'मनुस्मृति' आदि को लेखना चाहिये-। यहाँ पर एक
वाक्य पराशरस्मृति का उद्धृत किया जाता है जिसमें ऐसे अथसद
पर सद्यः शौच की-तुरत शुद्धि कर लेने की-व्यवस्था की गई
है । यथा:—

देशान्तरसुतः काञ्चित्सगोत्रः भूपते यदि ।

न त्रिरात्रमशौचं सद्यः स्नात्वा शुचिर्भवेत् ॥ ३-१२४ ॥

जब दूर देशान्तर को गया हो, और उसका कोई समाचार पूर्वादि व्यवस्था-क्रम से २८, १५ या १२ वर्ष तक हुनाई न पड़े तो इसके बाद उसका विधिपूर्वक प्रेतकर्म (मृतक संस्कार) करना चाहिये—सूतक (पातक) मनाना चाहिये—और श्राद्ध करके छह वर्ष तक का प्रायश्चित्त लेना चाहिये । यदि प्रेतकर्म्य हो चुकने के बाद वह या अन्य तो उसे भी के घरे तथा सर्व औषधियों के रस से नहलाना चाहिये, उसके स्रव संस्कार फिर से करके उसे प्लोपनीत देना चाहिये और यदि उसकी पूर्वपत्नी मौजूद हो तो उसके साथ उसका फिर से विवाह करना चाहिये । यथा:—

दूरदेशं गते भार्ता दूरतः श्रूयते न चेत् ।
यदि पूर्ववपस्कस्य पावरस्याहपरिवृत्तिः ॥ ८० ॥
तथा मध्यवपस्कस्य श्रूयते पंचवशीत् तत् ।
तथाऽपूर्ववपस्कस्य स्याद् द्वादशवत्सरम् ॥ ८१ ॥
अत ऊर्ध्वं प्रेतकर्म कार्यं तस्य विधानतः ।
आहं कृत्वा पश्चदं तु प्रायश्चित्तं स्याद्विहितः ॥ ८२ ॥
प्रेतकार्ये कृते तस्य यदि चेत्पुनरागतः ।
श्रुतकृम्येव संस्नाप्य सर्वौषधिसिरप्यथ ॥ ८३ ॥
संस्काराश्चकृत्वा कृत्वा मौञ्जीघन्त्रमाचरेत् ।
पूर्वपत्न्या सहैवास्य विवाहः कार्ये एषोहि ॥ ८४ ॥

पाठकगण ! देखिये, इस विदम्बना का भी कुछ ठिकाना है ! बिना मरे ही मरना मना लिया गया ॥ और उसके मनाने की भी बरत समझी गई ॥ यह विदम्बना पूर्व की विदम्बनाओं से भी बढ़ गई है । इस पर अधिक सिखाने की बरत नहीं । जैन धर्म से ऐसी बिना स्तिर पैर की विदम्बनात्मक व्यवस्थाओं का कोई सम्बन्ध नहीं है ।

(८) सूतक मनाने के हतने पत्नी महारफनी भागे चक्कर सिखते हैं:—

व्याधितस्य कर्णस्य ऋणग्रस्तस्य सर्वदा ।

क्रियाहीनस्य मूर्खस्य क्लीबितस्य विशेषतः ॥११६॥

व्यसनासक्तचित्तस्य पराधीनस्य नित्यशः ।

श्राद्धत्यागविहीनस्य षण्दपाषण्डपापिनाम् ॥ १२० ॥

पतितस्त्र च दुष्टस्य भस्मांतं सूतकं भवेत् ।

यदि दग्धं शरीरं चेत्सूतकं तु दिनत्रयम् ॥ १२१ ॥

अर्थात्—जो लोग व्याधि से पीड़ित हों, कृपण हों, हमेशा कर्ण-दर रहते हों, क्रिया-हीन हों, मूर्ख हों, सविशेष रूप से स्त्री के वश-वर्ती हों, व्यसनासक्तचित्त हों, सदा पराधीन रहने वाले हों, श्राद्ध न करते हों, दान न देते हों, नपुंसक हों, पाषण्डी हों, पापी हों, पतित हों अथवा दुष्ट हों, उन सब का सूतक भस्मान्त होता है—अर्थात्, शरीर के भस्म हो जाने पर फिर सूतक नहीं रहता। सिर्फ उस मनुष्य को तीन दिन का सूतक लगता है जिसने दग्धक्रिया की हो।

इस कथन से सूतक का मामला कितना खल्लट पकट हो जाता है उसे बतलाने की जरूरत नहीं, सहृदय पाठक सहज ही में उसका अनुभव कर सकते हैं। मालूम नहीं महारकनी का इस में क्या रहस्य था। उनके अनुयायी सोनीनी भी उसे खोल नहीं सके और वैसे ही दूसरों पर अश्रद्धा का आक्षेप करने बैठ गये।। हमारी राय में तो इस कथन से सूतक की विदम्बना और भी बढ़ जाती है और उसकी कोई एक निर्दिष्ट अथवा स्पष्ट नीति नहीं रहती। लोक व्यवहार भी इस व्यवस्था के अनुकूल नहीं है। वस्तुतः यह कथन भी प्रायः हिन्दू धर्म का कथन है। इसके पहले दो पद्य 'आग्नि' ऋषि के वचन हैं और वे 'अग्निस्मृति' में क्रमशः नं० १०० तथा १०१ पर दर्ज हैं, सिर्फ इतना भेद है कि वहाँ दूसरे पद्य का अन्तिम चरण 'भस्मान्तं सूतकं भवेत्' दिया है, जिसे महारकनी ने अपने तीसरे पद्य का दूसरा

चरख बनाया है और उसकी जगह पर 'अथसप्तपञ्चदशपापिनाम्' नाम का चरख रख दिया है ।।

इसी तरह पर और भी कितने ही कथन अथवा निधि-विधान ऐसे पाये जाते हैं, जो सूतक-मर्यादा की निःसार विधमतादि-विषयक विद्वान्मताओं को छिये हुए हैं और जिन से सूतक की नीति निरपह्न नहीं रहती; जैसे विवाहिता पुत्री के पिता के घर पर मर जाने अथवा उसके बड़ा बच्चा पैदा होने पर सिर्फ तीन दिन के सूतक की व्यवस्था का दिया जाना ! इत्यादि । और ये सब कथन भी अधिकांश से हिन्दू धर्म से छिये गये अथवा उसकी नीति का अनुसरण करने किये गये हैं ।

यहाँ पर मैं अपने पाठकों को सिर्फ इतना और बतला देना चाहता हूँ कि महारकबी ने उस हालत में भी सूतक अथवा किसी प्रकार के अशौच को न मानने की व्यवस्था की है जब कि ब्रह्म (पूजन हवनदिक) तथा ब्रह्म्यासादि कर्मों का प्रारम्भ कर दिया गया हो और बीच में कोई सूतक आ पके अथवा सूतक मानने से अपने ब्रह्म से ब्रह्म की द्युति का प्रसंग उपस्थित हो । ऐसे सब अवसरों पर कौत्स दृष्टि कर ली जाती है अथवा मान ली जाती है, ऐसा महारकबी का कहना है । यथा:—

समारण्येषु वा यद्ब्रह्मब्रह्म्यासादिकर्मसु ।

बहुद्रव्यविमले तु सद्यशौचे विधीयते ॥ १२४ ॥

परन्तु विवाह-प्रकरण के अवसर पर आप अपने इस व्यवस्थानियम को मुखा गये हैं । यहाँ विवाह-यज्ञ का होम प्रारम्भ हो जाने पर अब यह माहस होता है कि कन्या रक्त्वचा है तो आप तीन दिन के छिये विवाह को ही सुवतयी (स्थागि) कर देते हैं और चौथे दिन उसी क्षति में फिर से होम करके कन्यादानादि छप कर्मों को

पूरा करने की व्यवस्था देते हैं । * आपको यह भी खयाल नहीं रहा कि तीन दिन तक चारात के वहाँ और पड़े रहने पर जेटी बाधे का कितना खर्चे बढ़ जायगा और साथ ही वासतियों को भी अपनी आर्थिक हानि के साथ साथ कितना कष्ट उठाना पड़ेगा ! !—यह भी तो बहुत दृश्यविनाश का ही प्रसंग था और साथ ही यह भी प्रारम्भ हो गया था जिसका कोई खयाल नहीं रक्खा गया—और न आप को यही ध्यान आया कि जिस ब्रह्मसूरी-त्रिवर्णाचार से हम यह पथ उठा कर रख रहे हैं उसमें इसके ठीक पूर्व ही ऐसे अवसरों के बिये भी सद्यःशौच की व्यवस्था की है—अर्थात्, लिखा है कि उस घर तथा कन्या के बिये जिसका विवाहकार्य प्रारम्भ हो गया हो, उन लोगों के बिये जो होम आद्य, महादान तथा तीर्थयात्रा के कार्यों में प्रवर्त रहे हों और उन ब्रह्मचारियों के बिये जो प्रायश्चित्तादि नियमों का पालन कर रहे हों, अपने अपने कार्यों को करते हुए किसी सूतक के उपस्थित हो जाने पर सद्यःशौच की व्यवस्था है + । अस्तु; महारकनी को इस विषय का ध्यान अथवा खयाल रहा हो या न रहा हो और वे भूल गये हों या मुका गये हों परंतु

* यथा:—

विवाहहोमे प्रकान्ते कन्या यदि रजस्रवा ।

त्रिरात्रं दग्मनी स्यातां पृथक्शय्यासनाशनी ॥ १०६ ॥

चतुर्थेऽहनि संस्नाता तस्मिन्नग्नौ यथाविधि ।

विवाहहोमं कुर्यात् कन्यादानादिकं तथा ॥ १०७ ॥

+ यथा:—

उपक्रान्तविवाहस्य घरस्थापि स्त्रियस्तथा ।

होमआद्यमहादानतीर्थयात्राप्रवर्तिनाम् ॥ ८-७२ ॥

प्रायश्चित्तादिनियमवर्तिनीं ब्रह्मचारिणाम् ।

इत्येषां सखल्लेषु सद्यः शौचं निकपितम् ॥ ८-८० ॥

इसमें सन्देह नहीं कि ग्रंथ में उनके इस विधान से सूक्त की नीति और भी ज्यादा अस्थिर हो जाती है और उससे सूक्त की विद्वानता बढ़ जाती है अथवा यों कहिये कि उसकी गिद्धी खराब हो जाती है और कुछ मूल्य नहीं रहता । राय ही, यह भाव्य होने लगता है कि ' यह अपनी वर्तमान स्थिति में महज काल्पनिक है; उसका मानना न मानना समय की बहुरत, लोकस्थिति अथवा अपनी परिस्थिति पर अवलम्बित है—लोक का वातावरण बदल जाने अथवा अपनी किसी खास ज़रूरत के खदे हो जाने पर उसमें यथेच्छ परिवर्तन ही नहीं किया जा सकता बल्कि उसे सारा धरा भी बतलाया जा सकता है; वास्तविक धर्म अथवा धार्मिक तत्त्वों के साथ उसका कोई खास सम्बन्ध नहीं है—उसको उस रूप में न मानते हुए भी पूजा, दान, तथा स्वाध्यायादिक धर्मकृत्यों का अनुष्ठान किया जा सकता है और उससे किसी अनिष्ट फल की सम्भावना नहीं हो सकती ' । चुनौति भरत चक्रवर्ती ने, पुत्रोत्पत्ति के कारण घर में सूक्त होते हुए भी, भगवान् ऋषभदेव को केवलज्ञान उत्पन्न होने का शुभ समाचार पाकर उनके समयसरण में जाकर उनका साक्षात् पूजन किया था, और वह पूजन भी अकेले अथवा चुपचाप नहीं बल्कि घूसवाम के साथ अपने माइयों, बहिनों तथा पुरानों को साथ लेकर किया था । उन्हें ऐसा करने से कोई पाप नहीं लगा और न उसके कारण कोई अनिष्ट ही संघटित हुआ । प्रत्युत इसके, शास्त्र में—भगवन्निसेनप्रणीत आदिपुराण में—उनके इस सद्बिचार तथा पुण्योपार्जन के कर्म की प्रशंसा ही की गई है जो उन्हें नि पुत्रोत्पत्ति के उत्सव को भी गौरव फरके पहले भगवान् का पूजन किया । भरतजी के मस्तक में उस वस्तु इस प्रकार की किसी कल्पना का उदय तक भी नहीं हुआ कि ' पुत्रजन्य के योग-मात्र से हम सब कुटुम्बीजन, सूक्त गृह में प्रवेश न करते हुए भी,

अपवित्र हो गये हैं—कुछ दिन तक बलात् अपवित्र ही रहेंगे—और इस लिये हमें भगवान् का पूजन न करना चाहिये; बल्कि वे कुछ देर तक सिर्फ इतना ही सोचन रहे कि एक साथ उपस्थित हुए इन कार्यों में से पहले कौनसा कार्य करना चाहिये और अन्त को उन्होंने यही निश्चय किया कि यह सब पुत्रोत्पत्ति आदि शुभ फल धर्म का ही फल है, इस लिये सब से पहिले देवपूजा रूप धर्म कार्य ही करना चाहिये जो श्रेयो-नुबन्धी (कल्याणकारी) तथा महाफल का दाता है । और तदनुसार ही उन्होंने, सूतकावस्था में, पहले भगवान् का पूजन किया + । भरतजी यह भी जानते थे कि उनके भगवान् भीतराग हैं, परम पवित्र और पतितपावन हैं; यदि कोई, शरीर से अपवित्र मनुष्य उनकी उपासना करता है तो वे उससे नाखुश (अप्रसन्न) नहीं होते और न उसके शरीर की छुआ पड़ जाने अथवा बायु लग जाने से अपवित्र ही हो जाते हैं; बल्कि वह मनुष्य ही उनके पवित्र गुणों की स्मृति के योग से स्वयं पवित्र हो जाता है * । इससे भरतजी को अपनी सूतकावस्था की कुछ चिंता भी नहीं थी ।

मान्य होता है ऐसे ही कुछ कारणों से जैन धर्म में सूतकाचरण को कोई विशेष महत्त्व नहीं दिया गया । उसका आचरण की-उन ५३ क्रियाओं में नाम तक भी नहीं है जिनका आदिपुराण में विस्तार के साथ वर्णन किया गया है और जिन्हें ' सम्यक् क्रियाएँ ' सिखा है,

+ देखो एक आदिपुराण का २४ वाँ पर्व ।

* नित्य की ' देवपूजा ' में भी ऐसा ही भाव व्यक्त किया गया है और उस अपवित्र मनुष्य को तब बाह्याभ्यन्तर दोनों प्रकार से पवित्र माना है । यथा:—

अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा ।

यः स्मरेत्परमात्मानं स बाह्याभ्यन्तरे शुचिः ॥

बल्कि भगवज्जिनसेन न 'आधानादिश्मशानान्त' नाम से प्रसिद्ध होने वाली दूसरे लोगों की उन विभिन्न क्रियाओं को जिनमें 'सूतक' भी शामिल है 'मिथ्या क्रियाएँ' बतलाया है * । इससे जैनियों के लिये सूतक का कितना महत्व है यह और भी स्पष्ट हो जाता है । इसके सिवाय, प्राचीन साहित्य का वहाँ तक भी अनुशीलन किया जाता है उससे यही पता चलता है कि बहुत प्राचीन समय अथवा जैनियों के अम्युदय काल में सूतक को कभी इतनी महत्ता प्राप्त नहीं थी और न वह ऐसी विद्वम्बना को ही लिये हुए था जैसी कि महारकनी के इस ग्रंथ में पाई जाती है । महारकनी ने किसी देश, काल अथवा सम्प्रदाय में प्रचलित सूतक के नियमों का जो यह बेढगा सप्रह करके उसे शास्त्र का रूप दिया है और सब जैनियों पर उसके अनुकूल आचरण की जिम्मेदारी का भार लादा है वह किसी तरह पर भी समुचित प्रतीत नहीं होता । जैनियों को इस विषय में अपनी बुद्धि से काम लेना चाहियं और केवल प्रवाह में नहीं बहना चाहिये— उन्हें, जैनदृष्टि से सूतक के तत्व को समझते हुए, उसके किसी नियम उपनियम का पालन उस हद तक ही करना चाहिये जहाँ तक कि लोक-व्यवहार में ग्लानि भेटने अथवा शुचिता ✽ सम्पादन करने के साथ उसका सम्बंध है और अपने सिद्धान्तों तथा ऋताचरण में कोई

* देखो इसी परीक्षा लेख का 'प्रतिज्ञाविरोध' नाम का प्रकरण ।

✽ यह शुचिता प्रायः भोजनपान की शुचिता है अथवा भोजनपान की शुद्धि को सिद्ध करना ही सूतक-पातक-सम्बन्धी बर्जनों का मुख्य उद्देश्य है, ऐसा लाटीसंहिता के निम्न वाक्य से श्रानित होता है :—

सूतकं पातकं चापि यथोक्तं जैनशास्त्रे ।

एषयाशुद्धिसिद्धयर्थं बर्जयेच्छ्रावकाग्रथीः ॥ ५-२५६ ॥

बाधा नहीं आती । बहुधा परस्पर के खान-पान तथा विरादरी के जैन देन तक ही उसे सीमित रखना चाहिये । धर्म पर उसका आतंक न बनना चाहिये, किन्तु ऐसे अवसरों पर, भरतनी की तरह, अपने योग्य धर्माचरण को बराबर करते रहना चाहिये । और यदि कहीं का वाता-वरण, अज्ञान अथवा संसर्गदोष से या ऐसे ग्रंथों के उपदेश से दूषित हो रहा हो—सूतक पातक की पद्धति बिगड़ी हुई हो—तो उसे युक्ति पूर्वक सुधारने का पल करना चाहिये ।

तेरहवें अध्याय में श्रुतकसंस्कारादि-विषयक और भी कितना ही कथन ऐसा है जो दूसरों से उधार लेकर रक्खा गया है और जैनदृष्टि से उचित प्रतीत नहीं होता । वह सब भी मान्य किये जाने के योग्य नहीं है । यहाँ पर विस्तारमय से उसके विचार को छोड़ा जाता है ।

मैं समझता हूँ ग्रंथ पर से सूतक की विदम्बना का दिग्दर्शन कराने के लिये उसका इतना ही परिचय तथा विवेचन काफी है । सहृदय पाठक इस पर से बहुत कुछ अलम्ब कर सकते हैं ।

पिप्पलादि-पूजन ।

(२१) नववें अध्याय में, यज्ञोपवीत संस्कार का वर्णन करते हुए, महारक्षी ने पीपल वृक्ष के पूजने का भी विधान किया है । आपके इस विधानानुसार 'संस्कार से चौथे दिन पीपल पूजने के लिये जाना चाहिये; पीपल का वह वृक्ष पवित्र स्थान में खड़ा हो, ऊँचा हो, छेददाहादि से रहित हो तथा मनोह्र हो; और उसकी पूजा इस तरह पर की जाय कि उसके स्कन्ध देश को-दर्भ तथा पुष्पादिक की मालाओं और हलदी में रंगे हुए सूत के धागों से अलंकृत किया जाय—छपेटा अथवा सनाया जाय—, मूल को जल से सींचा जाय और वृक्ष के पूर्व की ओर एक चबूतरे पर अग्निकुंड बनाकर उसमें नौ नौ समिधाओं तथा घृतादिक से होम किया जाय; इसके बाद उस वृक्ष से, जिसे सर्व मंगलों का हेतु बतलाया है,

यह मार्चना श्रीनाथ कि हे पिप्पल वृक्ष ! मुझे, आपकी तरह पवित्रता, यज्ञयोग्यता और नोविस्वादिगुणों की प्राप्ति होने और आप मेरे जैसे चिन्हों के (मनुष्याकार के) धारक होने; मार्चना के अनंतर उस वृक्ष तथा अग्नि की सीम प्रदक्षिणाएँ देकर खुशी खुशी अपने घर को जाना चाहिये और वहाँ, मोचन के पश्चात् सक्को संस्तुष्ट करके, रहना चाहिये । साथ ही, उस संस्कारित व्यक्ति को पीपल वृक्षों की यह क्रिया हर महीने इसी तरह पर होमादिक के साथ करते रहना चाहिये और खासकर आश्विन के महीने में तो उसका किया जाना बहुत ही आवश्यक है । यथा:—

चतुर्थभासरे चापि संस्नातः पितृसंनिधी ।
 सांक्षितहोमपूजादि कर्म कुर्याद्यथोचितम् ॥ ४५ ॥
 शुचिस्थानम्भितं मुञ्चं देवदाहविवर्जितम् ।
 मगोर्धं पूजितुं गच्छेत्सुयुक्त्याऽश्वत्थमूकम् ॥४६॥
 धर्मपुत्रादिमात्मामिर्दंरिद्राकमुत्तन्तुमि ।
 स्वल्पदेशमसंछत्सूत्रं जज्ञेत्स विषयेत् ॥४७॥
 वृक्षस्य पूर्वदिग्भागे स्वरिदक्षस्याग्निमंडले ।
 नव नव समिद्धिश्च होमं कुर्याद् द्युतादिकैः ॥ ४८ ॥
 पूतत्वपद्योग्यत्वपोधित्वाद्या भवन्तु मे ।
 त्वहहोषिदुम त्वं च मद्भक्तिद्वारा मय ॥४९॥
 .तं वृत्तमिति संमार्च्य सर्वमग्नौदेतुक्तम् ।
 शुभं वन्दि त्रिःपरीत्य ततो गच्छेद् पूर्वं मुदा ॥५०॥
 एवं कृते न मिथ्यात्वं त्रीकिकापारर्जतात् ।
 . योऽनात्मनरं सर्वान्तंतोष्य विषयेद् पृथे ॥५१ ॥
 . प्रतिमासं किरां कुर्यान्नोमपूजापुरस्करम् ।
 आनयो तु विद्येपेस सा क्रियाऽऽवश्यकी मता ॥५२॥

पीपल की यह पूजा जैनमत—सम्मत नहीं है। जैनदृष्टि से पीपल न कोई देवता है, न कोई दूसरी पूज्य वस्तु, और न उसके पूजन से किसी पुण्य फल अथवा शुभफल की प्राप्ति ही होती है; उसमें पवित्रता, पूजन-पात्रता (यज्ञयोग्यता) और चिज्ञता (बोधित्व) आदि के वे विशिष्ट गुण भी नहीं हैं जिनकी उससे प्रार्थना की गई है। इसके सिवाय, जगह जगह जैन शास्त्रों में पिप्पलादि वृक्षों के पूजन का निषेध किया गया है और उसे देवमूढता अथवा लोकमूढता बतलाया है; जैसा कि नीचे के कुछ अधतरणों से प्रकट है:—

मुसलं देहली जुह्वी पिप्पलधम्पकोजलम् ।

देवाथैरभिधीयन्ते धर्म्यन्तैः परेऽत्र के ॥४—६८१

—अभितगति उपासकाचार ।

पृथ्वी भ्रमलं सोयं देहलीं पिप्पलादिकात् ।

देवतात्वेन मन्यन्ते ये ते चिन्ध्याः त्रिपक्षितः ॥१—४७॥

—सिद्धान्तसार ।

क्षेत्रपालः शिषो मागो बुद्धाश्च पिप्पलादयः ।

यथाचर्यन्ते शठैरेते देवमूढः स उच्यते ॥

—सारचतुर्विंशतिका ।

...तत्रस्त्वात्र मकरानां चन्दनं सृगुसंक्षयः ।...

...एवमादिषिमूढानां ज्ञेयं मूढभनेकधा ॥

—यशस्विलक ।

...बुद्धपूजादीनि पुण्यकारणानि भवन्तीति यद्दन्ति

तस्मैलोकमूढत्वं विज्ञेयं ।

—द्रव्यसंग्रहटीका ब्रह्मदेवकृता ।

...यद्बुद्धाविपूजनम् । लोकमूढं प्रवक्ष्यते ॥

—ब्रह्मसिद्धिटीका विष्णुसर्वभाषकाचार ।

इससे महारकबी की उक्त पिप्लवपूजा देवमूढ़ता या लोकमूढ़ता में परिगणित होती है। उन्होंने हिन्दुओं के विश्वासानुसार पीपल को यदि देवता समझ कर उसकी पूजा की यह व्यवस्था की है तो वह देवमूढ़ता है और यदि लोगों की देखादेखा पुष्पफल समझ कर या इससे किसी दूसरे अनोखे फल की आशा रखकर ऐसा किया है तो वह लोकमूढ़ता है; अथवा इसे दोनों ही समझना चाहिये। परन्तु कुछ भी हो, इसमें सन्देह नहीं कि उनकी यह पूजन-व्यवस्था मिथ्यात्व को ब्रिये हुए है और अच्छी खासी मिथ्यात्व की पोषक है। महारकबी को भी अपनी इस पूजा पर प्रकट मिथ्यात्व के आवेप का अयाच आया है। परन्तु चूँकि उन्हें अपने ग्राम में इसका विधान करना या इसलिये उन्हें सिद्ध दिया—'एषं कृते न मिथ्यात्वं'—ऐसा करने से कोई मिथ्यात्व नहीं होता। क्यों नहीं होता? 'लौकिकाचारवर्तनात्'—इस लिये कि वह तो लोकाचार का वर्तना है। अर्थात् लोगों की देखा देखी जो काम किया जाय उसमें मिथ्यात्व का दोष नहीं लगता! महारकबी का यह हेतु भी बड़ा ही विचक्षण तथा उनके अद्भुत परिश्रम का द्योतक है!। उनके इस हेतु के अनुसार लोगों की देखादेखा यदि कुद्वेषों का पूजन किया जाय, उन्हें पशुओं की बलि चढ़ाई जाय, सौंसी-होई तथा पीरों की कर्त्रे पूजा जायें, नदी समुद्रादिक की वन्दना—मन्त्रि के साथ उनमें स्नान से धर्म माना जाय, प्रहस्य के समय ज्ञान का विरोध माहात्म्य समझ जाय और हिंसा के आचरण तथा मद्यमांसादि के सेवन में कोई दोष न माना जाय अथवा यों कहिये कि अस्तव को तत्र समझ कर प्रवर्ता जाय तो इसमें भी कोई मिथ्यात्व नहीं होगा!। तब मिथ्यात्व अथवा मिथ्याचार रहेगा क्या, वह कुछ समझ में नहीं आता!। सोमदेवसूरि तो, 'धरुस्तिष्ठक' में मूलसूत्रों का वर्णन करते हुए, साक बिलते हैं कि 'इन दृष्टाधिकों

का पूजन चाहे घर के लिये किया जाय, चाहे लोकाचार की दृष्टि से किया जाय और चाहे किसी के अनुरोध से किया जाय, वह सब सम्यग्दर्शन की हानि करने वाला है—अथवा यों कहिये कि मिथ्यात्व को बढ़ाने वाला है। यथा:—

वरार्थं लोकवार्तार्थमुपरोधार्थमेव वा ।

उपासनममीनां स्यात्सम्यग्दर्शनहानये ॥ .

पंचांग्यायी में भी लौकिक सुखसम्पत्ति के लिये कुदेवाराधन को 'लोकमूढता' बतलाते हुए, उसे 'मिथ्या लोकाचार' बतलाया है और इसीलिये त्याज्य ठहराया है—यह नहीं कहा कि लौकिकाचार होने की वजह से वह मिथ्यात्व ही नहीं रहा। यथा:—

कुदेवाराधनं कुर्यादैहिकश्रेयसे कुषीः ।

सुषालोकोपचारत्वाद्भेयां लोकमूढता ॥

इससे यह स्पष्ट है कि कोई मिथ्याक्रिया मंहुज लोक में प्रचलित अथवा लोकाचार होने की वजह से मिथ्यात्व की कोटि से नहीं निकल जाती और न सम्यक्क्रिया ही कहला सकती है। जैनियों के द्वारा, वास्तव में, लौकिक विधि अथवा लोकाचार वहीं तक मान्य किये जाने के योग्य हो सकता है जहाँ तक कि उससे उनके सम्यक्त्व में बाधा न आती हो और न अर्थों में ही कोई दुषण जागता हो; जैसा कि सोमदेवसूरि के निम्न वाक्य से भी प्रकट है:—

सर्वे एव हि जैनानां प्रमाथं लौकिको विधिः ।

यत्र सम्यक्त्वहानिर्न भवति न अतदुपसंभ्रम् ॥

—यशस्वित्तलक ॥

ऐसी हानि में अहरकनी का एक हेतुवाद किसी तरह भी युक्ति-युक्त प्रतीत नहीं होता और न सम्पूर्ण लोकाचार ही, बिना किसी विशेषता के, सब लोकाचार होने की वजह से मान्य किये जाने के योग्य ठहरता

है। श्रीपद्मनन्दि आचार्य ने भी अपने श्रावकाचार में उन सुकर्मों से दूर रहने का अथवा उनके त्याग का उपदेश दिया है, जिससे सम्यग्दर्शन मैसा, तथा व्रत खंडित होता हो। यथा.—

तं देशं तं नरं तत्त्वं तत्कर्मंश्च च नाभयेत् ।

मार्गिनं दर्शनं येन येन च व्रतखण्डनम् ॥ २६ ॥

लोक में, हिन्दूधर्म के अनुसार, पीपल को विष्णु भगवान का रूप माना जाता है। विष्णु भगवान ने किसी तरह पर पीपल की मूर्ति धारण की है, वे पीपल के रूप में मृत्यु पर अवतरित हुए हैं, और उनके आश्रय में सब देव आकर रहे हैं; इसलिये जो पीपल की पूजा करता है वह विष्णु भगवान की पूजा करता है, इतना ही नहीं, किन्तु सर्व देवों की पूजा करता है—ऐसा हिन्दुओं के पाषाणरत्नखण्डादि कितने ही ग्रंथों में विस्तार के साथ विधान पाया जाता है। इसीसे उक्तके यहाँ पीपल के पूजने का बड़ा माहात्म्य है और उसका सर्व पापों का नाश करने आदि रूप से बहुत कुछ फल वर्णन किया गया है * और यही

*इस विषय के कुछ थोड़े से वाक्य ममूने के तौर पर इस प्रकार हैं:-

“अश्वत्थ रूपो भगवान् विष्णुरेव न संशयः ।”

“अश्वत्थपूजको यस्तु स एव हारिपूजकः ।

अश्वत्थमूर्तिर्भगवान्स्वयमेव यतो द्विज ॥”

“वन्दाम्यश्वत्थमाहात्म्यं सर्वपापप्रणाशनम् ।

साक्षादेव स्वयं विष्णुरश्वत्थोऽस्मिन्नाविम्बरात् ॥”

“अश्वत्थपूजितो येन पूजिताः सर्वदेवताः ।

अश्वत्थच्छेदितो येन छेदिताः सर्व देवताः ॥”

“अश्वत्थं सेचयेद्विद्वान्संप्रदक्षिणमाविशेत् ।

पापोपहतमर्त्यानां पापनाशो भवेद् भुवम् ॥”

—शब्दकल्पद्रुम ।

ब्रह्म है जो वे पीपल में पवित्रता, यज्ञयोग्यता और बोधित्वादि गुणों की कल्पना किये हुए हैं। पीपल में पूतत्त्व गुण अथवा पवित्रता के हेतु का उल्लेख करने वाला उनका एक वाक्य नमूने के तौर पर इस प्रकार है:-

अथवाय ! यस्मात्त्वयि वृक्षराज ! नारायणस्मिष्टति सर्वकारणम् ।

अतः श्रुचिस्त्वं क्षतं चकृणाम् विशेषतोऽरिष्टविनाशिनोऽसि ॥

इस वाक्य में पीपल को सम्बोधन करके कहा गया है कि 'हे वृक्षराज ! चूँकि सब का कारण नारायण (विष्णु भगवान) तुम्हारे में तिष्ठता है, इसलिये तुम सविशेष रूप से पवित्र हो और अरिष्ट का नाश करने वाले हो' ।

ऐसी हासत में, अपने सिद्धान्तों के विरुद्ध, दूसरे लोगों की देखा-देखी पीपल पूजने अथवा इस रूप में लोकानुवर्तन करने से सम्यग्दर्शन पैदा होता है—सम्पत्त में वाधा आती है—यह बहुत कुछ स्पष्ट है। खेद है महारकजी, जैन दृष्टि से, यह नहीं बतला सके कि पीपल में किस सम्बन्ध से पूज्यपना है अथवा किस आधार पर उसमें बोधित्व तथा पूतत्वादि गुणों की कल्पना बन सकती है ! * प्रत्यक्ष में यह

“(अथर्वण उवाच) पुरा ब्रह्मादयो देवाः सर्वे विष्णुं समाश्रिताः ।

प्रब्रह्मं देवदेवेशं राक्षसैः पीडिताः स्वयम् ।

कथं पीडोपशमनमस्माकं ब्रूहि मे प्रभो ॥

“(श्रीविष्णुरुवाच) ब्रह्मभूत्यरूपेण संभवामि च भूतले ।

तस्मात्सर्वप्रयत्नेन कुरुष्वं तवसेवतम् ॥

अनेन सर्वमद्वापि भविष्यन्ति न संशयः ।

—अथर्वसंहिताकल्पद्रुम ।

* महारकजी के कथन को ब्रह्मवाक्य समझने वाले से नाजो मं, अपने अनुवाद में डेढ़ पेज का सम्बन्ध भावार्थ लगाने पर भी, इस विषय को स्पष्ट नहीं कर सके और न महारकजी के हेतु को ही निर्दोष

नद माष को बिये हुए है और उसके फलों तथा शाख में असंख्याते प्रस बीजों के घृत कलेवर शामिल रहने से अण्डी खासी अपवित्रता से

सिद्ध कर सके हैं। उन्होंने यह तो स्वीकार किया है कि आगम में घृष्ट पूजा का घृष्ट तथा लोकमूढ़ता बतलाया है और उसके अनुसार इस पीपल पूजा का लोकमूढ़ता में अन्तर्भाव होना चाहिये। परन्तु प्रणयकार महारकशी ने जैकै यह सिद्ध दिया है कि 'पेला करने में मिष्यात्व का दोष नहीं लगता' इससे आपकी बुद्धि चकरा गई है और आप उसमें किसी रहस्य की कल्पना करने में प्रवृत्त हुए हैं—यह कहने लगे हैं कि "इसमें कुछ थोड़ासा रहस्य है"। लेकिन यह रहस्य क्या है, उसे बहुत कुछ प्रयत्न करने अथवा इधर उधर की बहुत सी निरर्थक धातें बनाने पर भी आप खोज नहीं सके और अन्त में आपको अनिश्चित रूप से यही लिखना पड़ा—"संभव है कि जिस तरह क्षेत्र को निश्चित लेकर ज्ञान का ल्योपशम हो जाता है वैसे ही पेला करने से भी ज्ञान का ल्योपशम हो जाय"। "संभव है कि उस घृष्ट के निमित्त से भी आत्मा पर पेला अक्षर पढ़ जाय जिससे उसकी आत्मा में विलासकता आजाय।" इससे सोनीजी की जैनधर्म-विषयक अज्ञा का भी कितना ही पता चलसकता है। अस्तु; आपकी सबसे बड़ी युक्ति इस विषय में यह मान्य होती है कि जिस तरह घर की इच्छा से भौतिक नदियों में स्नान करना लोकमूढ़ता होते हुए भी वैसे ही—बिना उस इच्छा के—महत्त शरीर की महत्तुष्टि के लिये हममें स्नान करना लोकमूढ़ता नहीं है, उसी तरह ल्योपशम की विशेष विधि में बोधि (ज्ञान) की इच्छा से बोधि (पीपल) घृष्टकी पूजा करने में भी लोकमूढ़ता अथवा मिष्यात्व का दोष न होना चाहिये। यद्यपि आपके इस युक्ति-विधान में घर की इच्छा दोनों जगह समान है और इस लिये उस बोधि घर की इच्छा से

भी विरा हुआ है । साथ ही, जैनगम में उसे वैसी कोई प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं है । अतः उसमें पूतल आदि गुणों की धरूपना करना, उससे उन गुणों की प्रार्थना करना और हिन्दुओं की तरह से उसकी पूजा

पीपल का पूजना लोक मूढ़ता की कोटि से नहीं निकल सकता; फिर भी मैं यहाँ पर इतना और थतला देना चाहता हूँ कि गंगादिक नदियों के जिस स्नान की यहाँ तुलना की गई है वह संगत मालूम नहीं होता; क्योंकि महक शारीरिक मलशुद्धि के लिये जो गंगादिक में स्नान करना है वह उन नदियों का पूजन करना नहीं है और यहाँ स्पष्ट रूप से 'पूजितुं गच्छेत्' आदि पदों के द्वारा पीपल की पूजा का विधान किया गया है और उसकी तीन प्रदक्षिणा देना तथा 'उससे प्रार्थना करना' तक लिखा है—यह नहीं लिखा कि पीपल की छाया में बैठना अच्छा है; अथवा उसके नीचे बैठकर अमुक कार्य करना चाहिये; इत्यादि । और इसलिये नदियों की पूजा-वन्दनादि करना जिस तरह मिथ्यात्व है उसी तरह पूज्य बुद्धि को लेकर पीपल की यह उपासना करना भी मिथ्यात्व है । हौं; एक दूसरी जगह (१० वें अध्याय में); लोकमूढ़ता का वर्णन करते हुए सोनीजी लिखते हैं—“सर्वसाधारण अभि, घृह, पर्वत आदि पूज्य क्यों नहीं और विशेष विशेष कोई कोई पूज्य क्यों हैं ? इसका उत्तर यह है कि जिनसे जिन भगवान का सम्बन्ध है वे पूज्य हैं; अन्य नहीं।” परन्तु पीपल की बात आपने यह भी नहीं बतलायी कि उससे जिन भगवान का क्या-सा सम्बन्ध है, जिससे हिन्दुओं की तरह उसकी कुछ पूजा-वन्दनाकंती; बल्कि यहाँ 'बोधि' का अर्थ 'बड़' करके आपने आपने पूर्व कथन के विरुद्ध यज्ञोपवीत संस्कार के समय पीपल की जगह बड़ वृक्ष की पूजा का विधान कर दिया है ! और यह आपके अनुवाद की और भी विलक्षणता है ! !

करना यह सब हिन्दू धर्म का अनुकरण है, जिसे मछारकनी ने लोकानुवर्तन के निःसृत्य पदों के नीचे छिपाना चाहा है। यह लोकानुवर्तन के आधार पर ऐसे प्रकट मिथ्यात्व को अग्निध्यात्व कह देना, निःसन्देह, बड़े ही दुःसाहस का कार्य है। और यह इन मछारक जैसे प्यक्तियों से ही बन सकता है जिन्हें धर्म के रम की कुछ भी खबर नहीं, अथवा धर्म की धार में जो कुछ दूसरा ही प्रयोजन सिद्ध करना चाहते हैं।

इसी तरह पर मछारकनी ने, एक दूसरे स्थान पर, 'आर्क' वृक्ष के पूजने का भी विधान किया है, जिसके विधिवानुष्ठान उल्लेख तृतीय श्रमो 'अर्कविवाह' की आलोचना करते हुए किया जाया।

वैद्यन्य-योग और अर्क-विवाह।

(२२) ग्यारहवें अध्याय में, पुरुषों के तीसरे विवाह का विधान करते हुए, मछारकनी लिखते हैं कि 'अर्क (आर्क) वृक्ष के साथ विवाह न करके यदि तीसरा विवाह किया जाता है तो वह तृतीय विवाहिता ही विधवा हो जाती है। अतः विचक्षण पुरुषों को चाहिये कि वे तीसरे विवाह से पहले अर्क-विवाह किया करें। उसके लिये उन्हें अर्क वृक्ष के पास जाना चाहिये, वहाँ जाकर सस्ति-वाचनादि कथ्य करना चाहिये, अर्क वृक्ष की पूजा करनी चाहिये, उससे अर्पणा करनी चाहिये, और फिर उसके साथ विवाह करना चाहिये'। तथा:—

* 'सूर्य सम्प्रार्थ्य' वाक्य में 'सूर्य' शब्द अर्क-वृक्ष का वाचक और उसका सूर्यव नाम है; वही वृक्ष से पूजा के अनन्तर प्रार्थना का उल्लेख है। सोमीजी ने अपने अनुवाद में 'सूर्य' से प्रार्थना करने की जो बात लिखी है वह उनकी कथनशैली से 'सूर्य' शब्द से प्रार्थना को सूचित करते हैं और इसलिये ठीक नहीं है।

‡ अकृत्वाऽर्कविवाहं तु तृतीयां यदि चोद्भेत् ।

विधवा सा मवेत्कन्या तस्मात्कार्यं विचक्षणः (शैः) ॥२०४॥

अर्कसखिभिर्मागत्य कुर्यात्सस्त्र्यादिवाचनाम् ।

अर्कस्याराधनां कृत्वा सूर्यं सम्प्राप्य चोद्भेत् ॥२०५॥

महारकजी का यह सब कथन भी जैनशासन के विरुद्ध है । और उनका उक्त वैधव्ययोग जैन-तत्त्वज्ञान के विरुद्ध ही नहीं किन्तु प्रत्यक्ष के भी विरुद्ध है—प्रत्यक्ष में सैकड़ों उदाहरण ऐसे उपस्थित किये जा सकते हैं जिनमें तीसरे विवाह से पहले अर्कविवाह नहीं किया गया, और फिर भी वैधव्य-योग संघटित नहीं हुआ । साथ ही, ऐसे उदाहरणों की भी कमी नहीं है जिनमें अर्कविवाह किये जाने पर भी स्त्री विधवा हो गई है और वह अर्कविवाह उसके वैधव्ययोग का टाक नहीं सका । ऐसी हालत में यह कोई साक्षिमी नियम नहीं ठहरता कि अर्कविवाह न किये जाने पर कोई स्त्री पुनः विवाह भी विधवा हो जाती है और किये जाने पर उसका वैधव्ययोग भी टक जाता है । तब महारकजी का उक्त विधान कोरा वहम, भ्रम और सोक-मूढ़ता की शिक्षा के सिवाय और कुछ भी मालूम नहीं होता * ।

‡ इस पद्य के अनुवाद में सेतनीजी ने पहली स्त्री को 'धर्मपत्नी' और दूसरी को 'भोगपत्नी' बतलाकर जो यह लिखा है कि "इन दो स्त्रियों के होते हुए तीसरा विवाह न करे" वह सब उनकी निजी कल्पना जान पड़ता है । मूल पद्य के आशय के साथ उसका कुछ सम्बन्ध नहीं है । मूल से यह साक्षिमी नहीं आता कि वह दो स्त्रियों के मौजूद होने हुए ही तीसरे विवाह की व्यवस्था बनता है; बल्कि अधिकांश में, अपने पूर्वपद्य-सम्बन्ध से, दो स्त्रियों के मरजाने पर तीसरी स्त्रीको विवाहनेकी व्यवस्था करता हुआ मालूम होता है ।

* इसी तरह की बातें महारकजी के उस दूसरे वैधव्य-योग का

हिन्दुओं के यहाँ अर्कविवाह का विस्तार के साथ विधाय पाया जाता है, उनके कितने ही ऋषियों की यह धारणा है कि मनुष्य की तीसरी शरी मानुषी न होने चाहिये, यदि मानुषी होनी तो वह विधवा हो जायगी, इससे तीसरे विवाह से पहले उन्होंने अर्कविवाह की योजना की है—अर्क वृद्ध के पास जाकर स्वस्तिवाचनदि कृत्य करने, अर्क की पूजा करने, अर्क से प्रार्थना करने और फिर अर्क-कन्या के साथ विवाह करने आदि की सम्पूर्ण व्यवस्था बतलाई है। इस विषय का कथन हिन्दुओं के कितने ही ग्रन्थों में पाया जाता है। 'नवमल-विवाहपद्धति' में भी अष्ट पृष्ठों में उसका कुछ सप्रद किया गया है। उसी पर स यहाँ कुछ वाक्य नमूने के तौर पर उद्धृत किये जाते हैं:-

“उद्गहेप्रतिक्षिप्यर्चं तुमीयां न कदाचन ।
 मोहावज्ञानतो वापि यदि गच्छेत्तु मानुषीम् ॥
 नश्यत्येव न संसृजे गर्गस्य ध्वनं यथा ।
 “तुमीयां यदि शोद्गहेच्छादि सा विधवा भवेत् ॥
 चतुर्थादि विवाहार्थं तुमीयेऽर्कं समुद्गरेत् ॥”
 “तुमीये स्त्रीविवाहे तु सप्राप्ते पुरुषस्य तु ॥
 आर्कं विवाहं वक्ष्यामि शौनकोऽई विधानतः ।
 आर्कसन्निधिमायस्य तत्र सस्त्वादि वाचयेत् ॥

भी है जिसका विधान उन्होंने इसी अध्याय के निम्न पद्य में किया है:-

कृते वाग्निमस्य सम्बन्धे परमाप्त्युद्यमं योषिवाम् ।

तदा न संसृजे कार्यं वारीवैचल्यदं ध्रुवम् ॥ १८२ ॥

इस पद्य में यह बतलाया गया है कि वाग्नि-सम्बन्ध (सर्कार) के परमाप्त्यदि आपना कोई सगोत्री (कुटुम्बी) मर जाय तो फिर वह विवाहसम्बन्ध नहीं करना चाहिये। यदि किया जायगा तो वह स्त्री मिश्रण से विभवा हो जायगी ॥

नान्दीश्राद्धं प्रकुर्वीत स्वयिदलं च प्रकल्पयेत् ।
 अर्कमभ्यर्च्य सौर्यां च गंधपुष्पाक्षंतादिभिः ॥”
 (प्रार्थना) “ नमस्ते मंगले देवि नमः सवितुरात्मजे ।
 प्राहि मां कृपया देवि पत्नी त्वं मे इहो गता ॥
 अर्कं त्वं ब्रह्मणां सृष्टः सर्वप्राणहिताय च ।
 वृक्षाणां प्रादिभूतस्त्वं देवानां प्रीतिवर्धने ॥
 दंतयोद्गाहजे पापं मृत्युं चाशुं विनाशयेत् ।
 ततश्च कन्यावरंशं त्रिपुरं कुलमुद्धरेत् ॥”

हिन्दू ग्रन्थों के ऐसे वाक्यों पर से ही महारकजों के वैषम्य—योग और अर्कविवाह को उक्त व्यवस्था अपने ग्रन्थों में की है । परन्तु खेद है कि आपने उसे भी आशक धर्म की व्यवस्था किया है और इस तरह पर अपने पाठकों को धोखा दिया है ॥

संकीर्ण हृदयोद्धारं ।

(२३) यह त्रिवर्णाचार, यद्यपि, हृदय के संकीर्ण उद्धारों से बहुत कुछ भरा हुआ है और मेरी इच्छा भी थी कि मैं इस शीर्षक के नीचे उनका कुछ विशेष दिग्दर्शन करता परन्तु लेख बहुत बढ़ गया है, इससे सिर्फ दो नमूनों पर ही यहाँ सन्तोष किया जाता है । इन्हीं पर से पाठकों को यह मालूम हो सकेगा कि महारकजी की हृदय-संकीर्णता किस हद तक बढ़ी हुई थी और वे जैनसंसार को जैनधर्म की उदार नीति के विरुद्ध किस ओर ले जाना चाहते थे:—

(क) अन्त्यजैः खगिताः कूर्पां चापीं पुष्करिणीं सरः ।

तेषां जलं न तु प्राह्यं ज्ञानोपनिषये च कश्चित् ॥ ३-५६ ॥

इस पद्य में कहा गया है कि ‘जो कुर्र, बावड़ी, पुष्करिणी और तालाबों अन्त्यजों के—शूद्रों अथवा चमारों आदि के—खौदें हुए हों उनका जल न तो कमी पीना चाहिये और न ज्ञान के लिये ही ग्रहण करना चाहिये’ ।

भट्टारकजी का यह उद्गार बड़ा ही विलक्षण तथा हृद् दर्जे का संकीर्ण है और इससे शत्रुओं के प्रति असीम घृणा तथा द्वेष का भाव व्यक्त होता है । इसमें यह नहीं कहा गया कि जिन कूप वावड़ी आदि के जल का अन्वयजों ने किसी तरह पर छुथा हो उन्हीं का जल खान-पान के अयोग्य हो जाता है बल्कि यह स्पष्ट घोषणा की गई है कि जिन कूप वावड़ी आदि को अन्वयजों ने खोदा हो—मझे ही उनके वर्तमान जल को उन्हींमें कभी स्पर्श भी न किया हो—उन सब का जल हमेशा के लिये खानपान के अयोग्य होता है । और इस लिये यदि यह कहा जाय तो वह नाकाफ़ी होगा कि 'भट्टारकजी ने अपने इस वाक्य के द्वारा अन्वयज मनुष्यों को जलचर जीवों तथा जल को छूने पीने वाले दूसरे तिर्यचों से ही नहीं किन्तु उस मछ, गंदगी तथा कूड़े कर्कटे से भी दुरा और गया बीता समझ है जो कुर्भा, वावड़ियाँ तथा तालाबों में बहकर या उड़कर चला जाता है अथवा अनेक त्रस जीवों के मरने-जाने-गलने-सड़ने आदि के कारण भीतर ही भीतर पैदा होता रहता है और जिसका बजह से उनका जल खान पान के अयोग्य नहीं माना जाता ।' भट्टारकजी की घृणा का मान इससे भी कहीं बड़ा बढ़ा था, और इसी लिये मैं उसे हृद् दर्जे की या असीम घृणा कहता हूँ । मालूम होता है भट्टारकजी अन्वयजों के संसर्ग को ही नहीं किन्तु उनका छायामात्र को अपवित्र, अपशंकुल और अनिष्टकारक समझते थे । इसीलिए उन्होंने, एक दूसरे स्थान पर, अन्वयज का दर्शन हो जाने अथवा बसका शब्द सुनाई पड़ने पर नप को ही छोड़ देने का या यों कहिये कि सामायिक जैसे सदनुष्ठान का त्याग कर उठ जाने का विधान किया है * यह कितने खेद का विषय है ।।

पृथक्—

अतच्युतान्यजादीनां दर्शने भाषणे शुतौ ।

शुतेऽधोवातगमने जृम्भने अपमुत्संजत् ॥ ३-१२५ ॥

यदि भट्टारकजी की समझ के अनुसार अन्त्यजों का संसर्ग-दोष यहाँ तक बढ़ा हुआ है—इतना अधिक प्रभावशाली और बलवान है—कि उनका किसी कूप वाषट्ठी आदि की भूमि को प्रारम्भ में स्पर्श करना भी उस भूमि के संसर्ग में आने वाले जल को हमेशा के लिये दूषित तथा अपवित्र कर देता है तब तो यह कहना होगा कि जिस जिस भूमि को अन्त्यज लोगों ने कभी किसी तरह पर स्पर्श किया है अथवा वे स्पर्श करते हैं वह सब भूमि और उसके संसर्ग में आने वाले संपूर्ण अनादिक पदार्थ हमेशा के लिये दूषित तथा अपवित्र हो जाते हैं और इसलिये त्रैशर्षिकों को चाहिये कि वे उस भूमि पर कभी न चले और न जल की तरह उन संसर्गी पदार्थों का कभी व्यवहार ही करें । इसके सिवाय, जिन कूप वाषट्ठी आदि की वाषट्ठ सुनिश्चित रूप से यह मालूम न हो सके कि वे कितने लोगों के खोदे हुए हैं उनका जल भी, संदिग्धवस्था के कारण, कभी काम में नहीं जाना चाहिये । ऐसी हासत में, कैसी विकट स्थिति उत्पन्न होगी और लोकव्यवहार कितना बन्द तथा संकटापन्न हो जायगा उसकी कल्पना तक भी भट्टारकजी के दिमाग में आई मालूम नहीं होती । मालूम नहीं भट्टारकजी उन खेतों की पैदावार—अन्न, फल तथा शाकादिक—को भी ब्राह्म समझते थे या कि नहीं जिनमें मत्स्य-आदिक महादुर्गमय अपवित्र पदार्थों से भरे हुए खाद का संयोग होता है । अथवा अन्त्यजों का वह भूमि-स्पर्श ही, उनकी दृष्टि में खाद के उस संयोग से गया था ॥ परंतु कुछ भी हो—भट्टारकजी ऐसा वैसा कुछ समझते हों या न समझें हों और उन्होंने वैसी कोई कल्पना की हो या न की हो—, इसमें संदेह नहीं कि उनका उक्त कथन जैन-शासन के अत्यन्त विरुद्ध है ।

जो जैनशासन सार्वजनिक प्रेम तथा वात्सल्य भाव की शिक्षा देता है, भ्रष्टा तथा द्वेष के भाव को हटा कर मैत्रीभाव सिखता है और

अन्त्यर्जों को भी धर्म का अधिकारी बतला कर उन्हें श्रावकों की कौटि में रखता है उसका, अथवा उन तीर्थंकरों का कदापि ऐसा अनुदार शासन नहीं हो सकता, जिनकी 'समवसरण' नामकी समुदार सभा में ऊँच नीच के भेद भाव को मुला कर मनुष्य ही नहीं किन्तु पशु-पक्षी तक भी शामिल होते थे और वहाँ पहुँचते ही आपस में ऐसे हिलमिल आते थे कि अपने अपने जातिविरोध तकको मुला देते थे—सर्प निर्मय होकर नकुल के पास खेजता या और बिल्लों प्रेम से चूहे का आलिंगन करती थी । कितना ऊँचा आदर्श और कितना विश्वप्रेम-मय भाव है ! कहीं यह आदर्श ? और कहीं भट्टारकजी का उक्त प्रकार का घृणात्मक विधान ? इससे स्पष्ट है कि भट्टारकजी का यह सब कथन जैनधर्म की शिक्षा न होकर उससे बाहर की चीज है । और वह हिन्दू-धर्म से उधार लेकर रखा गया मालूम होता है । हिन्दुओं के यहाँ उक्त वाक्य से मिलता जुलता 'यम' ऋषि का एक वाक्य अ निम्न प्रकार से पाया जाता है:—

अन्त्यजेः खानिताः कृपास्तद्भागानि तथैव च ।

एषु स्नात्वा च पीत्वा च पंचगव्येन शुद्धयति ॥

इसमें यह बतलाया गया है कि 'अन्त्यर्जों के छोड़े हुए कुओं तथा ताक्षाओं में स्नान करने वाला तथा उनका पानी पीने वाला मनुष्य अपवित्र हो जाता है और उसकी शुद्धि पंचगव्य से होती है—जिसमें गोबर और गोमूत्र भी शामिल होते हैं । सम्भवतः इसी वाक्य पर से भट्टारकजी ने अपने वाक्य की रचना की है । परन्तु यह मालूम नहीं होता कि पंचगव्य से शुद्धि की बात को हटाकर उन्होंने अपने पद्य के उत्तरार्ध को एक दूसरा ही रूप प्यों दिया है ! पंचगव्य से शुद्धि की इस हिन्दू व्यवस्था को तो आपने कई जगह पर अपने ग्रंथ में अपनाया

है + शायद-आपको इस प्रसंग पर यह दृष्टि न रही हो। और यह भी हो सकता है कि हिन्दू-धर्म के किसी दूरे वाक्य पर से ही आपने अपने वाक्य की रचना की हो अथवा उसे ही अर्थ का लो ठठाकर रखा दिया हो। परंतु कुछ भी हो, इसमें संदेह नहीं कि यह व्यवस्था हिन्दुओं से ली गई है—जैतियों के किसी भी मानवीय प्राचीन ग्रंथ में यह नहीं पाई जाती—हिंदुओं की ऐसी व्यवस्थाओं के कारण ही दक्षिण भारत में, जहाँ ऐसी व्यवस्थाओं का खास प्रचार हुआ है, अन्त्यज लोगों पर घोर अत्याचार होता है—वे कितनी ही सड़कों पर चल नहीं सकते अथवा अंदिरों के पास से गुजर नहीं सकते, उनकी छाया पड़ जाने पर सचेल-स्नान की बरूरत होती है—और इसीलिये अब इस अत्याचार के विरुद्ध सद्दय तथा विवेकशील उदार पत्रिक की आवाज उठी हुई है।

(१८) अजापनोऽमरस्यज्ञाः कक्षासाधर्मकारकाः।

पापार्थिकः सुरापानी यत्तैर्वस्तुन युज्यते ॥ १३० ॥

एतान्किमपि नो देयं स्पृष्टं न च कदापि न ।

न तेषां वस्तुकं प्राह्यं अनापवादहायकम् ॥ १३१ ॥

—७ वीं अध्याय ।

इन पद्यों में कहा गया है कि जो लोग बकुरा बकरी आ घात करने वाले (कसाई आदिक) हों, गोकुशी करने वाले (मुसलमान आदि श्रेष्ठ) हों, मच्छी मारने वाले (ईसाई या धीवरादिक) हों, शराब का व्यापार करने वाले (कबाख) हों, चमड़े का काम करने वाले (समार) हों, कोई विशेष पाप का काम करने वाले पातकी (पापार्थिक) हों, अथवा शराब पीने वाले हों, उनमें से किसी के भी साथ बोलना

+ जैसे राजस्वतांकी की चौथे दिन पंचगव्य से—जोवरगामूत्रादिक से—स्नान करने पर शुद्धि मानी है। यथाः—

चतुर्थे वासरे पंचगव्यैः संस्नापयेत् ॥ १७१ ॥

मही चाहिये । और इन लोगों को न तो कभी कुछ देना चाहिये, व इनकी कोई चीज लेना चाहिये और न इनको कमी खूना ही चाहिये; क्योंकि ऐसा करना ब्रोकपवाद का—भदनामी का—कारण है ।'

पाठकजन ! देखा, कैसे सकीर्ण, छुद्र और मनुष्यत्व से गिरे हुए उद्गार हैं ! व्यक्तिगत घृणा तथा द्वेष के भावों से कितने अक्षय्य भरे हुए हैं ! ! और अगत् का उद्गार अथवा उसका शासन, रक्षण तथा शासन करने के लिये कितने अनुपयोगी, प्रतिकूल और विरोधी हैं ! ! क्या ऐसे उद्गार भी धार्मिक उपदेश कहे जा सकते हैं ? अथवा यह कहा जा सकता है कि वे जैनधर्म की उस उदारनीति से कुछ सम्बन्ध रखते हैं जिसका चित्र, जैनग्रन्थों में, जैन तीर्थंकरों की 'समवसरण' समा का नक्षत्रा खींच कर दिखलाया जाता है ? कदापि नहीं । ऐसे उपदेश विश्वप्रेम के विघातक और संसारी जीवों की उन्नति तथा प्रगति के बाधक हैं । जैनधर्म की शिक्षा से इनका कुछ भी सम्बन्ध नहीं है । जरा गहरा उतरने पर ही यह मालूम हो जाता है कि वे कितने धोये और निःसार हैं । महा भव उन गलुष्यों के साथ जिन्हें हम समझते हों कि वे बुरे हैं—बुरा आचरण करते हैं—समावण भी न किया जाय, उन्हें सदुपदेश न दिया जाय अथवा उनकी भूल न बतलाई जाय तो उनका सुधार कैसे हो सकता है ? और कैसे वे सन्मार्ग पर लगाए जा सकते हैं ? क्या ऐसे लोगों की ओर से उर्ध्वता उपेक्षा आरक्षण करना, उनके हित तथा अर्थों की चिन्ता न रखना, और उन्हें सदुपदेश देकर सन्मार्ग पर न लगाना जैनधर्म की कोई नीति अथवा जैन समाज के लिये कुछ इष्ट कहा जा सकता है ? और क्या सच्चे जैनों की दया-परिणति के साथ उसका कुछ सम्बन्ध हो सकता है ? कदापि नहीं । जैनधर्म के तो बड़े २ नेता आचार्यों तथा महान पुरुषों ने अगच्छिन पापियों, भीखों, धाँडाखों

तथां भ्लेच्छो तं क को धर्म का उपदेश दिया है, उनके दुख सुख को सुना है, उनका हर तरह से समाधान किया है और उन्हें जैन धर्म में दीक्षित करके सन्मार्ग पर लगाया है। अतः 'ऐसे लोगों से बोलना योग्य नहीं' यह सिद्धान्त बिलकुल जैनधर्म की शिक्षा के विरुद्ध है।

इसी तरह पर 'उन लोगों को कभी कुछ देना नहीं और न कभी उनकी कोई चीज लेना' यह सिद्धान्त भी दूषित तथा बाधित है और जैनधर्म की शिक्षा से बहिर्भूत है। क्या ऐसे लोगों को सूख-प्यास की, बेदना से व्याकुल होते हुए भी उन्हें भ्रम, जल न देना और रोग से पीड़ित होने पर औषध न देना जैनधर्म की दया का कोई अंग हो सकता है ? कदापि नहीं। जैनधर्म तो कुपात्र और अपात्र कहे जाने वालों को भी दया का पात्र मानता है और उन सब के लिये करुणा बुद्धि से यथोचित दान की व्यवस्था करता है। जैसाकि पंचाध्यायी के निम्न वाक्यों से भी प्रकट है:—

कुपात्रायाऽप्यपात्राय दानं देयं यथोचितम् ।

पात्रबुद्ध्या निषिद्धं स्यात्निषिद्धं न कुपात्रिया ॥

श्रेष्ठेभ्यः क्षुतिपात्रादिपीडितेभ्योऽभ्युद्ययात् ।

दीनेभ्योऽभयदानादि दातव्यं करुणार्थैः ॥

वह असमर्थ सूखे प्यासों के लिये आहार दान की, व्याधि-पीड़ितों के लिये औषधि-वितरण की, अज्ञानियों के लिये शिक्षा तथा ज्ञानोपकरण-प्रदान की और मयप्रस्तों के लिये अभयदान की व्यवस्था करता है। उसकी दृष्टि में पात्र, कुपात्र और अपात्र सभी अपनी अपनी योग्यतानुसार इन चारों प्रकार के दान के अधिकारी हैं। इससे महारकबी का उन लोगों को कुछ भी न देने का उद्गार निकालना कोरी अपनी

पंचाध्यायीकी छठी हुई प्रतिषेधों में 'ऽभय' की जगह 'ऽदया' तथा 'दया' शब्द प्रकृत लिये हैं। ..

हृदय-संकीर्णता व्यक्त करना है और पास्वरुद्ध का का उपदेश देना है । ऐसी ही हासत उन लोगों से कभी कोई चीज न लेने के उद्धार की है । उनसे अच्छी, उपयोगी तथा उत्तम चीजों का न्यायमार्ग से लेना कभी दूषित नहीं कहा जा सकता । ऐसे लोगों में से कितने ही व्यक्ति जंगलों, पहाड़ों, समुद्रों तथा भूगर्भ में से अच्छी उत्तम उत्तम चीजें निकालते हैं; क्या उनसे वे चीजें लेकर लाभ न उठाना चाहिये ? क्या ऐसे लोगों द्वारा वन-पर्वतों से छाई हुई उत्तम औषधों का भी व्यवहार न करना चाहिये ? और क्या चमारों से उनके बनाये हुए मृत चर्म के जूते भी लेने चाहिये ? इसके सिवाय एक मुसलमान, ईसाई अथवा बैसा (उपर्युक्त प्रकार का) कोई हीनाचरण करने वाला हिन्दू भाई यदि किसी औषधालय, निवालय अथवा दूसरी लोकोपकारिणी सेवा संस्था को द्रव्यादि की कोई अच्छी सहायता प्रदान करे तो क्या उसकी वह सहायता संस्था के अनुरूप होते हुए भी स्वीकार न करनी चाहिये ? और क्या इस प्रकार का सब व्यवहार कोई बुद्धिमानी कहना सकता है ? कदापि नहीं । ऐसा करना अनुभवशून्यता का द्योतक और अपना ही नाशक है । संसार का सब काम परस्पर के अन्तर्देन और एक दूसरे की सहायता से चलता है । एक मच्छीमार सीप में से मोती निकाल कर देता है और बदले में कुछ द्रव्य पाता है अथवा एक चमार से जूता या चमड़ा लिया जाता है तो मूल्यादि के तौर पर उसे कुछ दिया जाता है । इसी तरह पर लोक-व्यवहार प्रवर्तता है । क्या वह मोती जो मांस में ही पैदा होता तथा वृद्धि पाता है उस मच्छीमार का हाथ लगने से अपवित्र या विकृत हो जाता है ? अथवा वह चमड़ा चमार के कर-स्पर्श से विगुणित और दूषित बन जाता है ? यदि ऐसा कुछ नहीं है तो फिर उन लोगों से कोई भी चीज न लेने के लिये कहना क्या अर्थ रखता है ? यह निरी सङ्कीर्णता और दिग्भ्रम नहीं

तो और क्या है ? भरत चक्रवर्ती जैसे धार्मिक नेता पुरुषों में तो ऐसे लोगों से भेट में चमरी और कस्तूरी (मुरक नाफे) जैसी चीजें ही नहीं किंतु कन्याएँ तक भी ली थीं, जिनका लल्लेख आदिपुराण आदि ग्रंथों में पाया जाता है । राणा लोग ऐसे व्यक्तियों से कर और जमींदार लोग अपनी जमीन का महसूल तथा मकान का किराया भी लेते हैं । उनके खेतों की पैदावार भी ली जाती है । अतः मट्टारकजी का उन्त उद्धार किसी तरह में युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता ।

अब रही उन लोगों को कमी न छूने की बात, यह उद्धार भी युक्ति-संगत मालूम नहीं होता । जब हम लोग उन लोगों के उपकार तथा उधार में प्रवृत्त होंगे, जो जैनमत का खास उद्देश्य है, तब उन्हें कभी अथवा सर्वथा छुएँ नहीं यह बात तो बन ही नहीं सकती । फिर मट्टारकजी अपने इस उद्धार के द्वारा हमें क्या सिखलाना चाहते हैं वह कुछ समझ में नहीं आता ! क्या एक शराबी को शराब के नशे में कूपादिक में गिरता हुआ देख कर हमें चुप बैठ रहना चाहिये और छू जाने के भय से उसका हाथपकड़ कर निवारण न करना चाहिये ? अथवा एक चमार को झूठा हुआ देखकर छू जाने के डर से उसका उद्धार न करना चाहिये ? क्या एक गोघाती मुसलमान, मच्छीमार, ईसाई या शराब बेचनेवाले हिन्दू के घर में आग लग जाने पर, स्पर्शमय से, हमें उसको तथा उसके बालबच्चों को पकड़ पकड़ कर बाहर न निकालना चाहिये ? और क्या हमारा कोई पातिकी भाई यदि अचानक थोट खाकर लहलुहान हुआ बेहोश पड़ा हो तो हमें उसको उठा कर और उसके घावों को धो पैंडु कर उसकी मईम पट्टी न करना चाहिये, इसलिये कि वह पातिकी है और हमें उसको छूना नहीं चाहिये ? अथवा एक वैद्य या डाक्टर को अपने कर्तव्य से च्युत होकर ऐसे लोगों की चिकित्सा ही नहीं करनी चाहिये ? यदि ऐसी ही शिक्षा है तब तो कहना होगा

कि मछारकनी हमें मनुष्यत्व से गिरा कर पशुओं से भी गया बीता बनना चाहते थे और उन्होंने हमारे सदा दवाधर्म को कर्मकृत तथ्य विदम्बित करने में कोई कसर नहीं रखी। और यदि ऐसा नहीं है तो उनके उक्त उद्धार का फिर कुछ भी मूल्य नहीं रहता—यह निरर्थक और निःसार बान पड़ता है। मालूम होता है मछारकनी ने स्पूरया अस्पूरय की समीचीन नीति को ही नहीं समझा और इसीलिये उन्होंने बिना सोचे समझे ऐसा उटपटांग विधि मारा कि 'इन लोगों को कभी भी न छूना चाहिये !! मानों ये मनुष्य स्थायी अकृत हैं और उस मन्त्र से भी गये बीते हैं जिसे हम प्रतिदिन कृत हैं !!! मनुष्यों से और इतनी घृणा !!! धन्य है ऐसी समझ तथा धार्मिक बुद्धि का !!!

अन्त में, मछारकनी ने बिस लोकापवाद का मय प्रदर्शित किया है वह इस संपूर्ण विवेचन पर से मूर्खों की मूर्खता के सिवाय और कुछ भी नहीं रह जाता, इसीसे उस पर कुछ विचलना स्वर्ष है। निःसंदेह, जब से इन मछारकनी जैसे महात्माओं की कृपा से जैनधर्म के साहित्य में इस प्रकार के अनुदार विचारों का प्रवेश होकर विचार प्रारम्भ हुआ है तब से जैनधर्म को बहुत बड़ा बका पहुँचा है और उसकी सारी प्रगति रुक गई। वास्तव में, ऐसे सबीरों तथा अनुदार विचारों के अनुकूल खचने वाले उत्तर में कभी कोई उन्नति नहीं कर सकते और न सब तथा महन् बन सकते हैं।

अनुकूल में भोग न करने वालों की गति।

(२४) आठवें अध्याय में मछारकनी ने यह तो लिखा ही है कि ' अनुकूल में भोग करने वाला मनुष्य परमपति (मोक्ष) को प्राप्त होता है और उसके ऐसा सुकुलीन पुत्र पैदा होता है जो पितरों को स्वर्ग प्राप्त करा देता है' * । परन्तु अनुकूल में भोग न करने वाले

* अनुकूलकोप [ज्ञानि] गामी तु प्राप्नोति परमां गतिम् ।

सुकुलः प्रयत्नेषु चः पितॄणां स्वर्गदो मतः ॥ ४८ ॥

इस पद्य का पूर्वार्ध 'सर्वतस्त्विति' के पद्य नं० १०० का उत्तरार्ध है।

स्त्री-पुरुषों की जिस गति का उल्लेख किया है वह और भी विचित्र है ।
आप लिखते हैं:—

* ऋतुज्ञाता तु यो भार्या सन्निधौ नोपय [म] च्छति ।

घोरायां भूषणहत्यायां पितृभिः सह मखति ॥ ४६ ॥

ऋतुज्ञाता तु या नारी पतिं नैवोपचिन्दति ।

शुनी वृकी ऋगात्री स्याच्छूकरी गर्दभी च सा ॥ ५० ॥

अर्थात्—जो पुरुष अपनी ऋतुज्ञाता-ऋतुकाल में ज्ञान की हुई-
स्त्री के पास नहीं जाता है—उससे भोग नहीं करता है—वह अपने
पितरों सहित भूषणहत्या के घोर पाप में डूबता है—स्वयं दुर्गति को
प्राप्त होता है और साथ में अपने पितरों (माता पितादिक) को भी
ले मरता है । और जो ऋतुज्ञाता स्त्री अपने पति के साथ भोग नहीं
करती है वह मर कर कुत्ती, भेड़िनी, गंदही सूअरी और गधी होती है ।

* इस पद्य का अर्थ देने के याद सोनीजी ने एक बड़ा ही विल-
क्षण्य ' भावार्थ ' दिया है जो इस प्रकार है:—

“ भावार्थ—कितने बड़ा भोग ऐसी बातों में आपत्ति करते हैं ।
इसका कारण यही है कि वे आजकल स्वराज्य के नसे में चूर हो रहे
हैं । अतः हरपक्ष को समानता देने के आवेश में आकर उस क्रिया
के चाहने वाले लोगों को भड़का कर अपनी क्यासि-पूजा आदि
चाहते हैं । उन्होंने धार्मिक विषयों पर आघात करना ही अपना मुख्य
कर्तव्य समझ लिया है । ”

इस भावार्थ का मूल पद्य अथवा उसके अर्थ से ज़रा भी सम्बन्ध
नहीं है । ऐसा मालूम होता है कि इसे लिखते हुए सोनीजी खुद ही
किसी गहरे-नशे में चूर थे । अन्यथा, ऐसा बिना सिर पैर का महा-
शास्त्रजनक ' भावार्थ ' कभी भी नहीं लिखा जा सकता था ।

पाठकजनन । देखा, मैत्री विचित्र व्यवस्था है ।। मन्त्रे ही में दिन पर्व के दिन हों, चाँदुर्गों में से कोई एक अथवा दोनों ही मती हों, खेमार हों, अनिच्छुक हों, तीर्थयात्रादि धर्म कार्यों में लगे हों या परदेश में स्थित हों परन्तु उन्हें उस वक्त मोग करना ही चाहिये ।। यदि नहीं करते हैं तो वे उक्त प्रकार से घोर पाप के मागी अपना दुर्गति के पात्र होते हैं ।।। इस अन्धकारमय व्यवस्था का भी कहीं कुछ ठिकाना है ।। स्वर्ग की प्रतिष्ठा, स्वर्ग्यम के अनुष्ठान, ऋषिचर्य के पालन और योगाभ्यासादि के द्वारा अपने अन्धकार के यत्न का तो इसके मागे कुछ मूल्य ही नहीं रहता ।।। समक में नहीं जाता भूय (गर्भस्थ बाहक) के विद्यमान न होते हुए भी उसकी हस्त का पाप कैते लग जाता है ? यदि मोग किया जाता तो गर्भ का रहना सम्भव था, इस समावना के आचार पर ही यदि मोग न करने से भूयहत्या का पाप लग जाता है तब तो कोई भी त्यागी, जो अपनी जी को छोड़कर मर्यादायी या मुनि हुआ हो, इस पाप से नहीं बच सकता । और वैजसमान के बहुत से पुत्र्य पुरुषों अपना मर्यादा आचारों को घोर प्राप्तिभी तथा दुर्गति का पात्र बनकर देना होगा । परन्तु देख नहीं है । वैजसर्म में ऋषिचर्य की बड़ी प्रतिष्ठा है और उसके प्रताप से अत्यन्त व्यक्ति शत्रुकाय में मोग न करते हुए भी पाप से आक्षिप्त रहे हैं, और सन्नति को प्राप्त हुए हैं । जैनदृष्टि से यह कोई चादिकी नहीं कि शत्रुकाय में मोग किया ही जाय । हाँ, मोग जो किया जाय तो वह संसल के बिये किया जाय और इस उदर्य से शत्रुकाय में ही किया जाना चाहिये, ऐसी उसकी व्यवस्था है । और उसके साथ शक्ति तथा कासादिक की विशेषा-पेक्षा भी लगी हुई है—अर्थात् न ही पुरुष यदि उस समय रोपादिक के करण या और तौर पर वैसा करने के बिये असमर्थ न हों, और वह समय भी कोई पर्वादि वर्ज्य काय न हो तो वे परस्पर कामसेवन कर सकते हैं । दूसरी अवस्था के बिये ऐसा नियम अपना कर नहीं है । और यह बात

भगवन्निनसेन-प्रणीत आदिपुराण के निम्न वाक्य से भी ध्वनित होती है:—

संतानार्थं सुतावेव कामसेवां मिथ्यो भजेत् ।

शक्तिकाहाय्यपेक्षोऽयं क्रमोऽशुक्लेष्वतोऽन्यथा ॥ ३८-१३५ ॥

इससे महारकबी का सक्त सब कथन जैनधर्म के विलकुल विरुद्ध है और उसने जैनियों की सारी कर्म फिलोसॉफी को ही उठा कर ताक में रख दिया है। मला यह कहाँ का न्याय और सिद्धान्त है जो पुत्र के भोग न करने पर बेचारे मरे जीते पितर भी झूखहत्या के पाप में घसीटे जाते हैं ! मालूम होता है यह महारकबी के अपने ही मस्तिष्क की उपज है; क्योंकि उन्होंने पहले पद्य में, जो 'पराशर' ऋषि का वचन है और 'पराशरस्मृति' के चौथे अध्याय में नं० १५ पर दर्ज है तथा 'मिताक्षरा' में भी उद्धृत मिलता है, इतना ही फेरफार किया है— अर्थात्, उसके अन्तिम चरण 'युज्यते नाश्र संशयः' को 'पितृभिः सह मज्जति' में बदला है !! दूसरे शब्दों में यों कहिये कि पराशरजी ने पितरों को उस हत्या के पाप में नहीं डुबोया था, परन्तु महारकबी ने उन्हें भी डुबोना उचित समझा है !!! * ऐसा निराधार कथन कदापि किसी माननीय जैनाचार्य का वचन नहीं हो सकता। दूसरा पद्य भी, जिसमें ऋतुकाल में भोग न करने वाली स्त्री की गति

* एक बात और भी नोट किये जाने के योग्य है और वह यह कि हिन्दू ग्रंथों में इस विषय से सम्बन्ध रखने वाले 'देवदत्त' आदि ऋषियों के कितने ही वचन ऐसे भी पाये जाते हैं जिनमें 'स्वस्थः सप्तोपगच्छति' आदि पदों के द्वारा उस पुरुष को ही झूखहत्या के पाप का मापी ठहराया है जो स्वस्थ होते हुए भी ऋतुकाल में भोग नहीं करता है। और 'पर्ववर्ष्य' तथा 'पर्वणि वर्जयेत्' आदि पदों के द्वारा ऋतुकाल में भी भोग को लिये पंच दिनों की छुट्टी

का उद्देश है, हिन्दू-धर्म के किसी प्रथ से लिया गया अथवा कुछ परिवर्तन करके रखा गया मालूम होता है; क्योंकि हिन्दू-धर्मों में ही इस प्रकार की आत्माएँ प्रचुरता के साथ पाई जाती हैं। पराशरजी ने तो ऐसी ही को सीधा नरक में भेजा है और फिर मनुष्ययोनि में जाकर उसे बार बार विधवा होने का भी फलवा (धर्मदोष) दिया है। यथा:—

श्रुतुस्माना तु या नारी भर्तारं नोपसर्पति ।

सा मृता नरकं प्राप्ति विधवा च पुनः पुनः ॥ ४—१४ ॥

—परशरस्मृति।

इस पद्य का पूर्वार्ध और महारकनी के दूसरे पद्यका पूर्वार्ध दोनों एकार्थवाचक हैं। संभव है इस पद्य पर से ही महारकनी ने अपने पद्य की रचना की हो। उन्हें उस ही को क्रमशः नरक तथा मनुष्य गति में न भेज कर खालिस तिर्यक् गति में ही धुमाना उचित जैचा हो और इसीलिये उन्होंने इस पद्य के उत्तरार्ध को अपनी इच्छानुसार बदला हो। परंतु कुछ भी हो, इसमें सदेह नहीं कि महारकनी ने कुछ दूसरों की नकल करके और कुछ अपनी अकल को बीचों दखल देकर जो ये बेदगी व्यवस्थाएँ प्रस्तुत की हैं उनका जैनशास्त्र से कुछ भी सम्बंध नहीं है। ऐसी नामाकूल व्यवस्थाएँ कदापि जैनियों के द्वारा मान्य किये जाने के योग्य नहीं।

अश्लीलता और अशिष्टाचार।

(२५) व्रत, नियम, पर्व, स्वास्थ्य, अनिच्छा और असमर्थता आदि की कुछ पूर्वाह न करते हुए, श्रुतुकाह में अवरय मोग करने की व्यवस्था देने वाले अथवा मोग न करने पर दुर्गति का क्रमार्ग जारी

की गई है। परन्तु महारकनी ने इन पद्यों को यहाँ संग्रह नहीं किया और न इनका आशय ही अपने शब्दों में प्रकट किया। इससे यह और भी साफ़ हो जाता है कि उन्होंने श्रुतुकाह में मोग न करने वालों को हर हासत में श्लाघना का अपराधी ठहराया है।।

करने वाले महारकजी ने, उसी अध्याय में, भोग की कुछ विधि भी बत-
लाई है। उसमें, अन्य बातों को छोड़ कर, आप लिखते हैं ' प्रदीपे
मैथुने चरेत् '—दीपप्रकाश में मैथुन करना चाहिये—और उसकी
बाबत यहाँ तक जोर देते हैं कि—

दीपे नष्टे तु यः सङ्गं करोति मनुजो यदि ।

यावज्जन्महरिद्रत्वं लभते नाम संशयः ॥ ३७ ॥

अर्थात्—दीपप्रकाश के न होते हुए, अंधेरे में, यदि कोई मनुष्य
झीप्रसङ्ग करता है तो वह जन्म भर के लिये दरिद्री हो जाता है इस
में सन्देह नहीं है *। इसके सिवाय, आप भोग के समय परस्पर क्रोध,
रोष, मर्त्सना और ताड़ना करने तथा एक दूसरे की वच्छिष्ट (जूठन)
खाने में कोई दोष नहीं बतलाते †। साथ ही, पान चवानं को भोग
का आवश्यक अंग ठहराते हैं—भोग के समय दोनों का मुख ताम्बूल
से पूर्य होना चाहिये ऐसी व्यवस्था देते हैं—और यहाँ तक लिखते हैं
कि वह ही भोग के लिये त्याज्य है जिसके मुख में पान नहीं †। और
इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि महारकजी ने उन स्त्री-पुरुषों अथवा
श्रावक-श्राविकाओं को परस्पर कामसेवन का अधिकारी ही नहीं समझा

* सन्देह की बात तो बुर रही, यह तो प्रत्यक्ष के भी विरुद्ध
मालूम होता है; क्योंकि किनने ही व्यक्ति लज्जा आदि के बरत होकर
या बँसे ही सोते से जाग कर अन्धेरे में काम सेवन करते हैं परन्तु
वे दरिद्री नहीं देखे जाते। कितनों ही की घन-सम्पन्नता तो उसके
बाद प्रारम्भ होती है।

‡ पाद्मसं तनुञ्चैव ह्यच्छिष्टं ताडनं तथा ।

कोपो रोषश्च निर्मर्त्सः संयोगे न च दोष माह् ॥ ३८ ॥

† ताम्बूलेन मुखं पूर्य...कृत्वा योगं समाचरेत् ॥ ३६ ॥

विना ताम्बूलचदानां...संयोगे च गरिस्थजेत् ॥ ४० ॥

जो रात्रि को भोजनपान न करते हों अथवा जिन्होंने संयमादिक की किसी दृष्टि से पान का खाया ही छोड़ रक्खा हो !! परन्तु इन सब बातों का भी छोड़िये, इस विधि में चार श्लोक खासतौर से उल्लेखनीय हैं—महारकनी ने उन्हें देने की खास मरुतरत समझी है—और वे इस प्रकार हैं:—

शुक्लवानुपविष्टस्तु शय्यायामभिसम्मुखाः ।

श्वस्सृत्य परमात्मानं पत्न्या जंघे प्रसारयेत् ॥ ४१ ॥

अल्लोमशां च सङ्घामनाङ्गां सुमनोहराम् ।

योनिं स्पृश्व्वा जपेन्मंत्रं पवित्रं पुत्रदायकम् ॥ ४२ ॥

श्रोत्रावाकर्षयेद्दोष्टैरन्योन्यमाविलोकयेत् ।

स्तनौ घृत्वा तु पाणिभ्यामन्योन्यं सुस्वयेन्मुखात् ॥ ४४ ॥

बलं देहीति मंत्रेण योस्यां शिखं प्रवेशयेत् ।

योनेस्तु किञ्चिदधिकं भवेत्किञ्च बहान्वितम् ॥ ४५ ॥

इन श्लोकों के बिना महारकनी की भोग-विधि शायद अधूरी ही रह जाती । और भोग समझ ही न पाते कि भोग कैसे किया करते हैं !! अस्तु; इन सब श्लोकों में क्या शिक्षा है उसे बतलाने की हिन्दी और मराठी के दोनों अनुवादकर्ताओं में से किसी ने भी कृपा नहीं की—सिर्फ पहले दो पदों में प्रयुक्त हुए 'शुक्लवान्', 'उपविष्टस्तु शय्यायां', 'श्वस्सृत्य परमात्मानं', 'जपेन्मंत्रं पुत्रदायकं' पदों में से सबका अथवा कुछ का अर्थ दे दिया है और बाकी सब छोड़कर लिख दिया है कि इन श्लोकों में 'कतलाई हुई विधि अथवा क्रिया का अनुष्ठान किया जाना चाहिये । पं० पन्नासाहनी सोनी की अनुवाद-पुस्तक में एक नोट भी लगा हुआ है, जिसमें लिखा है कि—

“अस्तीजता और अशिष्टाचार का दोष आने के समय ४२ वें श्लोक

* ४१ वें श्लोक में कही गई 'पत्न्या जंघे प्रसारयेत्' जैसी क्रिया का भी जो भाषानुवाद नहीं किया गया!

में कहीं गई क्रियाओं का मातानुवाद नहीं किया गया है । इसी प्रकार ४४ वें और ४५वें श्लोक का अर्थ भी नहीं लिखा गया है'

मराठी अनुवादकर्ता पं० कल्याप्पा भरमाप्पा निटवे ने भी ऐसा ही आशय व्यक्त किया है—आप इन श्लोकों का अर्थ देना मराठी शिष्टाचार की दृष्टि से अयोग्य बतलाते हैं और किसी संस्कृतज्ञ विद्वान से उनका अर्थ मालूम कर लेने की जिज्ञासुओं को प्रेरणा करते हैं । इस तरह पर दोनों ही अनुवादकों ने अपने अपने पाठकों को उस धार्मिक (!) विधि के ज्ञान से कोरा रक्खा है जिसकी महारकजी ने शापद बड़ी ही कृपा करके अपने ग्रंथ में योजना की थी ! और अपने इस व्यवहार से यह स्पष्ट घोषणा की है कि महारकजी को ये श्लोक अपने इस ग्रंथ में नहीं देने चाहिये थे ।

यद्यपि इन अनुवादकों ने ऐसा लिखकर अपना पिंड छुड़ा लिया है परंतु एक समासोचक का पिंड वैसा बिलकल नहीं छूट सकता—उसका कर्तव्य भिन्न है—इच्छा न होते हुए भी कर्तव्यानुरोध से उसे अपने पाठकों को थोड़ा बहुत कुछ परिचय देना ही होगा, जिससे उन्हें यह मालूम हो सके कि इन श्लोकों का कथन क्या कुछ अस्वीकार्यता और अशिष्टता को सिंधे हुए है । साथ ही, उस पर से महारकजी की रुचि तथा परिणति आदि का भी वे कुछ बोध प्राप्त कर सकें । अतः नीचे उसीका यत्न किया जाता है—

पहले श्लोक में महारकजी ने यह मत लाया है कि 'भोग करने वाला मनुष्य भोजन किये हुए हो, वह शय्या पर खी के सामने बैठे और परमाला का स्पर्श करके खी की दोनों नाँवें पसारे' । फिर दूसरे श्लोक में यह व्यवस्था दी है कि 'वह मनुष्य उस खी की योनि कां छूए और वह योनि वालों से रोहित हो, अच्छी देदीप्यमान हो, गीली न हो तथा भुजे प्रकार से मन्त्र को हरने वाली हो, और उसे छूकर पुत्र के देने वाले पवित्र मंत्र का जाप करे !' इसके अगले ग्रंथ में श्लोनिस्थ

देवता की अभिवेक-पुरस्सर पूजा वाचा वह मंत्र दिया है जो 'प्रतिष्ठादि विरोध' नामक प्रकरण के (अ) भाग में उद्धृत किया जा चुका है, और लिखा है कि 'इस मंत्र को पढ़कर गोबर, गोमूत्र, दूध, दही, घी, कुश और जल से योनि का अच्छी तरह प्रक्षालन करना चाहिये और फिर उसके ऊपर चंदन, केसर तथा कस्तूरी आदि का लेप कर देना चाहिये' * । इसके बाद 'योनिं पश्यन् जपेन्मन्त्रान्' नाम का ४३ वाँ पद्य दिया है, जिसमें उस चंदनादि से चर्चित योनि को देखते हुए + पंच परमेष्ठिवाचक कुछ मंत्रों के जपने का विधान किया है और फिर उन मंत्रों तथा एक आलिंगन मंत्र को देकर उक्त दोनों श्लोक नं० ४४, ४५ दिये हैं । इन श्लोकों द्वारा महारकली ने यह आशा की है कि 'जो पुरुष दोनों परस्पर मुँह मिला कर एक दूसरे के होठों को अपने होठों से छींचे, एक दूसरे को देखे और हाथों से ज्ञातियाँ पकड़ कर एक दूसरे का मुल्लचुम्बन करें । फिर 'बलं देहि' इत्यादि मंत्र को पढ़ कर योनि में लिंग को दाहिना किया जाय और वह लिंग योनि से कुछ बड़ा तथा बलवान् होना चाहिये x ।'

* यथा-"इति मंत्रेण गोमय-गोमूत्र-क्षीर-दधि-सर्पिः-कुशौदकैर्योनिं सम्प्रक्षालय श्रीगन्धकुंकुमकस्तूरिकाचयनु-लेपनं कुर्यात् ।"

+ 'योनिं पश्यन्' पदों का यह अर्थ भी अनुवाक्यों में नहीं दिया ।

x इसके बाद दोनों की संतुष्टि तथा इच्छापूर्ति पर योनि में बीर्य के सींचने की बात कही गई है, और यह कथन दो पद्यों में है, जिनमें पहला 'संतुष्टो भार्यया भर्ता' नाम का पद्य मनुस्मृति का वाक्य है और दूसरा पद्य निम्न प्रकार है—

पाठकत्रय ! देखा, कितनी सम्पत्ता और शिष्टता को लिये हुए कथन है ! एक 'धर्मरत्निक' नाम धरान वाले ग्रंथ के लिये कितना उपयुक्त है ॥ और अपने को 'मुनि' 'गर्षी' तथा 'मुनीन्द्र' तक लिखने वाले महारकजी को कहीं तक शोभा देता है ॥ खेद है महारकजी को विषय-सेवन का इस तरह पर खुला उपदेश देते और ली-सभोग की स्पष्ट विधि बतलाते हुए बरा भी खब्बा तथा शरम नहीं आई ॥ निज बातों की चर्चा करने अथवा कहने सुनने में गृहस्थों तक को संकोच होता है उन्हें वैराग्य तथा ब्रह्मचर्य की मूर्ति बने हुए मुनिमहाराजजी-बदे चाव संलिखते हैं यह सब शायद कलियुग का ही माहात्म्य है ॥ मुझे तो महारकजी की इस रचनामय लीला को देखकर कबिधर भूधरदासजी का यह वाक्य याद आजाता है—

रागउदै जग अंध भयो, सबजै सब जोगन लाज गैचाई ।
 सीख बिना नर सीखन हैं, त्रिपदादिक सेवन की सुघराई ॥
 ता पर और रखै रसकाव्य, कहा कहिये निजकी निजुराई ।
 अंध भस्मकन की औखियान में झाकन है रज रामदुहाई ॥

सचमुच ही ऐसे कुकवियों, -धर्माचार्यों अथवा गोमुखव्याप्तों से राम बचाव ॥ वे स्वयं तो पतित होते ही हैं किन्तु दूसरों को भी पतन की ओर ले जाने हैं ॥ उनकी निष्ठुरता, निःसन्देह, अनिर्ध्वनीय है । महारकजी के इन उद्गारों से उनके हृदय का भाव झलकता है—
 कुकवि तथा अल्पदत्ता प्राई जाती है—और उनके ब्रह्मचर्य की याह का

इच्छापूर्वक भवेद्यावुभयोः कामयुक्तयोः ।

रेनः भिचेत्ततो योन्यां तेन गर्भे विभर्ति सा ॥ ४७ ॥

४१ वें पद्य का उत्तरार्ध और इस पद्य का उत्तरार्ध दोनों मिलकर हिन्दुओं के 'आचारार्क' ग्रंथ-का एक पद्य होता है, जिसे संभवतः यहाँ विभक्त करके रक्ता गया है ।

कितना ही पना चरु जाता है। जो लोग विवाह-विषय पर सम्मति देने से ही ब्रह्मचर्य में दोष या अतीचार का उगना बतलाने हैं वे, शक्य नहीं, ऐसी भोगप्रेरणा को छिपे हुए अरक्षित उद्गार निष्कलने वाला इन महारक्षणी के ब्रह्मचर्य-विषय में क्या कहेंगे ? और उन्हें ब्रह्मकों की दूसरी प्रतिमा में भी स्थान प्रदान करेंगे या कि नहीं ? अस्तु; वे लोग कुछ ही बर्षों अपथा करें, किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि महारक्षणी का वह सत्य विधि-विधान, जिसमें वे 'कामयज्ञ' बतलाते हैं और जिसके अनुष्ठान से 'संसार समुद्र' से पार तारने वाला पुत्र पैदा होगा एसा साक्ष्य दिखलाने हैं^१, जैनशिष्टाचार के बिलकुल विरुद्ध है और जैनसाहित्य को कलंकित करने वाला है। जान पड़ता है, महारक्षणी ने उस देने में प्रायः वागमार्गियों अपथा शक्तियों का अनुकरण किया है और उनका 'यानिपूजा' जैसा धृष्ट शिष्टाचारों को जैन समान में फैलाना चाहा है। अतः आपका वह सत्य प्रयत्न किसी तरह भी प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता।

यहाँ पर एक बात और भी बतला देने की है और वह यह कि १५ वें पद्य में जो 'बलं देहीति मंत्रेण' पाठ दिया है उससे यह स्पष्ट च्चनित होता है कि उसमें जिस मंत्र का उल्लेख किया गया है वह 'बलं देहि' शब्दों से प्रारंभ होता है। परन्तु महारक्षणी ने उक्त पद्य के अनन्तर जो मंत्र देया है वह 'बलं देहि' अपथा 'ॐ बलं देहि' जैसे शब्दों से प्रारंभ नहीं होता, किन्तु 'ॐ ह्रीं शरीरस्यापिनो देवता मां बलं ददतु स्वाहा' इस रूप को छिपे हुए है, और इससे यह स्पष्ट जाना जाता है कि महारक्षणी ने उस मंत्र को बदल

^१ यथा—

काल यथासिद्धि प्राहुरदियां सर्ववैद्य च ।

श्रमने क्षमते पुत्रं संसारार्हवतारकम् ॥ ११ ॥

कर रक्खा है जिसकी वाबत यह बहुत कुछ संभव है कि वह वाम-मार्गियों अथवा शाक्तियों का मंत्र हो और खोज करने पर उनके किसी ग्रंथ में मिल जाय । ऐसी हालत में उक्त पद्य भी—अकेला अथवा दूसरे पद्य के साथ में—उसी ग्रंथ से लिया गया होना चाहिये । मालूम होता है, उसे देते हुए, महारकनी को यह ज्ञायक नहीं रहा कि जब हम पद्य में उल्लेखित मंत्र को नहीं दे रहे हैं तब हमें इसके 'बलं देहीति' शब्दों को भी बदल देना चाहिये । परन्तु महारकनी को इतनी सूक्ष्म बुद्धि कहाँ थी ? और इसलिये उन्हें पद्य के उस पाठ को न बदल कर मंत्र को ही बदल दिया है !!!

त्याग या तलाक ।

(२६) ग्यारहवें अध्याय में, विवाहविधि को समाप्त करते हुए, महारकनी लिखते हैं:—

*अप्रजां दशमे वर्षे स्त्रीप्रजां द्वादशे त्यजेत् ।

मृतप्रजां पंचदशे सद्यस्त्यागप्रियवादिनीम् ॥ १६७ ॥

अर्थात्—जिस स्त्री के लगातार कोई संतान न हुई हो उसे दसवें वर्ष, जिसके कन्याएँ ही उत्पन्न होती रही हों उसे बारहवें वर्ष, जिसके

* यह पद्य किसी हिन्दू ग्रंथ का जान पड़ता है । हिन्दुओं की 'नवरत्न विवाह पद्धति' में भी यह संशुद्धित मिलता है । अस्तु; इस पद्य के अनुवाद में सोनीजी ने 'त्यजेत्' पद्य का अर्थ दिया है— 'दूसरा विवाह करे' और 'अप्रियवादिनी' के पहले एक विशेषण अपनी तरफ से जोड़ा है 'अपुत्रवती' ! साथही अप्रियवादिनी का अर्थ 'उपमिचारिणी' बतलाया है ॥ और ये सब बातें आपके अनुवाद की विलक्षणता को सूचित करती हैं । इसके सिवाय अपने त्यागावधि के वर्षों की गणना प्रथम रजो-दर्शन के समय से की है ! यह भी कुछ कम विलक्षणता नहीं है ।

बधे मर आते हैं। उसे पंद्रहवें वर्ष और जो अप्रियवादिनी (बहु भाषण करने वाली) हो उस फर्मन (तत्काल ही) लग देना चाहिये।

महारकजी के इस 'त्याग' के दो अर्थ किये जा सकते हैं—एक 'संभोगत्याग' और दूसरा 'वैवाहिक सम्बंधत्याग'। 'संभोगत्याग' अर्थ महारकजी के पूर्व कथनकी छट्टि से कुछ संगत मालूम नहीं होता; क्योंकि ऐसी स्त्रियाँ श्रुतगती तथा श्रुतजाता तो होती ही हैं और श्रुतकाल में श्रुतजाताओं से भोग न करने पर महारकजी ने पुरुषों का भ्रूणहत्या के घोर पाप का अपराधी ठहराया है और साम में उनके पितरों को भी घसीटा है; ऐसी हालत में उनका इस वाक्य से 'संभोगत्याग' का आशय नहीं किया जा सकता—वह आपत्ति के योग्य ठहरता है—तब दूसरा 'वैवाहिक सम्बंध त्याग' अर्थ ही यहाँ ठीक बैठता है, जिसे 'तत्काल' Divorce कहते हैं और जो उक्त पाप से मुक्ति दिला सकता अथवा सुरक्षित रख सकता है। इस दूसरे अर्थ की पुष्टि इससे भी होती है कि महारकजी ने संभोगत्याग की बात को मतान्तर † रूप से—दूसरों को मत के तौर पर (अपने मत के तौर पर नहीं)—अगले पक्ष में दिया है। और वह पक्ष इस प्रकार है:—

व्यस्यधिना स्त्रीव्रजा धन्व्या उन्मत्ता विगतातर्तवा ।

अबुद्धा जमते स्वार्थ तीर्थतो न तु धर्मतः ॥१६८॥

इस पक्ष में मतसाया है कि 'जो स्त्री (चिरकाल से) रोगपीडित हो, जिसके केवल क-याँ ही पैदा होती रही हों, जो धन्व्या हो, उन्मत्त हो, अथवा अनोचर्ष से रहित हो (रजस्वला न होती हो) ऐसी स्त्री यदि द्रष्ट स्वभाव वाली न हो तो उसका महक का मतार्थ से त्याग होता है—वह संभोग के लिये त्याज्य ठहरती है—परन्तु धर्म से नहीं—धर्म से उसका पत्नीसम्बंध टना रहता है।'

† मराठी अनुवाद-पुस्तक में पक्ष के ऊपर 'मतान्तरं' की अनुवाद 'दुसरे मत' दिया है परन्तु सोबीजी अपनी अनुवाद पुस्तक में उस विषयक ही बड़ा गये हैं।

इस पद्य से यह स्पष्ट ध्वनि निकलती है कि इसमें ऐसी स्त्री का धर्म से न त्यागने की अथवा उसके साथ इतनी रिश्तायत करने की जो बात कही गई है उसका मूल कारण उस स्त्री का दुष्टा न होना है और इसलिये यदि वह दुष्टा हो—अप्रियवादिनी हो अथवा भद्दारकजी के एक दूसरे* पद्यानुसार अति प्रचण्डा, प्रबला, कपालिनी, विवादकर्त्री, अर्थचोरिणी, आक्रान्दिनी और सप्तगृहप्रवेशिनी जैसी कोई हो, जिसे भी आपने त्याग देने को लिखा है—तो वह धर्म से भी त्याग किये जाने की अथवा यों कहिये कि तत्काल की अधिकारिणी है, इतनी बात इस पद्य से भी साफ सूचित होती है। चाहे वह किसी का भी मत क्यों न हो।

* वह पद्य इस प्रकार है:—

अतिप्रचण्डां प्रबलां कपालिनीं, विवादकर्त्रीं स्वयमर्थचोरिणीम् ।
आक्रान्दिनीं सप्तगृहप्रवेशिनीं, त्यजेच्च भार्यां दशपुत्रपुत्रिणीम् ॥३३॥

इस पद्य में यह कहा गया है कि 'जो विवाहिता स्त्री अति प्रचण्ड हो, अधिक बलवती हो, कपालिनी (दुर्गा) हो, विवाद करने वाली हो, धनादिक वस्तुएँ चुराने वाली हो, जोर जोर से चिड़ाने अथवा रोने वाली हो, और सात घरों में—घरघर में—डोसने वाली हो, वह यदि दस पुत्रों की माता भी हो तो भी उसे त्याग देना चाहिये।'

इस पद्य के अनुवाद में लोनीजी ने 'भार्या' का अर्थ 'कन्या' यत्नतः किया है और इसलिये आपको फिर 'दशपुत्रपुत्रिणीम्' का अर्थ 'आगे चलकर दशपुत्रपुत्री वाली भी क्यों न हो' ऐसा करम पड़ा जो ठीक नहीं है। 'भार्या' विवाहिता स्त्री को कहते हैं। अतएव में यह पद्य ही वहीं असंगत जान पड़ता है। इसे त्याग विषयक उक्त दोनों पद्यों के साथ में देना चाहिये था। परन्तु 'कहीं की इंट कहीं का रोडा मानमती ने कुनवा जोटा' वाली कहावत को चरितार्थ करने वाले भद्दारकजी घर घर से उठाकर रखे हुए पद्यों की तरतीब देने में इतने कुशल, सावधान अथवा विवेकी नहीं थे। इसी से उनके ग्रंथ में जगह जगह ऐसी कुट्टियाँ पाई जाती हैं और यह बात पढ़ते भी ज्ञादिर की जा चुकी है।

इस तरह पर महरकजी ने स्त्रियों को त्याग या तलाक़ देने की यह व्यवस्था की है। दक्षिण देश की कितनी ही हिन्दू जातियों में तलाक़ की प्रथा प्रचलित है और कुछ पुनर्विवाह वाली जैनजातियों में भी उसका रिवाज है; जैसा कि १ की करवरी सन् १९२८ के 'जैनमगज़' अंक नं० ११ से प्रकट है। मालूम होता है महरकजी ने उसीको यहाँ अपनाया है और अपनी इस योजनाद्वारा सूर्य जैन-समाज में उसे प्रचारित करना चाहा है। महरकजी का यह प्रयत्न कितना निन्दित है और उनकी उक्त व्यवस्था कितनी दोषपूर्ण, एकांगी तथा न्याय-नियमों के विरुद्ध है उसे बतलाने की जरूरत नहीं। सद्दय पाठक सहज ही में उसका अनुभव कर सकते हैं। हाँ, इतना जरूर बतलाना होगा कि जिस ली को त्याग या तलाक़ दिया जाता है वह, वैवाहिक सम्बन्ध के विच्छेद होने से, अपना पुनर्विवाह करने के लिये स्वतंत्र होती है। और इसलिये यह भी कहना चाहिये कि महरकजी ने अपनी इस व्यवस्था के द्वारा ऐसी 'त्यक्ता' स्त्रियों को अपने पति की जीवितावस्था में पुनर्विवाह करने की भी स्वतंत्रता या परवानगी दी है !! अस्तु; पुनर्विवाह के सम्बन्ध में महरकजी ने और भी कुछ आज़ाद नारी की हैं मिनत्र प्रदर्शन अभी आंग 'स्त्री-पुनर्विवाह' नाम के एक स्वतंत्र शीर्षक के नीचे किया जायगा।

स्त्री-पुनर्विवाह ।

(२७) 'तलाक' की व्यवस्था देकर उसके कलस्वरूप परित्यक्ता स्त्रियोंको पुनर्विवाह की स्वतन्त्रता देने वाले महरकजी ने, कुछ हालतों में, अपरित्यक्ता स्त्रियों के लिये भी पुनर्विवाहकी व्यवस्थाकी है, जिसका सुलासा* इस प्रकार है—

० यद्यपि इस विषय में महरकजी के व्यवस्था-चाप्य बहुत कुछ स्पष्ट हैं फिर भी चूँकि इस त्रिथर्णाचार के अक्त कुछ अज्ञितों ने, उन्हें अपनी मनोवृत्ति के अनुकूल न पाकर अथवा प्रथ के प्रचार में विशेष बाधक समझकर उन पर पूर्ण हालते की अघन्य चेष्टा की है—अतः यहाँ

ग्यारहवें अध्याय में महारकली ने, वाग्दान, प्रदान, वरण, पाणि-
प्रहण और सप्तपदी को विवाह के पाँच अंग बतलाकर, उनकी क्रमशः
सामान्यविधि बतलाई है और फिर 'विशेषविधि' दी है, जो अंकुरारोपण
से प्रारम्भ होकर 'मनोरथाः सन्तु' नामक उस आशीर्वाद पर समाप्त
होती है जो सप्तपदी के बाद-पूर्णाहुति आदि के भी अनन्तर-दिया हुआ
है। इसके पश्चात् उन्होंने हिन्दुओं के 'चतुर्थी कर्म' को अपनाने का
उपक्रम किया है और उसे कुछ जैन का रूप दिया है। चतुर्थी-कर्म
विवाह की चतुर्थ रात्रि के कृत्य को कहते हैं *। हिन्दुओं के यहाँ वह
विवाह का एक देश अथवा अंग माना जाता है। चतुर्थी-कर्म से पहले
वे स्त्री को 'मार्या' संज्ञा ही नहीं देते। उनके मतानुसार दान के समय
तक 'कन्या', दान के अनन्तर 'बधू', पाणिप्रहण हो जाने पर 'पत्नी'
और चतुर्थी-कर्म के पश्चात् 'मार्या' संज्ञा की प्रवृत्ति हाँडी है। इसी
से वे मार्या को 'चातुर्थ कर्मणी' कहते हैं, जैसा कि मिश्र निवाहुराम
विरचित उनके विवाहपद्धति के निम्न वाक्यों से प्रकट है:—

चतुर्थीकर्मणः प्राग् तस्या मार्यत्वमेव न संप्रवृत्तम् । विवाहैकदे-
शत्वाच्चतुर्थीकर्मणः । इतिसूत्रार्थः । तस्माद्मार्यां चातुर्थकर्मणीति मुनि-
बधनात् । "आप्रदानात् भवेत्कन्या प्रदानानन्तरं बधूः ॥ पाणिप्रहणे तु
पत्नी स्याद्मार्या-चातुर्थकर्मणीति ॥"

और इसीलिये उनकी विवाहपुस्तकों में 'चतुर्थीकर्म' का पाठ लगाना
रहता है जो 'ततश्चतुर्थ्यामपररात्रे चतुर्थीकर्म' इस प्रकार के

पर उनका कुछ विशेष खुलासा अथवा स्पष्टीकरण कर देना ही उचित
तथा जरूरी मालूम हुआ है। इसीसे यह उसका प्रयत्न किया जाना है।

* वामन शिवगम पेगटे के कोश में भी ऐसा ही लिखा है। यथा:—

"The Ceremonies to be performed on the fourth
night of the marriage" और इससे 'चतुर्थी' का अर्थ होता है
The fourth night of the marriage विवाह की चतुर्थ रात्रि ।।

वाक्य के साथ प्रारम्भ होता है । महारकबी ने विवाह रात्रि के बाद से—उस रात्रि के बाद से जिस रात्रि को पंचाङ्गविवाह की सम्पूर्ण विधि समाप्त हो जाती है—चतुर्थीकर्म का उपक्रम करते हुए, प्रति दिन सुबह के वक्त पौष्टिक कर्म और रात्रि के समय शक्तिहोम करने की व्यवस्था की है, और फिर चौथे दिन के प्रभातादि समयों का कृत्य बतलाया है, जिसमें विवाहमंडप के भीतर पूजनादि सामग्री से युक्त तथा अनेक चित्रादिकों से चित्रित एक गद्दाभस्त्र की नवीन रचना, बधू का नूतन कलश स्थापन, संध्या के समय बधू-वर का वहाँ गीत वादित्र के साथ ज्ञान और उन्हें गंधाक्षतप्रदान भी शामिल है *। इसके बाद सञ्ज्ञेप में चतुर्थरात्रि का कृत्य दिया है और उसमें मुख्यतया नीचे लिखी क्रियाओं का उल्लेख किया है—

(१) भुक्तारा निरीक्षण के अनन्तर समा की पूजा (२) भगवान का अभिषेक—पुरस्सर पूजन तथा होम (३) होम के बाद पक्षों के गण्डे में वर की दी हुई सोने की ताली का मंत्रपूर्वक बौंदा जाना (४) मंत्र पढ़कर दोनों के गण्डे में स्वम्बंघमास्ता का दाखा जाना (५) नागों का तर्पण अथवा उन्हें बाँधे का दिया जाना (६) अग्नि पूजनादि के अनन्तर वर का पान बीजा खेवर बधूमहित नगर को देखन जाना (७) तत्पश्चात् होम के शेष कार्य को पूरा करके पूर्णाहुति का दिया जाना (८) होम की भस्म का वर बधू को वितरण

* इस कथन के कुछ वाक्य नीचे दिये जाने हैं—

“नतः प्रभृति नित्यं च प्रमाने पौष्टिकं मतम् ।

निशीथे शान्तिं होमेऽभिद्वि चतुर्थे नागतपंचम् ॥ १४८ ॥

तद्वत् [गिह] च प्रमाने च शृदमयत्तयोः पृथक् । सम्माजं च ॥ १४९ ॥

“नवीन वटं... संस्थापयिष्यात् पत्नी ॥ १५३ ॥

“सदित्येवमेतन्महामहत्वं चेशपूजाचंतायोग्य सद्रूपपूर्वम् ॥ १५८ ॥

“सरागेऽपि संन्यासिधाने दशीह वरस्यापि वध्वाः शुभस्नानकंषा” ॥

दृढं चासनं युज्यते चादरेण सुपांगल्प वादित्रगीतांश्चपूर्वम् ॥ १६० ॥

“ऊँ सद्रिव्यगात्रस्य गंधाद्यादिकृत्तं सुगंधं वा भवीति... ”

संधारिताञ्जुता अप्येवं भवन्तु ।

(६) सुवर्णदान (१०) तदनंतर ककण खोखकर ग्राम की प्रदक्षिणा करना (११) प्रदक्षिणा से निवृत्त होकर सुखपूर्वक दुग्धपान तथा संभोगादिक करना और फिर अपने ग्राम को चले जाना ।

चतुर्थ रात्रि की इन क्रियाओं से सम्बन्ध रखने वाले कुछ पदवाक्य इसप्रकार हैं:—

“रात्रौ ध्रुवतारादर्शेनानन्तरे विद्वद्धिशिष्ट बन्धुजनैश्च समापूजा ।
चतुर्थी(र्थी) दिनेषध्रुवरयोरपि महास्नानानि च स्नपनार्चा होमादिकं
कृत्वा तालीबंधनं कुर्यात् । तद्यथा—‘वरेण दत्ता सौवर्णी’...‘ताली’ ॥१६१॥

“ॐ एतस्याः पाणिगृहीत्यास्ताली बध्नामि इयंनित्यमवतंसलाक्ष्मीं
विदध्यात् ।

“ॐ भार्यापत्योरेतयोः परिणीतिं प्राप्तयोस्तुरीये घञ्जे नक्तं वेलायां
त्रैतासपर्यायाश्च तौ सम्बन्धेते सम्बन्धमात्रा अतोलन्धिर्बद्धपत्यानां
द्राघीयं आयुश्चापि भूयात् ।

“सुहोमावलोकाः पुनर्गन्तव्यं ससूत्रं क्रमाद् बन्धयेत्कण्ठदेशे ।
स्वसम्बन्धमात्रापरिवेष्टनं च, सुकपूर्वगोशार्थयोस्तैपनं च ॥ १६३ ॥
वधूमिर्ह्युपात्तार्थपात्राभिराभिः, प्रवेशो वरस्यैव तद्वन्ध बध्नाः । -
शुभे मण्डपे दक्षिणीकृत्य न वै, प्रदायाद्यु नागस्य साक्षाद्गतिं च ॥ १६४ ॥
“समित्तमारोपणं पूर्वकं तथा, हुताशपूजावसरार्चनं मुदा ।
गृहीतवीटी च वरोवधुयुतो, विलोकनार्थं स्व (च) पुरं व्रजेत्-
प्रमोः ॥ १६७ ॥

ततः शेषदोमं कृत्वा पूर्वाहुतिं कुर्यात् ।

“ॐ रत्नत्रयार्चनमयोत्तमं होमं भूतिः... ॥ १६८ ॥ इति मन्त्रप्रदानमंत्रः ।

“हिरण्यगर्मस्य... ॥ १६९-१७१ ॥ इति स्वयंदानमंत्रः ॥

“तदनन्तरं कंकणमोचनं कृत्वा महाशोभया ग्राम प्रदक्षिणीकृत्य पयः पावनं
निधुवनादिकं सुखेन कुर्यात् । स्वग्रामं गच्छेत् ।

‘तदनन्तरं’ नाम के अन्तिम वाक्य के साथ ही चतुर्थी (चतुर्थ-
रात्रि) का विवक्षित सामान्य वृत्त समाप्त हो जाता है । इसके बाद
महारक्ष्मी के हृदय में इस चतुर्थीवृत्त्य के सम्बन्ध में कुछ विशेष सूच-
नाएँ कर देने की भी इच्छा पैदा हुई और इसलिये उन्होंने ‘स्वग्रामं

गच्छेत्' के अनंतर ही 'अथविशेषः' लिखकर उसे पाँच* पद्यों में व्यक्त किया है, जो इस प्रकार हैं:—

विवाहे दम्पतीस्यातां विरात्रं ब्रह्मचारिणौ ।

अलंकृता वधुश्चैव सहस्रव्यासनाग्निौ ॥ १७२ ॥

वध्वासहैव कुर्वीत निवासं श्वसुराक्षये ।

चतुर्थं दिनमत्रैव केचिदेवं वदन्ति हि ॥ १७३ ॥

चतुर्थीमध्ये द्वायन्ते दोषा यदि वरस्य चेत् ।

वृत्तामपि पुनर्दद्यात्पिताऽन्यस्मै विदुर्बुधाः ॥ १७४ ॥

प्रवरैरप्यादिवोयाःस्तुः पतिसंगाद्दोषो यदि ।

वृत्तामपि हरेद्दद्यादन्यस्मा इति केचन ॥ १७५ ॥

कनौ तु पुनरुद्धाहं वञ्चयेदिति शाक्यः ।

कार्त्स्न्यादिदेश इच्छुभित न तु सर्वत्र केचन ॥ १७६ ॥

इन पद्यों द्वारा भट्टारकजी ने यह प्रतिपादन किया है कि—'विवाह होजाने पर दम्पती को—वर वधू दोनों को—तीन रात तक (विवाह रात्रि को शामिल करके) ब्रह्मचारी रहना चाहिये—परस्पर संमोग अथवा काम क्रीडादिक न करना चाहिये—इसके बाद वधू को अलंकृत किया जाय और फिर दोनों का शयन, आसन तथा मोहन एक साथ होवे ॥१७२॥ वर को वधू के साथ ससुराच में ही निवास करना चाहिये, परंतु कुछ विद्वानों का यह कहना है (जिस पर

* एक छुटा पद्य और भी है जिसका चतुर्थीकिया के साथ कुछ सम्बंध नहीं है और जो प्रायः असंगतसा जान पड़ता है। उसके बाद 'विवाहानन्तरं गच्छेत्समार्यः स्वस्य महिरम्' नामक पद्य से और फिर घर में वधू प्रवेश के कथन से 'स्वप्नां गच्छेत्' कथन का सिलसिला ठीक बैठ जाता है और यह मान्य होने लगता है कि ये मध्य के पद्य ही विशेष कथन के पद्य हैं और वे अपने पूर्वकथन—चतुर्थीकृत्य-वर्षन—के साथ सम्बंध रखते हैं।

† कुछ स्थानों पर अथवा आतियों में ऐसा रिवाज पाया जाता है कि वधू के पतिवृत्त पर आने की अपह प्रतीक्षा वधू के घर पर जाकर

महारकजी को कोई आशुति नहीं) कि समुगल में चौथे दिन तक ही रहना चाहिये ॥ १७३ ॥ चौथी रात को—त्रतुर्थीकर्मादेक के समय—यदि वरके दोष (पतितत्व-नपुंसकत्वादिक) मालूम हो जायें तो पिता को चाहिये कि वर को दी हुई—विवाही हुई—अपनी पुत्री को फिर से किसी दूसरे निर्दोष वर को दे देवे—उत्सका पुनर्विवाह कर देवे—ऐसा बुद्धिमानों ने कहा है ॥१७४॥ कुछ विद्वानों का ऐसा भी मत है (जिस पर भी महारकजी को कोई अपत्ति नहीं) कि पुत्री का पति के साथ संगम—संमोग—हो जाने के पश्चात् यदि यह मालूम पड़े कि उस सम्बंध द्वारा प्रबरो कर्त—गोत्र शाखाओं अथवा मुनि वंशादिकों की—एकतादि जैसे दोष संवदित हुए हैं तो (आगे को उन दोषों की जान बूझ कर पुनरावृत्ति न होने देने आदि के लिये) पिता को चाहिये कि वह अपनी उस दान की हुई (विवाहिता और पुनः ज्ञानयन्ति) पुत्री का हरण करे और उसे किसी दूसरे के साथ विवाह देवे ॥१७५॥ ' कलियुग में लियों का पुनर्विवाह न किया जाय ' यह गालव ऋषि का मत है (जिससे महारकजी प्रायः सहमत मालूम नहीं होते) परंतु दूसरे कुछ आचार्यों का मत इमसे भिन्न है । उनकी दृष्टि में वैसा निषेध सर्व स्थानों के लिये इष्ट नहीं है, वे किसी किसी देश के लिये ही उसे अच्छा समझते हैं—नाकी देशों के लिये पुनर्विवाह की उनकी अनुमति है ।'

रहना है और प्रायः बर्षों का हो जाता है । समझ है उसी रिवाज को इस उल्लंघन द्वारा इष्ट किया गया हो और यह भी संभव है कि चार दिन से अधिक का निवास ही पद्य के पूर्वार्ध का अग्रमष्ट हो । परंतु कुछ भी हो इसमें सदेह नहीं कि सोनीजी ने इस पद्य का जो भिन्न अनुवाद दिया है वह गद्योक्ति नहीं है—उसे देने हुए उन्हें इन बात का ध्यान ही नहीं रहा कि पद्य के पूर्वार्ध में एक धान कही गई है तब उत्तरार्ध में दूसरी बात का उल्लंघन किया गया है—

“कोर कोर आचार्य ऐसा कहने हैं कि वर, वरू के साथ चौथे दिन भी सुतरात में ही निवास करे !”

इससे साफ़ साहिर है—और पूर्व कथनसम्बन्ध से वह और भी स्पष्ट हो जाता है—कि महारकजी ने यह विवाहिता स्त्रियों के लिये पुनर्विवाह की व्यवस्था की है। तीसरे और चौथे पद्य में उन हाजतों का उल्लेख है जिसमें पिता को अपनी पुत्री के पुनर्विवाह का अधिकार दिया गया है, और वे क्रमशः चर के दोष तथा सम्बन्ध—दोष को लिये हुए हैं। पाँचवें पद्य में किसी हाजत विशेष का उल्लेख नहीं है, वह पुनर्विवाह पर एक साधारण वाक्य है और इसी से कुछ विद्वान् उस पर से विधवा के पुनर्विवाह का भी आशय निकालते हैं। परन्तु यह बात अधिकतर 'गाल्लव' नामक हिन्दू ऋषि के उस मूल वाक्य पर अवलम्बित है जिसका इस पद्य में उल्लेख किया गया है। वह वाक्य यदि खाली विधवाविवाह का निषेधक है तब तो महारकजी के इस वाक्य से विधवाविवाह को प्रायः पोषण उत्कुर मिलता है और उससे विधवाविवाह का आशय निकाला जा सकता है; क्योंकि वे गाल्लव से भिन्न मत रखने वाले दूसरे आचार्यों के मत की ओर मुझे हुए हैं। और यदि वह विधवाविवाह का निषेधक नहीं किन्तु जीवित मर्तुका एवं अपरित्यक्ता स्त्रियों के पुनर्विवाह का ही निषेधक है, तब महारकजी के इस वाक्य से वैसा आशय नहीं निकाला जा सकता और न इस वाक्य का पूर्वार्ध विधवाविवाह के विरोध में ही पेश किया जा सकता है। तलाश करने पर भी अभी तक मुझे गाल्लव ऋषि का कोई ग्रंथ नहीं मिला और न दूसरा कोई ऐसा संग्रहग्रन्थ ही उपलब्ध हुआ है जिसमें गाल्लव के प्रकृत विषय से सम्बन्ध रखने वाले वाक्यों का भी संग्रह हो। यदि इस परीक्षाक्रम की समाप्ति तक भी वैसा कोई ग्रंथ मिल गया—जिसके लिये खोज जारी है—तो उसका एक परिशिष्ट में चकर उल्लेख का दिया जायगा। फिर भी इस बात की संभावना बहुत ही कम जान पड़ती है कि गाल्लवऋषि ने ऐसी-सबो-

विवाहिता (दुरत की ब्याही हुई) और सदोपभर्तृका अथवा सम्बन्ध-
दूषिता-स्त्रियों के पुनर्विवाह का तो निषेध किया हो, जिनका पद
नं० १७४, १७५ में उल्लेख है, और विधवाओं के पुनर्विवाह का
निषेध न किया हो। मैं तो समझता हूँ गालवनी ने दोनों ही प्रकार के
पुनर्विवाहों का निषेध किया है और इसीसे उनके मत का ऐसे सामान्य
वचन द्वारा उल्लेख किया गया है। हिन्दुओं में, जिनके यहाँ 'नियोग'
भी विधिविहित माना गया है, 'पराशर' जैसे कुछ ऋषि ऐसे भी हो
गये हैं जिन्होंने विधवा और सवधा दोनों के लिये पुनर्विवाह की व्यव-
स्था की है *। गालव ऋषि उन से भिन्न दोनों प्रकार के पुनर्विवाहों

* जैसा कि पाराशर स्मृति के—जिसे 'कन्नौ पाराशराः
स्मृताः' वाक्य के द्वारा कलिपुत्र के लिये खास तौर से उपयोगी
बतलाया गया है—निम्न वाक्य से प्रकट है:—

नष्टे सृते प्रव्रजिते स्त्रीषु च पतिते पतौ ।

पंचसात्पसु नारीणां पतिरन्यो विधीयते ॥ ४-२० ॥

इसमें लिखा है कि 'पति के जो जाने—देशान्तरादिक में जाकर
मारा हो जाने—मर जाने, सभ्यासी बन जाने, नपुंसक तथा पतित
हो जाने रूप पाँच आपत्तियों के अवसर पर स्त्रियों के लिये दूसरा
पति कर लेने की व्यवस्था है—वे अपना दूसरा विवाह कर सकती हैं।'

इसी बात को 'अमितगति' नाम के जैनाचार्य ने अपनी 'धर्म-
परीक्षा' में निम्न वाक्य द्वारा उल्लेखित किया है:—

पत्यौ प्रव्रजिते स्त्रीषु प्रनष्टे पतिते सृते ।

पंचस्वात्पसु नारीणां पतिरन्यो विधीयते ॥ ११-१२ ॥

'धर्म परीक्षा' के इस वाक्य पर से उन लोगों का कितना ही समा-
धान हो जायगा जो भ्रमवश पाराशरस्मृति के उक्त वाक्य का
पक्षत अर्थ करने के लिये कोरा व्याकरण छोंकते हैं—कहते हैं 'पति'
शब्द का सप्तमी में 'पत्यौ' रूप होता है, 'पतौ' नहीं। इसलिये
यहाँ समासान्त 'अपति' शब्द का सप्तम्यन्त पद 'अपतौ' पड़ा
हुआ है, जिसके 'अ'कार का 'पतिते' के वाक् जोप हो गया है,
और अत्र अच पतिमिच्छ पतिसद्यः का बोधक है, जिसके साथ महाङ्

के निषेधक रहे होंगे । और इसलिये अब तक मातृव श्रुति के किन्ती वाक्य से यह सिद्ध न कर दिया जाय कि वे विधवाविवाह के निषेधक नहीं थे तबतक भट्टरकजी ने उक्त सामान्य व्यवस्था नाक्य नं० १७६ पर से जो जोग विधवा विवाह का आशय निकालते हैं उसपर गाँई खास आपत्ति नहीं की जासकती ।

सर्वाई (मैपनी) हुई हो किन्तु विवाह न हुआ हो । ऐसे जागो को मालूम होना चाहिये कि उक्त के अन्वयार्थ में जो ' पतिरन्वो ' (दूसरा पति) पाठ पढ़ा हुआ है वह पूर्वार्थ में 'पती' की ही स्थिति को वाहता है—'अपती' की नहीं—अर्थात् जिसके मरने के बाद पर दूसरे पति की व्यवस्था की गई है वह 'पति' ही होना चाहिये 'अपति' नहीं । और 'पति' संज्ञा उसीको ही जाती है जो विधिपूर्वक पाणिग्रहण संस्कार से संस्कारित होकर सप्तपदी को प्राप्त हुआ हो—मदक वाग्दान के बाद की वजह से किसी को 'पतित्व' की प्राप्ति नहीं होती; जैसा कि 'ब्रह्महत्या' में दिये हुए 'वम' श्रुति के निम्न वाक्य से पकड़ है—

गोक्षेन न वा वरुणा कन्यायाः पतिरिष्यते ।

पाणिग्रहणसंस्कारात् पतित्वं सप्तमे पदे ॥ (शब्दकल्पद्रुम)

इसके सिवाय, इतना और भी जान लेना चाहिये कि प्रथम से यह आर्य प्रयोग है, और आर्य प्रयोग कभी कभी व्याकरण से भिन्न भी होते हैं । दूसरे, छन्द की दृष्टि से कवि लोग अनेकवारव्याकरण के नियमों का उल्लंघन कर जाते हैं, जिसके प्राचीन साहित्य में भी कितने ही उदाहरण मिलते हैं । बहुत संभव है 'पत्नी' की जगह 'पती' पद का यह प्रयोग छन्द की दृष्टि से ही किया गया हो; अथवा पराशरजी इस शब्द के 'पत्नी' रूप से भी अभिहित थे और उन्होंने अपनी स्मृति में 'पत्नी' पद का भी प्रयोग किया है, जिसका एक उदाहरण 'पत्नी जीवन्ति कुण्डस्तु सृते भर्तुरि गोलकाः' (४-२३) है । और 'पत्नी' पदका प्रयोग उक्त स्मृति में अथवा भी पाया जाता है, जिसका 'अपती' वहाँ बन ही नहीं सकता । और इस प्रयोगवाक्य से यह स्पष्ट साहचर्य है कि जो कौं पति के मरने, जो जाये, अर्थात् उसके त्याग देने पर पुनर्विवाह न करके आर से गर्भ धारण करती है उसे पराशरजी ने 'पतिता' और 'वापकारिणी' कहा है—उन

इसके सिवाय, जो मंदारकजी पति के दोष मालूम होजाने पर पूर्व विवाह को ही रद्द कर देते हैं, संभोग होजाने पर भी स्त्री के लिये दूसरे विवाह की योजना करते हैं, तलाक की विधि बतलाकर परित्यक्ता स्त्रियों के लिये पुनर्विवाह का मार्ग खोजते अपवा उन्हें उसकी स्वतंत्रता देते हैं, कामयज्ञ रचाने के बड़े ही पक्षपाती जान पड़ते हैं, योनिपूजा तक का उपदेश देते हैं, ऋतुकाल में भोग करने को बहुत ही आवश्यक समझते हैं, और ऋतुकाल में भोग न करने-वाली स्त्रियों को तिर्यच गति का पात्र ठहराते हैं—इतना अधिक जिनके सामने उस भोग का महत्व है—उनसे ऐसी आशा भी नहीं की जा सकती कि उन्होंने विधवाओं के पुनर्विवाह का—उन नन्हीं नन्हीं बालविधवाओं के पुनर्विवाह का भी जो महेश पेटों की गुनहगार हों और यह भी न जानती-

की दृष्टि में 'आर' दूसरा पति (पतिरन्ध्रः) नहीं हो सकता। वे दूसरा पति ग्रहण करने रूप पुनर्विवाह को विधिविहित और आरसे रक्षण को निन्द्य तथा श्रावणीय ठहराते हैं। यथा:—

आरेण जनयेद्भ्रमं सृजे त्यक्ते गते पतौ ।

तां त्यजेदपरे राष्ट्रे पतितां पापकारिणीम् ॥ १०-३१ ॥

और शीघ्र यह बात भी नहीं कि व्याकरण से इस 'पतौ' रूप की उत्पत्ति सिद्धि ही न होती हो, सिद्धि भी होती है, जैसाकि अष्टाध्यायी के 'पतिः समास एव' सूत्र पर की 'तत्त्वबोधिनी' टीका के निम्न अंश से प्रकट है, जिसमें उदाहरण भी द्वेषांग से पराशरजी का उक्त श्लोक दिया है:—

.....अथ कथं " सीतायाः पतये नमः " इति " नष्टे

सृते प्रब्रजिते कक्षीवे च पतिते पतौ । पंच स्वापन्सु नारीणां पतिरन्ध्रो विधीयते " इति पराशरस्य ॥ अत्राहुः ॥ पतिरित्याख्यातः पतिः—'तत्करोति तदा अष्टे' इति शिचि टिलोपे 'अच इः' इत्यौत्पत्तिक प्रत्यये 'शेरनिटि' इति शिचोपे च निष्पन्नोऽयं पति 'पतिः समास एव' इत्यत्र न गृह्यते ब्राह्मणिकत्वमिति ।

अतः 'पतौ' का अर्थ 'पत्यौ' ही है। और इसलिये जो लोग इसके इस समीचीन अर्थ को बदलने का निःसार प्रयत्न करते हैं वह उनकी भूल है।

हों कि विवाह किस विधिया का नाम है—सर्वथा निषेध किया हो । एक स्थान पर तो महारकनी, कुछ नियम विधान करते हुए, लिखते हैं:—

यस्याऽन्वनामिका ह्रस्वा तां विदुः कसहप्रियाम् ।

भूमि न स्पृशते यस्याः खातते सा पतिद्वयम् ॥ ११-२४ ॥

अर्थात्—जिस स्त्री की अनामिका अँगुली छोटी हो वह कसह-कारिणी होती है, और जिसकी वह अँगुली भूमि पर न टिकती हो वह अपने दो पतियों को खाती है—उसके कम से कम दो विवाह बरकर होते हैं और वे दोनों ही विवाहित पति मर जाते हैं ।

महारकनी के इस नियम-विधान से यह साफ बाहिर है कि जैन समाज में ऐसी भी कन्याएँ पैदा होती हैं जो अपने शारीरिक लक्षणों के कारण एक पति के मरने पर दूसरा विवाह करने के शिष्ट मजबूर होती हैं—तभी वे दो पतियों को खाकर इस नियम को सार्थक कर सकती हैं—और एक पति के मरने पर स्त्री का जो दूसरा विवाह किया जाता है वही विधवाविवाह कहलता है । इसलिये समाज में—नहीं नहीं समाज की प्रत्येक जाति में—विधवाविवाह का होना अनिवार्य ठहरता है; क्योंकि शारीरिक लक्षणों पर किसी का बल नहीं और यह नियम समाज में पुनर्विवाह की व्यवस्था को मॉगता है । अन्यथा महारकनी का यह नियम ही अरितीय नहीं हो सकता—यह निरर्थक हो जाता है ।

और दूसरे स्थान पर महारकनी ने 'शूद्रा पुनर्विवाहमखलने' आदि धाक्य के द्वारा यह स्पष्ट घोषण की है कि 'शूद्रा के—शूद्र ब्रह्मि

महारकनी का यह 'दो पतियों को खाती है' धाक्य-प्रयोग कितना आशिष्ट आर्य असंयत भाषा को छिये हुए है उसे बतलाने की तुल्यत नहीं । अब 'सुनीम्न' कहलाने वाले ही ऐसी मर्मविदारक मिन्य भाषा का प्रयोग करते हैं तब किसी सड़की के विधवा होने पर बसकी साख यदि यह कहती है कि 'तूने मेरा साख का छिया' तो इसमें आश्चर्य ही क्या है? यह संन विधवाओं के प्रति अशिष्ट व्यवहार है ।

की जैन स्त्री के-पुनर्विवाह के समय स्त्री को पति के दाहिनी ओर बिठ-
 जाना चाहिये, जिससे यह भी ध्वनि निकलती है कि अशुद्धा अर्थात्
 श्राद्धयुक्त, क्षत्रिय और वैश्य जाति की जैन स्त्रियों के पुनर्विवाह के समय
 वैसा नहीं होना चाहिये—वे बाई और बिठलाई जानी चाहिये । अतः
 आपका वह पूरा वाक्य इस प्रकार है—

‘गर्भाधाने पुंसवने सीमन्तोन्नयने तथा ।

वधू प्रवेशने शुद्धा पुनर्विवाहमण्डने ॥

पूजने कुलदेव्याश्च कन्यादाने तथैव च ।

कर्म खेतोषु वै भार्या दक्षिणे रूपे शेषयेत् ॥

—८ वाँ अध्याय ॥ ११६—११७ ॥

इस वाक्य के ‘शुद्धा पुनर्विवाहमण्डने’ पद को देख कर
 सोनीजी कुछ बहुत ही चकित तथा विचकित हुए मालूम होते हैं, उन्हें
 इसमें मूर्तिमान विधवाविवाह अपना मुँह बाए हुए नजर आया है और
 इसलिये उन्होंने उसके निषेध में अपनी सारी शक्ति खर्च कर डाली
 है । वे चाहते तो इतना कहकर छुड़ी पा सकते थे कि इसमें विधवा के
 पुनर्विवाह का उल्लेख नहीं किन्तु महज शुद्धा के पुनर्विवाह का उल्लेख
 है, जो सधवा हो सकती है । परंतु किसी तरह का सधवापुनर्विवाह
 भी आपको इष्ट नहीं था, आप दोनों में कोई विशेष अन्तर नहीं देखते
 थे और शक्यद यह भी समझने हो कि सधवाविवाह को स्वीकार कर लेने पर
 विधवाविवाह के निषेध में फिर कुछ बच ही नहीं रह जाता । और
 विधवाविवाह का निषेध करना आपको खास तौर से इष्ट था, इसलिये
 उक्त पद में प्रयुक्त हुए ‘पुनर्विवाह’ को ‘विधवाविवाह’ मान
 कर ही आपने प्रकारान्तर से उसके निषेध की चेष्टा की है । इस चेष्टा
 से आपको शुद्धा के सत्, असत् भेदादि रूप से कितनी ही इधर उधर
 की कल्पनाएँ करनी और निरर्थक बातें छिन्ननी पड़ी—मूल ग्रंथ से बाहर

का आशय खेना पड़ा—परंतु फिर भी आप यह सिद्ध नहीं कर सके कि महारकनी ने विधवाविवाह का सर्वथा निषेध किया है। आपको अपनी कल्पना के अनुसार इतना तो स्वीकार करना ही पड़ा कि इस पद में असत् शब्दा की विधवाविवाह-विधि का उल्लेख है—हालाँकि मूल में 'शुद्रा' शब्द के साथ 'असत्' विशेषण लगा हुआ नहीं है, वह शुद्रा मात्र का वाक्य है। अस्तु; आपने 'सोमदेवनीति' (नीति-वाक्यामृत) के जिस वाक्य के आधार पर अपनी कल्पना गढ़ी है वह इस प्रकार है—

सकृत्परिच्छयनव्यवहाराः सकृच्छुद्राः ।

इस वाक्य पर संस्कृत की जो टीका मिलती है और उसमें समर्थन के तौर पर जो वाक्य उद्धृत किया गया है उससे तो इस वाक्य का आशय यह मालूम होता है कि 'जो भले शुद्र होते हैं वे एक बार विवाह करते हैं—विवाह के ऊपर या पश्चात् दूसरा विवाह नहीं करते'—और इससे यह जान पड़ता है कि इस वाक्य द्वारा शुद्रों के बहुविवाह का निषेध किया गया है। अथवा यों कहिये कि त्रैवर्णिक पुरुषों को बहु-विवाह का जो स्वयंभू अधिकार प्राप्त है उससे बेचारे शुद्र पुरुषों को वंचित रक्खा गया है। तथा:-

“टीका—ये सकृच्छुद्राः शोभन्ति ते सकृत्परिच्छयना एक धारं कृतविवाहाः, द्वितीयं न कुर्वन्तीत्यर्थः । तथा च हारीतः—‘द्वि भार्यो योऽत्र शुद्रः स्वाहृ वृषस्तः सद्धि विश्रुतः । महत्त्वं तस्य नो भावि शुद्रजासिसमुद्भवः ॥”

इसके सिवाय, सोनीजी ने खुद पृष्ठ नं० १७६ में प्रयुक्त हुए 'पुनरुद्वाह' का अर्थ भी का पुनर्विवाह न करके पुरुष का पुनर्विवाह सूचित किया है, वहाँ कि यह बनता ही नहीं। ऐसी दृष्टि में माहूर नहीं फिर किस आधार पर आपने सोमदेवनीति के उक्त वाक्य का आशय ही के एक बार विवाह से निवृत्त है ! अथवा बिना किसी आधार के

जहाँ वैसा मतलब निकालना हुआ वहाँ वैसा अर्थ कर देना ही व्यापको
इष्ट रहा है ? यदि सोमदेवजी की नीति का ही प्रमाण देखना था तो
उसमें तो साफ़ लिखा है—

विकृतपत्युदाऽपि पुनर्विवाहमर्हतीति स्मृतिकाराः ।

अर्थात्—जिस विवाहिता स्त्री का पति विकारी हों—या जो सदीप
पति के साथ विवाही गई हो—वह भी पुनर्विवाह करने की अधिकारिणी
है—अपने उस विकृत पति को छोड़कर या तलाक़ देकर दूसरा विवाह
कर सकती है—ऐसा स्मृतिकारों का—वर्गशास्त्र के रचयिताओं का—मत
है (जिससे सोमदेवजी भी सहमत हैं—तभी उसका निषेध नहीं किया)।

यहाँ 'अपि' (भी) शब्द के प्रयोग से यह भी साफ़ ज्ञानित
हो रहा है कि यह वाक्य महज सवबा के पुनर्विवाह की ही नहीं किन्तु
विधवा के पुनर्विवाह की भी विधि को लिये हुए है । स्मृतिकारों ने
दोनों का ही विधान किया है ।

इस सूत्र की मौजूदगी में 'सकृत्परिष्यन्न व्यवहाराः सक्रूराः'
सूत्र पर से यह नतीजा नहीं निकाला जा सकता कि शूद्रों के सत् शूद्र होने
का हेतु उनके यहाँ स्त्रियों के पुनर्विवाह का न होना है और इसलिये त्रैवर्णिकों
के लिये पुनर्विवाह की विधि नहीं बनती—जो करते हैं वे सक्रूराँ से भी गये
जाते हैं । इतने पर भी सोनीजी वैसा नतीजा निकालने की चेष्टा करते हैं,
यह आश्चर्य है । और फिर यहाँ तक सिखते हैं कि "जैनागम में ही नहीं,
बौद्ध ब्राह्मण सम्प्रदाय के आगम में भी विधवाविवाह की विधि नहीं कही
गई है ।" इससे सोनीजी का ब्राह्मणग्रंथों से ही नहीं किन्तु जैनग्रंथों से
भी खासा अज्ञान पाया जाता है—उन्हें ब्राह्मण सम्प्रदाय के ग्रंथों का ठाँक
पता नहीं, नाना मुनियों के नामों मत मालूम नहीं और न अपने घर
की ही पूरी खबर है । उन्होंने विधवाविवाह के निषेध में मनु का जो
वाक्य "न विधाहविधातुं कं विधवावेदं पुनः" चर्चुत किया

है वह उनकी मासमन्त्र का बोधक है। एक के इस अन्वयार्थ में, जिसका पूर्वार्ध है 'नोद्गाहिकेषु मंत्रेषु नियोगः कीर्त्यते क्वचित्,' 'विषवावेदनं' पद अपने पूर्वापरसम्बन्ध से 'नियोग' का बोधक है—संतापोत्पत्ति के लिये विषवा के अस्यायी गृह्य का सूचक है—और इसलिये उक्त वाक्य का आशय सिर्फ इतना ही है कि 'विवाह-विधि में नियोग नहीं होता—नियोग विधि में नियोग होता है'—दोनों की नीति और पद्धति भिन्न भिन्न हैं। अन्याय, अनुजी ने वही अभ्यास में परित्यक्ता (लक्षक दी हुई) और विषवा दोनों के लिये पुनर्विवाहसंस्कार की व्यवस्था की है, वैसाकि मनुस्मृति के मिन्वात्त्वों से प्रकट है—

वा यथा वा परित्यक्ता विषवा वा म्बेच्छवा ।
 उत्पादवेत्पुनर्नृत्वाः स पौनर्मेव उच्यते ॥ १७५ ॥
 सा वेदज्ञकोभिः स्वाहृतप्रत्यागतापि वा ।
 पौनर्मेवेव सर्वा सा पुनः संस्कारमर्हति ॥ १७६ ॥

'वाशिष्ठस्मृति' में भी बिना है कि जो जो अपने नपुंसक, पतित या उन्मत्त मर्तार को छोड़कर अथवा पति के मर जाने पर दूसरे पति के साथ विवाह करती है वह 'पुनर्नृ' कहलाती है। साथ ही, वह भी कतकार्या है कि पाणिग्रहण संस्कार हो जाने के बाद पति के मर जाने पर यदि वह मग्नसंस्कृता की अज्ञतयोमि हो—पति के साथ उसका समोग न हुआ हो—तो उसका फिर से विवाह होना योग्य है। यथा—

"वा क्लीब पतितमुन्मत्तं वा मर्तारमुत्पुण्यान्वं
 पति विन्दते सुते वा सा पुनर्नृभवति ॥
 "पाणिग्रहे सुते याज्ञा केवलं मग्नसंस्कृता ।
 सा वेदज्ञकोभिः स्वाहृतः संस्कार मर्हति ॥

—१७ वीं अध्याय ।

इसी तरह पर 'नारद स्मृति' आदि के और कौटिलिय अर्थशास्त्र के भी कितने ही प्रमाण उद्धृत किये जा सकते हैं। 'परामार स्मृति' का

वाक्य पहले उद्धृत किया ही जा चुका है। सोनीजी को यदि अपने घर की ही खबर होती तो वे 'सोमदेवनीति' से नहीं तो आचार्य अमितराति की 'धर्म-परीक्षा' परसे ब्राह्मणप्रभों का हाल मालूम कर सकते थे और यह जानसकते थे कि उनके आगम में विधवाविवाह का विधान है। धर्मपरीक्षा का वह 'पत्यौप्रव्रजिते' वाक्य ब्राह्मणों की विधवाविवाह-विधिको प्रदर्शित करनेके लिये ही लिखा गया है; जैसाकि उससे पूर्वक निम्नवाक्य से प्रकट है:—

तैरुक्कं विधवां छापि त्वं संगृह्य सुची भव ।

नोमयोर्विद्यते दोष इत्युक्तस्तापसागमे ॥ ११—११ ॥

धर्मपरीक्षाके चौदहवें परिच्छेद में भी हिंदुओं के खी-पुनर्विवाह का उल्लेख है और उसे स्पष्टरूप से 'व्यासादीनामिदं वचः' के साथ उल्लेखित किया गया है, जिसमें से विधवाविवाह का पोषक एक वाक्य इस प्रकार है:—

एकवा परिख्याताऽपि विपक्षे दैवयोगतः ।

भर्तयंक्षतयोनिः स्त्री पुनःसंस्कारमर्हति ॥ ३८ ॥

अतः सोनीजी का उक्त लिखना उनकी कोरी नासमझी तथा अज्ञता को प्रकट करता है। और इसी तरह उनका यह लिखना भी मिथ्या ठहरता है कि "विवाहविधि में सर्वत्र कन्याविवाह ही बतलाया गया है"। बल्कि यह महारकजी के 'शूद्रापुनर्विवाहस्युद्धने' वाक्य के भी विरुद्ध पड़ता है; क्योंकि इस वाक्य में जिस शूद्रा के पुनर्विवाह का उल्लेख है उसे सोनीजी ने 'विधवा' स्वीकृत किया है—मले ही उनकी दृष्टि में वह अस्त शूद्रा ही क्यों न हों, विधवा और विवाह का योग तो हुआ।

यहाँ पर मुझे विधवाविवाह के औचित्य या अनौचित्य पर विचार करना नहीं है और न उस दृष्टि को लेकर मेरा यह विवेचन है कि मेरा उद्देश्य इसमें प्रायः इतना ही है कि महारकजी के पुनर्विवाहविषयक कथन को

* औचित्यानौचित्य-विचार की उक्त दृष्टिसे एक जुदा ही बुद्धत् निबन्ध शिक्षा नामे की झरूरत है, जिसके लिये मेरे पास अभी समय नहीं है।

अपने अनुकूल न पाकर अपवा कुछ लोकविरुद्ध समग्रतर उस पर पर्दा डालने और भ्रम फैलाने की जो जघन्य चेष्टा की गई है उसका नम दूर्य सबके सामने उपस्थित कर दिया जाय, जिससे वह पर्दा उठ जाय और भोले भाइयों को भी महारकनी का कथन अपने असली रूप में दृष्टि-गोचर होने लगे—फिर भले ही वह उनके अनुकूल हो या प्रतिकूल । और इसलिए मुझे इतना और भी बतला देना चाहिये कि सोनीजी ने जो यह प्रतिपादन किया है कि 'ग्रंथकार ने विधवा के लिये तेरहवें अध्याय में दो ही मार्ग बतलाये हैं—एक जिनदीक्षाप्रहण करना और दूसरा वैधव्य-दीक्षा लेना—तीसरा विधवाविवाह नाम का मार्ग नहीं बतलाया', और उस पर से यह नतीजा निकाला है कि 'ग्रंथकार का आशय विधवाविवाह के अनुकूल नहीं है—होता तो वे वहीं पर विधवाविवाह नाम का एक तीसरा मार्ग और बतला देते', उसमें भी कुछ सार नहीं है—वह भी अज्ञानियत पर पर्दा डालने की ही एक चेष्टा है । तेरहवें अध्याय में जिस पद्यद्वारा जिनदीक्षा अथवा वैधव्यदीक्षा के विवरण रूप से प्रहण करने की व्यवस्था की गई है उसमें उत्त, स्वित् और वा अव्ययों के साथ 'श्रेयान्' पद पढ़ा हुआ है * और वह इस बात को स्पष्ट बतला रहा है कि दोनों प्रकार की दीक्षा में से किसी एक का प्रहण उसके लिये श्रेष्ठ है—अति उत्तम है । यह नहीं कहा गया कि इनमें से किसी एक का प्रहण उसके लिये स्नाज्जिमी है अथवा इस प्रकार के दीक्षाप्रहण से भिन्न दूसरा या तीसरा कोई मध्यम मार्ग उसके लिये है ही नहीं । मध्यम मार्ग बरूर है और उसे महारकनी ने आठवें तथा ग्यारहवें अध्याय में 'पुनर्विवाह' के रूप में सूचित किया है । और इसलिये उसे दुबारा यहाँ लिखने की जरूरत नहीं थी । यहाँ पर जो बहूत्र मार्ग रह गया था उसी का समुच्चय किया गया

* यथा:—

विधवायास्ततो नार्या जिनदीक्षासमाश्रयः ।

श्रेयानुतस्विद्वैधव्यदीक्षा वा गृह्यते तदा ॥ १६५ ॥

है। और इसलिये यदि कोई विधवा जिनदीक्षा धारण न कर सके और वैधव्यदीक्षा के योग्य देशजत का ग्रहण, वयठसूत्र और कर्णभूषण आदि सम्पूर्ण आभूषणों का त्याग, शरीर पर सिर्फ दो वस्त्रों का धारण, खाट पर शयन तथा अंबन और लेप का त्याग, शोक तथा रुदन और विकथा-श्रवण की निवृत्ति, प्रातः स्नान, आचमन—आणायाम और तर्पण की नित्य प्रवृत्ति, तीनों समय देवता का स्तोत्रपाठ, द्वादशानुप्रेक्षा का चिन्तन, ताम्बूलवर्जन और लालुपतारहित एक बार भोजन, ऐसे उन सब नियमों का पालन करने के लिये समर्पण होवे जिन्हें भट्टारकजी ने, 'सर्वमेतद्विधीयते' जैसे वाक्य के साथ, वैधव्यदीक्षा—प्रातः की के लिये आवश्यक वतलाया है, तो वह विधवा भट्टारकजी के उस पुनर्विवाह-सार्गका अवलम्बन लेकर यथाशक्ति श्रावकधर्म का पालन कर सकती है; ऐसा भट्टारकजी के इस बल्लुष्ट कथन का पूर्व कथन के साथ आशय और सम्बन्ध जान पड़ता है। 'पाराशरस्मृति' में भी विधवा के लिये पुनर्विवाह की उस व्यवस्था के बाद, उसके ब्रह्मचारिणी रहने आदि को सराहा है—
लिखा है कि 'जो भी पति के मर जाने पर ब्रह्मचर्यव्रत में स्थिर रहती है—वैधव्यदीक्षा को धारण करके दृढ़ता के साथ उसका पालन करती है—वह मर कर ब्रह्मचारियों की तरह स्वर्ग में जाती है। और जो पति के साथ ही सती हो जाती है वह मनुष्य के शरीर में जो साढ़े तीन करोड़ बाल हैं उतने वर्ष तक स्वर्ग में वास करती है।' यथा:—

मृते भर्तृरि या नारी ब्रह्मचर्यव्रते स्थिता ।

सा मृता ह्यमते स्वर्गं यथा ते ब्रह्मचारिणः ॥ ३१ ॥

तिस्रः कोट्योर्ध्वकोटी च यानि क्षोणानि मानवे ।

तावत्कालं वसेत्स्वर्गे भर्तारं याऽनुगच्छति ॥ ३२ ॥

पाराशरस्मृति के इन वाक्यों को पूर्ववाक्यों के साथ पढ़नेवाला कोई भी सहृदय विद्वान् जैसे इन वाक्यों पर से यह नतीजा नहीं निकाल सकता

कि पराशरजी ने विधवाविवाह का निषेध किया है उसी तरह पर महारकजी के उक्त वाक्य पर से भी कोई समझदार यह नतीजा नहीं निकाल सकता कि महारकजी ने विधवाविवाह का सर्वथा निषेध किया है । उस वाक्य का पूर्वकथनसम्बन्ध से इतना ही आशय जान पड़ता है कि जो विधवा जिनदीक्षा अथवा वैधव्यदीक्षा धारण कर सके तो वह बहुत अच्छा है—अमिनन्दनीय है—अन्यथा, विधुरों की तरह साधारण गृहस्थ का मार्ग उसके लिये भी खुला हुआ है ही ।

अब मैं उस आवरण को भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ जो पुनर्विवाह—विषयक पृथ नं० १७४, १७५ और १७६ पर डाला गया है और जिसके नीचे उस सत्य को छिपाने की चेष्टा की गई है जिसका उल्लेख ऊपर उन पद्यों के साथ किया जा चुका है—मझे ही लेखक कितने ही अंशों में महारकजी के उस कथन से सहमत न हो अथवा अनेक दृष्टियों से उसे आपत्ति के योग्य समझता हो ।

इस विषय में, सबसे पहले मैं यह बतला देना चाहता हूँ कि इन पद्यों को, आगे पीछे के तीनों और पद्यों सहित, 'अन्यमत' के श्लोक बतलाया गया है और उसकी एक पहचान इन पद्यों के शुरु में 'अथ विशेषः' शब्दों का होना बतलाई गई है, जैसा कि पण्डित पन्नालालजी सोनी के एक दूसरे लेख के निम्न वाक्य से प्रकट है, जो 'सत्यवादी' के छठे भाग के अंक नम्बर २-३ में प्रकाशित हुआ है:—

“ महारक महारान अपने ग्रन्थ में जैन मत का वर्णन करते हुए अन्य मतों का भी वर्णन करते गये हैं, जिसकी पहचान के लिये अथ विशेषः, अन्यमतं, परमतं, स्मृतिवचनं और इति परमत स्मृतिवचनं इत्यादि शब्दों का उल्लेख किया है ।”

यद्यपि मूल ग्रन्थ को पढ़ने से ऐसा मालूम नहीं होता—उसके 'अन्यमतं' 'परमतं' जैसे शब्द दूसरों जैनाचार्यों के मत की ओर इशारा

करते हुए जान पड़ते हैं—और न अथ इस परीक्षाखेख को पढ़ जाने के बाद कोई यह कहने की हिम्मत कर सकता है कि इस ग्रंथ में जिन वाक्यों के साथ 'अथ विशेषः' 'अन्यमतं' अथवा 'परमतं' जैसे शब्द लगे हुए हैं वे ही जैनमत से बाहर के श्लोक हैं, याज्ञी और सब जैनमत के ही श्लोकों का इसमें संग्रह है; क्योंकि ऐसे चिन्हों से रहित दूसरे पचासों श्लोकों को अजैनमत के सिद्ध किया जा चुका है और सैंकड़ों को और भी सिद्ध किया जा सकता है। फिर भी यदि यह मान लिया जाय कि ये श्लोक अजैनमत के ही हैं तो उससे नतीजा ? दूसरे मत के श्लोकों का उद्धरण प्रायः दो छट्टियों से किया जाता है—अपने मत को पुष्ट करने अथवा दूसरों के मत का खण्डन करने के लिये। यहाँ पर उक्त श्लोक दोनों में से एक भी छट्टि को लिये हुए नहीं हैं—वे वैसे ही (स्वयं रच कर या अपना कर) ग्रंथ का अंग बनाये गये हैं। और इसलिये उनके अजैन होने पर भी महारकर्त्ता की जिम्मेदारी तथा उनके प्रतिपाद्य विषय का मूल्य कुछ कम नहीं हो जाता। अतः उन पर अन्य मत का आवरण डालने की चेष्टा करना निरर्थक है। इसके सिवाय, सोनीजी ने अपने उस लेख में कई जगह बड़े दर्प के साथ इन सब श्लोकों को 'मनुस्मृति' का बतलाया है, और यह उनका सरासर झूठ है। सारी मनुस्मृति को टटोख जाने पर भी उसमें इनका कहीं पता नहीं चलता। जो लोग अपनी बात को ऊपर रखने और दूसरों की आँखों में धूल डालने की धुन में इतना मोटा और साक्षात् झूठ लिख जाने तक की घृष्टता करते हैं वे अपने विरुद्ध सत्य पर पर्दा डालने के लिये जो भी चेष्टा न करें सो थोड़ा है। ऐसे अटकलपच्चू और गैर-जिम्मेदाराना तरीके से लिखने वालों के चर्चन का मूल्य भी क्या हो सकता है ? इसे पाठक स्वयं समझ सकते हैं।

इन्हीं सोनीजी ने, चतुर्थीकर्म-विषयक सारे पूर्वकथन पर पानी फेर कर १७४ वें पद्य में प्रयुक्त हुए 'चतुर्थीमध्ये' पद्य का अर्थ अपने उस लेख में, 'चौथी पदी' किया है और उस पर यहाँ तक जोर दिया है कि इसका अर्थ "चौथी पदी ही करना पड़ेगा", "चौथी पदी ही होना चाहिये", "मराठी टीकाकार ने भी झूठ की है" * । परंतु अपनी अनुवाद-पुस्तक में जो अर्थ दिया है वह इससे निन्न है । मालूम होता है बाद में आपको पंचांगविवाह के चौथे अंग (पाणिप्रदहण) का कुछ खयाल आया और वही चतुर्थी के सत्यार्थ पर परी डालने के लिये अधिक उपयोगी बैठा है ! इसलिये आपने अपने उक्त वाक्यों और उनमें प्रयुक्त हुए 'ही' शब्द के महत्व को मुनाकर, उसे ही चतुर्थी का वाच्य बना डाला है ! वाक्य 'दस्ताम्' पद्य का वही यथार्थ अर्थ 'वाग्दान में दी हुई' कायम रहना है, जैसा कि पूरे पद्य के आपके निम्न अनुवाद से प्रकट है:—

"पाणिपीडन नाम की चौथी क्रिया में अथवा सप्तपदी से पहले घर में जातिशुक्तरूप, हीनजातिरूप या दुराचरखरूप दोष मालूम हो जायें तो वाग्दान में दी हुई कन्या को उसका पिता किसी दूसरे श्रेष्ठ जाति आदि गुणयुक्त घर को देवे, ऐसा बुद्धिमानों का मत है ।"

पूर्वकथनसम्बन्ध को सामने रखते हुए, जो ऊपर दिया गया है, इस अनुवाद पर से यह मालूम नहीं होता कि सोनीजी को 'चतुर्थीकर्म' का परिचय नहीं था और इसलिये 'चतुर्थीमध्ये' तथा 'दस्ताम्' पद्यों का अर्थ उनके द्वारा भ्रम से यथार्थ प्रस्तुत किया गया है; बल्कि यह साफ़ जाना जाता है कि उन्होंने जान बूझकर, विवाहिता त्रियों के

* मराठी टीकाकार पं० कल्याण मरमाण्या विट्ठले ने "चतुर्थी विषयकें कृत्य होवयाच्या पूर्वार्थ" अर्थ दिया है ।

पुनर्विवाह पर पदां हासने के लिये, उक्त पदों के प्रकृत और प्रकरणासंगत अर्थ को बदलने की चेष्टा की है। अन्यथा, 'दत्ताम्' का 'वाग्दान' में दी हुई अर्थ तो किसी तरह भी नहीं बन सकता था, क्योंकि चतुर्थी के सोनीजी द्वारा आविष्कृत अर्थानुसार भी जब विवाहकार्य पाणिग्रहण की अवस्था तक पहुँच जाता है तब कन्यादान तो 'प्रदान' नाम की दूसरी क्रिया में ही हो जाता है और उस वक्त वह कन्या 'कन्या' न रहकर 'वधू' तथा पाणिग्रहण के अवसर पर 'पत्नी' बन जाती है+। फिर भी सोनीजी का उसे 'वाग्दान' में दी हुई कन्या' लिखना और अन्यत्र यह प्रतिपादन करना कि 'विवाह कन्या का ही होता है' ठीक नहीं तो और क्या है? आपका यह झुल याज्ञवल्क्यस्मृति के एक टीकावाक्य के अनुवाद में भी जारी रहा है और उसमें भी आपने 'वाग्दान में दी हुई कन्या' जैसे अर्थों को अपनी तरफ से लाकर घुसेका है। इसके सिवाय उक्त स्मृति के 'दत्त्वा कन्या हरन् दस्त्वो व्ययं दधाथ सोदयं' को उसी (विवाह) प्रकरण का बतलाया है, जिसका कि 'दत्तामपि हरेत्पूर्वाञ्छेयाञ्छेद्वर आत्रजेत्' वाक्य है—हालाँकि वह वाक्य भिन्न अर्थात् के भिन्न प्रकरण (दाय भाग) का है तथा वाग्दायविषयक स्त्रीधन के प्रसंग को लिये हुए है, और इसलिये उसे उद्धृत करना ही निरर्थक था। दूसरा वाक्य जो उद्धृत किया गया है उसमें भी कोई समर्थन नहीं होना—न उसमें 'चतुर्थी मध्ये' पद पड़ा हुआ है और न 'दत्ताम्' का अर्थ टीका में ही 'वाग्दत्ता' किया गया है। बाकी टीका के अन्त में

+जैसाकि 'आप्रदानात् भवेत्कन्या' नाम के उस वाक्य से प्रकट है जो इस प्रकरण के शुरु में उद्धृत किया जा चुका है। डॉ. सोनीजी ने अपने उस लेख में लिखा है कि "तत्रपदां तक कन्या संज्ञा रहती है, पश्चात् स्त्रीधन में उसकी कन्या संज्ञा हूँ होजाती है"। यह लिखना भी आपका शायद वैसा ही झटकलपञ्चू और बिना सिर पैर का जान पड़ता है जैसा कि उन श्लोकों को मनुस्मृति के बतलाना।

जो 'एतच्च सप्तमपंदात्प्रागृष्टव्यम्' वाक्य दिया है वह मूल से बाहर की चीज है—मूल के किसी शब्द से सम्बन्ध नहीं रखती—उसे टीका की अपनी राय अथवा टीकाकार की खींचतानी कहना चाहिये। अथवा, बाह्यव्यवस्थिति में खुद उसके बाद 'अक्षता च क्षता चैव पुनर्भूः संस्कृताः पुनः' आदि वाक्य के द्वारा अन्यपूर्वा जी के मर्दों में 'पुनर्भू' की कृष्ण लक्षणा है और उसे 'पुनः संस्कृता' शिबं कर पुनर्विवाह की अधिकारिणी प्रतिपादन किया है। साथ ही, उसके क्षतयोनि (पूर्व पति के साथ सप्तम को प्राप्त हुई) और अक्षतयोनि (संस्कार वाद्य को प्राप्त हुई) ऐसे दो भेद किये हैं। पुनर्भू का विशेषरूप 'मनुस्मृति' और 'वशिष्टस्मृति' के उन वाक्यों से भी जाना जासकता है जो ऊपर उद्धृत किये जा चुके हैं। ऐसी हालत में सोनी जी का अपने अर्थ को (ब्राह्मण) सम्प्रदाय के अविरोद्ध बतलाना और दूसरों के अर्थ को विरुद्ध ठहराना कुछ भी सूख्य नहीं रखता—वह प्रज्ञापमात्र जान पड़ता है ॐ ।

* ब्राह्मण सम्प्रदाय के वशिष्ठ ऋषि तो साङ्गक्षिप्त हैं कि कन्या यदि किसी ऐसे पुरुष को दाम कर दी गई हो जो कुलशील से विहीन हो, मनुष्यक हो, पतित हो, रोगी हो, विधर्मी हो या केसवारी हो, अथवा समोषी के साथ विवाह दी गई हो तो उसका हरण करना चाहिये—और इस तरह पर उस पूर्व विवाह को रद्द करना चाहिये। यथा—

“ कुलशील विहीनस्य पश्यादि पतितस्य च ।

अपहृष्टरि विधर्मस्य रोगिणं भेषचारिणाम् ॥

इत्थमपि इरेत्कन्यां समोषोर्वा तथैव च ॥” (शुक्लब्रह्मसूत्र)

इस वाक्य में प्रयुक्त 'समोषोर्वा' (समान गोपी ने विवाहां हुई) पद 'दत्ता' पद पर अच्छा प्रकार टाकता है और उसे 'विधादिता' सूचित करता है। समोषेव मे भी अपने इस 'विकृतपत्युदा' नामक वाक्य में स्मृतिकारों का जो मत उद्धृत किया है उसमें उस पुनर्विवाहयोग्य की को 'उदा' ही बतलाया है किंचित् अर्थ होता है 'विधादिता' ।

इसी तरह पर १७५ वें पद में प्रयुक्त हुए 'वृत्तां' पद का अर्थ भी 'चारद्वार कन्या' गणत किया गया है, जो पूर्वोक्त हेतु से किसी तरह भी वहाँ नहीं बनता । इसके सिवाय, 'पतिसंगोद्घः' का अर्थ आपने, 'पति के साथ-संगम-सभोग-हो जाने के पश्चात्' न करके, 'पाणिपीडन से पहले' किया है—'पतिसंग'को 'पाणिग्रहण' बतलाया है और 'उद्घः' का अर्थ 'पहले' किया है । साथ ही, 'प्रवरैः कथादिदोषाः' के अर्थ में 'दोषाः' का अर्थ छोड़ दिया है और 'आदि'को 'ऐक्य' के बाद न रखकर उसके पहले रक्खा है, जिससे कितना ही अर्थदोष उत्पन्न हो गया है । इस तरह से सोनीजी ने इन पदों के उस समुचित अर्थ तथा आशय को बदल कर, जो शुरू में दिया गया है, एक छतघोनि जी के पुनर्विवाह पर पर्दा डालने की चेष्टा की है । परन्तु इस चेष्टा से उस पर पर्दा नहीं पड़ सकता । 'पतिसंग' का अर्थ यहाँ 'पाणिपीडन' करना विडम्बना मात्र है और उसका कहीं से भी समर्थन नहीं हो सकता । 'संग' और 'संगम' दोनों एकार्थवाचक शब्द हैं और वे जी-पुरुष के मिथुनीभाव को सूचित करते हैं (संगमः, संगः जीपुंसोर्मिथुनी भावः) जिसे संभोग और Sexual intercourse भी कहते हैं । शब्दकल्पद्रुम में इसी आशय को पुष्ट करने वाला प्रयोग का एक अच्छा उदाहरण भी दिया है जो इस प्रकार है:—

अम्बिका च यदा ज्ञाता मारी ऋतुमयी तदा ।

संग प्राप्य मुनेः पुत्रमसूताम्बं महावसम् ॥

'उद्घः' शब्द 'पूर्व' या 'पहले' अर्थ में कभी व्यवहृत नहीं होता परंतु 'पश्चात्' अर्थ में वह व्यवहृत करार होता है; जिसके 'अधोभक्तं' पद से जाना जाता है जिसका अर्थ है 'भोजनान्तं पीय-भानं जंबादिकं'—भोजन के पश्चात् पीये जाने वाले जंबादिक (a dose

of water, medicine etc. to be taken after meals. V. S. Apto) । और इसलिये सोनीजी ने 'पतिसंगाद्घृ' का जो अर्थ 'पाणिपीडन से पहलें' किया है वह किसी तरह भी नहीं बन सकता । पाणिपीडन नामक संस्कार से पहलें तो 'पति' संज्ञा की प्राप्ति भी नहीं होती—यह सप्तपदी के सातवें पद में आकर होती है, जैसाकि पूर्व में उद्धृत 'नोदकैः' पद्य के 'पतित्वं सप्तमे पदे' वाक्य से प्रकट है । जब 'पति' ही नहीं तो फिर 'पतिसंग' कैसा ? परंतु यहाँ 'पतिसंगात्' पद साफ पढ़ा हुआ है । इसलिये यह सप्तपदी के बाद की संभोगावस्था को ही सूचित करता है । उस पर पर्दा नहीं डाला जा सकता ।

अब रहा गातव के उल्लेख वाला १७६ वाँ पद्य, इसके अनुवाद में सोनीजी ने और भी गबन डाला है और सत्य का बिलकुल ही निर्दयता के साथ गला भरोड़ा डाला है !! आप जानते थे कि जी के पुनर्विवाह का प्रसंग चला रहा है और पहले दोनों पक्षों में उसीका उल्लेख है । साथ ही, यह समझने थे कि इन पक्षों में प्रयुक्त हुए 'द्वारा' 'पुनर्द्वारा' जैसे सामान्य पदों का अर्थ तो जैसे तेसे 'बागदान' में दी हुई' आदि करके, उनके प्रकृत अर्थ पर कुछ पर्दा डाला जा सकता है और उसके नीचे पुनर्विवाह को किसी तरह छिपाया जा सकता है परंतु इस पद्य में तो साफ तौर पर 'पुनरुद्घाटन' पद पढ़ा हुआ है, जिसका अर्थ 'पुनर्विवाह' के सिवाय और कुछ होता ही नहीं और यह कथन-क्रम से शियों के पुनर्विवाह का ही वाचक है, इसलिये उस पर पर्दा नहीं डाला जा सकता । चुनौचे आपने अपने उसी लेख में, जो 'जातिप्रबोधक' में प्रकाशित बाबू सूरजमानजी के लेख की समीक्षारूप से लिखा गया था, बाबू सूरजमानजी-प्रतिपादित इस पद्य के अनुवाद पर और उसके इस विवरण पर कि यह लोक शियों के पुनर्विवाह विषय को बतिये हुए है कोई आपत्ति नहीं की थी । प्रस्तुत इसके लिख दिया था—

“अग्ने”चलकर-गालव महाशय के विषय में जो आपने लिखा है वह भी ठीक नहीं है क्योंकि वे महाशय जैतु नहीं हैं। किसी दि० जैन अधि का प्रमाण देकर पुनर्विवाह सिद्ध करते तो अच्छा होता।..... यह कहा जा चुका है कि १७१ से १७६ तक के श्लोक दि० जैन अधि प्रणीत नहीं हैं, मनुस्मृति के हैं।”

इससे बाहिर है कि सोनीजी इस श्लोक पर से स्त्रियों के पुनर्विवाह की सिद्धि जरूर मानते थे परन्तु उन्होंने उसे अबैत श्लोक बतला कर उसका तिरस्कार कर दिया था। अब इस अनुवाद के समय आपको अपने उस तिरस्कार की निःसारता मालूम पड़ी और यह जान पड़ा कि वह कुछ भी कार्यकारी नहीं है। इसलिये आपने और भी अधिक निष्ठुरता धारण करके, एक दूसरी तर्क तथा विलक्षण चाल चली और उसके द्वारा बिलकुल ही अकल्पित अर्थ करवाया। अर्थात् इस पद्य को स्त्रियों के पुनर्विवाह की जगह पुरुषों के पुनर्विवाह का बना डाला ॥ इस कपटकला, कूटबोद्धकता और धर्म, का भी कहीं कुछ ठिकाना है ॥ मना कोई सोनीजी से पूछे कि ‘कखी तु पुनकव्वाहं व्रजयेत्’ का अर्थ जो आपने “कखियुय में एक धर्मपत्नी के होते हुए दूसरा विवाह न करे” दिया है उसमें ‘एक धर्मपत्नी के होते हुए’ यह अर्थ सूत्र के कौन से शब्दों का है अथवा पूर्व पदों के किन शब्दों पर से निकाला गया है तो इसका आप क्या उत्तर देंगे ? क्या ‘इसरी इच्छा’ अथवा यह कहना समुचित होगा कि पुरुषों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिये—स्त्री के भर जाने पर भी वे कहीं इस मतानुसार पुनर्विवाह के अधिकार से वंचित न हों, बॉय इसलिये—इमने अपनी ओर से ऐसा कर दिया है ? कदापि नहीं। वास्तव में आपका यह अर्थ किसी तरह भी नहीं बनता और न कहीं से उसका

समर्पण ही होता है। आपने एक 'माकर्ष' लगाकर उसे कुछ गले उतारने की चेष्टा की है और उसमें ब्राह्मणधर्म के अनुसार धर्मपत्नी, भोगपत्नी, प्रथम विवाह धर्म्य विवाह, दूसरा विवाह काम्य विवाह, सप्तम्यां स्त्री के होते हुए असप्तम्यां स्त्री से धर्म कृत्य न कराये जायें, आदि कितनी ही बातें लिखीं और कितने ही निरर्थक तथा अपने विरुद्ध वाक्य भी उद्धृत किये परन्तु बहुत कुछ सर पटकने पर भी आप ब्राह्मण धर्म का तो क्या दूसरे भी किसी हिन्दू धर्म का कोई ऐसा वाक्य उद्धृत नहीं कर सके जिससे पुरुषों के पुनर्विवाहविषयक स्वयंसे अधिकार का विरोध पाया जाय। और इसलिये आपको यह कल्पना करते ही बना कि "कोई ब्राह्मण धर्म दो विवाहों को भी धर्म्य विवाह स्वीकार करते हैं और तृतीय विवाह अनिषेध करते हैं। तब संभव है कि ब्राह्मण धर्म दूसरे विवाह का भी निषेध करते हों।" इतने पर भी आप अत में लिखते हैं— "जो लोग इस खोक से स्त्रियों का पुनर्विवाह अर्थ निकालते हैं वह विचक्षण अशुद्ध है। क्योंकि यह अर्थ स्वयं ब्राह्मणसम्प्रदाय के विरुद्ध पड़ता है।" यह घृष्टता की पराकाष्ठा नहीं तो और क्या है? वह अर्थ ब्राह्मणसम्प्रदाय के क्या विरुद्ध पड़ता है उसे आप दिसवा नहीं सके और न दिखला सकते हैं। आपका इस विषय में ब्राह्मण सम्प्रदाय की दुहाई देना उसके साहित्य की कोरी अनभिज्ञता को प्रकट करना अथवा भोले भाइयों को फँसाने के लिये धर्म का जादू रचना है। अस्त।

इस सन विवेचन पर से सद्दय पाठक सहज ही में इस बात का अनुभव कर सकते हैं कि श्दारकनी ने अपरिचित स्त्रियों के लिये भी— निम्नमें विधवाएँ भी शामिल जान पड़ती हैं—पुनर्विवाह की साफ़ व्यवस्था की है और सोनीजी जैसे पंडितों ने उसे अपनी चिपचुपि के

अनुकूल न पाकर अथवा कुछ लोकविद्वद् समझ कर जो उस पर पर्दा डालने की चेष्टा की है वह कितनी नीच, निःसार तथा लघुन्य है और साथ ही विद्वत्ता को कलंकित करने वाली है ।

जो लोग इस त्रिवर्णाचार पर अपनी 'अटल श्रद्धा' का डेंडोग पीटते हुए उसको प्रामाणिक ग्रंथ बतलाते हैं † और फिर स्त्रियों के पुनर्विवाह का निषेध करते हैं उनकी स्थिति निःसंदेह बड़ी ही विचित्र और कटुप्रायणक है । वे खुद अपने को उगते हैं और दूसरों को उगते फिरते हैं !! उन्हें यदि सचमुच ही इस ग्रंथ को प्रमाथ मानना था तो स्त्रियों के पुनर्विवाह-निषेध का साहस नहीं करना था; क्योंकि स्त्रियों के पुनर्विवाह का विधान तो इस ग्रंथ में ही है, वह किसी का मिटाया मिट नहीं सकता ।

तर्पण, श्राद्ध और पितृहृदान ।

(२८) हिन्दुओं के यहाँ, ज्ञान का भंग स्वरूप, तर्पण नाम का एक नित्य कर्म वर्णन किया है । पितरादिकों को पानी या तिलोदक (तिलों के साथ पानी) आदि देकर उनकी तृप्ति की जाती है, इसीका नाम तर्पण है । तर्पण के जब की देव और पितरगण इच्छा करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं और उससे तृप्त होते हैं, ऐसा जनका सिद्धान्त है । यदि कोई मनुष्य नास्तिक्य भाव से अर्थात्, यह समझ कर कि ' देव पितरों को जलादिक नहीं पहुँच सकता, तर्पण नहीं करता है तो जन के इच्छुक पितर उसके देह का रुधिर पीते हैं, ऐसा उनके यहाँ शोभि याज्ञवल्क्य का वचन है । यथा:—

‡ पं० प्रजासाक्षी कासलीवाज ने भी १० वर्ष हुए 'सत्यवादी' में प्रकाशित अपने लेख द्वारा यह घोषणा की थी कि—'मेरा खोमसेन कृत त्रिवर्णाचार ग्रंथ पर, अटल श्रद्धा भ्रमण है और मैं उसे प्रामाणिक मानता हूँ ।'

नास्तिक्यमावाद् यथापि न तर्पयति वै सुतः ।

पिबन्नि वेदवधिरं पिबरो वै अस्तार्धिनः ॥

गद्दारकजी ने भी, इस त्रिवर्णाचार में, तर्पण को ज्ञान का एक अंग बतलाया है। इतना ही नहीं, व्यक्ति हिन्दुओं के यहाँ ज्ञान के जो पाँच अंग-संकल्प, सूक्तपठन मार्जन, अघमर्षण * और तर्पण-माने जाते हैं उन सबको ही अपनाया है। यथा:—

संकल्पं [इतः] सूत्रं [क्त] पठनं मार्जने चाघमर्षणम् ।

देवादि [धिर्] तर्पणं चैव पंचांगं स्नानमाचरेत् [स्वानं पंचांगमिष्यते]

॥ २-१०५ ॥

यह श्लोक भी किसी हिन्दू ग्रंथ से लिया गया है। हिन्दुओं के

* 'अघमर्षण' पापनाशन को कहते हैं। हिन्दुओं के यहाँ यह स्नानांगकर्म पापनाशन किया का एक विशेष अंग माना जाता है। वेद में 'श्रुतं च सत्यं' नामका एक प्रसिद्ध सूक्त है, जिसे 'अघमर्षण सूक्त' कहने हैं और जिसका श्रुति, श्री 'अघमर्षण' है। इस सूक्त को पानी में निमज्ज होकर तीन बार पढ़ने से सब पापों का नाश हो जाता है और यह उनके यहाँ अश्वमेध यज्ञ की तरह सब पापों का नाश करने वाला माना गया है, जैसा कि 'शंखस्मृति' के निम्नवाक्यों से प्रकट है:—

ततोऽम्बसि निमज्जस्तु त्रिः पठेदघमर्षणम् ॥ ६-१२ ॥

यथाऽश्वमेधः श्रुतुराद् सर्वपापप्रहाशनम् ।

तथाऽघमर्षणं सूक्तं सर्वपापप्रहाशनम् ॥ ६-१३ ॥

वामन शिखराम पेपटे ने भी अपने कोश में इस सूक्त की उक्त मान्यता का उल्लेख किया है, और लिखा है कि 'शुरुपत्री, माता, तथा भगिनी आदि के साथ सम्मोग जैसे घोरतम पाप भी इस सूक्त को तीन बार पानी में पढ़ने से नाश को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है' यथा—

सूक्तं thrice in water.

‘स्मृतिरत्नाकर’ में यह श्रैकटों में दिये हुए साधारण पाठभेद के साथ पाया जाता है और इसे ‘आग्नि’ ऋषि का वाक्य लिखा है। हिंदुओं

महारकजी ने इस अष्टमर्षय को ‘स्नान’ का अंग बनेलाकर हिन्दुओं के एक ऐसे सिद्धान्त को अपनाया है जिसका जैनसिद्धान्तों के साथ कोई मेल नहीं। जैनसिद्धान्तों की दृष्टि से पापों को इस तरह पर ज्ञान के द्वारा नहीं धोया जा सकता। स्नान से शरीर का सिर्फ बाह्यमज दूर होता है, शरीर तक की शुद्धि नहीं हो सकती; फिर पापों का दूर होना तो बहुत ही दूर की बात है—वह कोई खेल नहीं है। पाप जिन मिथ्यात्व-असंयमादि कारणों से उत्पन्न होते हैं उनके विपरीत कारणों को मिचाने से ही दूर किये जा सकते हैं—अज्ञादिक से नहीं। जैसाकि श्री अमितगति आचार्य के निम्नवाक्यों से भी प्रकट है—

सखो विशोष्यते बाह्यो अनेनेति निगद्यताम् ।

पापं निहृन्यते तेन कस्येवं हृदि वर्तते ॥२६॥

मिथ्यात्वाऽऽसंयमाऽज्ञानैः कर्मभं प्राणिनाजितम् ।

सम्यक्त्व संयमज्ञानैर्हन्यते नान्यथा ह्युदम् ॥२७॥

कपार्थैरजितं पापं सलिलेन निवार्यते ।

एतज्जहातमनो भूते वाप्ये मीमांसका ध्रुवम् ॥२८॥

यदि शोधयितुं शकं शरीरमपि नो जलम् ।

अन्तःस्थितं मनो दुष्टं कथं तेन विशोष्यते ॥२९॥

—धर्मपरीक्षा, १७ वाँ परिच्छेद ।

महारकजी के इस विधान से यह मालूम होता है कि वे ज्ञानसे पापों का धुलना मानते थे। और शायद यही वजह हो जो उन्होंने अपने अन्त में स्नान की इतनी भरमार की है कि उससे एक अच्छे मजे आदमी का नाक में दम आ सकता है और वह उसीमें उलझा रहकर अपने जीवन के समुचित ध्येय से वंचित रह सकता है और अपना कुछ भी बतकवे साधन नहीं कर सकता। मेरी इच्छा थी कि मैं स्नान की उस भरमार का और उसकी निःसारता तथा जैन सिद्धान्तों के साथ उसके विरोध का एक सतन्त्र शीर्षक के नीचे पाठकों को विन्दुशून्य कराने परन्तु खेल बहुत बढ़ गया है इसलिये मजबूरन अपनी इस इच्छा को दबाना ही पड़ा ।

ने देव, ऋषि और पितर भेद से तीन प्रकार का तर्पण माना है (तर्पणं च ऋषिः कुर्यात्पितरान् स्नातको द्विजः । देवेभ्यश्च ऋषिभ्यश्च पितृभ्यश्च यथा क्रमम् ॥ इति शातातपः) । महारकजी ने भी तीसरे अध्याय के पृष्ठ न-७, ८, ९ में इन तीनों भेदों का इसी क्रम से विधान किया है । साथ ही, हिन्दुओं की उस किथि को भी प्रायः अपनाया है जो प्रत्येक प्रकार के तर्पण को किस दिशा की ओर मुँह करके करने तथा अक्षतादिक किस किस द्रव्य द्वारा उसे कैसे सम्पादन करने से सम्बन्ध रखती है । परन्तु अध्याय के अन्त में जो तर्पणमंत्र आपने दिये हैं उनमें पहले ऋषियों का, पितर पितरों का और अन्त में देवताओं का तर्पण सिद्धा है । देवताओं के तर्पण में अर्हन्तादिक देवों को स्थान नहीं दिया गया किन्तु उन्हें ऋषियोंकी श्रेणीमें रक्खा गया है—हालाँकि पृष्ठ नं० ८ में 'गौतमादि-सहस्रीणां (नवै) तर्पयेद् ऋषितीर्थतः' ऐसा व्यवस्थावाक्य था—और यह आपका अस्मन्कौशल अथवा रचनावैचित्र्य है ! परन्तु इन सब बातों को भी जोड़िये, सबसे बड़ी बात यह है कि महारकजी ने तर्पण का सब आशय और अभिप्राय प्रायः वही रक्खा है जो हिन्दुओं का सिद्धान्त है । अर्थात्, यह प्रकट किया है कि पितरादिक को पानी या तिषोदकादि देकर उनकी तृप्ति करना चाहिये; तर्पण के बल की देव पितरगण इच्छा रखते हैं, उसको प्रदद्या करते हैं और उससे तृप्त होते हैं । असाकि नीचे लिखे वाक्यों से प्रकट है:—

अस्त्काराज्य ये केचिज्जपन्नाः पितराः सुराः ।

तेषां सन्तोषस्तुप्यर्थं दीयते लक्षितं मया ॥ ११ ॥

अर्थात्—जो कोई पितर संस्कारविहीन भरे हों, जब की इच्छा रखते हों, और जो कोई देव जब की इच्छा रखते हों, उन सब के सन्तोष तथा तृप्ति के लिये मैं पानी देता हूँ—जब से तर्पण करता हूँ ।

केचिदस्मत्कुले जाता * अपुत्रा व्यन्तराः सुराः ।

ते शृहन्तु मया दत्तं वस्त्रनिष्पीडनोदकम् ॥ १३ ॥

अर्थात्—हमारे कुलमें जो कोई पुत्रहीन गनुष्य मरकर व्यन्तर जातिके देव हुए हों, उन्हें मैं धोती आदि वस्त्रसे निचोढ़ा हुआ पानी देता हूँ, उसे वे ग्रहण करें।

यह तर्पणके बाद धोती निचोढ़नेका मंत्र X है। इसके बाद 'शरीरके अंगों परसे हाथ या वस्त्रसे पानी नहीं पोंछना चाहिये, नहीं तो शरीर कुत्ता चाटेकी समान अपवित्र होजायगा और पुनः ज्ञान करनेसे शुद्धि होगी' † ऐसा श्रद्धामुत विधान करके उसके कारणों को बतलाते हुए लिखा है—

* यहाँ क्षयी पुस्तकों में जो 'अपूर्व' पाठ दिया है वह गलत है, सही पाठ 'अपुत्रा' है और वही जिनसेन त्रिवर्णाचार में भी पाया जाता है, जहाँ वह इसी मंत्र परसे उद्धृत है।

अथ मंत्र हिन्दुओं के निम्न मंत्र पर ले, जिसे 'मंत्ररच' इति मंत्रेण' शब्दों द्वारा खाल तौर पर मंत्र रूप से उल्लेखित किया है, जरासा फेर बदल करके बनाया गया मालूम होता है—

ये के चास्मत्कुले जाता अपुत्रा गोत्रजा सृताः ।

ते शृहन्तु मया दत्तं वस्त्रनिष्पीडनोदकम् ॥—स्मृतिरस्माकर ।

† यथाः—

तस्मात्कार्यं न मुञ्जीत ह्यम्बरेण करेण वा ।

ज्ञानक्षेत्रेण हस्तेन यो द्विजोऽङ्गं प्रमाजैति ॥ १६ ॥

हिन्दुओं के यहाँ इस पद्य के आशय से मिलाता कुलता एक वाक्य इस प्रकार है—

तस्मात्त्वानो माधसृज्यात्त्वानशाट्या न पाणिना ।

ज्ञानक्षेत्रेण हस्तेन यो द्विजोऽङ्गं प्रमाजैति ॥

वृथा भवति तस्मानं पुनः ज्ञानेन युष्यति ।

'स्मृतिरस्माकर' में यह वाक्य 'शिरोवारि शरीराम्बु वस्त्रतोयं यथाक्रमम् । पिबन्ति देवा मुनयः पितरो ब्राह्मणस्य तु ॥' के अनन्तर दिया है और इससे 'तस्मात्' पद का सम्बन्ध बहुत स्पष्ट होजाता है। इस दृष्टिको मङ्गलक्रीका वक्र १६ वाँ पद्य 'पिबन्ति शिरोवारि' नामक १८ वें पद्य के आरम्भमें आहिये था।

विश्वः कोट्योऽर्धकोटी च धावद्गोमायि मानुषे ।

धसन्ति तावत्तीर्थानि तस्माच्च परिमार्जयेत् ॥ १७ ॥

पिबन्ति शिरसो देवाः पिबन्ति पितरो मुखात् ।

मध्याच्च यक्षगन्धर्वा अथस्तात्सर्वजन्तवः ॥ १८ ॥

अर्थात्—मनुष्यके शरीरमें जो साठे तीन करोड़ रोम हैं, उतनेही उसमें तीर्थ हैं। दूसरे, शरीर पर जो स्नान जल रहता है उसे मस्तक परसे देव, मुख परसे पितर, शरीरके मध्यभाग परसे यक्ष गंधर्व और नीचेके भाग परसे अन्य सब जन्तु पीते हैं। इसलिये शरीरके अंगोंको पोंछना नहीं चाहिये (पोंछने से उन तीर्थोंका शायद अपमान या उत्थापन होनायगा, और देवप्रदिकों के जल ग्रहण कार्य में विघ्न उपस्थित होगा ॥) ।

जैनसिद्धान्तसे जिन पाठकोंका कुछ भी परिचय है वे ऊपरके इस कथनसे भले प्रकार समझ सकते हैं कि महारकजीका यह तर्पणविषयक कथन कितना जैनधर्म के विरुद्ध है। जैनसिद्धान्त के अनुसार न तो देवपितरगण पानी के लिये भटकते या मारे मारे फिरते हैं और न तर्पणके जलकी इच्छा रखते या उसको पाकर तृप्त और संतुष्ट होते हैं। इसीप्रकार न वे किसी की धोती आदिका निचोड़ा हुआ पानी ग्रहण करते हैं और न किसी के शरीर परसे स्नानजलको पीते हैं। ये सब हिंदूधर्म की क्रियाएँ और कल्पनाएँ हैं। हिन्दुओं के यहाँ साफ़ सिखा है कि 'जब कोई मनुष्य स्नानके लिये जाता है तब व्याससे विद्वत् रूप देव और पितरगण, पानी की इच्छा से वायु अरु रूप धारण करके, उसके पीछे पीछे जाते हैं। और यदि वह मनुष्य थोड़ी स्नान करके बख (धोती आदि) निचोड़ देता है तो वे देवपितर निराश होकर छांट आते हैं। इसलिये तर्पण के पश्चात् बख निचोड़ना चाहिये प्रह्वो नहीं। जैसा कि उनके निम्नलिखित वचन से प्रकट है:—

स्नानार्थमभिगच्छन्तं देवाः पितृगणैः सह ।
वायुभृतास्तु गच्छन्ति तृपार्ताः सखितार्थिनः ॥
निराशास्ते निवर्तन्ते वल्लनिष्पीडने कृते ।
अतस्त्वर्पणानन्तरमेव वरुं निष्पीडयेत् ॥

—सृष्टिरत्नाकरे, वृद्धवलिष्ठः ।

परन्तु जैनियों का ऐसा सिद्धान्त नहीं है । जैनियों के यहाँ मरने के पश्चात् समस्त संसारी जीव अपने अपने शुभाशुभ कर्मों के अनुसार देव, मनुष्य, नरक, और तिर्यंच, इन चार गतियों में से किसी न किसी गति में अवश्य चले जाते हैं । और अधिक से अधिक तीन समय तक निराहार रहकर तुरत दूसरा शरीर धारण करते हैं । इन चारों गतियों से अलग पितरों की कोई निराली गति नहीं होती, जहाँ वे बिलकुल ही परावलम्बी हुए असंख्यात या अनन्तकाल तक पड़े रहते हों । मनुष्यगति में जिस तरह पर वर्तमान मनुष्य—जो अपने पूर्वजन्मों की अपेक्षा बहुतां के पितर हैं—किसी के तर्पण जलको पीते नहीं फिरते उसी तरह पर कोई भी पितर किसी भी गति में जाकर तर्पण के जलकी इच्छा से विहल हुआ उसके पीछे पीछे मारा मारा नहीं फिरता । प्रत्येक गति में जीवों का आहारविहार उनकी उस गति, स्थिति तथा देशकाल के अनुसार होता है और उसका वह रूप नहीं है जो ऊपर बतलाया गया है । इस तरह पर भट्टारकजी का यह सब कथन जैनधर्मके विरुद्ध है, जीवोंकी गतिस्थित्यादि—विषयक अज्ञानकारी तथा अश्रद्धा को लिये हुए है और कदापि जैनियों के द्वारा मान्य किये जाने के योग्य नहीं हो सकता ।

यहाँ पर मैं इतना और भी बतला देना चाहता हूँ कि हिन्दुओं के कुछ प्रसिद्ध ग्रन्थों में भी इस बातका उल्लेख मिलता है कि जैनधर्म में इस तर्पण को स्थान नहीं है जैसाकि उनके पद्मपुराण+ के निम्न-

+ देखो 'आनन्दोभ्रमसिरीज पूना' की छपी हुई आधुति ।

वाक्यों से प्रकट है जो कि ३६ वें अध्याय में एक दिग्म्बर स्रजुवासा, राजा 'बैन' को जैनधर्म का कुछ स्वरूप बतलाते हुए, कहे गये हैं:—

पितृणां तर्पणं नास्ति नातिथिवैश्ववेविकम् ।

कृष्यास्य च तथा पूजा क्षाईन्तघ्यानमुत्तमम् ॥१६॥

एष धर्मसमाचारो जैनानां प्रचरते ।

एतत्सर्वमाख्यातं जैनधर्मस्य सत्त्वचम् ॥२०॥

और जैनियों के 'यथासित्तक' ग्रन्थ से भी इस विषय का स्पष्ट-पण होता है; जिसके उसके शीघे आशुस के निम्न वाक्य से प्रकट है, जोकि राजा यशोधर की जैनधर्म-विषयक श्रद्धा को हटाने के लिये उनकी माता द्वारा, एक वैदिकधर्मावलम्बी की दृष्टि से जैनधर्म की झुटियों को बतलाते हुए, कहा गया है:—

न तर्पणं देवपितृद्विजानां स्नानस्य होमस्य च चास्ति धार्ता ।

श्रुतेः स्मृतेश्चाङ्गठरे च धास्ते अत्रै कथं पुत्र । दिग्म्बरारणाम् ॥

अर्थात्—जिस धर्म में देवों, पितरों तथा द्विजों (ऋषियों) का तर्पण नहीं, (श्रुतिस्मृतिविहित) स्नान की—उसी पक्षान् स्नान की—और होमकी धार्ता नहीं, और जो श्रुति-स्मृति से अत्यन्त बाह्य है उस दिग्म्बर जैनधर्म पर हे पुत्र ! तेरी बुद्धि कैसे ठहरती है ?—तुम्हें कैसे उसपर श्रद्धा होती है ?

इसमें पर भी सोनीजी, अपने अनुवाद में, महारकनी के इस तर्पण-विषयक कथन को जैनधर्म का कथन बतलाने का दुःसाहस करते हैं—बिचलते हैं 'यह तर्पण आदि का विधान जैनधर्म से बाहर का नहीं है किन्तु जैनधर्म का ही है' !! आपने, कुछ अनुवादों के साथ ही अपने अपने धारार्थ जोड़कर, महारकनी के कथन को जिस तिस प्रकार से जैनधर्म का कथन सिद्ध करने की बहुतेरी चेष्टा की, परन्तु आप उसमें कृत-कार्य नहीं हो सके । और उस चेष्टा में आप किसकी ही ऊटपटांग धार्ता

लिख गये हैं जिनसे आपकी अद्धा, योग्यता और शुष्कता का खासा दृश्य सामने उपस्थित हो जाता है और उसे देखकर आपकी हास्य पर बड़ा ही तर्क आता है । आप लिखते हैं—“व्यन्तरो का अनेक प्रकार का खभाव होता है । अतः किसी किसी का खभाव जल-प्रद्वय करने का है । किसी किसी का जल निचोड़ा हुआ जल लेने का है । ये सब उनकी स्वभाविकी क्रियायें हैं ।” परन्तु कौन से जैनशास्त्रों में व्यन्तरो के इस स्वभावविशेष का उल्लेख है या इन क्रियाओं को उनकी स्वभाविकी क्रियाएँ लिखा है, इसे आप बतवा नहीं सके । आप यहाँ तक तो लिखगये कि “ जैनशास्त्रों में साफ लिखा है कि व्यन्तरो का ऐसा स्वभाव है और वे क्रीडानिमित्त ऐसा करते हैं—ऐसी क्रियायें करा कर वे शान्त होते हैं” परन्तु फिर भी किसी माननीय जैनशास्त्र का एक भी वाक्य प्रमाण में उद्धृत करते हुए आप से बन नहीं पड़ा तथा आपका यह सब कपन थोड़ा चान्दाल ही रह जाता है । मालूम होता है अनेक प्रकार के स्वभाव पर से आप सब प्रकार के स्वभाव का नतीजा निकालते हैं, और यह आपका बिलक्षण तर्क है ॥ व्यन्तरो का सब प्रकार का स्वभाव मानकर और उनकी सब इच्छाओं को पूरा करना अपना कर्तव्य समझ कर तो सोनीजी बहुत ही आपत्ति में पड़ जायेंगे और उन्हें व्यन्तरो के पीछे नाचते नाचते दम लेने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी । खेद है सोनीजीने यह नहीं सोचा कि प्रथम तो व्यन्तर देव क्रीड़ा के निमित्त जिन जिन चीजों की इच्छाएँ करें उनको पूरा करना श्रावकों का कोई कर्तव्य नहीं है—श्रावकचार में ऐसी कोई विधि नहीं है—व्यन्तरदेव यदि मांसमद्यख की क्रीड़ा करने लगे तो कोई भी श्रावक पशुओं को मारकर उन्हें बलि नहीं चढ़ाएगा, और न शीसेवन को बढ़ा करने पर अपनी स्त्री या पुत्री ही उन्हें संभोग के लिये देगा । दूसरे, यदि किसी तरह पर उनकी इच्छा को पूरा भी किया

माय तो वह तभी तो किया जा सकता है जब वैसी कोई इच्छा व्यक्त हो—कोई व्यन्तर क्रीड़ा करता हुआ किसी तरह पर प्रकट करे कि मुझे इस वस्तु धोती निचोड़े का पानी चाहिये तो वह उसे दिया जा सकता है—परंतु जब वैसी कोई इच्छा या क्रीड़ा व्यक्त ही न हो अथवा उसका अस्तित्व ही न हो तब भी उसकी पूर्ति की चेष्टा करना—बिना इच्छा भी किसी को जल पीने के लिये मजबूर करना अथवा पीने वाले के मौजूद न होते हुए भी पिलाने का ढोंग करना—क्या अर्थ रखता है ? वह निरापागलपन नहीं तो और क्या है ? क्या व्यन्तरदेवों को ऐसा असहाय या महाप्रती समझ लिया है जो वे बिना दूसरों के दिये स्वयं जल भी कहीं से ग्रहण न कर सकें ? वस्तु-स्थिति ऐसी नहीं है । महारकनी का आशय यदि इस तर्पण संवन्तों के क्रीड़ा-उद्देश्य की सिद्धि मात्र होता तो वे वैसी क्रीड़ा के समय ही अथवा उस प्रकार की सूचना मिलने पर ही तर्पण का विधान करते; क्योंकि कोई क्रीड़ा या इच्छा सार्वकालिक और स्थायी नहीं होती । परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि प्रतिदिन और प्रत्येक स्नान के साथ में तर्पण का विधान किया है; और उनकी व्यवस्थानुसार एक दिन में बीसियों बार स्नान की नीवत आ सकती है । अतः महारकनी का यह तर्पणविधान व्यन्तों के क्रीड़ा उद्देश्य को लेकर नहीं है किन्तु सीधा और साफ तौर पर हिन्दुओं के सिद्धान्त का अनुसरण मात्र है । और इसलिए यह सोनीजी की अपनी ही कल्पना और अपनी ही ईजाद है जो वे इस तर्पण को व्यन्तों की क्रीड़ा के साथ बँधते हैं और उसे किसी तरह पर खींचखींचकर जैनधर्म की कोटि में खानेका निष्फल प्रयत्न करते हैं । ११ वें श्लोक के भावार्थ में तो सोनीजी यह भी लिख गये हैं कि “व्यन्तों को जब किसी उद्देश्य से नहीं दिया जाता है” ! हेतु ? “ क्योंकि यह बात श्लोक ही साफ कह रहा है कि कोई

बिना संस्कार किये हुए गर गये हों, भरकर व्यंतर ऋ हुए हों और मेरे हाथ से जल खेने की बाँझा रखने हों तो उनको मैं सहज (यह जल) देता हूँ । इसमें कहीं भी किसी विषय का उद्देश्य नहीं है ।' परंतु श्लोक में तो जलदान का उद्देश्य साफ लिखा है 'तेषां संतोषतृप्त्यर्थ'—उनके सन्तोष और तृप्ति के लिये—और आपने भी अनुवाद के समय इसका अर्थ "उनके संतोष के लिये" दिया है । यह उद्देश्य नहीं तो और क्या है ? इसके सिवाय पूर्ववर्ती श्लोक नं० १० में एक दूसरा उद्देश्य और भी दिया है और वह है 'उस पाप की विशुद्धि जो शारीरिक मल के द्वारा जल को मैला अपवा दूषित करने से उत्पन्न होता है' । यथा:—

× यन्मया दुष्कृतं पापं [दूषितं तोयं] शारीरमलसंभवम् [वात्]
तत्पापस्य विशुद्धयर्थं देवानां तर्पयाम्यहम् ॥१०॥

ऐसी हालत में सोनीजी का यह तर्पण के उद्देश्य से इनकार करना, उसे आगे चलकर श्लोक के दूसरे अधूरे अर्थ के नीचे छिपाना और इस तरह स्वपरप्रयोजन के बिना ही ‡ तर्पण करने की बात कहना कितना हास्यास्पद जान पड़ता है, उसे पाठक स्वयं समझ सकते हैं । क्या यही गुरुमुख से शास्त्रों का सुनना, उनका मनन करना और माया की ठीक योग्यता का रखना कहलाता है, जिसके लिये आप अपना अहंकार प्रकट करते और दूसरों पर आक्षेप करते हैं ? मालूम होता है सोनीजी उस समय कुछ बहुत ही विचलित और अस्थिरचित्त थे ।

° 'व्यन्तर' का यह नामनिर्देश मूल श्लोक में नहीं है ।

× यह हिन्दुओं का यक्ष्मतर्पण का श्लोक है और उनके यहाँ इसका चौथा चरण 'यक्ष्मैतत्ते तिलोदकम्' दिया है । (दृष्टो 'आन्हिकसूत्रांचलि')

‡ 'प्रयोजनमनुद्दिश्य न भदोऽपि प्रवर्तते'—बिना प्रयोजन उद्देश्य के तो भूर्ख की भी प्रवृत्ति नहीं होनी । फिर सोनीजी ने क्या समझकर यह बिना उद्देश्य की बात कही है !!

उन्हें इस तर्पण को जैनधर्म का सिद्धान्त सिद्ध करने के लिये कोई ठीक युक्ति सूझ नहीं पड़ती थी, इसीसे वे वैसे ही यद्वा तद्वा कुछ अहकी बहकी बातें लिखकर ग्रंथ के कई पेजों को रँग गये हैं । और शायद यही वजन है जो वे दूसरों पर मूर्खनापूर्ण अनुचित कटाक्ष करने का भी दुःसाहस कर बैठे हैं, जिसकी चर्चा करना यहाँ निरर्थक जान पड़ता है ।

१८ वें श्लोक के भावार्थ में, कितनी ही विचलित बातों के अतिरिक्त, सोनीजी लिखते हैं:—

“ यद्यपि देवों में मानसिक आहार है, पितृगण कितने ही मुक्ति स्थान को पहुँच गये हैं इसलिये इनका पानी पीना असम्भव जान पड़ता है । इसी तरह यक्ष, गंधर्वों और सारे जीवों का भी शरीर के जल का पानी (पीना ?) असम्भव है, पर फिर भी ऐसा जो लिखा गया है उसमें कुछ न कुछ तात्पर्य अवश्य छुपा हुआ है (जो सोनीजी की समझ के बाहर है और जिसके जानने का उनके कथनानुसार इस समय कोई साधन भी नहीं है ।) ।”

“ यद्यपि इस श्लोक का विषय असम्भव सा जान पड़ता है परन्तु फिर भी वह पाया जाता है । अतः इसका कुछ न कुछ तात्पर्य अवश्य है । व्यर्थ बातें भी कुछ न कुछ अपना तात्पर्य ज्ञापन कराकर सार्थक हो जाती हैं (परन्तु इस श्लोक की व्यर्थ बातें तो सोनीजी को अपना कुछ भी तात्पर्य न बतजा सकीं ?) ।”

इन उद्गारों के समय सोनीजी के मस्तिष्क की हालत उस मनुष्य जैसी मालूम होती है जो घर से यह खबर आने पर रो रहा था कि ‘तुम्हारी बी विधवा हो गई है’ और जब लोगों ने उसे समझाया कि तुम्हारे जीते तुम्हारी बी विधवा कैसे हो सकती है तब उसने सिस-कियाँ घेते हुए कहा था कि ‘यह तो मैं भी जानता हूँ कि मेरे जीते मेरी बी विधवा कैसे हो सकती है परन्तु घर से जो आदमी खबर लाया है वह बड़ा ही विश्वासपात्र है, उसकी बात को झूठ कैसे कहा जा सकता

है ? वह बरकर विधवा हो गई है, ' और यह कहकर और भी ज्यादा छट छटकर रोने लगा था; और तब लोगों ने उसकी बहुत ही हँसी उड़ाई थी । सोनीजी की दृष्टि में भहारकजी का यह ग्रंथ घर के उस विश्वासपात्र आदमी की कोटि में स्थित है । इसीसे साक्षात् असम्भव ज्ञान पढ़ने वाली बातों को भी, इसमें लिखी होने के कारण, आप सत्य समझने और जैन-धर्मसम्मत प्रतिपादन करने की भूर्खता कर बैठे हैं ! यह है आपकी अज्ञा और गुणज्ञता का एक नमूना !! अथवा गुरुमुखा से शास्त्रों के अध्ययन और मनन की एक घानगी !!

सोनीजी को इस बात की बड़ी ही चिन्ताने बेरा मालूम होता है कि ' कहीं ऐसी असम्भव बातों को भी यदि झूठ मान लिया गया तो शास्त्र की कोई मर्यादा ही न रहेगी, फिर हर कोई मनुष्य चाहे जिस शास्त्र की बात को, जो उसे अनिष्ट होगी, और न अलीक (झूठ) कह देगा, तब सर्वत्र अविश्वास फैल जायगा और कोई भी क्रिया ठीक ठीक न बन सकेगी ।' इस बिना सिर पैर की निःसार चिन्ता के कारण ही आपने शास्त्र की—नहीं नहीं शास्त्र नाम की—मर्यादाका संहारन न करनेका जो परामर्श दिया है उसका यही आशय जान पड़ता है कि शास्त्र में लिखी उलटी सीधी, मली बुरी, विरुद्ध अविरुद्ध और सम्भव असम्भव सभी बातों को बिना चूँ चरा किये और कान हिलाए मान लेना चाहिये नहीं तो शास्त्र की मर्यादा विगड़ जायगी ।। बाह ! क्या ही अच्छे सत्यपरमर्श है !! अंधअज्ञा का उपदेश 'इससे भिन्न और क्या होगा वह कुछ समझ में नहीं आता !!। मालूम होता है सोनीजी को सत्य शास्त्र के स्वरूप का ही ज्ञान नहीं । सबे शास्त्र तो आप्त पुरुषों के कहे होते हैं—उनमें कहीं उलटी, बुरी, विरुद्ध और असम्भव बातें भी हुआ करती हैं ? वे तो वादी-प्रतिवादी के द्वारा अत्रु झंघ, युक्ति तथा आगत से विरोधरहित, यथावत् वस्तुस्वरूप के उप

देशक, सर्व के हितकारी और कुमार्ग का मथन करने वाले होते हैं । ऐसे शास्त्रों के विषय में उक्त प्रकार की चिन्ता करने के विषये कोई स्थान ही नहीं होता—वे तो खुलेमैदान परीक्षा के लिये छोड़ दिये जाते हैं— उनके विषय में भी उक्त प्रकार की चिन्ता व्यक्त करना अपनी श्रद्धा की कचाई और मानसिक दुर्बलता को प्रकट करना है । इसके सिवाय, सोनीजी को शायद यह भी मालूम नहीं कि 'कितने ही अष्टचारित्र पंडितों और बठरसाधुओं (मूर्ख तथा धूर्त मुनियों) ने निनेन्द्रदेव के निर्मल शासन को मलिन कर दिया है—किसनी ही असह्य बातों की, इधर उधर से अपनी रचनादिकों के द्वारा, शासन में शामिल करके उसके स्वरूप को विकृत कर दिया है' (इससे परीक्षा की और भी खास चरुरत खड़ी हो गई है)।—; जैसा कि अनगारधर्माश्रुत की टीका में पं० आशाधरजी के द्वारा उद्धृत किसी विद्वान् के निम्न वाक्य से प्रकट है:—

परिहृतैर्अष्टचारित्रैर्वैठरैश्च तपोधनैः ।

शासनं जिनचन्द्रस्य निर्मलं मलिनोक्तम् ॥

सोमसेन भी उन्हीं बठर अथवा धूर्त साधुओं में से एक थे, और यह बात ऊपरकी आलोचना परसे बहुत कुछ स्पष्ट है । उनकी इस महा आपत्तिनक रचना (त्रिषर्णाचार) को सत्यशास्त्र का नाम देना वास्तव में सत्य शास्त्रों का अपमान करना है । अतः सोनीजी की चिन्ता, इस विषय में,

* जैसा कि स्वामी समन्तभद्र के निम्न वाक्य से प्रकट है.—

आप्तोपहममुल्लंघ्यमदृष्टेष्टविरोधकम् ।

तत्त्वोपदेशकृत्सार्धं शास्त्रं कापथघहनम् ॥ (रत्नकरण्ड आ०)

‡ इसी धानको लक्ष्य करके किसी कवि ने यह वाक्य कहा है—

जिनमत महत्त मनोस्य अति कलियुगं छादितं पंथ ।

समस्तं ब्रूतुं के परक्षिये; वर्चा निरुपेयं प्रथ ॥

और बड़े बड़े आचार्यों ने तो पहले से ही परीक्षाप्रधानी होने का उपदेश दिया है—अन्यथाज्ञानं यतने का नहीं ।

विलकुल ही निर्मूल जान पड़ती है और उनकी अस्थिरचित्तता तथा दुर्बलमुक्तयकीनी को और भी अधिकता के साथ साधित करती है ।

यहाँ पर मैं इतना और भी बतला देना चाहता हूँ कि सोनीजी की यह अस्थिरचित्तता बहुत दिनों तक उनका पियड पकड़े रही है—सम्भवतः ग्रंथ के छप जाने तक भी आपका चित्त ढाँवाडोस रहा है—और तब कहीं जाकर आपको इन पद्यों पर कुछ संदेह होने लगा है । इसीसे शुद्धिपत्र—द्वारा, १३वें और १७वें श्लोकके अनुवाद पीछे एक एक नया भावार्थ जोड़नेकी सूचना देते हुए, आपने उन भावार्थों में ११ से १३ और १७ से १९ नम्बर तक के कुछ श्लोकों पर 'क्षेपक' होने का संदेह प्रकट किया है—निश्चय उसका भी नहीं—और वह संदेह भी निर्मूल जान पड़ता है । इन पद्योंको क्षेपक मानने पर १० वें नम्बर का पद्य निरर्थक हो जाता है, जिसमें उद्देशविशेष से देवों के तर्पण की प्रतिज्ञा की गई है और उस प्रतिज्ञा के अनुसार ही अगले श्लोकों में तर्पण का विधान किया गया है । १३ वाँ श्लोक खुद बल-निचोड़ने का मंत्र है और हिन्दुओं के यहाँ भी उसे मंत्र लिखा है; जैसा कि पहले बाहिर किया जा चुका है । सोनीजी ने उसे मंत्र ही नहीं समझा और बल निचोड़नेका कोई मंत्र न होनेके आधार पर इन श्लोकोंके क्षेपक होने की कल्पना कर डाली !! अतः ये श्लोक क्षेपक नहीं—ग्रंथ में वैसे ही पीछे से शामिल होगये अथवा शामिल कर लिये गये नहीं—किन्तु महारकजी की रचना के अंगविशेष हैं । मिनसेनत्रिवर्णाचार में सोमसेन-त्रिवर्णाचार की जो नकल की गई है उसमें भी वे उद्धृत पाये जाते हैं ।

यहाँ तक के इस सब कथन से यह स्पष्ट है कि महारकजी ने हिंदुओं के तर्पणसिद्धांत को अपनाया है और वह जैनधर्म के विरुद्ध है । सोनीजी ने उसे जैनधर्मसम्मत प्रतिपादन करने और इस तरह सत्य पर पर्दा डालने की जो अनुचित चेष्टा की है उसमें वे जरा भी सफल नहीं हो सके और अंत में उन्हें कुछ पद्यों पर थोड़ा संदेह करते ही बना । साथ में आपकी श्रद्धा और गुणज्ञता आदि का जो प्रदर्शन हुआ सो खुदा रहा ।

अब रही श्राद्ध और पितृद्वदान की बात । ये विषय भी जैन धर्म से बाहर की चीज हैं और हिंदूधर्म से खास सम्बंध रखते हैं । भट्टारकजी ने इन्हें भी अपनाया है और अनेक स्थानों पर इनके करने की प्रेरणा तथा व्यवस्था की है * । पितरों का उदरय करके दिया

* जिसके कुछ नमूने इस प्रकार हैं:—

तीर्थतटे परकृतं प्राणायामं तथाचमम् ।

सम्प्रा भ्रातृं च पितृदस्य दानं गेहेऽथवाशुचौ ॥३-७७॥

इसमें भ्रातृ तथा पितृददान को तीर्थतट पर या घर में किसी पवित्र स्थान पर करने की व्यवस्था की है ।

नान्दीभ्रातृं च पूजां च... सर्वकुर्याच्च तस्याग्रे... ॥६-१६॥

इसमें 'नान्दीभ्रातृ' के करने की प्रेरणा की गई है, जो हिन्दुओं के भ्रातृ का एक विशेष है ।

एकमेव पितृभ्रातृं कुर्याद्देशे वशाहनि ।

ततो वै मातृके भ्रातृं कुर्यादाद्यादि षोडश ॥१३-७८॥

इसमें अथव्याधिशेष को लेकर माता और पिता के भ्रातृ का विधान किया गया है ।

तद्देहप्रतिबिम्बार्थं मण्डपे तद्विनापि च ।

स्थापयेदेकमश्मानं तीरे पितृदाविदत्तये ॥ १६६ ॥

पितृदं तिस्रोदकं चापि कर्ता दद्याच्छिबुलाप्रतः ।

सर्वेपि घन्धचो द्युः क्षातास्तत्र तिस्रोदकं ॥ १७० ॥

एवं दशाहपर्यन्तमेतत्कर्म विधीयते ।

पितृदं तिस्रोदकं चापि कर्ता दद्यात्तद्वान्धवं ॥ १७६ ॥

पितृदप्रदानतः पूर्वमन्ते च स्नानमिष्यते ।

पितृदः कपित्थमात्रञ्च स च शाल्यन्धसा कृतः ॥१७७॥

तत्पाकञ्च वह्निः कार्यस्तत्प्राग् च शिलापि च ।

कर्तुः संव्यानकं चापि वह्निः स्थाप्यानि गोपिते ॥ १७८ ॥

—१३ वीं अध्याय ।

इन पद्यों में सूतक संस्कार के अनन्तर पाँचे पितृददान का विधान है और उसके विषय में शिखा है कि 'पितृदादिक देने के लिये जलाशय के किनारे पर उस सूतक की वेह के प्रतिनिधिरूप

हुआ अन्नादिक पितरों के पास पहुँच जाता है और उनकी तृप्ति आदि सम्पादन करता है, ऐसी अद्वा से शास्त्रोक्तविधि के साथ जो अन्नादिक

से एक पत्थर की स्थापना करनी चाहिये, संस्कारकर्ता को उस पत्थर के आगे पिएह और तिलोदक देना चाहिये और स्नान किये हुए बन्धुओं को भी वहाँ पर तिलोदक चढ़ाना चाहिये। संस्कारकर्ता को बराबर दस दिन तक इसी तरह पर पिएह और तिलोदक देते रहना चाहिये, पिएहदान से पहले और पीछे भी स्नान करना चाहिये और वह पिएह पके चावलों का कपित्थ (कैथ या वेला) के आकार जितना होना चाहिये। चावल भी घर से बाहर पकाये जायें और पकाने का पात्र, वह पत्थर, तथा पिएहदान-समय पहनने के वस्त्र ये सब चीजें बाहर ही किसी शुभ स्थान में रखनी चाहियें।'

अद्वादानप्रदानं तु सद्गम्याः आश्रमितीष्यते ।

मासे मासे मवेच्छ्वाहं तद्दिने वत्सरावधि ॥ १६३ ॥

अथ ऊर्ध्वं मवेदध्वाहं तु प्रतिवत्सरं ।

आद्वादशाब्दमेवैतत्क्रियते प्रेतगोचरम् ॥ १६४ ॥

इन पद्यों में प्रेत के उद्देश्य से किये गये आद्वा का स्वरूप और उसके मेदों का उल्लेख किया गया है। शिक्षा है कि अद्वा से—अद्वा विशेष से—किये गये अद्वादान को आद्वा कहते हैं और उसके दो मेद हैं १ मासिक और २ वार्षिक। जो मृतक तिथि के दिन हर महीने सात मर तक किया जाय वह मासिक आद्वा है और जो उसके बाद प्रतिवर्ष बारह वर्ष तक किया जाय उसे वार्षिक आद्वा जानना चाहिये। यहाँ आद्वा का जो व्युत्पत्त्यात्मक स्वरूप दिया है वह प्रायः वही है जो हिन्दुओं के यहाँ पाया जाता है और जिसे उनके 'आद्वा-तत्त्व' में 'वैदिकप्रयोगाधीनयौगिक' लिखा है, जैसा कि अगले फुट नोट से प्रकट है। और इसमें जिस अद्वा का उल्लेख है वह भी वही 'पित्रुद्देश्यक अद्वा' अथवा 'प्रेतोद्देश्यक अद्वा' है जिसे हिन्दुओं के पञ्चपुराण में भी जैनियों की ओर से 'निरर्थिका' बतलाया है और जो जैनदृष्टि से बहुत कुछ आपत्ति के योग्य है। अद्वा के इस सामान्य प्रयोग की वजह से कुछ लोगों को जो अम होता था वह अब दूर हो सकेगा।

दिया जाता है उसका नाम आहु * है । हिंदुओं के यहाँ तर्पण और आहु ये दोनों विषय कृत्रिम कृत्रिम एक ही सिद्धांत पर अवस्थित हैं । दोनों को 'पितृयज्ञ' कहते हैं । भेद सिर्फ इतना है कि तर्पण में अंबछि से जब छोड़ा जाता है, किसी ब्राह्मणादिक को पिलाया नहीं जाता । देव पितरगण उसे सीधा प्रदक्ष्य करकेते हैं और तृप्त हो जाते हैं । परंतु आहु में प्रायः ब्राह्मणों को भोजन खिलाया जाता है अथवा सूखा अनादिक दिया जाता है । और जिस प्रकार बैटरबॉक्स में डाली हुई चिड़ी दूर देखांतरो में पहुँच जाती है उसी प्रकार मानो ब्राह्मणों के पेट में से वह भोजन देव पितरों के पास पहुँच कर उनकी तृप्ति कर देता है । इसके सिवाय कुछ क्रियाकांड का भी भेद है । पितृदान भी आहु का ही एक रूपविशेष है, उसका भी उद्देश्य पितरों को तृप्त करना है और वह भी 'पितृयज्ञ' कहलाता है । इसमें पितृ को पृथ्वी आदिक पर डाला जाता है—किसी ब्राह्मणादिक के पेट में नहीं—और उसे प्रकट रूप में कौए आदिक खानाते हैं । इस तरह पर आहु और पितृदान ये दोनों कर्म प्रक्रियादि के भेद से, पितृतर्पण के ही भेदविशेष हैं—इन्हें प्रकारांतर से 'पितृतर्पण' कहा भी जाता है—और इसलिये इनके विषय में अब मुझे अधिक कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है । सिर्फ इतना और बतला देना चाहता हूँ कि हिंदू ग्रंथों में 'आहु' नाम से भी इस विषयका स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि वह जैनधर्मसम्मत नहीं है, जैसाकि उनके 'पद्मपुराण' के निम्न वाक्यों से प्रकट है, जो कि ३६वें अध्याय में कहीं दिग्म्बरसामु-
द्वारा, आहु के निषेध में, राजा 'वेन' के प्रति कहे गये हैं:—

० आहुः—शास्त्रोक्तविधानेन पितृकर्म इत्यमरः । पितृदेव्यक-
अह्वयाऽह्नादि दानम् ।अह्वया वीथये यस्मात् आहुं तेन निगधत्ते'
इति पुलस्त्यवचनात् । 'अह्वया अह्नावेर्दानं आहुं' इति वैदिकप्रयो-
गाधीनयौगिकम्' इति आहुतत्वम् । अपिच, संस्योधनपक्षेपनीतान्
विनादीन् अनुर्थ्यस्तपदेनोदियय इतिस्त्वागः आहुम् । —शुद्धकल्पद्रुम ।

श्राद्धं कुर्वन्ति मोहेन क्षयाद्दे पितृतर्पणम् ।

काऽऽस्ते मृतः समश्नाति कीदृशोऽसौ नरोत्तम ॥ २६ ॥

किं ज्ञानं कीदृशं कार्यं केन दृष्टं वदस्व नः ।

मिष्टमन्नं प्रमुक्त्वा तु तृप्तिं याञ्छिष्य ब्राह्मणाः ॥ ३० ॥

कस्य श्राद्धं प्रदीयेत सा तु श्रद्धा निरर्धिका ।

अन्यदेवं प्रवक्ष्यामि श्रेयानां कर्मदाहणम् ॥ ३१ ॥

इन वाक्यों में श्राद्ध को साफ़ तौर पर 'पितृतर्पण' लिखा है, और उससे श्राद्ध का उद्देश्य भी कितना ही स्पष्ट हो जाता है। साथ ही यह बतलाया है कि जिस (पितृतृप्ति उद्देश्य की) श्रद्धा से उसका विधान किया जाता है वह श्रद्धा ही निरर्थक है—उसमें कुछ सार ही नहीं—इस श्राद्धसे पितरोंकी कोई तृप्ति नहीं होती किन्तु ब्राह्मणों की तृप्ति होती है। इसी तरह पर उक्त पुराण के १३ वें अध्याय में भी दिगम्बर जैनों की श्रद्धा से श्राद्ध के निषेध का उल्लेख मिलता है।

ऐसी हालत में जैनग्रंथों से श्राद्धादि के निषेध—विषयक अवतरणों के देने की—जो बहुत कुछ दिये जा सकते हैं—यहाँ कोई ज़रूरत मालूम नहीं होती। जैनसिद्धांतों से वास्तव में इन विषयों का कोई संबंध ही नहीं है। और अब तो बहुत से हिंदू भाइयों की भी श्रद्धा श्राद्ध पर से उठती जाती है और वे उसमें कुछ तत्व नहीं देखते। हाल में स्वर्गीय गगननाथ गौधीजी के विवेकी वीरपुत्र केशव माई ने अपने पिता की मृत्यु के १० वें दिन जो मार्भिक उद्गार महात्मा गौधीजी पर प्रकट किये हैं और जिन्हें महात्माजी ने बहुत पसंद किया तथा कुटुम्बीत्वनेने भी अपनाया वे इस विषय में बड़ा ही महत्व रखते हैं और उनसे कितनी ही उपयोगी शिक्षा मिलती है। वे उद्गार इस प्रकार हैं:—

“श्राद्ध करने में मुझे श्रद्धा नहीं है। और असत्य तथा मिथ्या का आचरण कर मैं अपने पिता का तर्पण

कैसे करूँ? इसकी अपेक्षा तो जो वस्तु पिताजीको प्रिय थी वही करूँगा। गीता का पारायण्य तीन दिन करूँगा और तीनों दिन १२ घण्टे रोज़ चर्चा चलाऊँगा"।—हि० नव०

परंतु हमारे सोनीबी, जैन पंडित होकर भी, अगीतकं सकीर के फकीर बनने हुए हैं, 'बाबावाक्यं प्रमाखं' की नीति का अनुसरण करना ही अपना कर्तव्य समझते हैं और लोगों को 'अन्धश्रद्धालु' बनने तथा बने रहने का उपदेश देते हैं, यह बड़ा ही आश्चर्य है !! उन्हें कम से कम केशव माई के इस उदाहरण से ही कुछ शिक्षा लेनी चाहिये।

मेरा विचार था कि मैं और भी कुछ विरुद्ध कथनों को दिखलाऊँ, विरुद्ध कथनों के कितने ही शीर्षक नोट किये हुए पड़े हैं—सासफर 'त्रिवर्णाचार के पूज्य देवता' शीर्षक के नीचे मैं कुदेवों की पूजा को दिखला कर उसकी विस्तृत व्याख्यान करना चाहता था परंतु उसके लिये सन्ना सिखने की जरूरत थी और खेच बहुत बढ़ गया है इसलिये उस विचार को भी छोड़ना ही पड़ा। मैं समझता हूँ विरुद्ध कथनों का यह सब दिग्दर्शन काफ़ी से भी ज़्यादा हो गया है और इसलिये इतने पर ही सन्तोष किया जाता है।

इन सब विरुद्ध कथनों के मौजूद होते हुए और अनेक विषयों तथा वाक्यों के इतने मारी सप्रहकी उपस्थितिमें—अथवा ग्रंथकी स्थिति के इस दिग्दर्शन के सामने—सोनीबी के निम्न वाक्यों का कुछ भी मूल्य नहीं रहता, जो उन्हें ग्रंथ के अनुवाद की भूमिका में दिये हैं:—

(१) "हमें तो ग्रंथ-परिशीलन से यही मालूम हुआ कि प्रथकर्ता की जैनधर्म पर असीम शक्ति थी, अनेक विषयों से वे परखे करते थे। लोग सामुदायिक अपनी स्वार्थसिद्धि के लिये उनपर अवलंबवाद लगाते हैं।"

(२) "ग्रंथ की मूल मिति आदिपुराण पर से खड़ी हुई है।"

..... "इस ग्रंथ के विषय ऋषिप्रणीत आगम में कहीं संश्लेष से और

कहीं विस्तार से पाये जाते हैं। अतएव हमें तो इस ग्रंथ में न अप्रमाणात्ता ही प्रतीत होती है और न आगमविरुद्धता ही।”

मालूम होता है ये वाक्य गहज लिखने के लिये ही लिखे गये हैं, अथवा ग्रंथ का रंग जमाना ही इनका एक उद्देश्य जान पड़ता है। अन्यथा, ग्रंथ के परिशिष्टान, तुलनात्मक अध्ययन और विषय की गहरी जाँच के साथ इनका कुछ भी सम्बंध नहीं है। सोनीजी के हृदय में यदि किसी समय विवेक जागृत हुआ तो उन्हें अपने इन वाक्यों और इसी प्रकार के दूसरे वाक्यों के लिये भी, जिन में से कितने ही ऊपर यथास्थान उद्धृत किये जा चुके हैं, खर खर होकर और आश्चर्य अथवा असंभव नहीं जो वे अपनी भूल को स्वीकार करें। यदि ऐसा हो सका और शैतान ने कान में फूँक न मारी तो यह उनके लिये निःसन्देह बड़े ही गौरव का विषय होगा। अस्तु।

उपसंहार।

त्रिवर्णाचार की इस सम्पूर्ण परीक्षा और अनुवाद-विषयक आलोचना पर से सहृदय पाठकों तथा विवेकशील विचारकों पर ग्रंथ की असक्षियत खुले बिना नहीं रहेगी और वे सहज ही में यह नतीजा निकाल सकेंगे कि यह ग्रंथ निसे महारकनी 'निनेन्द्रागम' तक लिखते हैं वास्तव में कोई जैनग्रंथ नहीं किंतु जैनग्रंथों का कलंक है। इसमें रत्नकरणवशावकाचारादि जैसे कुछ वर्षों के वाक्यों का जो संग्रह किया गया है वह ग्रंथकर्ता की एक प्रकार की चालाकी है, धोखा है, मुलम्मा है, अथवा विरुद्धकथनरूपी बाली-सिकों को चलाने आदि का एक साधन है। महारकनी ने उनके सहारे से अथवा उनकी ओट में उन मुसलमानों की तरह अपना उरलू सीधा करना चाहा है जिन्होंने भारत पर आक्रमण करते समय गौर्षों के एक समूह को अपनी सेना के आगे कर दिया था। और जिस प्रकार गोहत्या के मय से हिन्दूओं

ने उनपर आक्रमण नहीं किया उसी प्रकार शायद आर्यवासियों की अवहेलना का कुछ जयाज करके उन जैन विद्वानों से जिनके परिचय में यह ग्रंथ अबतक आता रहा है इसका जैसा चाहिये वैसा विरोध नहीं किया। परन्तु आर्यवासियों और आर्यवासियों के असुख्य कहेगये दूसरे प्रतिष्ठित विद्वानों के वाक्य अपने अपने त्वाज पर मानवीय तथा पूजनीय हैं; महारकजी ने उन्हें यहाँ जैनधर्म, जैनसिद्धान्त, जैननीति तथा जैनशिष्टाचार आदि से विरोध रखने वाले और जैनादर्श से गिरे हुए कथनों के साथ में गूँप कर अथवा मिटाकर उनका दुरुपयोग किया है और इस तरह पर समूचे ग्रंथ को विषमिश्रित भोजन के समान बना दिया है, जो त्याग किये जाने के योग्य है। विषमिश्रित भोजन का विरोध जिस प्रकार भोजन का विरोध नहीं कहता उसी तरह पर इस त्रिवर्णाचार के विरोध को भी आर्यवासियों अथवा जैनशास्त्रों का विरोध या उनकी कोई अवहेलना नहीं कहा जा सकता। जो लोग भ्रमणशील अतीतक इस ग्रंथ को किसी और ही रूप में देख रहे थे—जैन शास्त्र के नाम की सुहर लगी होने से इसे साक्षात् जिनशास्त्री अथवा जिनशास्त्री के तुल्य समझ रहे थे और इसलिये इसकी प्रकट विरोधी बातों के लिये भी अपनी समझ में न आने वाले अविरोध की कल्पनाएँ करके शान्त होते थे—उन्हें अपने उस अज्ञान पर घब बरकर खेद होगा, वे भविष्य में बहुत कुछ उत्तर्क तथा साधवान हो जायेंगे और योंही इन त्रिवर्णाचार जैसे महारकजीय ग्रंथों के आगे सिर नहीं झुकायेंगे। वास्तव में, यह सब ऐसे ग्रंथों का ही प्रताप है जो जैन-समाज अपने आदर्श से गिरकर बिनाकुछ ही अनुदार, अन्धभ्रद्वाह्य तथा संकीर्णहृदय बन गया है, उसमें अनेक प्रकार के मिथ्यात्वादि कुसंस्कारों ने अपना घर बना लिया है और वह बुरी तरह से कुरीतियों के जाख में

कैसा हुआ है। साथ ही, उसके व्यक्तियों में आम, तौर, पर, ढूँढने पर भी जैनत्व का कोई खास लक्षण दिखाई नहीं पड़ता। इन सब त्रुटियों को दूरकरके अपना उद्धार करने के लिये समाज को ऐसे विकृत तथा दूषित साहित्य से अपने व्यक्तियों को सुरक्षित रखना होगा और ऐसे बाबी, दोगी तथा कपटी ग्रंथों का सबल विरोध करके उनके प्रचार को रोकना होगा। साथ ही, विचारस्वातंत्र्य को उत्तेजन देना होगा, जिससे सत्य असत्य, योग्य अयोग्य और हेयादेय की खुली जाँच हो सके और उसके द्वारा समाज के व्यक्तियों की साम्प्रदायिक मोहमुग्धता तथा अन्धी अज्ञान दूर होकर उन्हें यथार्थ वस्तुस्थिति के परिज्ञान-द्वारा अपने विकास का ठीक मार्ग सूझ पड़े और उसपर चलने का यथेष्ट साहस भी बन सके। इन्हीं सदुद्देश्यों को लेकर इस परीक्षा के लिये इतना परिश्रम किया गया है। आशा है इस परीक्षा से वहुतों का अज्ञान दूर होगा, भ्रष्टकारीय साहित्य के कितने ही विषयों पर अच्छा प्रकाश पड़ेगा और उससे जैन अजैन सभी भाई लाभ उठाएँगे।

अन्त में सब के लपासक सभी जैन विद्वानों से मेरा सादर निवेदन है कि वे-लेखक के इस सम्पूर्ण कृपण तथा विवेचन की यथेष्ट जाँच करें और साथ ही भ्रष्टकारीय के इस ग्रंथ पर अब अपने सुबे विचार प्रकट करने की कृपा करें। यदि परीक्षा से उन्हें भी यह ग्रंथ ऐसा ही निकृष्ट तथा हीन लगे तो समाजहित की दृष्टि से उनका यह बखर कर्तव्य होना चाहिये कि वे इसके विकृत अपनी आवाज उठाएँ और समाज में इसके विरोध को उचित करें, जिससे धूर्तोंकी की हुई जैनशासन की यह गतिनता दूर हो सके। इत्यन्तम्।

सरलाबा जि० सद्धारनपुर
व्येष्ट कु० १३, सं० १६८५ }

जुगलकिशोर मुख्तार

धर्मपरीक्षाकी परीक्षा ।

कृत्वा कृतीः पूर्वकृताः पुरस्तात्प्रत्यादरं ताः पुनरीक्षमाणः ।
सथैव जल्पेदथ योन्यथा वा स काव्यचोरोऽस्तु स पातकी च ॥

—सोमवेशः ।

श्वेताम्बर जैनसम्प्रदायमें, श्रीधर्मसागर महोपाध्यायके शिष्य पद्म-
सागर गणिका बनाया हुआ 'धर्मपरीक्षा' नामका एक संस्कृत ग्रंथ है,
जिसे, कुछ समय हुआ, सेठ देवचंद्रबालारामाईके जैनपुस्तकालयार फंड बम्बईमें
छपाकर प्रकाशित भी किया है । यह ग्रंथ संवत् १६४५ का बना हुआ
है । जैसा कि इसके अन्तमें दिये हुए निम्नपद्यसे प्रकट है:—

तद्वाज्ये विजयिन्यनन्यमतयः श्रीवाचकाग्रेसरा
द्योतन्ते मुवि धर्मसागरमहोपाध्यायशुद्धा धिया ।
तेषां शिष्यकणेन पंचयुगपट्चंद्रांकिते (१६४५) वत्सरे
षेलाकृतपुरे स्थितेग रचितो ग्रन्थोऽयमानन्दनः ॥१४८३॥

दिगम्बर जैनसम्प्रदायमें भी 'धर्मपरीक्षा' नामका एक ग्रंथ है जिसे
श्रीमाधवसेनाचार्यके शिष्य अमिनगति नामके आचार्यने विक्रमसंवत्
१०७० में बनाकर समाप्त किया है । यह ग्रंथ भी छपकर प्रकाशित हो
चुका है । इस ग्रंथका रचना-संवत् सूचक अन्तिम पद्य इसप्रकार है:—

सप्तसराणां विपत्ते सहस्रे, सप्तततौ (१०७०) विक्रमपार्थिवस्य ।
इदं निविध्यान्यमतं समाप्तं, जिनेन्द्रधर्माभित्तयुक्तिशालम् ॥ २० ॥

इन दोनों ग्रंथोंका प्रतिपाद्य विषय प्रायः एक है । दोनोंमें 'मनोवेग'
और 'पवनवेग' की प्रधान कथा और उसके अंतर्गत अन्य अनेक उप-
कथाओंका सनान रूपसे वर्णन पाया जाता है; बल्कि एकका सारहित दूसरे

के साहित्यसे यहाँ तक गिनता जुलता है कि एकको दूसरेकी नकल कहना कुछ भी अनुचित न होगा । चैतान्दर 'धर्मपरीक्षा' जो इस लेखका परीक्षा विषय है, दिगम्बर 'धर्मपरीक्षा' से ५७५ वर्ष बादकी बनी हुई है । इसलिये यह कहनेमें कुछ भी संकोच नहीं हो सकता कि पद्मसागर गणानि अपनी धर्मपरीक्षा अमितगतिकी 'धर्मपरीक्षा' परसे ही बनाई है और वह प्रायः उसकी नकल मात्र है । इस नकलमें पद्मसागर गणानि अमितगतिके आशय, ढंग (शैली) और भाषाकी ही नकल नहीं की, बल्कि उसको अविकाराय पद्योंकी प्रायः अक्षरशः नकल कर डाली है और उस सबको अपनी कृति बनाया है, निस्सका खुलासा इस प्रकार है:—

पद्मसागर गणानि धर्मपरीक्षामें पद्योंकी संख्या कुल १४८४ है । इनमेंसे चार पद्य प्रशास्तिके और छह पद्य मंगलाचरण तथा प्रतिज्ञाके निकालकर शेष १४७४ पद्योंमेंसे १२६० पद्य ऐसे हैं, जो अमितगति की धर्मपरीक्षासे ज्योंके ल्यों उठाकर रखे गये हैं । बाकी रहे २१४ पद्य, वे सब अमितगतिके पद्यों परसे कुछ परिवर्तन करके बनाये गये हैं । परिवर्तन प्रायः छंदोभेदकी विशेषताको लिये हुए है । अमितगति की धर्मपरीक्षान्त पहला परिच्छेद और शेष १६ परिच्छेदोंके अन्तके कुछ कुछ पद्य अनुष्टुप् छन्दमें न होकर दूसरेही छंदमें रचे गये हैं । पद्मसागर गणानि उनमेंसे जिन जिन पद्योंको लेना उचित समझा है, उन्हें अनुष्टुप् छन्दमें बदलकर रख दिया है, और इस तरहपर अपने ग्रंथमें अनुष्टुप् छंदोंकी एक लम्बी धारा बहाई है । इस धारामें आपने परिच्छेद-भेदको भी बहा दिया है । अर्थात्, अपने ग्रंथको परिच्छेदों या अध्यायोंमें विभक्त न करके उसे बिना हॉलटिंग स्टेशन वाली एक लम्बी और सीधी सड़कके रूपमें बना दिया है । परन्तु अन्तमें पाँच पद्योंको, उनकी रचनापर ओहित होकर अपना उन्हें सहजमें अनुष्टुप् छंदका रूप न देसकने आदि किसी कारणाविशेषसे, ज्योंका ल्यों भिन्न

निम्न छंदोंमें भी रहने दिया है; जिससे अन्तमें जाकर ग्रंथका अनुष्ठुप्-
छंदी नियम भंग हो गया है। अस्तु; इन पाँचों पद्योंमेंसे पहला पद्य
रामूलेके तौरपर इस प्रकार है:—

इदं व्रतं द्वादशमेदमिच्छं, यः आवकीयं जिननाथदण्डम् ।

करोति संसारनिपातभीतः प्रयाति कहयाणमसौ धमस्वम् ॥१४७६॥

यह पद्य अमितगति-परीक्षाके १२ वें परिच्छेदमें नं० ६७ पर
दर्ज है। इस पद्यके बाद एक पद्य और इसी परिच्छेदका देकर तीन पद्य
२० वें परिच्छेदसे उठाकर रक्खे गये हैं, जिनके नम्बर उक्त परिच्छेदमें
क्रमशः ८७, ८८ और ८९ दिये हैं। इस २० वें परिच्छेदके शेष सम्पूर्ण
पद्योंको, जिनमें धर्मके अनेक नियमोंका निरूपण था, ग्रंथकर्ताने छोड़
दिया है। इसी प्रकार दूसरे परिच्छेदोंमें भी कुछ कुछ पद्य छोड़े गये हैं,
जिनमें किसी किसी विषयका विशेष वर्णन था। अमितगति धर्मपरीक्षाकी
पद्यसंख्या कुल १२४१ है जिनमें २० पद्योंकी प्रशस्ति भी शामिल है;
और पद्मसागर-धर्मपरीक्षाकी पद्यसंख्या प्रशस्तिसे अलग १४८० है;
जैसा कि ऊपर आहिर किया जा चुका है। इसलिए सम्पूर्ण छोड़े हुए पद्योंकी
संख्या लगभग ४४० समझनी चाहिए। इस तरह लगभग ४४०
पद्योंको निकासकर, २१४ पद्योंमें कुछ छंदादिकका परि-
वर्तन करके और शेष १२६० पद्योंकी ज्योंकी त्यों नज़र
उतारकर ग्रंथकर्ता श्रीपद्मसागर गणीने इस 'धर्मपरीक्षा'
को अपनी कृति बनानेका पुण्य सम्पादन किया है। जो लोग
दूसरोंकी कृतिको अपनी कृति बनाने रूप पुण्य सम्पादन करते हैं उनसे यह
आशा रखना तो व्यर्थ है कि वे उस कृतिके मूलकर्ताका आदरपूर्वक स्मरण
करेंगे, प्रत्युत उनसे जहाँतक बन पड़ता है, वे उस कृतिके मूलकर्ताका नाम
झिपाने या मिटानेकी ही चेष्टा किया करते हैं। ऐसा ही यहाँपर पद्मसागर
गणीने भी किया है। अमितगतिका कृतज्ञतापूर्वक स्मरण करना तो दूर

रहा, आपने अपनी शक्तिपर यहाँ तक चेष्टाकी है कि ग्रंथभरमें अमितगतिका नाम तक न रहने पावे और न दूसरा कोई ऐसा शब्द ही रहने पावे जिससे यह ग्रंथ स्पष्ट रूपसे किसी दिग्म्बर जैनकी कृति समझ लिया जाय । उदाहरणके तौरपर यहाँ इसके कुछ नमूने दिखलाये जाते हैं:—

१-श्रुत्वा चाद्यमशेषकल्मषमुषां साधोर्गुणाशंखिनीं
नत्वा केवक्षिपादपंकजयुगं मर्त्यामरेन्द्रार्चितम् ।
आत्मानं व्रतरत्नमूषितमसौ चक्रे विशुद्धाशयो ॥
अन्यः प्राप्य धर्तारिरोऽमितगततेजसाः कथं कुर्वते ॥१०१॥

यह पद्य अमितगतिकी धर्मपरीक्षाके १६ वें परिच्छेदका अन्तिम पद्य है । इसमें मुनिमहाराजका उपदेश सुनकर पवनवंगके श्रावकव्रत धारण करनेका उल्लेख करते हुए, चौथे चरणमें लिखा है कि 'मन्यपुरुष अपरिमित ज्ञानके धारक मुनिके उपदेशको पाकर उसे व्यर्थ कैसे कर सकते हैं ।' साथ ही, इस चरणमें अमितगतिने अन्यपरिच्छेदोंके अन्तिम पद्योंके समान युक्तिपूर्वक गुप्तरीतिसे अपना नाम भी दिया है । पद्यसागर, गृणीको अमितगतिकी यह गुप्त नाम भी असह्य हुआ और इसलिए उन्होंने अपनी धर्मपरीक्षामें, इस पद्यको नं० १४७७ पर ज्योंका त्यों उद्धृत करते हुए, इसके अन्तिम चरणको निम्न प्रकारसे बदल दिया है:—

“मित्राद्गुप्तमतो न किं भुवि नरः प्राप्नोति सद्ब्रह्मवदो ।”

इस तबदीकीसे प्रकट है कि यह केवल अमितगतिका नाम मिटानेकी गरजसे ही की गई है । अन्यथा, इस परिवर्तनकी यहाँपर कुछ भी जरूरत न थी ।

२-स्यक्तवाह्यान्तरग्रंधो निःकपायो जितेंद्रियः ।

परीषदसहः साधुर्जातरूपधरो मतः ॥१८—७६॥

इस पद्यमें अमितगतिने साधुका लक्षण 'जातरूपधरः' अर्थात् नग्नदिग्म्बर बतलाया है । साधुका लक्षण नग्नदिग्म्बर-प्रातिपादन करनेसे कहीं दिग्म्बर जैनधर्मको प्रधानता प्राप्त न हो जाय, अथवा यह ग्रंथ

किसी दिगम्बर जैनकी कृति न समझ लिया जाय, इस मयसे गयीजी महाराजने इस पद्यकी जो कायापकट की है वह इस प्रकार है:—

त्यक्तथाह्यान्तरो ग्रंथो निष्क्रियो विजितेन्द्रियः ।

परीपहसहः साधुर्भवाम्भोनिधितारकः ॥१३७६॥

यहाँ 'जातरूपधरो ज्ञतः' के स्थानमें 'भवाम्भोनिधितारकः' (संसारसमुद्रसे पार करनेवाला) ऐसा परिवर्तन किया गया है। साथ ही, 'निःकषायः' की जगह 'निष्क्रियः' भी बनाया गया है, जिसका कोई दूसरा ही रहस्य होगा।

३-कन्ये नन्दामुनश्शक्ये कच्छस्य नृपतेर्द्वेषा ।

जिनेन योजयामास नीतिकीर्ती इवामले ॥१८-१४॥

दिगम्बरसम्प्रदायमें, ऋषभदेवका विवाह राजा कच्छकी नन्दा और सुनन्दा नामकी दो कन्याओंके साथ होना माना जाता है। इसी बातको लेकर अमिगतिये उसका ऊपरके पद्यमें उल्लेख किया है। परन्तु श्वेताम्बरसम्प्रदायमें, ऋषभदेवकी स्त्रियोंके नामोंमें कुछ भेद करते हुए, दोनों ही स्त्रियोंको राजा कच्छकी पुत्रियाँ नहीं माना है। बल्कि सुमंगलाको स्वयं ऋषभदेवके साथ उत्पन्न हुई उनकी सगी बहन बतलाया और सुनन्दाको एक दूसरे युगलियेकी बहन बयान किया है जो अपनी बहनके साथ खेळता हुआ अचानक बाल्यावस्थामें ही मर गया था। इसलिए पद्यसागरजी ने अमिगतिके उक्त पद्यको बदलकर उसे नीचेका रूप दे दिया है, जिससे यह ग्रंथ दिगम्बर ग्रंथ न समझा जाकर श्वेताम्बर समझ लिया जाय:—

सुमंगलासुनन्दाष्ये कन्ये सह पुरन्दरः ।

जिनेन योजयामास नीतिकीर्ती इवामले ॥ १३७७ ॥

इस प्रकार, यद्यपि ग्रंथकर्ता महाशयने अमिगतिकी कृतिपर अपना कर्तृत्व और स्वामित्व स्थापित करने और उसे एक श्वेताम्बर ग्रंथ बनानेके लिए बहुत कुछ अनुचित चेष्टाएँ की हैं, परन्तु तो भी वे इस (धर्मपरीक्षा)

ग्रंथ को पूर्णतया श्वेताम्बर ग्रंथ नहीं बना सके । बल्कि अनेक पद्योंको निकाल डालने, परिवर्तित कर देने तथा अ्योंका त्यों कायम रखनेकी वजहसे इनकी यह रचना कुछ ऐसी चिखलच्छण और दोषपूर्ण होगई है, जिससे ग्रंथकी चोरीका सारा भेद खुल जाता है । साथही, ग्रंथकर्ताकी योग्यता और उनके दिग्ग्वर तथा श्वेताम्बर धर्मसम्बन्धी परिज्ञान आदिकर भी अच्छा परिचय मिल जाता है । पाठकोंके सन्तोषार्थ यहाँ इन्हीं सब बातोंका कुछ दिग्दर्शन कराया जाता है:—

(१) अमितगति—धर्मपरीक्षाके पाँचवें परिच्छेदमें, 'वक्र' नामके द्विष्ट पुरुषकी कथाका वर्णन करते हुए, एक स्थान पर लिखा है—जिस समय 'वक्र' मरणासन्न हुआ तब उसने, अपने 'स्कंद' नामक शत्रुका समूल नाश करनेके लिए, पुत्रपर अपनी आन्तरिक इच्छा प्रकटकी और उसे यह वपाय बतलाया कि 'जिस समय मैं मर जाऊँ उस समय तुम मुझे मेरे शत्रुके खेतमें ले जाकर लकड़ीके सहारे खड़ा कर देना । साथही, अपने समस्त गाय, भैंस तथा घोड़ोंके समूहको उसके खेतमें छोड़ देना, जिससे वे उसके समस्त धान्यका नाश कर देंगे । और तुम किसी वृद्ध या घासकी ओटमें मेरे पास बैठकर स्कंदके आगमनकी प्रतीक्षा करते रहना । जिस वक्त वह क्रोधमें आकर मुझपर प्रहार करे तब तुम सब लोगोंको सुनानेके लिए बोरसे चिप्ला उठना और कहना कि स्कंदने मेरे पिताको मार डाला है ।' ऐसा करनेपर राजा स्कंदद्वारा मुझे मरा जान कर स्कंदको दण्ड देगा, जिससे वह पुत्रसहित मर जायगा ।' इस प्रकारके तीन पद्य इस प्रकार हैं:—

एव यथा क्षयमेति समूलं कंचन कर्म तथा कुरु वत्स ।

येन वसामि चिरं सुरलोके हृष्टमनाः कमनीयशरीरः ॥ ८८ ॥

क्षेत्रममुष्य विनीय मृतं मां यष्टिमियज्यतनुं सुत कृत्वा ।

धौमद्विपीहयवृन्दमशेषं शस्यसमूहविनाशि क्षिमुं च ॥ ८९ ॥

• वृक्षतणान्तरितो मम तीरे तिष्ठ निरीक्षितुमागतिस्य ।
कोपपरेण कृते मम घाते पूरकुरु सर्वजनधवणाय ॥ १० ॥

इन तीनों पद्योंके स्थानमें पद्मसागर गणीने अपनी धर्मपरीक्षामें निम्नलिखित दो पद्य अनुष्टुप् छन्दमें दिये हैं:—

समूर्जं क्षयमेत्येष यथा कर्म तथा कुरु ।

वसामि यत्स्फुरद्देहः स्वर्गे हृष्टमनाः सुखम् ॥ २८३ ॥

वृक्षाद्यन्तरितस्तिष्ठ त्वमस्यागतिमीक्षितुम् ।

आयातेऽस्मिन्मृतं हत्वा मां पूरकुरु जनश्रुतेः ॥ २८४ ॥

इन पद्योंका अमितगतिके पद्योंके साथ मिलाव करनेपर पाठकोंको सहजमें ही यह मालूम हो जायगा कि दोनों पद्य क्रमशः अमितगतिके पद्य नं० ८८ और १० परसे कुछ छोड़ छाड़कर बनाये गये हैं और इनमें अमितगतिके शब्दोंकी प्रायः नकल पाई जाती है । परन्तु साथही उन्हें यह जाननेमें भी बिचम्र न होगा कि अमितगतिके पद्य नं० ८१ को पद्मसागरजीने बिलकुल ही छोड़ दिया है—उसके स्थानमें कोई दूसरा पद्य भी बनाकर नहीं रक्खा । इसलिए उनका पद्य नं० २८४ बका ही विचित्र मालूम होता है । उसमें उस उपायके सिर्फ उत्तरार्धका कथन है, जो बकने मरने समय अपने पुत्रको बतलाया था । उपायका पूर्वार्ध न होनेसे यह पद्य इतना असम्बद्ध और बेहंगा होगया है कि प्रकृत ऋषयसे उसकी कुछ भी संगति नहीं बैठती । इसी प्रकारके पद्य और भी अनेक स्थानोंपर पाये जाते हैं, जिनके पहलेके कुछ पद्य छोड़ दिये गये हैं और इसलिये वे परकटे हुए कबूतरकी समान लँडूरे मालूम होते हैं ।

(२) अमितगतिके अपनी धर्मपरीक्षाके १५ वें परिच्छेदमें, 'युक्तितो घटते यज्ञ' इत्यादि पद्य नं० ४७ के बाद, जिसे पद्मसागरजीने भी अपने ग्रंथमें नं० १०८१ पर उधोंका जो उद्धृत किया है, नीचे लिखे दो पद्यों-द्वारा एक छोके पंच मर्चार होनेको अति निथ कर्म ठहराया है; और इस तरह

पर द्रौपदीके पंचपति होनेका निषेध किया है। वे दोनों पक्ष इस प्रकार हैं:—

सम्भ्रंशा भुवि विद्यन्ते सर्वे सर्वस्य मूरिशः ।

भर्तृणां क्वापि पंचानां नैकया भार्यया पुनः ॥४५॥

सर्वे सर्वेषु कुर्वन्ति संविभारं महाधियः ।

महिष्नासविभागस्तु निन्द्यानामपि निन्दितः ॥४६॥

पद्मसागरजीने यद्यपि इन पक्षोंसे पहले और पीछेके बहुतसे पक्षोंकी एकदम ज्योंकी त्यों नकल कर डाली है, तो भी आपने इन दोनों पक्षोंको अपनी धर्मपरीक्षामें स्थान नहीं दिया। क्योंकि श्वेताम्बर सम्प्रदायमें, हिन्दुओंकी तरह, द्रौपदीके पंचमर्तार ही माने जाते हैं। पौषों पाँडवोंके गलेमें द्रौपदीने वरमात्रा डाली थी और उन्हें अपना पति बनाया था, ऐसा कथन श्वेताम्बरोंके 'त्रिशष्टिशलाकापुरुषचरित' आदि अनेक ग्रंथोंमें पाया जाता है। उक्त दोनों पक्षोंको स्थान देनेसे यह ग्रंथ कहीं श्वेताम्बर-धर्मके अहंतेसे बाहर न निकल जाय, इसी मयसे शापद गण्डीनी महाराजने उन्हें स्थान देनेका साहस नहीं किया। परन्तु पाठकोंको यह जानकर आश्चर्य होगा कि गण्डीनीने अपने ग्रंथमें उस श्लोकको ज्योंका त्यों रहने दिया है जो आशेषके रूपमें ब्राह्मणोंके सम्मुख उपस्थित किया गया था और जिसका प्रतिवाद करनेके लिए ही अमितगति आचार्यको उक्त दोनों पक्षोंके लिखनेकी जरूरत पड़ी थी। वह श्लोक यह है:—

द्रौपद्याः पंच भर्तारः कथ्यन्ते यत्र पावृष्टयाः ।

जनन्यास्तत्र को दोपस्तत्र भर्तृद्वये सति ॥ ६७६ ॥

इस श्लोकमें द्रौपदीके पंचमर्तार होनेकी बात कटाक्ष रूपसे कही गई है। जिसका आगे प्रतिवाद होनेकी जरूरत थी और जिसे गण्डीनीने नहीं किया। यदि गण्डीनीको एक श्लोकके अनेक पति होना अविष्ट न था तब आपको अपने ग्रंथमें यह श्लोक भी रखना उचित न था और न इस विषयकी कोई चर्चा ही बखानेकी जरूरत थी। परन्तु आपने ऐसा न करके अपनी

धर्मपरीक्षामें एक श्लोक और उसके सम्बंधकी दूसरी चर्चाको, बिना किसी प्रतिपादके, ज्योंका त्यों स्थिर रक्खा है; इस लिए कहना पड़ता है कि आपने ऐसा करके निःसन्देह मारी भूल की है। और इससे आपकी योग्यता तथा विचारशीलताका भी बहुत कुछ परिचय मिल जाता है।

(३) श्वेताम्बरी धर्मपरीक्षामें, एक स्थानपर, ये तीन पद्य दिये हैं—

विलोक्य वेगतः सर्वा क्रमस्योपरि मे क्रमः ।

भग्नो मुशालमादाय दत्तनिष्ठुरघातया ॥ ५१५ ॥

अथैतयोर्महाराटिः प्रवृत्ता दुर्निवारणा ।

लोकानां प्रेक्षणीमूता राक्षस्योरिष रुष्टयोः ॥ ५१६ ॥

अरे ! रक्षतु ते पादं त्वदीया जननी स्वयम् ।

रुष्टस्यार्या निगद्येति पादो भग्नो द्वितीयकः ॥ ५१७ ॥

इन पद्योंमेंसे पहले पद्य ज्योंका त्यों वही है जो शिवम्बरी धर्मपरीक्षाके ९वें परिच्छेदमें नं० २७ पर दर्ज है। दूसरे पद्यमें सिर्फ 'इत्थं तयोः' के स्थानमें 'अथै-
तयोः' का और तीसरे पद्यमें 'बोड्डे' के स्थानमें 'अरे' और 'रुष्टयस्यार्या' के स्थानमें 'रुष्टस्यार्या' का परिवर्तन किया गया है। पिछले दोनों पद्य शिवम्बरी धर्मपरी-
क्षाके एक परिच्छेदमें क्रमशः नं० ३२ और ३३ पर दर्ज हैं। इन दोनों पद्योंसे पहले
अमितगतिने ओ चार पद्य और दिये थे और जिनमें 'ऋक्षी' तथा 'खरी' नामकी दोनों
स्त्रियोंके वामपुत्रका वर्णन था उन्हें पद्मसामरजीने अपनी धर्मपरीक्षासे निकाल दिया है।
अस्तु; और इन बातोंको छोड़कर, वहाँ पाठकोंका ध्यान उस परिवर्तनकी ओर आकर्षित किया
जाता है जो 'रुष्टयस्यार्या' के स्थानमें 'रुष्टस्यार्या' बनाकर किया गया है। यह परि-
वर्तन वास्तवमें बड़ा ही विचक्षण है। इसके द्वारा यह विचित्र अर्थ पटित किया गया
है कि जिस खरी नामकी स्त्रीने पहले ऋक्षीके उपास्य चरणको तोड़ डाला था उसीने
ऋक्षीको यह वैलेंज देते हुए कि 'के ! अब तू और तेरी मा अपने चरणकी रक्षा कर'
स्वयं अपने उपास्य दूसरे चरणको भी तोड़ डाला। परन्तु खरीको अपने उपास्य चरण
पर क्रोध आने और उसे तोड़ डालनेकी कोई धबह न थी। यदि ऐसा मान लीया
जाय तो एक वैलेंजमें जो कुछ कहा गया है वह सब व्यर्थ पड़ता है। क्योंकि जब
खरी ऋक्षीके उपास्य चरणको पहले ही तोड़ चुकी थी, तब उसका ऋक्षीसे यह कहना
कि 'के ! अब तू अपने चरणकी रक्षा कर मैं उस पर आक्रमण करती हूँ' निरर्थक ही
भया और असमंजस माझम होता है। वास्तवमें, दूसरा चरण ऋक्षीके द्वारा, अपना
बदला चुकानेके लिए, तोड़ा गया था और उसीने खरीको छत्कार कर उपर्युक्त वाक्य
कहा था। प्रथमदर्शने इसपर कुछ भी ध्यान न देकर बिना सोचे समझे वैसे ही परि-
वर्तन कर डाला है, जो बहुत ही भया माझम होता है।

(४) अमितगति—धर्मपरीक्षाके छोटे परिच्छेदमें, 'यद्वा' ब्राह्मणी और उसके चारपति 'बटुक' का उल्लेख करते हुए, एक पद्य इस प्रकारसे दिया है—

प्रपेदे स घञस्तस्या निःशेषं ह्यष्टमानसः ।

जायन्ते नेदृशो कार्ये दुष्प्रबोधा हि कामिनः ॥ ४४ ॥

इस पद्यमें लिखा है कि 'उस कामी बटुकने यद्वाकी आत्माको (जो अपने निकल भागनेका उपाय करनेके लिए दो युद्धे करनेके विषयमें थी) बड़ी प्रसन्नताके साथ पाळन किया; सच है कामी पुरुष ऐसे कार्योंमें दुष्प्रबोध नहीं होते । अर्थात्, वे अपने कामकी बातको कठिनतासे समझनेवाले व होकर शीघ्र समझ लेते हैं । पद्य-सागरजीने यही पद्य अपनी धर्मपरीक्षामें वं० ११५ पर दिया है परन्तु साथ ही इसके उत्तरार्थको निम्न प्रकारसे बदलकर रक्खा है:—

“ न जाता तस्य शंकापि दुष्प्रबोधा हि कामिनः ॥ ”

इस परिवर्तनके द्वारा यह सूचित किया गया है कि ' उस बटुकको उक्त आत्माके पाळनमें शंका भी नहीं हुई, सच है कामी जोय कठिनतासे समझनेवाले होते हैं ' । परन्तु बटुकने तो यद्वाकी आत्माको पूरी तौरसे समझकर उसे बिना किसी शंकाके प्रसन्नताके साथ शीघ्र पाळन किया है तब वह कठिनतासे समझनेवाला ' दुष्प्रबोध ' क्यों ! यह बात बहुत ही खटकनेवाली है; और इस लिए ऊपरका परिवर्तन क्या ही बेतुंगा भाव्य होता है । वही भाव्य ग्रंथकर्ताने इस परिवर्तनको करके पद्यमें कौनसी खूबी पैदा की और क्या काम उठवा । इस प्रकारके व्यर्थ परिवर्तन और भी अनेक स्थानोंपर पाए जाते हैं जिनसे ग्रंथकर्ताकी योग्यता और व्यर्थाचरणका अच्छा परिचय मिलता है ।

श्वेताम्बरशास्त्र-विरुद्ध कथन ।

(५) पद्यसागर गणीने, अमितगतिके पद्योंकी ज्योंकी त्यों नकल करते हुए, एक स्थान पर ये दो पद्य दिये हैं:—

ध्रुवा लुब्धा भयद्वेषी रागो मोहो भवो गदः ।

चिन्ता खन्ध जरा मृत्युर्विषादो विस्मयो रतिः ॥ ८९२ ॥

खेदः स्वेदस्तथा निद्रा दोषाः साधारणा इमे ।

अष्टादश्यापि विद्यन्ते सर्वेषां दुःखहेतवः ॥ ८९३ ॥

इन पद्योंमें उक्त १८ दोषोंका नामोल्लेख है, जिनसे दिग्गम्भ्र लोग अर्हन्तदेवोंको रहित मानते हैं । उक्त दोषोंका, २१ पद्योंमें, कुछ विवरण देकर फिर ये दो पद्य और दिये हैं:—

एतैर्ये पीडिता दोषैस्तैर्मुच्यन्ते कथं परे ।

सिद्धानां हतनागानां न खेदोस्ति मृगक्षये ॥ ९१५ ॥

सर्वे रामिणि विद्यन्ते दोषा नामास्ति संशयः ।

रूपिणीव सदा ब्रुव्ये गन्धस्पर्शरसादयः ॥ ९१६ ॥

इन पद्योंमें लिखा है कि ' जो देव इन क्षुधादिक दोषोंसे पीड़ित है, वे दुर्योंको दुर्योंसे मुक्त कैसे कर सकते हैं ? क्योंकि द्वायियोंको मारनेवाले सिद्धोंको दुर्योंके मारनेमें कुछ भी कष्ट नहीं होता । जिस प्रकार पुद्गल ब्रह्ममें स्वर्ण, रस और गन्धादिक गुण होनेका पाए जाते हैं, उसी प्रकार वे सब दोष भी रागी देवोंमें पाए जाते हैं । ' इसके बाद एक पद्यमें ब्रह्मादिक देवताओं पर कुछ आक्षेप करके गणीनी लिखते हैं कि सूर्यसे अंधकारके समूहकी तरह जिस देवतासे ये संपूर्ण दोष नष्ट हो गये हैं वही सब देवोंका अधिपति अर्थात् देवाधिदेव है और संसारी जीवोंके पापोंका नाश करनेमें समर्थ है । ' यथा:—

एते नष्टा यतो दोषा मानोरिव तमञ्जयाः ।

स स्वामी सर्वदेवानां पापनिर्वहणक्षमा ॥ ११८ ॥

इस प्रकार गणीनी महाराजने देवाधिदेव अर्हन्त भगवान्का १८ दोषोंसे रहित वह स्वरूप प्रतिपादन किया है जो विद्यम्बरसम्प्रदायमें माना जाता है । परंतु वह स्वरूप श्वेताम्बरसम्प्रदायके स्वरूपसे मिलक्षण मान्य होता है, क्योंकि श्वेताम्बरोंके यहाँ प्रायः दूधरे ही प्रकारके १८ दोष माने गये हैं । जैसा कि ध्रुवि आत्माराजजीके ' तत्त्वार्थ' में उल्लिखित नीचे लिखे दो पद्योंसे प्रकट है:—

अंतरायदानछामवीर्यभोगोपभोगगा ।

हास्तो रत्नरत्नी भीतिर्जुगुप्सा शोक एव च ॥ १ ॥

कामो मिथ्यात्वमहात्वं निद्रा च विरतिस्त्वया ।

रागो द्वेषश्च नो दोषास्तेषामष्टादशाऽप्यमी ॥ २ ॥

इन पद्योंमें दिये हुए १८ दोषोंके नामोंमेंसे रति, भीति (भय), निद्रा, राग और द्वेष वे पाँच दोष तो ऐसे हैं जो विद्यम्बर और श्वेताम्बर दोनों सम्प्रदायोंमें समान रूपसे माने गये हैं । शेष दानान्तराय, जमान्तराय, वीर्यान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय, हास्य, अरति, जगुप्सा, शोक, काम, मिथ्यात्व, अज्ञान और विरति नामके १३ दोष विद्यम्बरोंके माने हुए छुपा, लूपा, मोह, भ्रम, रोग, चिन्ता, धन्य, अर, मृत्यु, विषाद, निस्मय, जेद और स्वेद नामके दोषोंसे भिन्न हैं । इस लिए गणीनीका उपर्युक्त कथन श्वेताम्बरशास्त्रोंके विरुद्ध है । मान्य होता है कि अमिताभप्रतिभर्मपरीक्षाके १३ में परिच्छेदसे इन सब पद्योंको ज्योंका त्यों उठाकर रखनेकी धुनमें आपकी इस निरुद्धताका कुछ भी मान नहीं हुआ ।

(९) एक स्थानपर, पद्मसगरजी लिखते हैं कि 'कृन्तीसे उत्पन्न हुए पुत्र तपस्वरण करके मोक्ष गये और महीके दोनों पुत्र मोक्षमें न जाकर सर्वार्थसिद्धिको गये' । यथा:—

कृन्तीशरीरजाः कृत्वा तपो जन्तुः शिवास्पदम् ।

महीशरीरजौ भक्ष्यौ सर्वार्थसिद्धिमीयतुः ॥ १०९५ ॥

वह कथन यद्यपि दिगम्बरसम्प्रदायकी दृष्टिसे सत्य है और इसी लिए अमित-
गतिने अपने ग्रंथके १५ वें परिच्छेदमें इसे नं० ५५ पर दिया है। परन्तु श्वेताम्बर-
सम्प्रदायकी दृष्टिसे वह कथन भी विरुद्ध है। श्वेताम्बरोंके 'पांडवचरित्र' आदि
ग्रंथोंमें 'मन्त्री'के पुत्रोंका भी मोक्ष जाना लिखा है और इस तरह पर पाँचों ही पाण्ड-
वोंके लिए मुक्तिका विधान किया है।

(७) पद्मसागरजीने, अपनी धर्मपरीक्षामें, एक स्थान पर यह पद्य दिया है—

चार्वाकदर्शनं कृत्वा मूपी शुक्रबृहस्पती ।

प्रवृत्तौ स्वेच्छया कर्तुं स्वकीयेन्द्रियपोषणम् ॥ १३६५ ॥

इसमें शुक्र और बृहस्पति नामके दो राजाओंको 'चार्वाक' दर्शनका चलावेवाका लिखा
है, परन्तु मुनि आश्वाम्भारामजीने, अपने 'तत्त्वार्थ' ग्रंथके ४ वे परिच्छेदमें, 'शील-
तरंगिणी' नामक किसी श्वेताम्बरशास्त्रके आशय पर, चारवाक मतकी उत्पत्तिविषयक
जो कथा दी है उससे यह माह्यम होता है कि चारवाक मत किसी राजा-या क्षत्रिय
पुरुषके द्वारा न चलाया जाकर केवल बृहस्पति नामके एक ब्राह्मणद्वारा प्रवर्तित हुआ
है, जो अपनी वाकविषया बहससे भोग करना चाहता था। और इस लिए बहसके
इससे पाप तथा लोकजन्माका भय निकालकर अपनी इच्छा पूर्तिकी गरजसे ही उसने
इस मतके सिद्धान्तोंकी रचना की थी। इस कथनसे पद्मसागरजीका उपर्युक्त कथन भी
श्वेताम्बर शास्त्रोंके विरुद्ध पड़ता है।

(८) इस श्वेताम्बर 'धर्मपरीक्षा' में, पद्य नं० ७८२ से ७९९ तक, गण्डेके
शिरच्छेदका इतिहास बतलाते हुए, लिखा है कि—

'ज्येष्ठाके गर्भसे उत्पन्न हुआ वांसु (महादेव) सात्यकिका बेटा था। चोर
तपस्वरण करके उसने बहुतरी विद्याओंका स्वामित्व प्राप्त किया था। विद्याओंके वैभवकी
देखकर वह दसवें वर्षमें अष्ट हो गया। उसने चारित्र (मुनिधर्म) को छोड़कर विद्या-
धरोंकी भाठ कन्याओंसे विवाह किया। परन्तु वे विद्याधरोंकी आत्में ही पुत्रियों महादेवके
साथ रतिकर्म करनेमें समर्थ न हो सकीं और मर गईं। तब महादेवने पार्वतीको रतिकर्ममें
समर्थ सम्बद्धकर उसकी याचना की और उसके साथ विवाह किया। एक दिन पार्वतीके
साथ भोग करते हुए उसकी 'त्रिभुज' विद्या नष्ट हो गई। उसके नष्ट होनेपर वह
'ब्राह्मणी' नामकी दूसरी विद्याको सिद्ध करने लगा। जब वह 'ब्राह्मणी' विद्याकी
प्रतिमाको सामने रखकर जप कर रहा था तब उस विद्याने अनेक प्रकारकी विक्रिया
करनी शुरू की। उस विक्रियाके समय जब महादेवने एक बार उस प्रतिमा पर दृष्टि डाली
तो उसे प्रतिमाके स्थान पर एक चतुर्भुजी मनुष्य दिखलाई पड़ा, जिसके मस्तक पर
गण्डेका शिर था। उस गण्डेके शिरको बढता हुआ देखकर उसने क्षीप्रताके साथ उसे
छेद डाला। परन्तु वह शिर महादेवके हाथको चिपट गया, नीचे नहीं गिरा। तब
ब्राह्मणी विद्या महादेवकी साधनाको व्यर्थ करके चली गई। इसके बाद रात्रिको महादेव-

वने श्रीवर्षमानस्वामीको श्वाशानभूमिमें आनाकल देखकर और उन्हें विद्यालक्ष्मी मनुष्य ससहकर उन पर उपद्रव किया। प्रातःकाल जब उसे यह माहत्म्य हुआ कि वे श्रीवर्ष-मान खिन्न थे तब उसे अपनी छति पर बहुत पश्चात्ताप हुआ। उसने भगवानकी स्तुति की और उनके चरण छूए। चरणोंको छूते ही उसके हाथसे चिपटा हुआ वह गवेषक सिर गिर पड़ा।

यह सब कथन श्वेताम्बर आश्रमके विद्वान् विरह है। श्वेताम्बरोंके 'आसुर्यक' सूत्रमें महादेवकी जो कथा लिखी है और जिसको मुनि आत्मारामजीने अपने 'तत्त्वादर्क' नामक ग्रंथके १२ वें परिच्छेदमें उद्धृत किया है उससे यह सब कथन विद्वान् ही विद्वान् माहत्म्य होता है। उसमें महादेव (महेश्वर) के पिताका नाम 'सात्यकि' न बतलाकर स्वर्ग महादेवका ही असली नाम 'सात्यकि' प्रगट किया है और पिताका नाम 'पेदास' परिजानक बतलाया है। लिखा है कि, 'पेदासने अपनी विद्याओंका दान करनेके लिए किसी ब्रह्मचारिणीसे एक पुत्र उत्पन्न करनेकी जरूरत समझकर 'ज्येष्ठा' नामकी साध्वीसे न्यमिन्वार किया और उससे सात्यकि नामके महादेव पुत्रको उत्पन्न करके उसे अपनी संपूर्ण विद्याओंका दान कर दिया'। साथ ही, यह भी लिखा है कि 'वह सात्यकि नामका महेश्वर महाधीर भगवानका अविरतसम्बन्धित आश्रक था'। इस लिए उसने किसी चारित्रका पाठन किया, मुनिदीक्षा ली, चोर तपश्चरण किया और उससे श्रेष्ठ हुआ, इत्यादि बातोंका उसके साथ कोई सम्बन्ध ही नहीं है। महादेवने विद्या-धरोंकी आठ कन्याओंसे विवाह किया, वे मर गईं, तब पार्वतीसे विवाह किया, पार्वतीसे भोग करते समय त्रिशूल विधा नष्ट हो गई, उसके स्थानमें ब्राह्मणी विद्याको सिद्ध करनेकी चेष्टा की गई, विद्याकी विक्रिया, गवेषके सिरका हाथके चिपटा जाना और फिर उसका वर्षमान स्वामीके चरण छूने पर छूटना, इन सब बातोंका भी वहां कोई उल्लेख नहीं है। इनके स्थानमें लिखा है कि 'महादेव बड़ा कामी और न्यमिन्चारी था, वह अपनी विद्याके बलसे जिस किसीकी कन्या या स्त्रीसे चाहता था विषय-सेवन कर लेता था, लोग उसकी विद्याके भयसे डूब डूब नहीं सकते थे, जो कोई बोलता था उसे वह मार डालता था,' इत्यादि। अन्तमें यह भी लिखा है कि 'उमा (पार्वती) एक वैष्णवी थी, महादेव उस पर मोहित होकर उसीके घर रहने लगा था। और 'चक्रप्रयोत्त' नामके राजाने, उमासे मिलकर और उसके द्वारा यह सेद माहत्म्य करके कि भोग करते समय महादेवकी समस्त विद्याएँ उससे बहल हो जाती हैं, महादेवको उमासहित भोग-ममत्त्वस्थानमें अपने सुमनों द्वारा मरवा डाला था और इस तरह पर नगरका उपद्रव बुर किया था'। इसके बाद महादेवकी उसी भोगवस्थाकी पूजा प्रचलित होनेका कारण बत-लाया है। इससे पाठक भले प्रकार समझ सकते हैं कि पद्मसागरजी गणीका उपर्युक्त कथन श्वेताम्बर आश्रमके इस कथनसे कितना विद्वान् और विभिन्न है और वे क्यों तक इस धर्मपरीक्षाको श्वेताम्बरत्वका रूप देनेमें समर्थ हो सके हैं। गणीजीने विना सोचे समझे

ही यह सब प्रकरण विष्णुवर्धन धर्मपरीक्षाके १२ वें परिच्छेदके ज्योंका त्यों नकल कर छाका है। सिर्फ एक पत्र नं० ७८४ में 'पूर्व' के स्थानमें 'उर्व' का परिवर्तन किया है। अमितगतिने 'उर्वामे पूर्व' इस पदके द्वारा महादेवको दशपूर्वका पाठी सुचित किया था। परन्तु गणीजीको अमितगतिके इस प्रकरणकी सिर्फ हतनी ही बात पसंद नहीं आई और इसलिए उन्होंने उसे बदल छाका है।

(१) परासगरजी, अपनी धर्मपरीक्षामें, जैनशास्त्रानुसार 'कर्मण' की उत्पत्तिका वर्णन करते हुए, लिखते हैं कि—

'एक दिन व्यास राधाके पुत्र पाण्डुको धर्ममें कीटा करते हुए किसी विद्याधरकी 'कामसुद्रिका' नामकी एक अंगूठी लीकी। बोधी देरमें उस अंगूठीका स्वामी चित्रांगद नामका विद्याधर अपनी अंगूठीको हँडता हुआ वहाँ आ गया। पाण्डुने उसे उसकी वह अंगूठी दे दी। विद्याधर पाण्डुकी इस प्रकार निःस्पृहता देखकर बन्धुत्वभावको प्राप्त हो गया और पाण्डुको कुछ विषम्विचित्र ध्यानकर उसका कारण पूछने लगा। इसपर पाण्डुने कुन्तीसे विवाह करनेकी अपनी उत्कट इच्छा और उसके न मिलनेकी अपने विवाहका कारण बतलाया। यह सुनकर उस विद्याधरने पाण्डुको अपनी वह कामसुद्रिका देकर कहा कि इसके द्वारा तुम कामदेवका रूप बनाकर कुन्तीका सेवन करो, पीछे गर्भ रह जानेपर कुन्तीका पिता तुम्हारे ही साथ उसका विवाह कर देगा। पाण्डु कामसुद्रिकाको लेकर कुन्तीके घर गया और बराबर सात दिवसक कुन्तीके साथ विषवसेवन करके उसने उसे गर्भवती कर दिया। कुन्तीकी भाताको जब गर्भका ह्रास माखम हुआ तब उसने गुप्त रूपसे प्रसूति कराई और प्रसव हो जाने पर बाळकको एक मंजुषामें बन्द करके गंगामें बहा दिया। गंगामें बहाता हुआ वह मंजुषा संपापुरके राजा 'आदित्य' को मिला, जिसने उस मंजुषामेंसे लक्ष बाळकको निकालकर उसका नाम 'कर्म' रक्खा, और अपने कोई पुत्र न होनेके कारण बड़े ही हर्ष और प्रेमके साथ उसका पाळन पोषण किया। आदित्यके मरने पर वह बाळक चम्पापुरका राजा हुआ। चूंकि 'आदित्य' नामके राजाने कर्मका पाळनपोषण करके उसे बुद्धिको प्राप्त किया था इसलिए कर्म 'आदित्य' कहलाता है, वह ज्योतिष्क वासिके सूर्यका पुत्र कदापि नहीं है *।'

परासगरजीका यह कथन भी श्वेताम्बर धार्मिकोंके प्रतिबुद्ध है। श्वेताम्बरोंके शीशु-विश्रमगणिविरहित 'पांडवचरित्र'में पाण्डुको राजा 'मित्रवीर्य' का पुत्र लिखा है और उसे 'सुद्रिका' देनेवाले विद्याधरका नाम 'विद्याधर' बतलाया है। साथ ही यह भी लिखा है कि 'वह विद्याधर अपने किसी शत्रुके द्वारा एक छद्मके निमित्तमें जोहोकी कीर्तिसे कोलित था। पाण्डुने उसे देखकर उसके धरारसे वे

* यह सब कथन नं० १०५९ से १०९० तकके पद्योंमें वर्णित है और अमित-गतिधर्मपरीक्षाके १५ वें परिच्छेदके अन्तमें रक्खा गया है।

कोहेकी कीलें खींचकर निकालीं; खंभनादिकके छेपसे उसे सचेत किया और उसके धारोंकी अपनी मुद्रिकाके रखनलसे घोरक अन्धा किया। इस उपकारके बदलेमें विद्या-चरने पांडुको, उसकी चिन्ता माहम करके, अपनी एक अंगूठी वी और कहा कि, यह अंगूठी स्मरण मात्रसे सब मनोबांछित कार्योंकी सिद्ध करनेवाली है, इसमें अटर्नाकरण आदि अनेक महान् गुण हैं। पाण्डुने घरपर आकर उस अंगूठीसे प्रार्थना की कि 'हे अंगूठी ! मुझे कुन्तीके पास ले चल,' अंगूठीने उसे कुन्तीके पास पहुँचा दिया। उस समय कुन्ती, यह माहम करके कि उसका विवाह पाण्डुके साथ नहीं होता है, गलेमें फाँसी डालकर मरनेके लिए अपने वपवनमें एक अशोक वृक्षके नीचे लटक रही थी। पाँड़ुने वहाँ पहुँचते ही गलेसे उसकी फाँसी काट बाछी और कुन्तीके सचेत तथा परि-चित हो जानेपर उसके साथ गेम किया। उस एक ही दिनके भोगसे कुन्तीको गर्भ रह गया। बालकका जन्म होने पर बाछीकी सम्मतिसे कुन्तीने उसे संजूषामें रखकर गमामें बहा दिया। कुन्तीकी माताको, कुन्तीकी आकृति आदि देखकर, पूछनेपर पीछेसे इस कृत्यकी खबर हुई। यह संजूषा 'अतिरथि' नामके एक सारथिको भिजा, जिसने बाळकको उसमेंसे निकालकर उसका नाम 'कर्ण' रक्खा। चूंकि उस सारथिकी लीको, संजूषा भिजेनेके उसी दिन प्रातः काल, स्वप्नमें आकर सूर्यने यह कहा था कि हे वत्स ! आज तुझे एक उत्तम पुत्रकी प्राप्ति होगी। इस लिए सूर्यका दिया हुआ होनेसे बाळकका दूसरा नाम सूर्यपुत्र भी रक्खा गया।

श्वेताम्बरीय पांडवचरित्रके इस संपूर्ण कथनसे पद्मसागरजीके पूर्वोक्त कथनका कहाँ-तक मेल है और यह कितना सिरसे पर तक विभक्षण है, इसे पाठकोंको बतलानेकी अक्षरत नहीं है। वे एक नजर डालते ही दोनोंकी विभिन्नता माहम कर सकते हैं। अस्तु; इसी प्रकारके और भी अनेक कथन इस धर्मपरीक्षामें पाए जाते हैं जो दिगम्बर-शास्त्रोंके अद्भुत तथा श्वेताम्बर शास्त्रोंके अतिदूरे हैं और जिनसे अंधकारकी साफ चोरी पकड़ी जाती है।

उपरके इन सब विद्वद कथनोंसे पाठकोंके हृदयोंमें आश्चर्यके साथ यह प्रश्न उत्पन्न हुए बिना नहीं रहेगा कि 'जब गणीजी महाराज एक दिगम्बरग्रंथको श्वेताम्बरग्रंथ बनानेके लिए प्रस्तुत हुए थे तब आपसे श्वेताम्बरशास्त्रोंके विद्वद इतने अधिक कथनोंको उसमें क्यों रहने दिया ? क्यों उन्हें दूसरे कथनोंकी समान, जिनका दिग्दर्शन इस लेखके अन्तमें कराया गया है, नहीं निकाल दिया या नहीं बदल दिया ? उत्तर इस प्रश्नका सीधा सावा बही हो सकता है कि या तो गणीजीकी श्वेताम्बरसम्प्रदायके ग्रन्थों पर पूरी अज्ञा नहीं थी, अथवा उन्हें उच्च सम्प्रदायके ग्रन्थोंका अच्छा ज्ञान नहीं था। इन दोनों धारोंमेंसे पहली बात बहुत कुछ संदिग्ध माहम होती है और उसपर प्रत्यः विज्ञास नहीं किया जा सकता। क्योंकि गणीजीकी वह कृति ही उनकी श्वेताम्बर-सम्प्रदाय-अधिक

और साम्प्रदायिक मोहसुम्बताका एक अच्छा नमूना जान गढ़ती है और इससे आपको भ्रष्टाका बहुत कुछ पता लग जाता है। इस लिये दूसरी बात ही प्रायः सत्य मान्य होती है। श्वेताम्बरग्रन्थोंसे अच्छी जानकारी न होनेके कारण ही आपको यह मान्य नहीं हो सका कि उपर्युक्त कथन तथा इन्हींके सत्य और दूसरे अनेक कथन भी श्वेताम्बर सम्प्रदायके विरुद्ध हैं; और इस लिये आप उनको निकाल नहीं सके। जहाँ तक मैं समझता हूँ पद्मसागरजीकी योग्यता और उनकी शास्त्रीय ज्ञान बहुत साधारण था। वे श्वेताम्बर सम्प्रदायमें अपने आपको विद्वान् प्रसिद्ध करना चाहते थे; और इस लिये उन्होंने एक दूसरे विद्वान्की कृतिको अपनी कृति बनाकर उसे भोले समाजमें प्रचलित किया है। नहीं तो, एक अच्छे विद्वान्की ऐसे गवन्माचरणमें कमी प्रवृत्ति नहीं हो सकती। उसके लिये ऐसा करना बड़े ही कड़क और क्षमकी बात होता है। पद्मसागरजीने, यद्यपि, यह पूरा ही ग्रन्थ पुनरेका साहस किया है और इस लिये आप पर क्विकी यह उक्ति बहुत ठीक पड़ित होती है कि 'अखिलप्रबंधं हर्षे साहसकर्त्रे नमस्तुभ्यं'; परंतु तो भी आप, क्षमको उतारकर अपने गुंड पर हाथ फेरते हुए, बड़े अमिमानके साथ लिखते हैं कि—

गणेशनिर्मितां धर्मपरीक्षां कर्तुमिच्छति ।

माहशोऽपि जनस्तत्र चित्रं तत्कुलसंभवात् ॥ ४ ॥

यस्तर्कमज्यते हस्तिचरेण स कथं पुनः ।

कलभेनेति नाशं कथं तत्कुलीनत्वशक्तितः ॥ ५ ॥

चक्रे श्रीमदप्रवचनपरीक्षा धर्मसागरैः ।

वाचकेन्द्रैस्ततस्तेषां शिष्येणैवा विधीयते ॥ ६ ॥

अर्थात्—गणेशदेवकी निर्माण की हुई धर्मपरीक्षाको मुझ जैसा मनुष्य भी यदि बनानेकी इच्छा करता है तो इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं है; क्योंकि मैं भी उसी कुलमें उत्पन्न हुआ हूँ। जिस कुलको एक गजराज तोड़ बाळता है उसे हार्षीका बच्चा कैसे तोड़ बाळेगा, यह आश्चंका नहीं करनी चाहिए। क्योंकि स्वकीय कुलशक्तिये वह भी उसे तोड़ बाळ सकता है। मेरे पुत्र धर्मसागरजी वाचकेन्द्रने 'प्रवचनपरीक्षा' नामका ग्रन्थ बनाया है और मैं उनका शिष्य यह 'धर्मपरीक्षा' नामका ग्रंथ रचता हूँ। इस प्रकार पद्मसागरजीने बड़े अहंकारके साथ अपना ग्रंथकर्तृत्व प्रगट किया है। परन्तु आपको इस कृतिको देखते हुए कहना पड़ता है कि आपका यह कोरा और थोथा अहंकार विद्वानोंकी दृष्टिमें केवल हास्यास्पद होनेके सिवाय और कुछ भी नहीं है। यहाँ पाठकोंपर अतिगतिका वह पद्य भी प्रगट किया जाता है, जिसको बदलकर ही गणेशजीने ऊपरके दो श्लोक (शं. ४-५) बनाए हैं—

धर्मो गणेशेन परीक्षितो यः कथं परीक्षेतमहं जडात्मा ।

शक्तो हि यं मकुमिसाधिराजः स भज्यते किं शशकेन वृक्षः ॥ १५ ॥

इस पक्षमें अमितगति आत्मानं, अपनी उद्युता प्रकट करते हुए, लिखते हैं कि—
 'बो धर्म गणवर देवके द्वारा परीक्षा लिना गया है वह कुछ बढावतावे कैसे परीक्षा लिना
 वासकता है ! जिस छुट्टाको गणवरक टोल बाकनेमें समर्थ है क्या उसे सचक संग कर
 सकता है !' इसके बाद दूसरे पक्षमें लिखा है—'परन्तु विद्वान् मुनीवरोंने जिस धर्ममें
 प्रवेश करके उसके प्रवेशमार्गको सरल कर दिया है उसमें कुछ जैसे मूलका प्रवेश हो
 सकता है; क्योंकि वज्रसूचीसे लिख लिने जाने पर मुक्तानामिमें सुकृता नरम होत भी
 प्रवेश करते देखा जाता है।' पाठकस्य देखा, कैसी अच्छी उक्ति और लिखना वप्रसन्न
 भाव है। कहीं मूलकर्ताका यह भाव, और कहीं उसकी सुराकर अपनी कृति बनानेवालेका
 उपरुक्त अहंकार ! मैं समझता हूँ यदि परास्यारजी इसी प्रकारको कोई वज्र भाव प्रकट
 करते तो उनकी धामने कुछ भी फर्क न जाता। परन्तु माध्यम होता है कि आपमें
 इसकी भी उद्यारता नहीं थी और तनी आपने, धातु होते हुए भी, सुसरोधी कृतिको
 अपनी कृति बनानेका यह अस्वास्तु कार्य किया है ! !

इसी तरह पर और भी लिखने ही अन्य श्वेताम्बर सम्प्रदायमें बाली तथा गर्व-
 वाली पाए पाते हैं, जिन सबकी जीव, परीक्षा तथा समाखेचना होनेकी बुरता
 है। श्वे० सम्प्रदायके विषयक विद्वानोंको जाने आकर इसके लिने साधु परिषय करना
 चाहिये और वैसे प्रन्वोंके विषयमें नबार्नं वस्तुत्विकिको समान्यके सामने रखना चाहिये।
 ऐसा लिना जाने पर विचारस्वातन्त्र्य कैकेया, विवेक बाधत होगा और यह साम्प्रदायिकता
 तथा अन्धी भ्रम्य बुर हो सकेगी जो सैव समाखकी प्रगतिको रोके हुए है। इत्यन्तम्।

कर्मई । ता० ८ अगस्त सन् १९१७ ।

प्रकलंकप्रतिष्ठापाठकी जाँच ।



‘अकलंक-प्रतिष्ठापाठ’ या ‘प्रतिष्ठाकल्प’ नामका एक ग्रंथ है, जिसे ‘अकलंक-संहिता’ भी कहते हैं और जो जैनसमाजमें प्रचलित है। कहा जाता है कि ‘यह ग्रन्थ जन महाकलंक वेवका बनाया हुआ है जो ‘राजवार्तिक’ और ‘अष्टशती’ आदि ग्रन्थोंके कर्ता हैं और जिनका समय विक्रमकी ८ वीं शताब्दी माना जाता है। यद्यपि विद्वानोंको इस कथन पर संदेह भी है, परन्तु तो भी उक्त कथन वास्तवमें सत्य है या नहीं इसका अभीतक कोई निर्णय प्राप्त नहीं हुआ। अतः यहाँ इसी विषयका निर्णय करनेके लिए यह लेख लिखा जाता है:—

यह तो स्पष्ट है कि इस ग्रन्थमें ग्रन्थके बननेका कोई सन्-संबन्ध नहीं दिया। परन्तु ग्रन्थकी संविधोंमें ग्रन्थकर्ताका नाम ‘महाकलंकदेव’ जरूर लिखा है। यथा:—

इत्याथे धीमन्महाकलंकदेवसंगृह्यति प्रतिष्ठाकल्पनासि ग्रंथे सूत्रस्थाने प्रतिष्ठाविचित्रसुधयनिकपणीयो नाम प्रथमः परिच्छेदः ॥ १ ॥

‘संविधोंको छोड़कर पद्योंमें भी ग्रन्थकर्तानि-अपना नाम ‘महाकलंकदेव’ प्रकट किया है। जैसा कि आदि अन्तके विन्म लिखित दो पद्योंमें जाहिर है:—

“प्रतिष्ठाकल्पनामासौ प्रथः सारसमुच्चयः ।

महाकलंकदेवेन साधुसंगृह्यते स्फुटम् ॥ ५ ॥”

“महाकलंकदेवेन कृतो ग्रंथो यथागामम् ।

प्रतिष्ठाकल्पनामासौ स्पेयादांचंत्रतारकम् ॥”

‘राजवार्तिक’ के कर्ताको छोड़कर, महाकलंकदेव नामके कोई दूसरा महान् आचार्य जैनसमाजमें प्रसिद्ध नहीं है। इस लिए माहूम होता है कि, संविधों और पद्योंमें ‘महाकलंकदेव’ का नाम लगा होनेसे ही यह ग्रन्थ राजवार्तिकके कर्ताका बनाया हुआ समझ लिया गया है। अन्यथा, ऐसा समझ-झेने और कथन करनेकी कोई दूसरी बजह नहीं है। महाकलंकदेवके बाद होनेवाले किसी साननीय प्राचीन आचार्यकी कृतिमें भी इस ग्रन्थका कोई उल्लेख नहीं मिलता। प्राचीन शिखालेख भी इस विषयमें मौन हैं—उससे कुछ पता नहीं चलता। ऐसी हालतमें पाठक समझ सकते हैं कि उक्त कथन क्यों तक विश्वास किये जानेके योग्य हो सकता है। अस्तु। जहाँतक मैंने इस ग्रन्थको देखा और इसके साहित्यकी जाँच की है उससे माहूम होता है कि यह ग्रन्थ वास्तवमें राजवार्तिकके कर्ता महाकलंकदेवका बनाया हुआ नहीं है; उनसे बहुत पीछेका बना हुआ है। महाकलंकदेवके साहित्य और उनकी कथनशैलीसे इस ग्रन्थके साहित्य और कथनशैलीका कोई मेल नहीं है। इसका अधिकारा साहित्य-शरीर ऐसे ग्रन्थोंके आचार-पर बना हुआ है जिनका निर्माण महाकलंकदेवके अवतारसे बहुत पीछेके समयमें हुआ

है। यहाँ पाठकोंके संतोषार्थ कुछ प्रमाण उपस्थित किये जाते हैं, जिनसे पाठकोंको इस बातका भी अनुभव हो जायगा कि यह ग्रन्थ सब बना है और लिखने बगाना है—

(१) इस प्रतिज्ञापत्रके पूर्वमें परिच्छेदमें बहुतसे पद्य ऐसे पाए जाते हैं जो मगधबिन्दसेनप्रणीत 'आग्निपुराण' से ज्योंके त्यों वा कुछ परिवर्तनके साथ उद्धृत किये गये हैं। मूलके तीरे पर कुछ पद्य इस प्रकार हैं—

सैत्यसैत्यालयादीनां भवत्या निर्माणं च यत् ।

शासनोच्छ्रित्य दानं च ग्राम्यादीनां सदाचनम् ॥ २३ ॥

यह पद्य आग्निपुराणके ३८ वें पर्वका २८ वीं पद्य है और यहाँ ज्योंके त्यों बिना किसी परिवर्तनके रक्खा गया है ।

ताः सर्वा अप्यर्हदीन्यापूर्विका यत इत्यतः ।

विधिहास्तामुधान्दीन्यां धृतिं प्राथमकल्पकीम् ॥ २० ॥

इस पद्यका उत्तरार्ध और आग्निपुराणके उक्त पर्व सम्बन्धी ३४ वें पद्यका उत्तरार्ध दोनों एक हैं। परन्तु पूर्णार्ध दोनों पद्योंके भिन्न भिन्न पाए जाते हैं। आग्निपुराणके उक्त ३४ वें पद्यका पूर्णार्ध है 'एवं विधविधानेन या महेत्या भिनोधिनाम्' । ग्रन्थकृतानि इस पूर्णार्धको अपने इसी परिच्छेदके १० वें पद्यका पूर्णार्ध बनाया है। और इस उद्धृत पर आग्निपुराणके एक पद्यको दो टुकड़ोंमें विभाजित करके उन्हें अलग अलग स्थानों पर रक्खा है ।

यस्मिन्मन्वन्मन्यथ यतमुद्यापनादिकम् ।

उक्तेष्वेव विकल्पेषु द्वेषमन्यथ तावदाहम् ॥ २९ ॥

यह पद्य आग्निपुराणके ३८ वें पर्वमें पं० १३ पर इसी प्रकारसे वर्ण है, किन्तु 'मित्यन्यत् त्रिसंख्यासौवधा समम्' की जगह यहाँ 'मन्यथ यतमुद्यापनादिकम्' ऐसा परिवर्तन पाया जाता है। इस परिवर्तनसे ग्रन्थकृतानि 'त्रिसंख्यासौवा' के स्थानमें 'यत' और 'उद्यापनादिक' को उत्तर तीरेसे पं० प्रकारके पूर्ववर्तमें स्थापित किया है। अस्तु, इन उदाहरणोंसे प्रकट है कि यह ग्रन्थ (प्रतिज्ञापत्र) मगधबिन्दसेनके आग्निपुराणसे प्रकृष्ट बना हुआ नहीं है। परन्तु मगधकालके मगधबिन्दसेनके पहले हो चुके हैं। मगधबिन्दसेनके, 'महाकलक-धीपाठ-पात्रकेसरिषां शुष्याः' क्षत्रादि पद्यके द्वारा, आग्निपुराणमें, उक्त उत्तरार्ध भी किया है। ऐसी दृष्टयमें यह ग्रन्थ कदापि मगधकालकेयुक्त बनाया हुआ नहीं हो सकता। और इस लिए कहना होगा कि यह प्रतिज्ञापत्र मगधबिन्दसेनके आग्निपुराणसे प्रकृष्ट—अर्थात्, विक्रमकी ९ वीं शताब्दीके बादका—बना हुआ है ।

(२) इस ग्रन्थके तीसरे परिच्छेदमें एक स्थान पर, प्राणायामका स्वरूप बतलाते हुए, कुछ पद्य दिये हैं। उनमेंसे एक पद्य इस प्रकार है—

छादशान्तात्समाह्वयः यः समीरः प्रपूर्वते ।

स पूरक इति श्रेयो वायुविज्ञानकोनिदैः ॥ ६६ ॥

यह पद्य और इसके बादके दो पद्य और, जो 'निरुणद्धि' और 'निःसार्यते' शब्दोंसे प्रारंभ होते हैं, ज्ञानार्णवके २९ वें प्रकरणमें क्रमशः नं० ४, ५ और ६ पर दर्ज हैं। इससे प्रकट है कि यह ग्रन्थ ज्ञानार्णवके बादका बना हुआ है। ज्ञानार्णव ग्रन्थके कर्ता श्रीछम्बन्नर आचार्यका समय विक्रमकी ११ वीं शताब्दीके लगभग माना जाता है। उन्होंने अपने इस ग्रंथमें, समतभद्र, देवनन्दि और चिनसेनका स्मरण करते हुए, 'श्रीमद्भद्रकालकस्य पातु पुण्या सरस्वती' इस पद्यके द्वारा भद्रकालकदेवका भी वने गौरवके साथ स्मरण किया है। इस लिए यह प्रतिष्ठापाठ, जिसमें छम्बन्नरके पद्योंका उल्लेख पाया जाता है, भद्रकालकदेवका श्रवणमा हुआ न होकर विक्रमकी ११ वीं शताब्दीके बादका बना हुआ है, यह कहनेमें कोई संकोच नहीं होता।

(३) एकसंधि भद्रकालक बनाया हुआ, 'जिनसंहिता' नामका एक प्रसिद्ध ग्रन्थ है। इस ग्रन्थके सैकड़ों पद्य ज्योंके त्यों वा कुछ परिवर्तनके साथ उठाकर इस प्रतिष्ठापाठमें रक्के गये हैं। कई स्थानों पर उक्त संहिताका नामोल्लेख भी किया है और उसके अनुसार किसी खास विषयके कथनकी प्रतिष्ठा या सूचना की गई है। यथा:—

द्वितीये मंडले लोकपालानामष्टकं भवेत् ।

इति पश्चान्तरं जैनसंहितायां निरूपितम् ॥ ७-१६ ॥

यदि व्यासात्पृथक्तेषां बलिदानं विबक्षितम् ।

निरूप्यते तच्च जैनसंहितामार्गतो यथा ॥ १०-६ ॥

पहले पद्यमें जैनसंहिताके अनुसार कथनकी सूचना और दूसरेमें प्रतिष्ठा की गई है। दूसरे पद्यमें जिस 'बलिदान' के कथनकी प्रतिष्ठा है उसका वर्णन करते हुए जो पद्य दिये हैं उनमेंसे बहुतसे पद्य ऐसे हैं जो उक्त संहितासे ज्योंके त्यों उठाकर रक्के गये हैं। वैसे कि नं० ४७ के उत्तरार्धसे लेकर नं० ६१ के पूर्वार्ध तकके १४ पद्य निकटतम वही हैं जो उक्त संहिताके २४ वें परिच्छेदमें नं० ३ से १६ तक दर्ज हैं। इन पद्योंमेंसे एक पद्य नमूनेके तौर पर इस प्रकार है:—

पाशिनो धान्यदुग्धार्जं वायोः संपिष्टशर्करा ।

यक्षस्य पायसं भक्तं सार्यं क्षीराज्जमीशिनः ॥ ५ ॥

यहाँ पाठकोंको यह ध्यानकर और भी आश्चर्य होगा कि इस प्रतिष्ठापाठका संयोजन भी उक्त संहितापरसे किया गया है। यह संयोजन इस प्रकार है:—

विज्ञानं विमलं यस्य विशदं विम्बगोचरं ।

नमस्तस्मै जिनैन्द्राय सुरैश्चाभ्यर्चितांग्रये ॥ १ ॥

वदित्वा च गणाधीशं श्रुतस्कंधमुपास्य च ।

पेर्वयुगीनामाचार्यानि भक्त्या नमाम्यहम् ॥ २ ॥

संग्रहाकरके ये दोनों पद्य एक संहिताके छन्दों अन्तः १० २ और ३ पर पूर्व हैं। सिर्फ दूसरे पद्यके उत्तरार्धमें भेद है। संहितामें यह उत्तरार्ध इस प्रकारसे दिया है—

संग्रहिन्यामि मन्दातां बोधाय त्रिणसंहिताम् ।

पद्यक समाप्त करने हैं कि बिना ग्रन्थमें संग्रहाकरण भी ग्रन्थकर्ताका अपना बनाया हुआ न हो, वह ग्रन्थ क्या महाकर्मकदेव जैसे महाकवियोंका बनाया हुआ हो सकता है! कभी नहीं। वास्तवमें यह ग्रन्थ एक संग्रह* ग्रन्थ है। इसमें व सिर्फ कवियोंका बल्कि छन्दोंका भी संग्रह किया गया है। ग्रन्थकर्ताकी उक्तियाँ इसमें बहुत कम हैं। बौद्ध कि इसके एक निम्न लिखित पद्यमें भी प्रकट है—

श्लोकाः पुरातनाः किञ्चिच्छिष्यते छन्द्यबोधकाः ।

प्रायस्तदनुसारेण महुकाश्च क्वचित् क्वचित् ॥ १० ॥

महारक एकत्रिका समय विक्रमकी १३ वीं शताब्दीका था जाता है। इसविषय यह प्रतिष्ठापाठ, जिसमें एक महारकजीकी संहिताकी बहुत कुछ कठक भी कई हैं, विक्रमकी १३ वीं शताब्दीके बादका क्या हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है।

(४) इस प्रतिष्ठापाठको १३ वीं शताब्दीके बादका क्या हुआ करनेमें एक प्रबल प्रमाण और भी है। और वह यह है कि इसमें सं० आत्मारवर्षीके बनारस हुए 'विनयकल्प' नामक प्रतिष्ठापाठ और 'साधारणवर्षामृत' के बहुतसे पद्य, ज्योंके त्यों वा कुछ परिवर्तनके साथ, पाये जाते हैं; जिनका एक एक नमूना इस प्रकार है—

किमिच्छन्तेन दानेन जगदाद्या प्रपूर्वं वा ।

चकिमिः कियते सोऽर्हदद्यः कल्पयामो मया ॥ ५-२७ ॥

वेशाकास्तनुसारेण व्यासतो वा समासता ।

कुर्वन्कृत्वां कियां शक्नो दस्तुमिदं न वृषयेत् ॥ ५-७३ ॥

पद्यक पद्य 'साधारणवर्षामृत' के दूसरे अध्यायका २८ वीं और दूसरा पद्य 'विनयकल्प' के पहले अध्यायका १४० वीं पद्य है। विनयकल्पको, पंडित आत्मारवर्षीने, वि० सं० १२८५ में और साधारणवर्षामृतको उसकी टीकासहित वि० सं० १२९६ में बनाकर समाप्त किया है। इससे स्पष्ट है कि यह अकर्मकाप्रतिष्ठापाठ विक्रमकी १३ वीं शताब्दीके बादका क्या हुआ है।

(५) इस अर्थके तीसरे परिच्छेदमें, एक स्थान पर यह लिखकरके हुए कि विनयसंहितामें विनयसिद्धीके नामके लिए एक छन्दर नापकर (सुस्पष्ट) भी होना चाहिए, एक पद्य इस प्रकारसे दिया है—

नृत्याद्विद्वान्निरीरम्यनृत्यमंसपमंसितम् ।

पुरः पार्श्वद्वये यक्षयक्षीमवनसंयुतम् ॥ १३७ ॥

* ग्रन्थकी प्रतिष्ठा और संशोधनमें भी इसे ऐसा ही प्रकट किया है।

वह ब्रह्मसूत्र-त्रिवर्णाचारके चौथे पर्वका १९७ वीं पद्य है। 'उक्त त्रिवर्णाचारके और भी बहुतसे पद्य इस ग्रंथमें पाये जाते हैं। इसी तीसरे परिच्छेदमें लगभग २५ पद्य और हैं, जो उक्त त्रिवर्णाचारसे उठाकर रखे गये हैं। इससे प्रकट है कि वह ग्रंथ (प्रतिष्ठापाठ) ब्रह्मसूत्रत्रिवर्णाचारके बादका बना हुआ है। ब्रह्मसूत्रका समय विक्रमकी प्रायः १५ वीं शताब्दी पाया जाता है। इस लिए यह प्रतिष्ठापाठ विक्रमकी १५ वीं शताब्दीके बादका बना हुआ है।

(६) इस ग्रंथके शुरुमें मंगलान्तरणके बाद ग्रंथ रचनेकी जो प्रतिज्ञा की गई है उसमें 'नेमिचन्द्रप्रतिष्ठापाठ' का भी एक उल्लेख है। यथा—

अथ श्रीनेमिचन्द्रीयप्रतिष्ठाशास्त्रमार्गतः ।

प्रतिष्ठायास्तदाद्युत्तरांगानां स्वयमंगिनाम् ॥ ३ ॥

देविचन्द्र-प्रतिष्ठापाठ 'गोमटसार' के कर्ता नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्तीका बनाया हुआ न होकर उन एहस्थ नेमिचन्द्रसूत्रिका बनाया हुआ है जो देवेन्द्रके पुत्र तथा ब्रह्मसूत्रिके मानके ये और जिनके वैशाखिका विशेष परिचय पानेके लिए पाठकोंको उक्त प्रतिष्ठापाठ पर लिखे हुए उस नोटकी देखना चाहिए जो जैनहितोपीके १२ वें भागके अंक नं. ४-५ में प्रकाशित हुआ है। उक्त नोटमें नेमिचन्द्र-प्रतिष्ठापाठके बननेका समय विक्रमकी १६ वीं शताब्दीके लगभग बतखना गया है। ऐसी दृष्टतमें निवादस्थ प्रतिष्ठापाठ विक्रमकी १६ वीं शताब्दीका या उससे भी कुछ पीछेका बना हुआ माझम होता है। परन्तु इसमें तो कोई संदेह नहीं कि वह १६ वीं शताब्दीसे पहलेका बना हुआ नहीं है। अर्थात्, विक्रमकी १५ वीं शताब्दीके बादका बना हुआ है। परन्तु कितने बादका बना हुआ है, इतना क्लिब्य करना अभी और बाकी है।

(७) 'सोमसेनत्रिवर्णाचार' के पहले अध्यायमें एक प्रतिष्ठावाक्य इस प्रकारसे दिया है—

यत्प्रोक्तं जिनसेनयोग्यगणिसिः सामन्तमद्वैस्तथा

सिद्धान्ते शुभमद्भनाममुनिभिर्महाकलंकैः परैः ।

श्रीसूरिद्विजनामधेयविभुधैरप्याधरैर्वान्वरैः—

स्ताद्ब्रह्म रचयामि धर्मरसिकं शास्त्रं त्रिवर्णात्मकम् ॥

इस वाक्यमें जिन आचार्योंके अनुसार कथन करनेकी प्रतिज्ञाकी गई है उनमें 'महाकलंक' का भी एक नाम है। इन महाकलंकसे 'अकलंक-प्रतिष्ठापाठ' के कर्ताका ही अभिप्राय जान पड़ता है, 'उज्ज्वलिक' के कर्ताका नहीं। क्योंकि सोमसेनत्रिवर्णाचारमें जिस प्रकार 'जिनसेन' आदि दूसरे आचार्योंके वाक्योंका उल्लेख प्राया जाता है उस प्रकार उज्ज्वलिकके कर्ता महाकलंकदेवके बचाने हुए किसी भी ग्रन्थका प्रायः कोई

उल्लेख नहीं मिलता। प्रत्युत, अकलंक-प्रतिष्ठापाठके बहुतसे पत्रों और कपबॉक्स समानेव उसमें बन्दर पाया जाता है। ऐसी ह्रासतमें, सोमसेन त्रिवर्णाचारमें 'अकलंक-प्रतिष्ठापाठ' का उल्लेख किया गया है, यह कब्रना समुचित मानी होता है। सोमसेनत्रिवर्णाचार वि० सं० १६६५ में बनकर समाप्त हुआ है और अकलंकप्रतिष्ठापाठका उसमें उल्लेख है। इस लिए अकलंक-प्रतिष्ठापाठ वि० सं० १६६५ से पहले बन्द चुका था, इस ध्येनेमें भी कोई संकोच नहीं होता।

नतीना इस संपूर्ण कथनका यह है कि विवादास्पद प्रतिष्ठापाठ राजवार्तिकके कर्ता महाकलंकदेवका बनाया हुआ नहीं है और न विक्रमकी २६ वीं शताब्दीसे पहलेका ही बना हुआ है। बरिफ उसकी रचना विक्रमकी १६ वीं शताब्दी या १७ वीं शताब्दीके प्रभवः पूर्वार्धमें हुई है। अथवा जो कश्चित् यह वि० सं० १५०१ और १६६५ के मध्यवर्ती किसी समयका बना हुआ है।

अब यही बह पढ़ कि, अब यह प्रत्येक राजवार्तिकके कर्ता महाकलंकदेवका बनाया हुआ नहीं है और न 'महाकलंकदेव' नामका कोई सुप्रसिद्ध विद्वान् वैजयन्तकालमें प्रसिद्ध है, उस इतिहासे बनाया है। इसका उत्तर इस समय सिर्फ इत्या ही हो सकता है कि, या तो यह प्रत्येक 'अकलंक' या 'अकलंकदेव' नामके किसी ऐसे अप्रसिद्ध महारक या सुप्रसिद्ध विद्वान् महाकलंकका बनाया हुआ है जो उपर्युक्त समयके भीतर हुए है और जिन्होंने अपने नामके साथ स्वयं ही 'मह' की महत्त्वसूचक उपाधिको उभयथा पसंद किया है *। अथवा इसका निर्माप किसी ऐसे व्यक्तिने किया है जो इस प्रत्येकके द्वारा अपने किसी किनासक या संस्थानके समर्पनादिकम कोई इत प्रबोधन सिद्ध करना चाहता हो और इस लिए उसने स्वयं ही इस प्रत्येकको बनाकर उसे महाकलंकदेवके नामसे प्रसिद्ध किया

* वास्तवमें 'हिन्दू धर्मक कबीर सिद्धेश्वर' (कबीर संहिताका इतिहास) से वास्तव हुआ कि इस समयके भीतर 'महाकलंकदेव' नामके एक सुप्रसिद्ध विद्वान् हुए हैं जो दक्षिणप्रदेशमें हास्यप्रतिष्ठानके अधिपति महारकके शिष्य थे और जिन्होंने विक्रमकी १७ वीं शताब्दीमें (ई० सं० १६०४ में) कबीरस्यका एक बड़ा व्याख्यान संस्कृतमें किया है, जिसका नाम है 'कबीरस्यव्याख्यानम्' और जिसपर संस्कृतकी एक विस्तृत टीकाकी भाषाकी ही लिखी हुई है। हो सकता है कि यह प्रतिष्ठापाठ आपकी ही रचना हो। परंतु फिर भी इसमें मगधभारतका सुप्रसिद्ध प्रत्येक उदाहरण रचना वाला कुछ अटकता बन्दर है, क्योंकि कि आप संस्कृतके अच्छे विद्वान् कहे जाते हैं। यदि आपका एक शब्दावलीसंग्रह मुझे देखनेके लिये मिल सकता तो इस विषयका विचार ही संवेदित हो सकता था।

हो और इस तरह पर यह ग्रन्थ भी एक बाली ग्रन्थ बना हो। परन्तु कुछ भी हो; इसमें संदेह नहीं कि, यह ग्रन्थ कोई महत्त्वका ग्रन्थ नहीं है। इसमें बहुतसे कथन ऐसे भी पाए जाते हैं जो जैनधर्मके विरुद्ध हैं, अथवा जैनसिद्धान्तोंसे जिनका कोई मेल नहीं है। चूंकि यह केवल सिर्फ ग्रन्थकी ऐतिहासिकता—ग्रन्थकर्ता और ग्रन्थके बचनेका समय—निर्णय करनेके लिए ही लिखा गया है इस लिए यहाँ पर विरुद्ध कथनोंके उल्लेखको छोटा जाता है। इस प्रकारके विरुद्ध कथन और भी प्रतिष्ठापाठोंमें पाए जाते हैं; जिन सबकी विस्तृत आलोचना होनेको ज़रूरत है। अथवा मिल्ने पर प्रतिष्ठापाठोंके विषय पर एक स्वतंत्र लेख लिखा जायगा और उसमें यह भी दिखलाना जायगा कि उनका वह कथन कहीं तक जैनधर्मके अनुकूल या प्रतिकूल है।

देवचन्द । छा० २६ मार्च, सन् १९१७

पूज्यपाद-उपासकाचारकी जाँच ।

—:—

सन् १९०४ में, 'पूज्यपाद' आचार्यका बनाया हुआ 'उपासकाचार' नामका एक संस्कृत ग्रन्थ प्रकाशित हुआ था। उसे कोल्हापुरके पंडित श्रीयुक्त कलाया मरभापाजी निठवेने, मराठी पद्यानुवाद और मराठी अर्थसहित, अपने 'जैन' छापाखानेमें छापकर प्रकाशित किया था। जिस समय ग्रन्थकी यह छपी हुई प्रति मेरे देखनेमें आई तो मुझे इसके कितनेही पद्योंपर संदेह हुआ और यह शक पैदा हुई कि इसके पद्योंकी जाँच की जाय, और वह माहत्म्य किया जाय कि वह ग्रन्थ कौनसे पूज्यपाद आचार्यका बनाया हुआ है। तभीसे मेरी इस विषयकी खोज जारी है। और उस खोजसे अबतक जो कुछ नतीजा निकला है उसे प्रकट करनेके लिये ही यह लेख लिखा जाता है।

समस्त पहले मुझे 'देहलीके, 'नया मंदिर' के शास्त्र-संस्कारमें इस ग्रन्थकी हस्तलिखित प्रतिका पता चल। इस प्रतिके साथ छपी हुई प्रतिका जो मिलल किना गया तो उससे माहत्म्य हुआ कि उसमें छपी हुई प्रतिके निम्नलिखित छह श्लोक नहीं हैं—

पूर्वापरविरोधादिदुरं हिंसाद्यथासनम् ।

प्रमाणद्वयसंवादि शास्त्रं सर्वज्ञमाश्रितम् ॥ ७ ॥

गोपुच्छिकश्चेत्तुवासा प्राविडो, यापनीयकः ।

निष्पिच्छमेति पंचैते जैनाभासाः प्रकीर्तिताः ॥ १० ॥

नास्त्यहंतः परे देवो यमो नास्ति दया विना ।

तपः परञ्च नैर्ग्रन्थमेतत्सम्यक्त्वलक्षणं ॥ ११ ॥

मांसाशेषु दया नास्ति न सत्यं मद्यपायिषु ।
 धर्मभावो न जीवेषु मधुदुग्धस्वरेविषु ॥ १५ ॥
 चित्ते भ्रान्तिर्जायते मद्यपानात् भ्रान्तं चित्तं पापचर्यासुपैति ।
 पापं कृत्वा दुर्गतिं यान्ति मूढास्तस्मान्मद्यं नैव देयं न पेयं ॥ १६ ॥
 अणुव्रतानि पंचैव त्रिःप्रकारं शुणव्रतम् ।
 शिक्षाव्रतानि चत्वारि इत्येतद् द्वादशात्मकम् ॥ २२ ॥

साय ही, यह सी मालूम हुआ कि देहलीवाली प्रतिमें नीचे लिखे हुए हर लोक
 छी हुरं प्रतिमें अधिक है—

क्षेत्रं वास्तु घनं धान्यं द्विपदञ्च चतुःपदम् ।
 आसनं शयनं कुप्यं मांडं चेति षड्विंश ॥ ७ ॥
 शूद्धी च द्रवसंपन्ना मातृयोनिसमानिका ।
 सुखानां सुखिनः प्रोक्ता तत्पुण्यप्रेरिता स्फुटम् ॥ ५३ ॥
 सञ्जातिः सद्गृहस्थस्त्वं पारिव्राज्यं सुरेन्द्रता ।
 साम्राज्यं परमार्हन्त्यं निर्वाणं चेति सप्तधा ॥ ५६ ॥
 स्रूर्ं पिंडस्रूर्ं कावह्यं शर्करोपमान् ।
 सृष्टिस्त्वाविके मोगांश्च भुंजते नाम संशयः ॥ ६० ॥
 ततः कुत्सितदेषेषु जायन्ते पापपाकतः ।
 ततः संसारगतीषु पञ्चधा भ्रमणं सदा ॥ ६१ ॥
 प्रतिग्रहोद्यतस्थानं पादक्षालनमर्चनम् ।
 नमस्त्रिविधयुक्तेन एवणा नथ पुण्ययुक् ॥ ६४ ॥
 श्रुतिस्मृतिप्रसादेन तत्त्वज्ञानं प्रजायते ।
 ततो ध्यानं ततो ज्ञानं बंधमोक्षो भवेत्ततः ॥ ७० ॥
 नामादिभिश्चतुर्भेदैर्ज्ञानसंहितया पुनः ।
 बंधमंश्रक्रमेणैव स्थापयित्वा जिनाकृतिम् ॥ ७६ ॥
 उपवासो विघातज्यो शुरुषां स्वस्य साक्षिकः ।
 सौपवासो जिनैरुक्तो न च द्वेदस्य बंधनम् ॥ ८१ ॥
 दिवसस्याष्टमे आग्ने मन्दीभूते दिवाकरे ।
 तं नक्तं प्राङ्मुखायौ न नक्तं रात्रिभोजनम् ॥ ९२ ॥

शोकौकी इस न्यूनाधिकताके अतिरिक्त दोनों प्रतिमें कहीं कहीं पद्योंका कुछ
 कमवेद भी पाया गया, और यह इस प्रकार है—

देहलीवाली प्रतिमें, छी हुरं प्रतिके ५५ वें पद्यसे ठीक पहले उसी प्रतिके ५७
 वाँ पद्य, नम्बर ७० के शोकसे ठीक पहले नं० ६८ का शोक, नं० ७१ वाले पद्यके

अनन्तर नं० ७१ का पत्र, नं० ७८ वाले पत्रसे पहले नं० ७५ का पत्र और नं० ९२ के श्लोकके अनन्तर उसी प्रतिका अन्तिम श्लोक नं० ९६ दिया है। इसी तरह ९० पत्रके पत्रके अनन्तर उसी प्रतिके ९४ और ९५ नम्बरवाले पत्र क्रमशः दिये हैं।

इस क्रममें इसके सिवाय, दोनों प्रतियों के किसी किसी श्लोकमें परस्पर कुछ पाठ-भेद भी उपलब्ध हुआ; परन्तु वह कुछ विशेष महत्व नहीं रखता, इसलिये उसे यहाँपर छोड़ा जाता है।

देहलीकी इस प्रतिसे संदेहकी कोई विशेष निवृत्ति न हो सकी, बल्कि कितने ही अर्थोंमें उसे और भी न्याया प्रुष्टि मिली और इसलिये ग्रन्थकी दूसरी हस्तलिखित प्रति-योंके देखनेकी इच्छा कनी ही रही। कितने ही भंडारोंको देखनेका अवसर मिला और कितनेही भंडारोंकी सूचियाँ भी नज़रसे गुज़री, परन्तु उनमें मुझे इस ग्रन्थका दर्शन नहीं हुआ। अन्तको पिछले साल जब मैं 'जैनसिद्धान्तमयन' का निरीक्षण करनेके लिये धारा गया और वहाँ करीब दो महीनेके ठहरना हुआ, तो उस वक़्त, मचनेसे मुझे इस ग्रन्थकी दो पुरानी प्रतिवाँ फ़रदी अक्षरोंमें लिखी हुई उपलब्ध हुई—एक ताबपत्रोंपर और दूसरी कागजपर। इन प्रतियोंके साथ छपी हुई प्रतिका जो मिलान किया गया तो उससे माहूम हुआ कि इन दोनों प्रतियोंमें छपी हुई प्रतिके दो छह श्लोक नहीं हैं जो देहलीवाली प्रतिमें भी नहीं हैं, और न वे दस श्लोक ही हैं जो देहली की प्रतिमें छपी हुई प्रतिसे अधिक पाए गये हैं और जिन सबका उमर उल्लेख किया जा चुका है। इसके सिवाय, इन प्रतियोंमें छपी हुई प्रतिके नीचे लिखे हुए पन्द्रह श्लोक भी नहीं हैं—

ध्रुवा लुषा भयं द्वेषो रागो मोहश्च चिन्तनम् ।
अप्य क्वा च सूर्युश्च स्वैदः खेपो भवोरतिः ॥ ४ ॥
विस्मयो जननं निद्रा विषादोऽह्मवृक्ष ध्रुवः ।
त्रिजगत्सर्वमृतानां दोषाः साधारण्या इमे ॥ ५ ॥
एतैर्दोषैर्विनिर्मुक्तः सोऽयमाप्तो निरंजनः ।
विद्यन्ते येषु ते नित्यं तेऽत्र संसारिणः स्मृताः ॥ ६ ॥
स्वतत्त्वपरतत्त्वेषु हेयोपावेयनिश्चयः ।
संशयादिविनिर्मुक्तः स सम्यग्दाहिरुच्यते ॥ ९ ॥
रक्तमात्रप्रवाहेण स्त्री निन्धा जायते स्फुटम् ।
द्विघातुर्जं पुनर्भासं पवित्रं जायते कथम् ॥ १९ ॥
अक्षरैर्न विना शब्दास्तेऽपि ज्ञानप्रकाशकाः ।
तद्गद्गार्थं च षट् स्थाने मौनं श्रीजिनभाषितम् ॥ ४१ ॥
दिव्यदेहप्रभावताः सप्तधातुविवर्जिताः ।
गर्भोत्पत्तिर्न तत्रास्ति दिव्यदेहास्ततोमताः ॥ ५७ ॥

ज्ञानवान् ज्ञानदानेन निर्मयोऽमयदानतः ।
 अज्ञानात्सुखी नित्यं निर्व्याधिर्भोजान्नवेत् ॥ ६९ ॥
 येनाकारेण मुक्तात्मा शुक्लध्यानप्रभावतः ।
 तेनायं श्रीशिनोदेवो बिम्बाकारेण पूज्यते ॥ ७० ॥
 आसस्यासक्तिघनेऽपि पुण्यायाकृतिपूजनम् ।
 तार्क्ष्यमुद्रा न किं कुर्युर्विषसामर्घ्यसूदनम् ॥ ७१ ॥
 जन्मजन्म यदस्यस्तं दानमभ्ययनं तपः ।
 तेनैवान्यासयोगेन तत्रैवाभ्यस्यते पुनः ॥ ७४ ॥
 अष्टमी चाष्टकर्माणि सिद्धिलामा अतुर्दशी ।
 पंचमी केवलज्ञानं तस्मात्तत्र यमाचरेत् ॥ ७९ ॥
 कालक्षेपो नकर्तव्य आयुःक्षीणं दिने दिने ।
 यमस्य करुणा नास्ति धर्मस्य त्वरिता गतिः ॥ ९४ ॥
 धनित्यानि घरीराणि विभवो नैव शाश्वतः ।
 नित्यं सन्निहितो मृत्युः कर्तव्यो धर्मसंप्रहः ॥ ९५ ॥
 जीवतं मृतकं मन्ये देहिं धर्मवर्जितम् ।
 मृतो धर्मेण संयुक्तो दीर्घजीवी भविष्यति ॥ ९६ ॥

छपी हुई प्रतिसे इन प्रतिमें अधिक पत्र कोई नहीं है; कम-भेदका उदाहरण सिर्फ एक ही पाया जाता है और वह यह है कि, छपी हुई प्रतिमें जो पत्र ५० और ५१ नम्बरों पर विद्ये है वे पत्र इन प्रतिमें कमः ३९ और ३८ नम्बरों पर—
 धर्मात्, आगे पीछे—पाये जाते हैं। एही पाठभेदकी बात, वह कुछ उपलब्ध जरूर होता है और कहीं कहीं इन दोनों प्रतिमें परस्पर भी पाया जाता है। परंतु वह भी कुछ विशेष महत्त्व नहीं रखता और उसमें व्यादातर छपे की तथा छेदकों की भूँटें शामिल हैं। तो भी दो एक बात बात पाठभेदोंका यहाँ परिषय करा देना मुनासिब मान्य होता है; और वह इस प्रकार है—

(१) तीसरे पत्रमें 'निर्ग्रन्थः स्यात्तपस्वी च' (तपस्वी निर्ग्रन्थ होता है) के स्थानमें आठवीं प्रतिमें 'निर्ग्रन्थेन भवेन्मोक्षः' (निर्ग्रन्थ होनेसे मोक्ष होता है) ऐसा पाठ दिया है। देहलीवाली प्रतिमें भी यही पाठ 'निर्ग्रन्थ न भवेन्मोक्षः' ऐसे अछूद रूपसे पाया जाता है।

(२) छपी हुई प्रतिके ३० वें पत्रमें 'न पापं च जमी देया' ऐसा जो एक चरण है वह तावपत्रवाली प्रतिमें भी वैसा ही है। परंतु आठवीं दसरी प्रतिमें उसका रूप 'न परेषाममीदेया' ऐसा दिया है और देहलीवाली प्रतिमें यह 'न दातव्या इमे नित्यं' इस रूपमें उपलब्ध होता है।

(३) छपी हुई प्रतिमें एक पद्य * इस प्रकार दिया हुआ है—

बुद्धा दावाभिनालगास्तत्सर्वं कुर्वते चने ।

आत्मारुद्धतरोरभिमागच्छन्तं न वेत्यसौ ॥ ९१ ॥

इस पद्यका पूर्वार्ध कुछ अद्भुत ज्ञान पढ़ता है और इसी से मराठीमें इस पद्यका जो यह अर्थ किया गया है कि 'जनमें दावाभिसे प्रसे हुए कुछ उद्य शवाभिसे मित्रता करते हैं, परन्तु जीव स्वयं जिस देहकी कृष्णपर चढा हुआ है उसके पास जाती हुई अभिको नहीं जानता है' वह ठीक नहीं मात्तम होता । आराकी प्रतियोंमें उक्त पूर्वार्धका कुछ कम 'बुद्धा दावाभिनालगा ये तत्संख्या कुरुते चने' इस प्रकार दिया है और इससे अर्थकी संगति भी ठीक बैठ जाती है—यह आशय निकल जाता है कि 'एक मनुष्य जनमें, यहाँ शवाभि फैली हुई है, कृष्णपर चढा हुआ, उन दूसरे बुद्धोंकी भिन्ती कर रहा है जो दावाभिसे प्रस्त होवे जाते हैं (वह कह रहा है कि अमुक बुद्धको भाव छपी, वह लज और वह गिरा ।) परन्तु स्वयं जिस कृष्णपर चढा हुआ है उसके पास जाती हुई आशको नहीं देखता है । इस अलंकृत आशयका स्पष्टीकरण भी ग्रंथमें अगले पद्य द्वारा किया गया है और इससे दोनों पद्योंका सम्बंध भी ठीक बैठ जाता है ।

आराकी इन दोनों प्रतियोंमें ग्रन्थकी श्लोकसंख्या कुल ७५ दी है; यद्यपि, अंतके पद्यों पर जो नंबर पड़े हुए हैं उनसे वह ७६ मात्तम होती है । परन्तु ' न वेत्तिमद्य-पालता' इस एक पद्यपर लेखकोंकी गलतीसे दो नम्बर ८ और ९ पढ़ गये हैं जिससे आगेके संख्याओंमें, बराबर एक एक नम्बरकी शक्ति होती चली गई है । देहलीवाली प्रतिमें भी इस पद्यपर मूलसे दो नम्बर १३ और १४ बाँटे गये हैं और इसी लिये उसकी श्लोकसंख्या १०० होने पर भी वह १०१ मात्तम होती है । छपी हुई प्रतिकी श्लोक-संख्या ९६ है । इस तरह आराकी प्रतियोंसे छपी हुई प्रतिमें २१ और देहलीवाली प्रतिमें २५ श्लोक बढे हुए हैं । ये सब बढे हुए श्लोक 'श्लेषक' हैं जो मूल ग्रन्थकी सिद्ध सिद्ध प्रतियोंमें किसी तरह पर शामिल हो गये हैं और मूल ग्रन्थके अलगभूत नहीं हैं । इन श्लोकोंको निकालकर ग्रन्थको पढ़नेसे उसका शिक्किटा ठीक बैठ जाता है और वह अद्भुत कुछ अनुभव, मात्तम होने लगता है । प्रसुप्त, प्रसक्त, धन, श्लोकोंको, शक्ति-करके पढ़नेसे उसमें बहुत कुछ वेदंगापव आ जाता है और वह अनेक प्रकारकी गल-बढी तथा आपत्तियोंसे पूर्ण जँचने लगता है । इस बातका अनुभव सहज-पठक स्वयं ग्रन्थपरसे कर सकते हैं ।

इन सब अनुसंधानोंके साथ ग्रन्थको पढ़नेसे ऐसा मात्तम होता है कि छपी हुई प्रति जिस हस्तालिखित प्रति परसे तय्यार की गई है उसमें तथा देहलीकी प्रतिमें जो

* देहलीकी प्रतिमें भी यह पद्य प्रायः इसी प्रकारसे है, सिर्फ हतना मेरु है कि उसमें पूर्वार्धको उत्तरार्ध और उत्तरार्धको पूर्वार्ध बनाया गया है ।

पथ बंदे हुए हैं उन्हें या तो किसी विद्वान्ने व्याख्या आदिके लिये अपनी प्रतिमें टिप्पणीके तौरपर लिख रक्खा था या ग्रन्थकी किसी कान्ठी आदि टीकामें वे विषयसम्पर्नादिके लिये 'बर्णन' आदि रूपसे दिये हुए थे; और ऐसी किसी प्रतिसे नकल करते हुए लेखकोंने उन्हें मूल ग्रन्थका ही एक अंग समझकर नकल कर बाजा है। ऐसे ही किसी कारणसे वे सब श्लोक अनेक प्रतिमें प्रक्षिप्त हुए जान पड़ते हैं। और इसलिये यह कहनेमें कोई संकोच नहीं हो सकता कि वे बंदे हुए पथ बूझरे अनेक ग्रन्थोंके पथ हैं। नमूनेके तौर पर यहाँ चार पथोंको उद्घुष्ट करके बतलाया जाता है कि वे कौन कौनसे ग्रन्थके पथ हैं—

गोपुच्छिकभ्रंशेतवासा द्राविडो यापनीयकः ।

निष्पिच्छेद्यति पंचैते जैनामास्ताः प्रकीर्तिताः ॥ १० ॥

यह पथ इन्द्रनन्दिके 'नीतिसार' ग्रन्थका पथ है और उसमें भी, सं० १० पर दिया हुआ है।

सञ्जातिः सद्ग्रहस्थस्त्वं पारिव्राज्यं सुरेंद्रता ।

साम्राज्यं परमार्हन्त्यं निर्वाणं चेति सप्तधा ॥ ५६ ॥

यह पथ, जो देहलीवाली प्रतिमें पाया जाता है, श्रीजिनसेनाचार्यके 'आविष्कार'का पथ है और इसका यहाँ पूर्वापरपथोंके साथ कुछ भी मेल मालूम नहीं होता।

आप्तस्यासन्निधानेऽपि पुण्यायाकृतिपूजनम् ।

तार्क्ष्यमुद्रा न किं कुर्युर्विषसामर्थ्यसूदनम् ॥ ७३ ॥

यह श्रीसोमदेवसूरिके 'गणस्तिक' ग्रंथका पथ है और उसके आठवें अध्यायमें पाया जाता है।

अमित्यानि शरीराणि विमबो नैव शास्वतः ।

नित्यं सञ्जिहितोसुत्युः कर्तव्यो धर्मसंग्रहः ॥ ९५ ॥

यह 'वाणक्य-नीति'का श्लोक है।

टीका-टिप्पणियोंके श्लोक किस प्रकारसे मूल ग्रन्थमें शामिल हो जाते हैं, इसका विवेचन परिचय पाठकोंको 'रत्नकरणकभावकाचारकी जॉन'* नामके लेखद्वारा कराया जायगा।

यहाँ तकके इस सब कथनसे यह बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि छपी हुई प्रतिकों देखकर उसके पथोंपर जो कुछ संदेह उत्पन्न हुआ था वह धलुन्वित नहीं था बल्कि यथार्थ ही था, और उसका निरसन आराकी प्रतियों परसे बहुत कुछ हो जाता है। साथ ही, यह बात ध्यानमें आ जाती है कि यह ग्रन्थ जिस रूपसे छपी हुई प्रतिमें तथा देहलीवाली प्रतिमें पाया जाता है उस रूपमें यह 'प्रायःपाठका 'उपासकचार'

* माणिक्यचंद्रग्रंथमाला में प्रकाशित 'रत्नकरणकभावकाचार' पर जो ८४ पृष्ठोंकी विस्तृत प्रस्तावना लिखी गई है उसीमें रत्नकरणक भा० की यह सब जॉन शामिल है।

नहीं है; बल्कि छपी हुई प्रतिमेंसे, ऊपर लिये हुए, २१ श्लोक और देहलीवाली प्रतिमेंसे, २५ श्लोक कम कर देनेपर वह पूज्यपादका उपासकाचार रहता है, और उसका रूप प्रायः वही है जो आराफी प्रतिमें पाया जाता है। संभव है कि ग्रन्थके अन्तमें कुछ पद्योंकी प्रशस्ति और हो और वह किसी अग्रहकी दूसरी प्रतिमें पाई जाती हो। उसके लिये विद्वानोंको अन्य स्थानोंकी प्रतियाँ भी खोजनी चाहिएँ।

अब देखना यह है कि, यह ग्रंथ कौनसे पूज्यपाद आचार्यका बनाया हुआ है। 'पूज्यपाद' नामके आचार्य एकसे अधिक हो चुके हैं। उनमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और बहुमाननीय आचार्य 'जैनेन्द्र' व्याकरण तथा 'सर्वार्थसिद्धि' आदि ग्रन्थोंके कर्ता हुए हैं। उनका दूसरा नाम 'देववन्दी' भी था; और देववन्दी नामके भी कितने ही आचार्योंका पता चलता है X। इससे, पर्याय नामकी वजहसे यदि उनमेंसे ही किसीका ग्रहण किया जाय तो किसका ग्रहण किया जाय, यह कुछ सपत्तमें नहीं आता। ग्रन्थके अन्तमें अभी तक कोई प्रशस्ति उपलब्ध नहीं हुई और न ग्रंथके शुरूमें—किसी आचार्यका स्मरण किया गया है। हों आराफी एक प्रतिके अन्तमें समाप्तिसूचक वाक्य लिया है वह इस प्रकार है—

“इति श्रीवासुपूज्यपादाचार्यविरचित उपासकाचारः समाप्तः ॥”

इसमें 'पूज्यपाद' से पहले 'वासु' शब्द और जुड़ा हुआ है और उससे दो विकल्प उत्पन्न हो सकते हैं। एक तो यह कि यह ग्रन्थ 'वासुपूज्य' नामके आचार्यका बनाया हुआ है और देखकरके किसी अभ्यासकी वजहसे—पूज्यपादका नाम चितपर ज्ञाया गया हुआ तथा अभ्यासमें अधिक आया हुआ होनेके कारण—'पाद' शब्द उसके साथमें गळतीसे और अधिक लिखा गया है; क्योंकि 'वासुपूज्य' नामके भी आचार्य हुए हैं—एक 'वासुपूज्य' श्रीधर आचार्यके शिष्य थे, जिनका उल्लेख माधनविद्या-काचारकी प्रशस्तिमें पाया जाता है और 'दानसासन' ग्रंथके कर्ता भी एक 'वासुपूज्य' हुए हैं, जिन्होंने एक संवत् १३४३ में उक्त ग्रंथकी रचना की है। दूसरा विकल्प यह हो सकता है कि यह ग्रन्थ 'पूज्यपाद' आचार्यका ही बनाया हुआ है और उसके साथमें 'वासु' शब्द, देखकरके वैसे ही किसी अभ्यासके कारण, गळतीसे जुड़ गया है। ज्यादातर खयाल वही होता है कि यह पिछले विकल्प ही ठीक है; क्योंकि आराफी दूसरी प्रतिके अंतमें भी वही वाक्य दिया हुआ है और उसमें 'वासु' शब्द नहीं है। इसके सिवाय, छपी हुई प्रति और देहलीकी प्रतिमें भी यह ग्रन्थ पूज्यपादका ही बनाया हुआ लिखा है। साथ ही, 'दियम्बरजैनग्रन्थकर्ता और उनके ग्रन्थ' नामकी सूचीमें भी पूज्यपादके नामके साथ एक श्रावकाश्वर ग्रन्थका उल्लेख मिलता है।

X एक देववन्दी विनयधरके शिष्य और 'द्विसंवात' काव्य की 'पदकौमुदी' टीकाके कर्ता नैमिषंशके शुरु थे, और एक देववन्दी आचार्य ब्राह्मणालयके शुरु थे जिसके पढ़नेके लिये संवत् १६२७ में 'विनयहकल्प' की वह प्रति लिखी गई थी जिसका उल्लेख सेठ माधिकचंशके 'प्रशस्तिसंग्रह' रजिस्त्रमें पाया जाता है।

इन सब बातोंसे यह तो पक्का जाता है कि यह ग्रन्थ पूज्यपादाचार्यका बनाया हुआ है, परंतु कौनसे 'पूज्यपाद' आचार्यका बनाया हुआ है, यह कुछ साक्ष्य नहीं होता।

ऊपर जिस परिस्थितिका उल्लेख किया गया है उसपरसे, बराबरी, यह कहना बाधक नहीं है कि यह ग्रन्थ अशुभ पूज्यपाद आचार्यका बनाया हुआ है, परंतु इस ग्रन्थके साहित्यको सर्वाधिकारि, सम्पादितकर और इष्टोपदेश नामक ग्रन्थोंके साहित्यके साथ मिलान करने पर इतना बखर यह सकते हैं कि यह ग्रन्थ उक्त ग्रन्थोंके कर्ता श्रीपूज्यपादाचार्यका बनाया हुआ तो नहीं है। इन ग्रन्थोंकी उक्तनी जिस प्रौढताको लिये हुए है, निम्न-प्रतिपादनका इनमें वैसा कुछ ढंग है और वैसा कुछ स्वका स्वविव्यास पाया जाता है, उसका इस ग्रन्थके साथ कोई भेद नहीं है। सर्वाधिकारि भाष्यकर्माका भी ध्यान है, परंतु वहाँ उक्तपादिसमे विषयके प्रतिपादनमें वैसी कुछ विशेषता पाई जाती है वह वहाँ उचितोत्तर नहीं होती। यदि यह ग्रन्थ सर्वाधिकारिके कर्ताका ही बनाया हुआ होता तो, चूंकि यह भाष्यकर्माका एक स्वतंत्र ग्रन्थ था इसलिये, इसमें भाष्यकर्मा-सम्बन्धी अन्य विशेषताओंके अतिरिक्त उन सब विशेषताओंका भी उल्लेख बखर होना चाहिए था जो सर्वाधिकारिके पाई जाती हैं। परंतु ऐसा नहीं है, बल्कि कितनी ही जगह कुछ कथन परस्पर विभिन्न भी पाया जाता है, जिसका एक नमूना नीचे दिया जाता है—

सर्वाधिकारिके 'अनर्थविरति' नामके तीसरे शुभमन्त्रक स्वल्प इस प्रकार दिया है—

“असंख्यपक्षरे पापादानहेतुरनर्थदण्डः । ततो विरतिरनर्थदण्ड-
विरतिः ॥ अनर्थदण्डः पंचविधः । अपाच्यार्थं, पापोपदेशः, प्रमाद्विरतिम्,
हिंसाप्रदानम्, अशुभश्रुतिरिति । तत्र परेषां अयपरान्नयवचनचनान्नाह्नु-
च्छेदपरस्वहरादि कथं स्यादिति मनसा चिन्तनमपश्यामम् । तिर्य-
कश्लेशवाहित्यप्रणयिवचकारंभादिषु पापसंयुक्तं घचनं पापोपदेशः ।
प्रयोजनमन्तरेण धृष्टादिच्छेदकसूक्तिकुट्टनसहितसेवनाद्यवधकार्यं प्रमा-
दाविरतिं । विपकष्टकशास्त्राभिरञ्जुकथादण्डादिहिंसोपकरमप्रदानं हिंसाप्र-
दानम् । हिंसारज्याविप्रवर्जनपुष्टकयाधवधियाज्ञान्यापृतिरशुभश्रुतिः ॥”

इस स्वल्पकथनमें अनर्थविरतिके उल्लेख, उसके पांच भेदोंका नामनिर्देश और फिर अत्येक भेदका स्वल्प बहुत ही अच्छे ठुके शब्दोंमें बतलाना गया है। और यह सब कथन उपासकसूत्रके उस मूल सूत्रमें नहीं है जिसकी व्याख्यामें आचार्यमहोदयने यह सब कुछ लिखा है। इसलिये यह भी नहीं कहा जा सकता कि मूल ग्रन्थके अशुभोपदेश वहाँ वहाँ पर ऐसा लिखवा गया है। वास्तवमें, उनके मतानुसार, वैम विद्वान्तरक इस विषयमें ऐसा ही आचार्य बाल पढ़ता है और उद्योगके उन्हेनि प्रदर्शित किया है। धन उपासकचार्यमें दिये हुए इस मन्त्रके स्वल्पको देखिये—

पाशमण्डलमार्जारविषशस्त्रकृशानवः । :

न पापं च अमी देयास्तृतीयं स्याद्गुणव्रतम् ॥ १९ ॥

इसमें अनर्थदंडविरतिका सर्वाथसिद्धिवाला लक्षण नहीं है और न उसके पाँच भेदोंका कोई उल्लेख है। यत्कि नहीं इस व्रतका जो कुछ लक्षण अथवा स्वरूप बतलाया गया है वह अनर्थदंडके पाँच भेदोंमें से 'हिंसाप्रदान' नामके चौथे भेद की विरतिसे ही सम्बन्ध रखता है। इसलिये, सर्वाथसिद्धिकी दृष्टिसे, यह लक्षण लक्ष्यके एक देशमें न्यापनेके कारण अभ्यासि दोषसे दूषित है, और कदापि सर्वाथसिद्धिके कर्ताका नहीं हो सकता।

इस प्रकारके विभिन्न कथनोंसे भी यह ग्रन्थ सर्वाथसिद्धिके कर्ता श्रीपूज्य-पाद स्वामीका बनाया हुआ माखन नहीं होता, तब यह ग्रन्थ दूसरे कौनसे पूज्यपाद आचार्यका बनाया हुआ है और कब बना है, यह बात अवश्य जाननेके योग्य है और इसके लिये विद्वानोंको कुछ विशेष अनुसंधान करना होगा। मेरे ज्ञयात्ममें यह ग्रन्थ पं० आशापरके बादका—१३ वीं शताब्दीसे पीछेका बना हुआ माखन होता है। परंतु अभी मैं इस बातको पूर्ण निश्चयके साथ कहनेके लिये तम्हार नहीं हूँ। विद्वानोंको चाहिए कि वे स्वयं इस विषयकी खोज करें, और इस बातको माखन करें कि किन किन प्राचीन ग्रन्थोंमें इस ग्रन्थके पद्योंका उल्लेख पाया जाता है। साथही, उन्हें इस ग्रन्थकी वृत्ती प्राचीन प्रतियोंकी भी खोज लगानी चाहिए। संभव है कि उनमेंसे किसी प्रतिमें इस ग्रन्थकी प्रशस्त उपलब्ध हो जाय।

इस लेखपरसे पाठकोंको यह बतलानेकी जरूरत नहीं है कि मंडारोंमें कितने ही ग्रन्थ कैसी संदिग्धामस्यामें मौजूद हैं, उनमें कितने अधिक शेषक शामिल हो गये हैं और वे मूल ग्रन्थकर्ताकी कृतिको समझनेमें क्या कुछ भ्रम उत्पन्न कर रहे हैं। ऐसी झूठमें, प्राचीन प्रतियों परसे ग्रन्थोंकी बाँच करके उनका यथार्थ स्वरूप प्रगट करनेकी और उसके लिये एक छुदाही विभाग स्थापित करनेकी कितनी अधिक जरूरत है, इसका अनुभव सहृदय पाठक स्वयं कर सकते हैं। प्राचीन प्रतियों दिनपर दिन नष्ट होती जाती हैं। उनसे शीघ्र स्थायी काम ले लेना चाहिए। नहीं तो उनके नष्ट हो जानेपर यथार्थ वस्तुस्थितिके माखन करनेमें फिर बड़ी कठिनाता होगी और अनेक प्रकारकी दिक्कतें पैदा हो जायगी। कमसे कम उन खास खास ग्रन्थोंकी बाँच तो जरूर हो जानी चाहिए जो बड़े बड़े प्राचीन आचार्योंके बनाये हुए हैं अथवा ऐसे आचार्योंके नामसे नामांकित हैं और इसलिये उनमें उची नामके प्राचीन आचार्योंके बनाए हुए होनेका भ्रम उत्पन्न होता है। आशा है, हमारे दूरदर्शी भाई इस विषयकी उपयोगिताको समझकर उसपर जरूर ध्यान देनेकी कृपा-करेंगे।

सरघावा, जि. सहारनपुर ।
ता० २५ नवम्बर सन् १९२१

} . . . सुगलकिशोर मुख्तार



